रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No D. (D) 72.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 55] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 14, 1981/माघ 25, 1902
No. 55] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 14, 1981/MAGHA 25, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1981

सा०का०नि० 65(अ)—भारत सरकार के राजपत्र (असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) दिनांक 28 मार्च 1980 में अंग्रेजी में प्रकाशित अधिसूचनाएं सं० जी०एस०आर० 155(ई) से 156(ई) तथा जी०एस०आर० 159 (ई) व 167(ई) का हिन्दी अनुवाद निम्न प्रकार है—

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1981

सा०का०नि० 155 (अ)—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के साथ पठित उसकी धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् —

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (गृहों के निर्माण के लिए अग्रिमों का अनुदान) विनियम, 1980 है ।

(2) ये 1 अप्रैल 1980 से प्रवृत्त होंगे ।

2 परिभाषाएं—इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) अभिप्रेत है ,

(ख) "बोर्ड" से नव मंगलौर पत्तन न्यास के लिए अधिनियम के अधीन गठित न्यासी बोर्ड अभिप्रेत है ,

(ग) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ,

(घ) "उपाध्यक्ष" से बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ङ) "कर्मचारी" से बोर्ड का कर्मचारी अभिप्रेत है ,

(च) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(छ) "विभाग का अध्यक्ष" से वह पद अभिप्रेत है जिसका पदधारी अधिनियम के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(ज) "विधिक सलाहकार" से समय-समय पर नियुक्त बोर्ड का विधिक सलाहकार अभिप्रेत है ,

(झ) 'स्थायी कर्मचारी" और "अस्थायी कर्मचारी" का वही अर्थ होगा जो नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती ज्येष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 1980 में उनका है ;

(ञ) "निम्न वेतन कर्मचारी" से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है, जिसका वेतन, जिसके अन्तर्गत स्थानापन्न वेतन, मंहगाई वेतन, व्यक्तिक वेतन और विशेष वेतन है, प्रति मास 500 रुपये से अधिक नही है ।

3. पात्रता :—गृह निर्माण अग्रिम का अनुदान कर्मचारियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) बोर्ड के स्थायी कर्मचारी ;

(ख) बोर्ड के ऐसे कर्मचारी जो ऊपर के प्रवर्ग (क) के अधीन नही आते है और जिन्होंने कम से कम दस वर्ष निरन्तर सेवा की है परन्तु यह तब जब कि मंजूरीकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उनके बोर्ड की सेवा में कम से कम तब तक बने रहने की संभावना है जब तक उस गृह का, जिसके लिए अग्रिम मंजूर किया गया है, निर्माण नहीं हो जाता है या बोर्ड को बंधक नहीं कर दिया जाता है ।

टिप्पण :—ऐसे मामलों में, जहां पति और पत्नी दोनों बोर्ड के कर्मचारी हैं और अग्रिम के अनुदान के लिए पात्र हैं यह उनमें से केवल एक को अनुज्ञेय होगा ।

4. अग्रिम के अनुदान की शर्तें :—अग्रिम के अनुदान के किसी आवेदन में निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिएं, अर्थात् :—

(क) (i) किसी गृह के मामले में निर्माण/क्रय किए जाने वाले गृह या फ्लैट की लागत निवासीय प्लाट की लागत को निकाल कर कर्मचारी के वेतन के 75 गुना से या 1,25,000 रुपए से, इसमें से जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी ;

(ii) आवेदक ने किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय, जैसे कि पुनर्वास विभाग या केन्द्रीय या राज्य आवास स्कीम से इस प्रयोजन के लिए, कोई उधार या अग्रिम न लिया हो ;

(iii) निम्न वेतन कर्मचारी के मामले में निर्माण/क्रय किए जाने वाले प्रस्तावित गृह/फ्लैट की लागत (भूमि/फ्लैट के विक्रय/पट्टा विलेख में यथावर्णित भूमि की लागत को निकालकर) 50,000 रुपये से अधिक नही होगी भले ही वह उनके मासिक वेतन के 75 गुना से अधिक हो ;

(iv) जहा आवेदक द्वारा पहले ही लिया गया उधार या अग्रिम आदि इन विनियमो के अधीन अनुज्ञेय रकम से अधिक नही है, वहां वह इस अधिनियम के अधीन अग्रिम के लिए आवेदन इस शर्त के अधीन रहते हुए कर सकता है कि वह बकाया उधार या अग्रिम को (उस पर ब्याज सहित, यदि कोई हो) एक मुश्त राशि में पूर्वोक्त प्राधिकार या निकाय को प्रतिसंदत्त करने का वचन देता है ।

(ख) ऐसे मामलो में जहां कोई कर्मचारी इन विनियमों के अधीन कोई अग्रिम लेने के अतिरिक्त गृह/निवासीय/फ्लैट के सन्निर्माण/अर्जन के सम्बन्ध में अपनी भविष्य निधि लेखे मे अन्तिम रूप से रकम निकालता है (या निकाली है) इन विनियमों के अधीन मंजूर अग्रिम और भविष्य निधि से निकाली गई कुल रकम का योग मासिक वेतन आदि के 75 गुना से या 1,25,000 रुपये से, इसमें से जो भी कम हो, और निम्न वेतन कर्मचारियों की बाबत 50,000 रुपये से, उनके 75 मास के वेतन पर ध्यान न देते हुए, अधिक नहीं होना चाहिए ।

(ग) न तो आवेदक के, न आवेदक के पति/पत्नी या अवयस्क संतान के स्वामित्व में कोई गृह होना चाहिए, किन्तु यह शर्त बोर्ड द्वारा आपवादिक परिस्थितियों में शिथिल की जा सकती है उदाहरणार्थ यदि आवेदक या आवेदक की पत्नी/पति/अवयस्क संतान किसी ग्राम में गृह का स्वामी है और आवेदक किसी नगर मे बसना चाहता है, या जहां आवेदक अन्य नातेदारों आदि के साथ संयुक्त रूप से गृह का स्वामी है और वह अपने लिए किसी पृथक गृह का निर्माण करना चाहता है ।

(घ) सन्निर्मित या क्रय किए जाने वाले गृह का फर्शी क्षेत्रफल 22 वर्ग मीटर से कम नही होना चाहिए ।

टिप्पण:—इस और अन्य विनियमों तथा इन विनियमों से उपाबद्ध बंधक के प्ररूपों के प्रयोजनो के लिए जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो गृह शब्द के अन्तर्गत कोई फ्लैट भी है ।

5. प्रयोजन जिनके लिए अग्रिम अनुदत्त किया जा सकेगा : अग्रिम निम्नलिखित के लिए अनुदत्त किया जा सकेगा :—

(क) या तो कर्तव्य के स्थान पर या उस स्थान पर, जहां कर्मचारी सेवा निवृत्ति के पश्चात् बसने की प्रस्थापना करता है किसी नए गृह का सन्निर्माण (जिसके अन्तर्गत उस प्रयोजन के लिए भूमि के किसी उपयुक्त प्लाट का अर्जन) या पहले से ही निर्मित गृह या फ्लैट का क्रय करना । पहले से निर्मित गृह या फ्लैट का क्रय करने के लिए अग्रिम के लिए किसी आवेदन पर भी विचार किया जा सकेगा । अग्रिम की अधिकतम रकम, जो अनुदत्त की जा सकती है, पहले से ही निर्मित गृह या फ्लैट की वास्तविक लागत या मासिक वेतन के 75 गुना या 70,000 रुपये इसमें

जो भी सबसे कम हो, होगी । निम्न वेतन कर्मचारियो के मामले में गृहों का सन्निर्माण/गृहों/फ्लैटों के क्रय (भूमि की लागत को निकालकर) की कुल लागत 50,000 रुपयों से अधिक नही होगी यद्यपि वह 75 मास के वेतन से अधिक हो।

(ख) संबन्धित कर्मचारी के या उसकी पत्नी/उसके पति के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन किसी विद्यमान गृह में निवास स्थान की वृद्धि :—

गृह में निवास स्थान की वृद्धि :

परन्तु भूमि को छोड़कर विद्यमान संरचना की और प्रस्थापित वृद्धि और विस्तारों की कुल लागत उसके मासिक वेतन के 75 गुना या 1,25,000 रुपये इसमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी । निम्न वेतन कर्मचारियों के मामलों में भूमि को छोड़कर विद्यमान संरचना की और प्रस्थापित वृद्धि और विस्तार की कुल लागत 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये यद्यपि वह कर्मचारी के वेतन के 75 गुना से अधिक हो।

(ग) विनियम (4)(क) में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी या निकाय से लिए गये उधार या किसी अग्रिम का प्रतिसंदाय:

परन्तु इस विनियम के खण्ड (ग) के अधीन अग्रिम का अनुदान उस दशा में नहीं किया जायेगा यदि गृह पर सनिर्माण पहले ही प्रारंभ कर दिया गया है ।

6. अग्रिम की रकम :—(क) किसी कर्मचारी को उसकी संपूर्ण सेवा के दौरान इन विनियमों के अधीन एक अग्रिम से अधिक मंजूर नहीं किया जायेगा ।

(ख) किसी आवेदक को उसके मासिक वेतन के, जिसके अन्तर्गत स्थानापन्न वेतन (वहां के सिवाय जहां वह छुट्टी के कारण हुई रिक्ति में लिया गया है) महंगाई वेतन, वैयक्तिक वेतन और विशेष वेतन है किन्तु प्रतिनियुक्ति पद की अल्प या नियत अवधि में लिया गया वेतन इसमें सम्मिलित नहीं है, 75 गुने के बराबर रकम से अधिक रकम अनुदत्त नहीं की जा सकेगी । और यह विनियम 5(क) के अधीन आने वाले मामलों में अधिकतम 70,000 रुपये, विनियम 5(ख) के अधीन आने वाले मामलों में अधिकतम 25,000 रुपये तक सीमित होगी।

(ग) मंजूर किये जाने वाले अग्रिम की वास्तविक रकम, आवेदित अग्रिम को न्यायोचित ठहराने के लिये आवेदकों द्वारा दिये गये रेखांकों, ब्यौरेवार विनिर्देशों, प्राक्कलनों के आधार पर पत्तन न्यास के मुख्य इंजीनियर द्वारा अवधारित की जायेगी और ऊपर विनिर्दिष्ट रकम सीमा के भीतर सनिर्माण की प्राक्कलित लागत तक सीमित होगी । यह और कि अग्रिम की रकम उस रकम तक सीमित होगी, जिसे कोई कर्मचारी उसे लागू सेवा नियमों के अनुसार भागत: अपने उपदान/मृत्यु एवं सेवा निवृत्त उपदान से और भागत: अपनी अधिवर्षिता की तारीख के पूर्व अपने वेतन से सुविधापूर्ण मासिक कटौतियों द्वारा प्रतिसदत्त कर सकता है ।

(घ) अग्रिम की मासिक किस्तों की वसूली बोर्ड द्वारा अग्रिम की मंजूरी की तारीख से एक वर्ष के अवसान के पश्चात की जायेगी ।

(ङ) किसी कर्मचारी के वेतन के 33⅓ प्रतिशत तक संगणित किस्त उसकी संदाय क्षमता के भीतर मानी जायेगी।

7 संवितरण और प्रतिभूति :—(1) भागत: भूमि का क्रय करने के लिये और भागत: एक मंजिलें नये गृह का संनिर्माण या किसी विद्यमान गृह में निवास स्थान की वृद्धि करने के लिये अपेक्षित अग्रिम निम्नलिखित रूप में संदत्त किया जायेगा :—

(i) मंजूर अग्रिम के 20 प्रतिशत से अनधिक रकम आवेदक को भूमि के ऐसे विकसित फ्लैट का क्रय करने के लिये; जिस पर उधार की प्राप्ति की तारीख से तुरन्त संनिर्माण प्रारंभ किया जा सकता है, आवेदक द्वारा अग्रिम के प्रति संदाय के लिये विहित प्ररूप मे एक करार निष्पादित किये जाने पर संदेय होगी । ऐसे सभी मामलों में, जिनमें अग्रिम का भाग भूमि का क्रय करने के लिये दिया गया है उस तारीख से दो मास के भीतर, जिसको उपर्युक्त 20 प्रतिशत रकम निकाली गई है या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो अध्यक्ष इस निमित्त अनुज्ञात करे भूमि का क्रया किया जाना चाहिये और उसकी बाबत विक्रय-विलेख निरीक्षण के लिये अध्यक्ष को पेश किया जाना चाहिये जिसके न हो सकने पर आवेदक बोर्ड को संपूर्ण रकम, उस पर ब्याज सहित, तुरन्त वापस करने के लिये दायी होगा।

(ii) अग्रिम के अतिशेष के 30 प्रतिशत के बराबर रकम आवेदक को, उसके द्वारा क्रय की गई भूमि को उस पर निर्मित गृह के साथ बोर्ड के पक्ष मे उसके द्वारा बन्धक किये जाने पर, जहां ऐसा बन्धक भूमि के विक्रय के निबन्धनों द्वारा अनुज्ञात है, संदेय होगी, । ऐसे मामलों में, जहां विक्रय के निबन्धन जब तक भूमि पर गृह बना न दिया जाये, क्रेता में हक निहित नहीं करते हैं, आवेदक बोर्ड के साथ एक करार विहित प्ररूप में निष्पादित करेगा जिसमें वह जैसे ही गृह का निर्माण कर दिया जाता है और संपत्ति में पूर्ण हक हो जाता है, भूमि को उस पर निर्मित किये जाने के लिये गृह के साथ बन्धक करने का करार करेगा ।

(iii) अग्रिम की मंजूर रकम में से भूमि के क्रय के लिये दी गई किस्त की कटौती करने के पश्चात् अवशिष्ट रकम के 40 प्रतिशत के बराबर रकम तब संदेय होगी जब गृह का सन्निर्माण कुर्सी की उचाई तक पहुंच गया हो।

(iv) मंजूर अग्रिम का अतिशेष तब संदेय होगा जब गृह का सन्निर्माण छत की ऊंचाई तक पहुंच गया हो ।

(2) केवल एक मंजिले नये गृह का सन्निर्माण या किसी विद्यमान गृह में निवास स्थान की वृद्धि करने के लिये अपेक्षित अग्रिम निम्नलिखित रूप मे संदत्त किया जायेगा :—

(i) मंजूर अग्रिम के 40 प्रतिशत के बराबर रकम आवेदक को, उसके द्वारा क्रय की गई भूमि को, उस पर निर्मित किये जाने वाले गृह के साथ, बोर्ड के पक्ष में उसके द्वारा बन्धक किये जाने पर, जहां ऐसा बन्धक भूमि के विक्रय के निबन्धनों द्वारा अनुज्ञात है संदेय होगी । ऐसे मामलों में जहां विक्रय के निबन्धन जब तक भूमि पर गृह बना न दिया जाये क्रेता में हक निहित नहीं करते हैं आवेदक बोर्ड के साथ एक करार विहित प्ररूप में निष्पादित करेगा जिसमें वह जैसे ही गृह का निर्माण कर दिया जाता है उस पर और संपत्ति में हक पूर्ण हो जाता है, भूमि को उस पर निर्मित किये जाने वाले गृह सहित बन्धक करने का करार करेगा ।

(ii) मंजूर अग्रिम के 40 प्रतिशत से अनधिक और रकम तब संदेय होगी, जब गृह कुर्सी की ऊंचाई तक पहुंच गया हो ।

(iii) मंजूर अग्रिम का 20 प्रतिशत अतिशेष तब संदेय होगा जब गृह छत की ऊंचाई तक पहुच गया हो ।

(3) भागतः भूमि का क्रय करने के लिये और भागतः दो मंजिले नये गृह का संनिर्माण या किसी विद्यमान गृह में आवास स्थान की वृद्धि करने के लिये अपेक्षित अग्रिम निम्नलिखित रूप मे संदत्त किया जायेगा ।

(i) मंजूर अग्रिम के 15 प्रतिशत से अनधिक रकम आवेदक को भूमि ऐसे विकसित फ्लेट का क्रय करने के लिए जिस पर उधार की प्राप्ति की तारीख से तुरन्त संनिर्माण प्रारंभ किया जा सकता है, आवेदक द्वारा अग्रिम के प्रतिसंदाय के लिये विहित प्ररूप में करार निष्पादित किये जाने पर संदेय होगी । ऐसे सभी मामले, जिनमें अग्रिम का भाग भूमि का क्रय करने के लिये दिया गया है, उस तारीख से दो मास के भीतर जिसको उपरोक्त 15 प्रतिशत रकम ली गई हो या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो अध्यक्ष इस निमित्त अनुज्ञात करे भूमि का क्रय किया जाना चाहिये और उसकी बाबत विक्रय-विलेख निरीक्षण के लिये अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसके न हो सकने पर आवेदक बोर्ड की संपूर्ण रकम उस पर ब्याज सहित, तुरन्त वापस करने के लिये दायी होगा ।

(ii) अग्रिम के अतिशेष के 25 प्रतिशत के बराबर रकम आवेदक को उसके द्वारा क्रय की गई भूमि को उस पर निर्मित किए जाने वाले गृह के साथ, बोर्ड के पक्ष में उसके द्वारा बंधक किए जाने पर, जहां ऐसा बंधक भूमि के विक्रय निबन्धनों द्वारा अनुज्ञात है, संदेय होगी । ऐसे मामलों में, जहां ऐसा बन्धक अनुज्ञात नही है, विनियम 7 के उपविनियम (1) के खण्ड (ii) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध लागू होगा ।

(iii) अग्रिम की मंजूर रकम मे से, भूमि के क्रय के लिए दी गई किस्त की कटौती करने के पश्चात् अवशिष्ट रकम के 30 प्रतिशत के बराबर रकम तब संदेय होगी जब गृह का सन्निर्माण कुर्सी की ऊंचाई तक पहुंच गया हो ।

(iv) अग्रिम की मंजूर रकम मे से, भूमि के क्रय के लिए दी गई किस्त की कटौती करने के पश्चात् अवशिष्ट रकम के 25 प्रतिशत से अनधिक और रकम तब संदेय होगी जब पहली मंजिल की छत डाल दी गई हो ।

(v) मंजूर अग्रिम का अतिशेष तब सदेय होगा जब दूसरी मंजिल की छत डाल दी गई हो ।

(4) केवल दो मंजिले नए गृह के सन्निर्माण या किसी विद्यमान गृह में आवास स्थान की वृद्धि के लिए अपेक्षित अग्रिम निम्नलिखित रूप में संदत्त किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) मंजूर किए गए अग्रिम के 25 प्रतिशत के बराबर रकम आवेदक को, उसके द्वारा क्रय की गई भूमि को उस पर निर्मित किए जाने वाले गृह के साथ बोर्ड के पक्ष मे उसके द्वारा बंधक किए जाने पर, जहां ऐसा बंधक भूमि के विक्रय के निबन्धनों द्वारा अनुज्ञात है, संदेय होगी । ऐसे मामलों में, जहां ऐसा बन्धक अनुज्ञात नही है, विनियम 7 के उपविनियम (2) के खण्ड (i) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध लागू होगा ।

(ii) मंजूर किए गए अग्रिम के 30 प्रतिशत से अनधिक और रकम तब संदेय होगी जब गृह कुर्सी तक पहुंच गया हो ।

(iii) मंजूर अग्रिम के 25 प्रतिशत से अनधिक और रकम तब संदेय होगी जब पहली मंजिल की छत डाल दी गई हो ।

(iv) मंजूर अग्रिम की अवशिष्ट 25 प्रतिशत रकम तब संदेय होगी जब दूसरी मंजिल की छत डाल दी गई हो ।

(5) पहले से निर्मित गृह का क्रय करने के लिए अपेक्षित अग्रिम निम्नलिखित रूप में संदत्त किया जाएगा :—

अध्यक्ष आवेदक द्वारा अपेक्षित और उसे अनुज्ञेय संपूर्ण रकम का संदाय आवेदक द्वारा उधार के प्रतिसंदाय के लिए विहित प्ररूप मे एक करार निष्पादित

किए जाने पर एक मुश्त मंजूर कर सकता है । गृह का अर्जन अग्रिम के निकाले जाने के तीन मास के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए और गृह बोर्ड को बंधक किया जाना चाहिए, जिसके न हो सकने पर अग्रिम उस पर ब्याज सहित, जब तक कि उस समय सीमा का विस्तार अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञात नही कर दिया जाता है, बोर्ड को तुरन्त वापस किया जाएगा ।

अध्यक्ष आवेदक द्वारा अपेक्षित और उसे अनुज्ञेय संपूर्ण रकम का संदाय आवेदक द्वारा उधार के प्रति सदाय के लिए विहित प्ररूप में एक करार निष्पादित किए जाने पर एक मुश्त मंजूर कर सकता है । गृह का अर्जन अग्रिम के निकाले जाने के तीन मास के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए और गृह बोर्ड को बंधक किया जाना चाहिए, जिसके न हो सकने पर अग्रिम, उस पर ब्याज सहित, जब तक कि उस समय सीमा का विस्तार अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञात नही कर दिया जाता है, बोर्ड को तुरन्त वापस किया जाएगा ।

(6) नए फ्लैट का क्रय/सन्निर्माण करने के लिए अपेक्षित अग्रिम निम्नलिखित रूप में संदत्त किया जाएगा :—

(क) अध्यक्ष आवेदक द्वारा अपेक्षित और उसे अनुज्ञेय रकम के संदाय की मंजूरी आवेदक द्वारा विहित प्ररूप में एक करार निष्पादित किए जाने पर और आधार के प्रतिसंदाय के लिए नीचे के उप-विनियम (ख)(2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धो का पालन करने पर दे सकेगा । रकम या तो एक मुश्त या अध्यक्ष के विवेक पर उपयुक्त किस्तो मे संवितरित की जा सकेगी । आवेदक द्वारा इस प्रकार निकाली गई रकम या इस प्रकार निकाली गई किस्त/किस्तों को उसी प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह निकाली गई है, अग्रिम या किस्त/किस्तो के निकाले जाने के एक मास के भीतर उपयोग में लाया जाएगा जिसके न हो सकने पर इस प्रकार संवितरित अग्रिम या अग्रिम का भाग, उस पर ब्याज सहित, जब तक कि उस समय सीमा का विस्तार अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट रूप मे मंजूर नहीं कर दिया जाता है, बोर्ड को तुरन्त वापस किया जाएगा ।

(ख) (1) उनके द्वारा ऊपर के खण्ड (क) मे निर्दिष्ट करार/बंधक विलेख निष्पादित किए जाने के अतिरिक्त निम्नलिखित तीन प्रवर्गों के आवेदकों से मंजूर अग्रिम या उसके किसी भाग को उन्हें वास्तव में संवितरित किए जाने के पूर्व, बोर्ड के किसी अनुमोदित स्थायी कर्मचारी की प्रतिभूति विहित प्ररूप मे देने की भी अपेक्षा की जाएगी, अर्थात् :—

(i) ऐसे सभी आवेदक, जो बोर्ड के स्थायी कर्मचारी नही हैं ।

(ii) ऐसे सभी आवेदक, जो किसी अग्रिम के अनुदान के लिए आवेदन की तारीख के पश्चात् 18 मास की अवधि के भीतर सेवा से निवृत्त होने वाले हैं ।

(iii) ऐसे सभी आवेदक, जो बोर्ड के स्थायी कर्मचारी नही है किन्तु जो ऊपर के खण्ड (ii) की परिधि मे नही आते है यदि वे पूर्व निर्मित गृह का क्रय करने के लिए अग्रिम की अपेक्षा करते हैं ।

(ख) (2) फ्लैटों के संनिर्माण के लिए या पहले से सन्निर्मित फ्लैटों का क्रय करने के लिए आवेदको, ऊपर के खण्ड (क) और (ख) (1) मे अन्तर्विष्ट उपबन्धों का अनुपालन करने के अतिरिक्त, जब भी वह भूमि, जिस पर फ्लैट बने हो भूमि के स्वामी द्वारा अग्रिम के प्रतिसंदाय के लिए प्रतिभूति के रूप मे बोर्ड के पक्ष में बन्धक नही की गई है साधारण वित्तीय नियमो के संग्रह के नियम 274 के अधीन यथा-अधिकथित पर्याप्त संपार्श्विक प्रतिभूति अध्यक्ष के समाधानप्रद रूप मे देनी चाहिए ।

टिप्पण (1) :—प्रतिभू का दायित्व सन्निर्मित/क्रय किए गए गृह के बोर्ड को बन्धक रहने तक या अग्रिम का उन पर देय ब्याज सहित, बोर्ड को प्रतिसंदाय किए जाने तक, उसमें से जो भी पहले हो, जारी रहेगा ।

(2) अग्रिम का उस प्रयोजन से भिन्न जिसके लिए वह मंजूर किया गया है किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग कर्मचारी को संगत आचरण विनियमो के अधीन या कर्मचारी को लागू सेवा के किन्ही अन्य विनियमों के अधीन उपर्युक्त अनुशासनिक कार्यवाही के दायित्वाधीन बनाएगा । उससे, उसके द्वारा लिया गया संपूर्ण अग्रिम, उस पर उद्भूत ब्याज सहित, इन विनियमों के विनियम 8 के अनुसार तुरन्त बोर्ड को वापस करने के लिए भी अपेक्षा की जा सकेगी ।

(3) विनियम 7 के उपविनियम (1) (i) और (3) (i) मे निर्दिष्ट भूमि के विकसित प्लाट की बाबत विक्रय विलेख प्रस्तुत करने की अवधि में विस्तार अध्यक्ष द्वारा अपना यह समाधान करने के पश्चात् किया जा सकेगा कि आवेदक ने भूमि की लागत या तो पहले ही सदत्त कर दी है या तुरन्त सदाय किए जाने की सभावना है ; कि समय सीमा का विस्तार उसे भूमि के लिए हक/पट्टाधृति अधिकार अर्जित करने में समर्थ बनाएगा : और कि उसको गृह निर्माण करने का पूर्ण आशय है और वह अग्रिम की प्रथम किस्त के निकाले जाने की तारीख के पश्चात् 18 मास में या ऐसी अवधि में, जिस तक गृह को पूर्ण किए जाने के समय का विस्तार विनियम 9 के उपविनियम (क) के खंड (ii) के अधीन किया गया है, गृह का सन्निर्माण पूर्ण करने की स्थिति में होगा ।

8 ब्याज.—इन विनियमों के अधीन अनुदत्त अग्रिम के सदाय की तारीख से, साधारण ब्याज लगेगा। ब्याज की रकम प्रतिमास की अंतिम तारीख को बकाया अतिशेष पर संगणित और जैसा समय-समय पर, बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाए होगी किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए वैसे ही अग्रिमों के लिए प्रभारित दर से कम नहीं होगी।

9 सन्निर्माण अनुरक्षण आदि:—(क) यथास्थिति, गृह का सनिर्माण या किसी विद्यमान गृह में निवास स्थान में वृद्धि:—

(i) उस अनुमोदित रेखांक और विनिर्देशों के ठीक-ठीक अनुरूप की जाएगी जिसके आधार पर अग्रिम की रकम संगणित और मंजूर की गई है। रेखांक और विनिर्देशों में कोई अन्तर बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। कर्मचारी जब वह कुर्सी/छत की ऊंचाई तक पहुंचने पर अनुज्ञेय रकम के लिए आवेदन करते समय यह प्रमाणित करेगा कि सन्निर्माण कुर्सी/छत की ऊंचाई तक वास्तव में पहुंच गया है और पहले निकाली गई रकम गृह के सन्निर्माण में वास्तव में उपयोग में लगाई गई है। अध्यक्ष, यदि आवश्यक हो, प्रमाण-पत्रों की सत्यता के सत्यापन के लिए जांच किए जाने की व्यवस्था कर सकेगा।

(ii) उस तारीख से, जिसको अग्रिम की प्रथम किस्त संबंधित कर्मचारी को सदत्त की गई है, 18 मास के भीतर पूरी की जाएगी। ऐसा न करने पर कर्मचारी उसे अग्रिम दी गई संपूर्ण रकम (उस पर ऊपर के विनियम 8 के अनुसार संगणित ब्याज सहित) एक मुश्त वापस करने का दायी होगा। समय सीमा में किसी विस्तार की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा एक वर्ष के लिए और बोर्ड द्वारा दीर्घतर अवधि के लिए उन मामलों में दी जा सकेगी जहां कार्य में विलम्ब कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण हुआ है। सन्निर्माण के पूरा होने की तारीख की रिपोर्ट अध्यक्ष को अविलंब की जानी चाहिए।

(ख) यथास्थिति, गृह के पूर्ण होने या क्रय किए जाने पर:—

(i) संबंधित कर्मचारी गृह का बीमा, अपने स्वयं ही के खर्चे पर, भारत के जीवन बीमा निगम के साथ या किसी रजिस्ट्रीकृत साधारण बीमा कंपनी के साथ ऐसी राशि के लिए तुरन्त कराएगा जो अग्रिम की रकम से कम न हो और उसे अग्नि, बाढ़ और बिजली गिरने के कारण हानि के विरुद्ध तब तक इस प्रकार बीमाकृत कराए रखेगा जब तक कि अग्रिम, ब्याज सहित, बोर्ड को पूर्णत: प्रतिसदत्त नहीं कर दिया जाता है और पालिसी को बोर्ड के पास निक्षिप्त रखेगा,

(ii) प्रीमियम नियमित रूप से सदत्त किया जाना चाहिए और प्रीमियम की रसीद समुचित प्राधिकारी उदाहरणार्थ अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए,

(iii) कर्मचारी की ओर से अग्नि, बाढ़ और बिजली गिरने के विरुद्ध बीमा कराने में असफलता पर बोर्ड के लिए संबंधित कर्मचारी के खर्चे पर उक्त गृह का बीमा कराना और प्रीमियम की रकम को अग्रिम की बकाया रकम में जोड़ना विधि सम्मत होगा किन्तु बाध्यताकारी नहीं होगा और कर्मचारी जब तक रकम बोर्ड को प्रतिसंदत्त नहीं कर दी जाती है उस पर ब्याज की चालू दर पर ब्याज का संदाय करने के लिए वैसे ही दायी होगा मानो प्रीमियम की रकम उपरोक्त अग्रिम के भाग के रूप में अग्रिम दी गई थी।

(iv) अध्यक्ष विधिक सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी अग्रिम निकालने वाले कर्मचारी से उस बीमाकर्ता के लिए जिसके साथ गृह का बीमा किया गया है (प्ररूप सं० 8 में यथाविहित) एक पत्र पश्चात्वर्ती को यह तथ्य सूचित करने के लिए अभिप्राप्त करेगा कि बोर्ड ली गई बीमा पालिसी में हितबद्ध है अध्यक्ष/वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी वह पत्र, बीमाकर्ता को अग्रेषित करेगा और उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा। वार्षिक आधार पर प्रभावी बीमा के मामले में यह प्रक्रिया प्रतिवर्ष तब तक दुहराई जानी चाहिए जब तक अग्रिम की संपूर्ण रकम बोर्ड को प्रतिसदत्त नहीं कर दी जाती है।

(ग) गृह को संबंधित कर्मचारी का अपने स्वयं के खर्चे पर अच्छी मरम्मत की हालत में रखना चाहिए। वह उसे सभी वल्लंगमों से मुक्त रखेगा और जब तक अग्रिम बोर्ड का पूर्णत: प्रतिसंदत्त नहीं कर दिया जाता है सभी नगरपालिका और अन्य स्थानीय रेट और कर नियमित रूप से संदत्त करता रहेगा।

(घ) गृह के पूर्ण होने के पश्चात् उसके वार्षिक निरीक्षण अध्यक्ष के अनुदेश के अधीन किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किए जा सकेंगे कि जब तक अग्रिम का पूर्ण रूप से प्रतिसदाय नहीं कर दिया जाता है। उसे अच्छी मरम्मत की दशा में रखा जाता है। संबंधित कर्मचारी इस प्रयोजन के लिए अभिहित अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा ऐसे निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधाएं देगा।

टिप्पण:—मिथ्या प्रमाणपत्र देना संबंधित कर्मचारी का, उसे लागू सेवा के विनियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के लिए दायी बनाएगा। उससे, उसके द्वारा निकाले गए संपूर्ण अग्रिम को उस पर उद्भूत ब्याज सहित इन विनियमो के विनियम 8 के अनुसार बोर्ड को तुरन्त वापस करने की अपेक्षा भी की जा सकेगी।

10. अग्रिम का प्रतिसंदाय:—(क) इन विनियमों के अधीन किसी कर्मचारी को अनुदत्त, अग्रिम, उन पर ब्याज सहित 20 वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर मासिक किस्तों में पूर्णत: प्रतिसंदत्त किया जाएगा। प्रथमत: अग्रिम की वसूली 180 मासिक किस्तों से अनधिक में की जाएगी और तब ब्याज 60 मासिक किस्तों से अनधिक में वसूल किया जाएगा।

टिप्पण:—(1) मासिक रूप से वसूल की जाने वाली रकम पूर्ण रुपयों में नियत की जाएगी, सिवाय अंतिम किस्त के मामले में, जब अवशिष्ट अतिशेष, जिसमें रुपए का कोई भाग सम्मिलित है, वसूल किया जाएगा।

(2) भागत: भूमि का क्रय करने के लिए और भागत: सन्निर्माण के लिए अनुदत्त अग्रिम की वसूली गृह के पूर्ण होने के पश्चात्वर्ती मास के वेतन से या उस तारीख के पश्चात् के जिसको भूमि का क्रय करने के लिए किस्त कर्मचारी को संदत्त की जाती है 24वें मास के वेतन में से, इसमें से जो भी पूर्ववर्ती हो प्रारंभ होगी। किसी नए गृह के सन्निर्माण के लिए या किसी विद्यमान गृह में निवासस्थान की वृद्धि के लिए अनुदत्त अग्रिम की वसूली गृह के पूर्ण होने के पश्चात्-वर्ती मास के वेतन से या उस तारीख के पश्चात् के, जिसको कर्मचारी को अग्रिम की प्रथम किस्त संदत्त की जाती है, 18-वें मास के वेतन से इसमें जो भी पूर्ववर्ती हो, प्रारंभ होगी। पहले ही निर्मित गृह का क्रय करने के लिए, लिए गए किसी अग्रिम के मामले में वसूली उस मास के पश्चात्वर्ती मास के वेतन से प्रारंभ होगी जिसमें अग्रिम लिया गया है।

(3) कर्मचारी यदि वह ऐसा करना चाहे, तो रकम का संदाय किसी लघुतर अवधि में कर सकता है। किसी भी दशा में संपूर्ण अग्रिम उस तारीख के पूर्व, जिसको वे सेवा निवृत्त होने वाले हों, पूर्णत: (उन पर ब्याज सहित) प्रतिसंदत्त किया जाना चाहिए।

(4) किसी ऐसे कर्मचारी को, जो अग्रिम के अनुदान के लिए आवेदन की तारीख से बीस वर्ष के भीतर सेवा निवृत्त होने वाला है और जो उसे लागू सेवा विनियमों के अधीन किसी उपदान या मृत्यु और सेवा-निवृत्ति उपदान के अनुदान के लिए पात्र हों असम्यक कष्ट से बचने के लिए, यक्ष उसे, उसकी सेवा की बची हुई अवधि के दौरान ...नक मासिक किस्तों में (किस्तों की रकम उससे कम ोगी जो बीस वर्ष की अवधि के भीतर प्रतिसंदाय के पर निकाली गई है) अग्रिम का, ब्याज सहित प्रति-े की अनुज्ञा दे सकेगा परन्तु यह तब जब कि वह र और बन्धक विलेख-प्ररूप में इस प्रभाव का कोई उपयुक्त खण्ड सम्मिलित किये जाने के लिये सहमत है कि बोर्ड उक्त अग्रिम का अतिशेष, ब्याज सहित, जो उसके सेवा-निवृत्ति या सेवानिवृत्ति के पूर्व मृत्यु के समय असंदत्त रह गया है उसके संपूर्ण उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में से जो उसे मंजूर किया जाए, वसूल करने के लिए हकदार होगा।

(5) यदि कर्मचारी बोर्ड को दिए गए अग्रिम अतिशेष उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख के पूर्व प्रतिसंदत्त नही करता है तो बोर्ड तत्पश्चात् किसी समय बंधक की प्रतिभूति को प्रवृत्त करने के लिए और दिए गए अग्रिम के अतिशेष को, ब्याज और वसूली की लागत सहित, गृह का विक्रय करके या ऐसी अन्य रीति से, जो विधि के अधीन अनुज्ञेय हो, वसूल कर सकता है।

(ख) अग्रिम की वसूली, यथास्थिति, अध्यक्ष या संबंधित वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाअधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारी के मासिक वेतन/छुट्टी वेतन/निर्वाह भत्ता बिलों के माध्यम से की जाएगी/वसूली अध्यक्ष की पूर्व सहमति के सिवाय विधारित या रोकी नहीं जाएगी। कर्मचारी के लंबे निलंबन पर होने के कारण संदेय निर्वाह भत्ता में कमी कर दिए जाने की दशा में वसूली में अध्यक्ष द्वारा, यदि आवश्यक समझा जाए, उपरोक्त रूप मे कमी की जा सकेगी।

(ग) यदि कोई कर्मचारी अग्रिम का पूर्ण रूप से प्रति-संदाय किए जाने के पूर्व सामान्य सेवा निवृत्ति/अधिवर्षिता से भिन्न किसी कारण से सेवा में नहीं रह जाता है यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो अग्रिम की संपूर्ण बकाया रकम बोर्ड को तुरन्त संदेय हो जाएगी किन्तु बोर्ड असम्यक कष्ट वाले मामलो में, यथास्थिति, संबंधित कर्मचारी, उसके हित उत्तराधिकारी को या विनियम 7(ख) के अन्तर्गत आने वाले मामले मे प्रतिभूओं को, यदि उस समय तक गृह पूरा नहीं किया गया है, और/या बोर्ड को बंधक नहीं किया गया है बकाया रकम को, विनियम 8 के अनुसार संगणित उन पर ब्याज सहित, उपयुक्त किस्तो में प्रतिसंदत्त करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा। किसी भी कारण से अग्रिम के प्रतिसंदाय के लिए (यथास्थिति) संबंधित कर्मचारी या उसके उत्तरा-धिकारियों की ओर से कोई असफलता बोर्ड को बंधक को प्रवृत्त करने के लिए और बकाया रकम की वसूली करने के लिए ऐसी अन्य कार्यवाही करने के लिए, जो अनुज्ञेय हो, हकदार बनाएगी।

(घ) बोर्ड को बन्धक की गई संपत्ति, अग्रिम की, उन पर ब्याज सहित, बोर्ड को पूर्ण रूप से प्रतिसंदाय कर दिए जाने के पश्चात् संबंधित कर्मचारी को (या यथास्थिति उसके हित उत्तराधिकारियो को) विहित प्ररूप में प्रतिहस्तांतरित की जाएगी।

11. आवेदनों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया:—(क) आवेदन कर्मचारी द्वारा अध्यक्ष को विहित प्ररूप में (दो प्रतियों

में) उचित प्रणाली के माध्यम से दिया जाना चाहिए। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी होंगी, अर्थात्:—

(1) आवेदन करने के समय आवेदक के या आवेदक की पत्नी/अवयस्क संतान के स्वामित्वाधीन यदि कोई गृह/संपति हो, उसकी बाबत घोषणा:—

(2) यदि अग्रिम किसी विद्यमान गृह में निवास स्थान की वृद्धि के लिए अपेक्षित है तो विक्रय विलेख की साथ ही ऐसी अन्य दस्तावेजों की, यदि कोई हों, एक अनुप्रमाणित प्रति जो यह सिद्ध करती हों कि आवेदक प्रश्नगत संपत्ति में अविवाद्य हक रखता है। स्थान रेखांक भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(3) ऐसे मामलों में, जहां आवेदक का भूमि पर कब्जा है और वे उस पर नए गृह का निर्माण करना चाहते हैं वहां विक्रय विलेख की एक प्रति या उस भूमि पर, जिस पर गृह निर्माण किए जाने की प्रस्थापना है, आवेदक के स्पष्ट हक रखने का अन्य सबूत, स्थल रेखांक के साथ/यदि वह भूमि पट्टाधृति हो तो पट्टा विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति भी उपाबद्ध की जानी चाहिए।

(4) ऐसे मामलों में जहां आवेदक भूमि का क्रय करना चाहता है, प्लाट के विक्रेता के इस प्रभाव के पत्र की एक अनुप्रमाणित प्रति कि व्यवस्थापन और कीमत के संदाय किए जाने के अधीन रहते हुए वह उसके पत्र की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर आवेदक को भूमि के स्पष्टत: सीमांकित विकसित प्लाट का रिक्त कब्जा हस्तांतरित करने की स्थिति में है, अग्रेषित की जा सकेगी।

(5) ऐसे मामलों में, जहां आवेदक कोई फ्लैट क्रय करना चाहता है, फ्लैट के विक्रेता से इस प्रभाव के पत्र की एक अनुप्रमाणित प्रति कि व्यवस्थापन और कीमत का संदाय किए जाने के अधीन रहते हुए वह उसके पत्र की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर आवेदक को स्पष्टत: सुभेदक फ्लैट का रिक्त कब्जा हस्तांतरित करने की स्थिति में है, अग्रेषित की जा सकेगी।

(ख) विभागों के अध्यक्ष आवेदनों की जांच करेंगे और उसमें कथित तथ्यों आदि की शुद्धता के बारे में अपना समाधान करेंगे। वे ऊपर के उप विनियम (क) के अनुपालन में दिए गए हक विलेखों, आदि से यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक प्रश्नगत संपत्ति में स्पष्ट हक रखता है। यह करने के पश्चात् विभागों के अध्यक्ष आवेदनों को, अपनी सिफारिशों के साथ, अध्यक्ष को अग्रेषित करेंगे।

(ग) अध्यक्ष का कार्यालय, निधि के उपलब्ध होने के अधीन रहते हुए, आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए अधिकथित पूर्विकताओं, आदि यदि कोई हों, के प्रति निर्देश से आवेदनों की जांच करेगा।

(घ) (1) अनुमोदन के पश्चात् नीचे के उपविनियम (ङ) की परिधि में आने वाले मामलों में किसी अग्रिम के अनुदान की प्रारूपिक मंजूरी अध्यक्ष द्वारा दी जाएगी, जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विधि अधिकारियों और राजस्व तथा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से परामर्श करके अपना यह समाधान करेगा कि आवेदक, विल्लंगमों और कुर्कियो से मुक्त रूप में संपत्ति पर वास्तव में स्पष्ट और विपण्य हक रखता है। अध्यक्ष विहित प्रारूपिकताओं का जैसे कि करार, बंधक विलेख प्रतिभूति बंध-पत्र आदि का निष्पादन करना (जहां आवश्यक हो, समुचित विधि प्राधिकारी से परामर्श करके) विहित प्ररूप में पूरा करने की व्यवस्था करेगा और तब मंजूर अग्रिम की समुचित रकम को आवेदक को संवितरित करने को प्राधिकृत करेगा।

(2) जहां भूमि या पहले से निर्मित गृह का क्रय अग्रिम की सहायता से किए जाने का आशय है वहां अध्यक्ष अग्रिम का संदाय प्राधिकृत करने के पूर्व, संबंधित कर्मचारी से यह प्रमाणित करने की अपेक्षा भी कर सकेगा कि क्रय के लिए बातचीत अंतिम प्रक्रम में पहुंच गई है, क्रय की कीमतों की मंजूर अग्रिम की रकम से कम होने की संभावना नहीं है और उसने अपना यह समाधान कर लिया है कि संव्यवहार उसे प्रश्नगत भूमि गृह के लिए अविवाद्यक हक अर्जित करने में समर्थ बनाएगा। ऐसे मामलों में विक्रय विलेख आदि की परीक्षा अध्यक्ष द्वारा (जहां आवश्यक हो विधि और अन्य प्राधिकारियों से परामर्श करके) यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए कि संबंधित कर्मचारी ने प्रश्नगत संपत्ति में अविवाद्यक हक, फ्लैटों के मामलों में भूमि के प्लाट के लिए हक को अपवर्जित करते हुए, वास्तव में अर्जित कर लिया है। यह भी सत्यापित किया जाना चाहिए कि क्रय की गई भूमि/गृह का बाजार मूल्य मंजूर अग्रिम से कम नहीं है।

(3) अध्यक्ष किसी नए गृह का सन्निर्माण करने या किसी विद्यमान गृह में निवास स्थान की वृद्धि करने के इच्छुक आवेदकों को रेखांकों के साथ ही विनिर्देशों और प्राक्कलनों की दो प्रतियां विहित प्ररूप में प्रस्तुत करने का अनुदेश देगा। रेखांकों को अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाने के पूर्व संबंधित नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकाय द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए।

(ङ) उपरोक्त उपविनियम (घ) (3) में निर्दिष्ट रेखांकों, विनिर्देशों और प्राक्कलनों को इस विषय पर पूर्ववर्ती पत्राचारों के प्रति निर्देश से अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। अध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी से परामर्श करके इन सभी ब्यौरों की परीक्षा करने के पश्चात् अग्रिम के अनुदान लिए प्रारूपिक मंजूरी देगा। अध्यक्ष उपरोक्त उपवि (घ) में स्पष्ट की गई सभी प्रारूपिकताओं का अनुपा करेगा और तब आवेदक को सन्निर्माण के प्रयोजन अग्रिम की प्रथम किस्त का संवितरण प्राधिकृत क की अवशिष्ट किस्तो का संदाय आवेदकों द्वार

वाले विनियम 9(क) में यथाविहित प्रमाणपत्रों के और ऐसे अन्वेषण के, जो आवश्यक समझा जाए, आधार पर सीधे अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा । अग्रिम की अंतिम किस्त के संवितरण के पूर्व यह भी सत्यापित किया जाना चाहिए कि स्थल का विकास पूरा हो गया है (देखिए उपरोक्त विनियम 7) ।

टिप्पण :—विनियम 11 के उपविनियम (घ) या (ङ) में यथाविहित अग्रिम की किसी किस्त का संवितरण प्राधिकृत करते समय अध्यक्ष, इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र संलग्न करेगा कि उन अपेक्षित प्रारूपिकताओं का, जिनके अनुसरण में किस्त देय हो गई है, अनुपालन किया गया है ।

(च) अध्यक्ष, यह भी सुनिश्चित करेगा कि संव्यवहार/गृह का सन्निर्माण विनियमों में विहित अवधि के भीतर पूरा हो गया है, और कि—

(1) विनियम 7 के उपविनियम (1) और (3) की परिधि में आने वाले मामलों में (उन मामलों के सिवाय जिनमें विद्यमान गृहों में निवास-स्थान की वृद्धि अन्तर्वलित है विहित प्ररूप में करार, अग्रिम की प्रथम किस्त का संवितरण किए जाने के पूर्व संबंधित कर्मचारी द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित किया गया है और भूमि का क्रय किए जाने के पश्चात् विक्रय विलेख विहित रूप में निष्पादित किया गया है और हस्तांतरण पत्रों को रजिस्ट्रार के कार्यालय में सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है और रजिस्ट्रीकृत विलेख भूमि के हक के मूल दस्तावेजों के साथ, अध्यक्ष के पास अग्रिमों की द्वितीय किस्त के निकाले जाने के पूर्व निक्षिप्त किया गया है ।

(2) विनियम 7 के उपविनियम (2) और (4) की परिधि में आने वाले मामलों में और विद्यमान गृह में निवास-स्थान की वृद्धि को अन्तर्वलित करने वाले सभी मामलों में बंधक विलेख विहित प्ररूप में निष्पादित किया गया है और हस्तांतरण पत्रों को रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत किया गया है तथा अग्रिम की प्रथम किस्त के निकाले जाने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत विलेख को, भूमि/गृह के हक की मूल दस्तावेजों के साथ, अध्यक्ष के पास निक्षिप्त किया गया है ।

(3) विनियम 7 के उपविनियम (5) की परिधि में आने वाले मामलों तथा उन मामलों में, जिनमें भूमि के विक्रय के निबन्धन, जब तक भूमि पर गृह बना न दिया जाए, कर्मचारी में हक निहित नहीं करते है, विहित प्ररूप में करार मंजूर अग्रिम या उसके किसी भाग के संवितरण के पूर्व, निष्पादित किया गया है और अध्यक्ष के पास निक्षिप्त या गया है । गृह का क्रय करने पर तुरन्त गृह के बना लिए जाने पर कर्मचारी के पक्ष में हक के निहित हो जाने के तुरन्त पश्चात् विहित प्ररूप में बंधक विलेख निष्पादित किया जाएगा और हस्तांतरण पत्रों को रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा । रजिस्ट्रीकृत विलेख, भूमि/गृह के हक की मूल दस्तावेजों के साथ, अध्यक्ष के पास, विनियम 7 के उपविनियम (5) की परिधि में आने वाले मामलों में अग्रिमों के निकाले जाने के तीन मास के भीतर और इस उपविनियम के अधीन आने वाले अन्य मामलों में कर्मचारी के पक्ष में हक के निहित होने की तारीख के और बंधक विलेख के रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित समय के तीन मास के भीतर निक्षिप्त किया जाएगा ।

(4) विनियम 7 के उपविनियम (ख)(1) की परिधि में आने वाले मामलों में, प्रतिभूति बन्धकपत्र मंजूर अग्रिम या उसके किसी भाग का संवितरण किए जाने के पूर्व विहित प्ररूप में अनुमोदित स्थायी कर्मचारी द्वारा दिए जाते है ।

(5) उपरोक्त सभी मामलों में, कर्मचारी बंधक विलेखों के निष्पादित किए जाने के पूर्व संपत्ति के लिए अपने विपण्य हक को बोर्ड द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार सिद्ध करता है । ऐसे मामलों में, जहां विक्रय के निबन्धन, जब तक भूमि पर गृह न बना लिया जाए, कर्मचारी के पक्ष में भूमि में हक निहित नहीं करते है करार के निष्पादित किए जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारी गृह बना लेने पर सभी विल्लंगमों और कुर्कियों से मुक्त रूप में, स्पष्ट और विपण्य हक अर्जित करने की स्थिति में होगा ।

(6) बन्धक विलेख (और बंधक से संपत्ति निर्मोचित होने पर हस्तांतरण या प्रतिहस्तांतरण विलेख) भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 23 की अपेक्षा अनुसार उसके निष्पादित किए जाने की तारीख से चार मास के भीतर सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाता है और इन उपबन्धों के अनुसरण में कर्मचारी द्वारा निक्षिप्त सभी दस्तावेजें बंधक से संपत्ति के निर्मोचित या प्रतिहस्तांतरित किए जाने तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाती है (इन विनियमों में विहित प्रतिभूति बंधपत्रों और करारों के मामलों में रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं हैं) ।

(7) गृह उसके क्रय के किए जाने/पूरे किए जाने पर तुरन्त उपरोक्त विनियम 9(ख) में उपदर्शित रीति से बीमाकृत किया जाता है और प्रीमियम की रसीदें नियमित रूप से निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की जाती हैं ।

(8) जब तक अग्रिम पूर्णतः प्रतिसंदत्त नहीं कर दिया जाता है गृह अच्छी मरम्मत की हालत में रखा जाता है और आवश्यक बीमा प्रीमियम, नगर-पालिक रेट और कर नियमित रूप में संदत्त किए जाते हैं और अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

(9) अग्रिम के प्रतिसंदाय की किस्तों की मासिक वसूली शोध्य होने की तारीख से प्रारम्भ होती है और तत्पश्चात् संबंधित कर्मचारी के मासिक वेतन/छुट्टी वेतन/निर्वाह भत्ता बिलों से नियमित रूप से की जाती है।

(10) ऐसे कर्मचारियों के मामलों में, जिनके, उनके आवेदन की तारीख से अठारह मास के भीतर सेवा-निवृत्त होने की संभावना है। [विनियम 7(ख) देखें] उनके उपदान की रकम पर्याप्त होगी जिससे उसकी सेवा-निवृत्ति की तारीख के ठीक पूर्व उसके प्रति बकाया अग्रिम के अतिशेष को पूरा किया जा सके।

(11) उपगत व्यय से अधिक निकाली गई कोई भी रकम, उस पर देय ब्याज सहित, यदि कोई हो तुरन्त बोर्ड को संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रतिदत्त की जाती है।

(12) बोर्ड को बंधक की गई संपत्ति, अग्रिम और उस पर ब्याज का पूर्ण प्रतिसंदाय करने पर तुरन्त निमोचित या प्रतिहस्तांतरित की जाती है और बन्धक विलेख सम्यक रूप से रद्द किया जाता है और संबंधित कर्मचारी को भूमि/संपत्ति के हक की मूल दस्तावेजों सहित वापस किया जाता है।

(छ) व्यय और गृह को पूरा करने की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए अध्यक्ष को समर्थ बनाने के लिए विभागों के अध्यक्ष त्रैमासिक विवरणियां जिनमें (i) इन विनियमों के अधीन उनके द्वारा उपगत व्यय के आंकड़े, (ii) उन कर्मचारियो की सूची, जिन्हें उस त्रैमासिक के दौरान गृह निर्माण अग्रिम की अंतिम किस्त संवितरित की गई थी, अनुमोदनों का प्रतिनिर्देश देते हुए, और (iii) पूरे किए गए गृहों की सूची दर्शित करते हुए इस प्रकार भेजेगा जिससे वह उस त्रैमासिक के जिससे विवरणियां संबंधित है, पश्चात्वर्ती मास की 10 तारीख तक अध्यक्ष के पास पहुंच जाए। शून्य विवरणियां भेजने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पण :—दस्तावेजों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो, रजिस्ट्रीकरण फीस और अन्य व्यय जो विधिक और अन्य प्रारूपिकताओं को पूरा करने के लिए उपगत किए जाएं, कर्मचारी द्वारा अपने स्वयं के साधनों द्वारा निर्वहन किए जाएंगे।

गृहों के सन्निर्माण आदि के लिए बोर्ड के कर्मचारियों को अग्रिम के अनुदान विनियमित करने वाले नियमों के अधीन विहित आवेदन का प्रारूप।

1. (क) नाम (मोटे अक्षरों में)
   (ख) पदाभिधान
   (ग) वेतनमान
   (घ) वर्तमान वेतन (भत्तों को छोड़कर किन्तु मंहगाई वेतन को, यदि कोई हो, सम्मिलित करते हुए)।

2. (क) वह विभाग या कार्यालय जहां नियुक्त किया गया है।
   (ख) विभाग का अध्यक्ष।
   (ग) वह कार्यालय जहां तैनात है।

3. कृपया निम्नलिखित कथन करें :—

क्या आप बोर्ड के स्थायी या अस्थायी कर्मचारी हैं और बोर्ड के अधीन की गई सेवा की अवधि	(क) आपका स्थायी पद, यदि कोई हो, और संबंधित कार्यालय और विभाग का नाम ; (ख) क्या आप किसी राज्य/केन्द्रीय सरकार के अधीन कोई स्थायी नियुक्ति धारण करते हैं, यदि हां, तो विशिष्टियां दीजिए।	जन्म की तारीख, सेवा-निवृत्ति की तारीख और अगले जन्म दिन पर आयु	क्या आपकी पत्नी/पति बोर्ड का कर्मचारी है, यदि हां, तो उसका नाम पदाभिधान आदि दीजिए
(1)	(2)	(3)	(4)

4 क्या आप या आपकी पत्नी/पति/अवयस्क संतान पहले ही किसी गृह की स्वामी है [विनियम 4 (ग) देखिए] यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित कथन करें —

वह स्थान जहां वह स्थित है सही पते के साथ	फर्शी क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	उसका (लगभग) मूल्यांकन	यथास्थिति अन्य गृह के स्वामित्व की या किसी विद्यमान गृह में निवास-स्थानों की वृद्धि की वांछा के लिए कारण
(1)	(2)	(3)	(4)

टिप्पण —स्तंभ 1 से 4 को गृहों में वृद्धि के मामलों में भी भरा जाना चाहिए। स्तंभ 2 से 4 की प्रविष्टियों का समर्थन समुचित प्रक्रम में विनिर्देशों, प्राक्कलनों (सलग्न प्ररूप में) और रेखांकों द्वारा, होगा।

5. (क) क्या आपको नए गृह के निर्माण के लिए अग्रिम की अपेक्षा है? यदि हां तो कृपया निम्नलिखित उपदर्शित करें (विनियम 5 देखिए)

सन्निर्माण के लिए प्रस्थापित गृह का लगभग फर्शी क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्राक्कलित लागत				उन वर्षों की संख्या जिनमें अग्रिम को, ब्याज सहित प्रतिसंदत्त करने की प्रस्थापना है
	भूमि की लागत	निर्माण की लागत	योग	अपेक्षित अग्रिम की रकम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

टिप्पण—स्तंभ 2 से 4 की प्रविष्टियों का समर्थन समुचित प्रक्रम में विनिर्देशों, प्राक्कलनों (सलग्न प्ररूप में) और रेखांकों द्वारा होगा।

(ख) क्या भूमि आपके कब्जे में पहले से है? यदि हां तो कृपया निम्नलिखित कथन करें।

उस शहर या नगर का नाम जहां वह अब स्थित है	क्या आप वहां सेवा निवृत्ति के पश्चात् बसना चाहते हैं	प्लाट का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	नगरपालिक या अन्य स्थानीय प्राधिकारी का नाम (यदि कोई हो) जिसकी अधिकारिता के भीतर वह स्थित है।

(ग) यदि भूमि का कोई प्लाट आपके कब्जे में पहले से नहीं है तो आप कैसे, कब और कहां उसे अर्जित करना चाहते हैं। अर्जित किए जाने के लिए प्रस्थापित प्लाट का लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) कथित करें और प्लाट के विक्रेता के एक ऐसे पत्र की अनुप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि सलग्न करें कि व्यवस्थापन और कीमत का सदाय किए जाने के अधीन रहते हुए वह आवेदन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर भूमि के स्पष्ट रूप से सीमांकित विकसित प्लाट का रिक्त कब्जा दे सकता है।

6 क्या आप किसी विद्यमान गृह में निवास-स्थान की वृद्धि के लिए अग्रिम की अपेक्षा करते हैं? यदि हां तो, कृपया निम्नलिखित कथन करें —

गृह में कमरों की संख्या (शौचालय, स्नान-गृह और रसोई को छोड़ कर)	कमरों का कुल फर्शी क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	यदि कोई अतिरिक्त मंजिल जोड़ने की प्रस्थापना है तो क्या नींव पर्याप्त मजबूत है	वांछित वृद्धि की विशिष्टियां				उन वर्षों की संख्या जिनमें अग्रिम को ब्याज सहित प्रतिसंदत्त करने की प्रस्थापना है
			कमरों की संख्या	फर्शी क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्राक्कलित लागत	वांछित अग्रिम की रकम	

–विद्यमान गृह का रेखांक आवेदन के साथ होना चाहिए।

7 क्या आपको पहले से निर्मित गृह का क्रय करने के लिए अग्रिम की अपेक्षा है? (क) (i) यदि हा, और यदि आपकी दृष्टि मे पहले से ही कोई गृह है तो कृपया निम्नलिखित कथित करे —

गृह की ठीक स्थिति	गृह का फर्शी क्षेत्रफल (वर्ग मीटर मे)	गृह का कुर्सी क्षेत्र-फल (वर्ग-मीटर मे)	गृह की लगभग आयु	गृह का नगरपालिक मूल्याकन	स्वामी का नाम और पता	सदत्त की जाने वाली लगभग कीमत	अपेक्षित अग्रिम की रकम	उन वर्षों की सख्या जिनमे अग्रिम की ब्याज सहित प्रतिसदत्त किए जाने की प्रस्थापना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

टिप्पण :—(i) आवेदन के साथ गृह का रेखाक होना चाहिए।

(ii) क्या आपने यह समाधान कर लिया है कि सव्यवहार गृह के लिए आपको अविवाद्यक हक अर्जित करने मे परिपत होगा।

(ख) यदि आपकी दृष्टि मे पहले से ही कोई गृह नही है तो आप कैसे, कब और कहा उसे अर्जित करने की प्रस्थापना करते है? निम्नलिखित उपदर्शित करे :—

वह लगभग रकम जिस तक आप गृह क्रय करने के लिए तैयार होगे।	अपेक्षित अग्रिम की लगभग रकम	उन वर्षों की सख्या, जिनमे अग्रिम का ब्याज सहित, प्रतिसदत्त किए जाने की प्रस्थापना है
(1)	(2)	(3)

टिप्पण :—उपरोक्त मद 7 (क) के सामने विनिर्दिष्ट ब्यौरे इस मामले मे भी यथासभव शीघ्र दिए जाने चाहिएं और किसी भी दशा मे अग्रिम की पूरी रकम निकाले जाने के पूर्व, दिए जाने चाहिएं।

8. क्या वह भूमि जिस पर गृह है या गृह का सन्निर्माण किए जाने की प्रस्थापना है, स्वतत्र धृति (फ्री-होल्ड) या पट्टाधृत है यदि पट्टाधृत है तो निम्नलिखित कथित करे :—

पट्टे की अवधि	कितनी अवधि पहले ही व्यतीत हो चुकी है	क्या पट्टे की शर्तें भूमि को बोर्ड को बधक किए जाने की अनुज्ञा देती है	प्लाट के लिए संदत्त प्रीमियम	प्लाट का वार्षिक किराया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

टिप्पण:—पट्टा विक्रय विलेख की एक प्रति आवेदन के साथ होनी चाहिए।

9.(क) क्या भूमि/गृह के लिए आपका हक निर्विवाद और विल्लगमो से मुक्त है?

(ख) क्या आप अपने हक के समर्थन मे, यदि अपेक्षित हो, मूल दस्तावेज (विक्रय या पट्टा विलेख) प्रस्तुत कर सकते है? यदि नही तो उसके लिए कारणो का कथन यह उपदर्शित करते हुए करे कि आप कौन सा अन्य दस्तावेजी सबूत, यदि कोई हो, अपने दावे के समर्थन मे दे सकते है?

[उपरोक्त विनियम 5(ख) और 7(क) देखिए]

(ग) क्या उस परिक्षेत्र मे जिसमे भूमि का प्लाट/गृह स्थित है, सडक, जल प्रदाय, जल निकास, मल निकास, मार्ग प्रकाश, आदि जैसी आवश्यक सेवाए है (कृपया स्थल रेखाक पूरे पते के साथ दे)।

10 यदि आप इस आवेदन की तारीख से 20 वर्ष के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले है और उपदान या मृत्यु एव सेवा-निवृत्ति उपदान के लिए पात्र है तो क्या आप करार प्ररूप/बधक विलेख मे एक घोषणा देकर यह करार करते है कि बोर्ड आपकी सेवा निवृत्ति या सेवा-निवृत्ति के पूर्व मृत्यु के समय असदत्त रह गए उक्त अग्रिम के अतिशेष को, ब्याज सहित, उस संपूर्ण उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग मे, से जो आपको मजूर किया जाए, वसूल करने के लिए हकदार होगा?

11 क्या विनियम 7 (ख) आपके मामले मे लागू है यदि हा तो निम्नलिखित कथन करे —

(i) ऐसे स्थायी कर्मचारी का, जो आपके वि
भूति देने के लिए रजामद है, नाम,
वेतनमान, कार्यालय/विभाग, आदि ।

(ii) वह तारीख, जिसको प्रस्तावित प्रतिभू सेवानिवृत्ति होने वाला है ।

12. यदि आपने गृह या किसी निवासीय प्लाट के सन्निर्माण/अर्जन के लिए अपनी भविष्य निधि से पहले ही अंतिम रूप से रकम निकाली है तो कृपया निकाली गई रकम की विशिष्टियां, निकालने की तारीख और वह प्रयोजन, जिसके लिए अब गृह निर्माण अग्रिम नियमों के अधीन अपेक्षित रकम की अपेक्षा है, दें ।

घोषणाएं

1. मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं कि ऊपर उपदर्शित विभिन्न पदों के उत्तर में मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है ।

2. मैंने गृह निर्माण आदि के लिए बोर्ड के कर्मचारियों को अग्रिमों के अनुदान को विनियमित करने वाले नियमों को पढ़ा है और उनमें दिए गए निबन्धनों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं ।

3. मैं प्रमाणित करता हूं कि—

*(i) मेरी पत्नी/मेरे पति बोर्ड के कर्मचारी नहीं है मेरी पत्नी/मेरे पति ने, जो बोर्ड की/का कर्मचारी है इन नियमों के अधीन अग्रिम के लिए कोई आवेदन नहीं किया है और/या अभिप्राप्त नहीं किया है ।

(ii) न तो मैंने, न मेरी पत्नी/पति/अवयस्क संतान ने किसी गृह के अर्जन के लिए पहले किसी सरकारी स्रोत से (उदाहरणार्थ पुनर्वास विभाग या किसी केन्द्रीय या राज्य आवास स्कीम के अधीन) किसी उधार या अग्रिम के लिए कोई आवेदन दिया है, और/या अभिप्राप्त किया है या किसी गृह के अर्जन के संबंध में किसी भविष्य निधि से कोई अग्रिम लिया है या अंतिम रूप से रकम निकाली है (उपरोक्त मद 12 भी देखिए)

*विकल्प (विकल्पों) को जो लागू न हो काट दें ।

(iii) गृह का सन्निर्माण जिसके लिए अग्रिम के लिए आवेदन दिया गया था, प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

आवेदक के हस्ताक्षर ————————

पदाभिधान ————————

विभाग/कार्यालय जिसमें

नियोजित है ————————

(आवेदक के विभाग के प्रधान द्वारा भरा जाए)

संख्यांक————————स्थान ————— तारीख————————

अध्यक्ष को अग्रेषित

(1) मैंने विनियमों के 11(ख) के अनुसार आवेदन की जांच की है और उनमें कथित तथ्यों आदि की शुद्धता के सम्बन्ध में अपना समाधान कर लिया है और आवेदक को प्रश्नगत संपत्ति का स्पष्ट हक है ।

(2) यह सिफारिश की जाती है कि————————रु० का अग्रिम आवेदक को अनुदत्त किया जाए । मैंने आवेदक के वेतन से की गई मासिक कटौतियों आदि के आधार पर अपना यह समाधान कर लिया है कि यह रकम उसकी प्रतिसंदाय क्षमता के भीतर है ।

(3) †विनियम 4 (ख) के उपबन्धों को विशेष मामले के रूप में शिथिल किया जाए ।

(4) आवेदक को जिसकी अधिवर्षिता की तारीख को देय उपदान/मृत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति उपदान की रकम (जो सेवा निवृत्ति की तारीख को आवेदक द्वारा गृह निर्माण अग्रिम के लिए आवेदन देने के समय धारित नियुक्ति के आधार पर संगणित है)————रु० प्राक्कलित की गई है ।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री.....
.....(नाम और पदाभिधान साफ अक्षरों में दें) **विभाग का अध्यक्ष हूं

**मुझे ऐसे आवेदन की जांच करने और सिफारिश करने के लिए विभाग के अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया है ।

***हस्ताक्षर ————————

पदाभिधान ————————

विभाग का नाम————————

†यदि लागू न हो तो काट दें ।

**जो शब्द लागू न हो उसे काट दें ।

***हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम भी उसके हस्ताक्षर के नीचे मोटे अक्षरों में उपदर्शित किया जाना चाहिए ।

प्ररूप सं० 1

[विनियम 11(क) देखिए]

गृहों के निर्माण के लिए बोर्ड के कर्मचारियों को अग्रिमों के अनुदान के लिए (प्ररूप सं० 2 के ब्यौरों पर आधारित) मूल प्राक्कलनों और ब्यौरेवार विनिर्देशों की लागत की संक्षिप्ति।

रकम———————————————रु०

नाम ———————————————

पदाभिधान ———————————————

परिक्षेत्र और पता जिसमें गृह के सन्निर्माण की प्रस्थापना है ———————————————

मद सं०	उपशीर्ष और कार्य की मदें	मात्रा या संख्या	दर	प्रति	रकम	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**मिट्टी का कार्य** .					
	(नींव खोदने में मिट्टी का कार्य और अधिशेष मिट्टी का व्ययन आदि)	—	—	1000 वर्ग मीटर	—	—
2.	**कंक्रीट कार्य** :					
	या तो फर्श के नीचे या नींव के लिए पत्थर या ईंटों को मिट्टी का उपयोग करते हुए सीमेन्ट या चूने के साथ आधार कंक्रीट	—	—	100 वर्ग मीटर	—	—
3.	**नमीरोह प्रक्रिया**					
	(कंक्रीट या प्रचुर सीमेन्ट गारा या बिटुमिनिस्टिक-मिश्रण।)	—	—	—	—	—
4.	**छत का कार्य** :					
	(आर० सी० सी० ऐसबेस्टस या किसी अन्य प्रकार की उपयुक्त छत)	—	—	—	—	—
5.	**प्रबलित सीमेंट कंक्रीट**	—	—	—	—	—
6.	**चिनाई**					
	(ईंट, पत्थर, कंक्रीट खण्ड, दीवाल आदि)	—	—	—	—	—
7.	**काष्ठ कार्य**					
	[दरवाजों और खिड़कियों, छतों के लिए काष्ठ घटक माप (स्केन्टलिंग) आदि के लिए]	—	—	—	—	—
8.	**इस्पात कार्य**					
	(प्रबलन, सलाखक, खिड़कियों की छड़ों आदि के लिए)	—	—	—	—	
9.	**फर्श बनना**					
	(कंक्रीट, पत्थर या संगमरमर की चिपें आदि)					

10. परिष्करण					
(प्लास्टर करना, टीप करना, रंग या चूना का पेंटिंग आदि)।	—	—	—	—	—
11. प्रकीर्ण :					
(जैसे बरसाती जल के नल, ढलान, जेल, चूलें, खूटिया पखों के लिए हुक आदि)					
12. स्वच्छता संस्थापन :					
(शौचालय, कनेक्शन, नल, मैनहोल, जलनिकास आदि)	—	—	—	—	—
13. जल प्रदाय					
(टोंटिया, जल मीटर, जल टैंक, जी० आई० नल आदि)	—	—	—	—	—
14. बिजली :					
बिजली के प्वाइन्ट, मीटर कनेक्शन, लाइनों आदि)	—	—	—	—	—
कुल लागत					

आवेदक के हस्ताक्षर ....

तारीख ....

टिप्पण :—संक्षिप्ति को (किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्य की वास्तविक ब्यौरेवार रेट आदि को उपदर्शित करते हुए) पृथक कागज पर टाइप किया जाना है और समुचित प्रक्रम पर आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है।

प्ररूप सं० 2

गृह के निर्माण के लिए बोर्ड के कर्मचारी को अग्रिम के लिए ब्यौरेवार प्राक्कलन।

(प्ररूप 1 में दी गई मात्राओं का समर्थन करने के लिए ब्यौरेवार प्राक्कलन पत्र)

नाम ——————————

पदाभिधान ——————————

कार्यालय, जिससे संलग्न है ——————————

परिक्षेत्र और पता, जिसमें गृह निर्माण की प्रस्थापना है ——————————

क्रम सं०	कार्य के ब्यौरे	संख्या	माप लंबाई	चौड़ाई	ऊंचाई	मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**मिट्टी का कार्य**					
	नींव और अन्य खाइयों के लिए सभी भूमि खोदने में मिट्टी का कार्य और उसे 50 मीटर लीड के भीतर और 1–5 मीटर ऊंचाई तक जमा करना					
	सामने की दीवाल	1	19-1/2	1-1/2	2	59
	पीछे का बरामदा दीवाल रखते हुए . .	1	19-1/2	1-1/2	1-1/2	44
	बाहरी दीवाल	1	20-1/2	1-1/2	2	62
	कमरों के बीच की साझी दीवाल .	1-1/2	12-1/2	1-1/2	2	56
	...े की ओर पीछे की डब्ल्यू० सी०	2	3-3/4	1	1-1/2	11

1	2	3	4	5	6	7
	यथोक्त पार्श्वकी	1-1/2	4-3/4	1	1-1/2	11
	सामने की ओर पीछे की सीढ़ियां . .	2	4-1/2	1-1/2	1-1/2	7
	कुल मिट्टी का कार्य . . .	—	—	—	—	—
	खोदी गई मिट्टी की पुनः भराई आदि . . सभी मदों के लिए, जैसा कि नमूना प्ररूप सं० 1 में दिया गया है ।	—	—	—	—	—
	चालू ब्यौरे	—	—	—	—	—

आवेदक के हस्ताक्षर ——————————

तारीख ——————————

टिप्पण :—ऊपर की मद 1 के सामने स्तम्भ 3–7 में दी गई प्रविष्टियां केवल यह स्पष्ट करने के लिए हैं कि संपूर्ण प्ररूप कैसे तैयार किया जाना है; उसे पृथक कागज पर टाइप किया जाना चाहिए और आवेदन के साथ समुचित प्रक्रम पर संलग्न किया जाना चाहिए ।

(प्ररूप सं० 3)

(विनियम 7 देखिए)

जब सम्पत्ति मुक्त धृति (फ्रीहोल्ड) है तब निष्पादित किए जाने वाले बंधक विलेख का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री ..... जो ..... के श्री ..... का पुत्र है और जो इस समय ..... में ..... बोर्ड/कार्यालय में ..... के रूप में नियोजित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "बंधककर्ता" कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ, से अपर्जित या इसके विरुद्ध नहीं है) इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक प्रशासक और समनुदेशिती भी हैं, और दूसरे पक्षकार के रूप में नव मंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात "बंधकदार" कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या इसके विरुद्ध नहीं है) इसके अन्तर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं के बीच आज तारीख ..... को किया गया है ।

बंधककर्ता उस भूमि और/या गृह सम्पत्ति और परिसर का, जिसका वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है और जिसकी सीमाएं अधिक स्पष्टता के लिए इसमे संलग्न नक्शे में . . . . रंग की रेखा से दिखाई गई हैं तथा जो इसके द्वारा हस्तांतरित और अंतरित किया गया अभिव्यक्त है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त बंधक सम्पत्ति" कहा गया है) पूर्ण और एकमात्र हिताधिकारी स्वामी है और वह उसके कब्जे में है अथवा वह अन्यथा उसका विधिपूर्वक और पर्याप्त रूप से हकदार है ।

बंधककर्ता ने ..... रुपए के अग्रिम के लिए बंधकदार को आवेदन किया है । बंधककर्ता ने यह अग्रिम निम्नलिखित प्रयोजन के लिए मांगा है :

*(1) भूमि का क्रय करने के लिए और उस पर गृह बनाने के लिए *(उक्त भूमि पर विद्यमान गृह में आवास स्थान का विस्तार करने के लिए)

*(2) उक्त भूमि पर गृह बनाने के लिए या *(उक्त भूमि पर बने गृह में आवास स्थान का विस्तार करने के लिए)

*(3) उक्त पहले बने गृह का क्रय करने के लिए ।

बंधकदार कुछ निबंधनों और शर्तों पर ..... रुपए की उक्त रकम बंधककर्ता को देने के लिए सहमत हो गया है ।

उक्त अग्रिम की एक शर्त यह है कि बंधककर्ता को चाहिए कि वह इसमें आगे अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति का बंधक करके उक्त अग्रिम के प्रतिसंदाय को और उन निबंधनों और शर्तों के सम्यक् अनुपालन को प्रतिभूत करे जो नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (गृहों के निर्माण आदि के लिए अग्रिम का अनुदान) विनियम, 1980 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त विनियम" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, तत्समय उसके संशोधन या उसके परिवर्धन भी हैं) दी हुई हैं ।

और बंधककार ने *(बंधककर्ता को ..... रु०) (केवल ..... रु०) का अग्रिम जो उतनी किस्तों में और उस रीति में संदेय हो गा जो इसमें इसके पश्चात् बताई गई है, मंजूर कर दिया है ।

*[बंधककर्ता को ..... रु० (केवल ..... रु०) का अग्रिम ..... तारीख को] और उक्त विनियमों में उपबंधित रीति में दे दिया है तथा उस उधार का ब्याज सहित प्रतिसंदाय तथा उक्त विनियमों में दिए हुए निबंधनों और शर्तों का, जिनका उल्लेख इसमें इसके पश्चात् किया गया है, अनुपालन इसमें इसके पश्चात् दी हुई रीति में प्रतिपूर्ति करा लिया है ।

बंधककर्ता को बंधकदार से उक्त अग्रिम निम्नलिखित किस्तों में मिलना है :—

* ..... रुपए ..... तारीख को

चुके हैं ।

*जो लागू हो वह लिखिए ।

*·····रुपए इस विलेख के निष्पादन पर।

*·····रुपए तब जब बंधककर्ता, बंधकदार के पक्ष में इस विलेख का निष्पादन करेगा।

*जो लागू हो वह लिखिए

**·····रुपए तब जब गृह का निर्माण कुर्सी के स्तर पर पहुंचेगा।

**(·····रुपए जब तक गृह का निर्माण छत के स्तर तक पहुंचेगा, परन्तु यह तब होगा जब बंधकदार का यह समाधान हो जाता है कि उस क्षेत्र का विकास, जिसमें गृह बनाया गया है, जल प्रदाय सड़कों, पर प्रकाश व्यवस्था सड़कों, नालियों और मलवहन जैसी सुविधाओं की दृष्टि से पूरा हो गया है)।

यह करार निम्नलिखित का साक्षी है।

(1) (क) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्त विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में बंधकदार द्वारा बंधककर्ता को मंजूर किए गए/दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफल स्वरूप बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह प्रसंविदा करता है कि बंधककर्ता उक्त विनियमों के सभी निबंधनों और शर्तों का सदैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा और····· रुपए (केवल·····रुपए) के उक्त अग्रिम का बंधकदार को प्रतिसंदाय ·····रुपए (केवल·····रुपए) की ***·····मासिक किस्तों में बंधककर्ता के वेतन में से करेगा। यह प्रतिसंदाय ····· के ·····मास से अथवा गृह पूरा होने के अगले मास, से इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रारंभ होगा। बंधककर्ता ऐसी किस्तों की कटौती उसके मासिक वेतन/छुट्टी वेतन/निर्वाह भत्ते में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है। उक्त अग्रिम की पूरी रकम देने के पश्चात् बंधककर्ता उस पर देय ब्याज का संदाय भी····· ···****मासिक किस्तों में उस रीति में और उन निबंधनों पर करेगा जो उक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट हैं, परन्तु यह कि बंधककर्ता ब्याज सहित अग्रिम का पूरा प्रतिसंदाय उस तारीख से पूर्व करेगा जिस तारीख को वह सेवा से निवृत्त होने वाला/वाली है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा/करेगी तो बंधकदार को यह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा इस पर ब्याज और उसकी वसूली का खर्च बंधक सम्पत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे। बंधककर्ता इस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है।

(1) (ख) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्त विनियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बंधकदार द्वारा बंधककर्ता को मंजूर किए गए/दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफल-स्वरूप बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह प्रसंविदा करता है कि बंधककर्ता उक्त विनियमों के सभी निबन्धनों और शर्तों का सदैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा और····· रुपए (केवल·····रुपए) के उक्त अग्रिम का बंधककार को प्रतिसंदाय ·····रुपए (केवल ·····रुपए)की·····मासिक किस्तों में अपने (बंधककर्ता के) वेतन में से करेगा। यह प्रतिसंदाय····· के ·····मास से या गृह पूरा होने के अगले मास से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रारंभ हो कर उसकी अधिवर्षिता की तारीख तक किया जाएगा और उसकी अधिवर्षिता की तारीख को बकाया अतिशेष, अग्रिम की तारीख से प्रतिसंदाय की तारीख तक ब्याज सहित उसके उपदान/मृत्यु-एवं-सेवा निवृत्ति उपदान में से वसूल किया जाएगा। बंधककर्ता किस्तों की रकम की कटौती उसके मासिक वेतन/छुट्टी वेतन में से तथा उसकी शेष रकम की जिसका, संदाय उसकी मृत्यु/सेवा निवृत्ति/अधिवर्षिता की तारीख तक नहीं किया गया है, कटौती जैसा इसमें इसके पूर्व वर्णित है उसके उपदान/मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है। यदि फिर भी पूरी वसूली नहीं हो पाती है तो बंधकदार को यह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और वसूली का खर्च बंधक सम्पत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूली करे। बंधककर्ता इस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है।

(1) (ग) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्त विनियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बंधकदार द्वारा बंधककर्ता को मंजूर किए गए/दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफल-स्वरूप बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह प्रसंविदा करता है कि बंधककर्ता उक्त विनियमों के सभी निबंधनों और शर्तों का सदैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा और···रुपए (केवल·····रुपए) के उक्त अग्रिम का बंधकदार को प्रतिसंदाय·····रुपए (केवल·····रु०) की·····मासिक किस्तों में अपने (बंधककर्ता के) वेतन में से करेगा। यह प्रतिसंदाय·····के ·····मास से या गृह पूरा होने के अगले मास से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रारंभ होगा। बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार को ऐसी किस्तों की कटौती उसके मासिक वेतन/छुट्टी वेतन से करने के लिए प्राधिकृत करता है और बंधककर्ता अग्रिम की पूरी रकम का संदाय करने के पश्चात् उस पर देय ब्याज का भी·····रु० की ·····मासिक किस्तों में संदाय अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक करेगा तथा अग्रिम दी गई रकम पर अग्रिम की तारीख से उसके प्रतिसंदाय की तारीख तक के ब्याज की उस बाकी रकम का जो उसकी अधिवर्षिता की तारीख को बकाया रहती है, संदाय अपने उपदान/मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान से करेगा और बंधककर्ता किस्तों की रकम की कटौती उसके मासिक वेतन/छुट्टी वेतन में से तथा उस शेष रकम

**यदि अग्रिम के संदाय का ढंग नियम 5 में विहित ढंग से भिन्न है तो तदनुसार इसकी भाषा में परिवर्तन कर दिया जाएगा

*** यह 180 से अधिक नहीं होगा।

**** यह 60 से अधिक नहीं होगा।

की जिसका संदाय उसकी मृत्यु की तारीख तक नहीं किया गया है, कटौती अपने उपदान/मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है। यदि उसकी मृत्यु की तारीख को कोई अतिशेष असंदत्त रह जाता है तो बंधकदार को यह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और वसूली का खर्च बंधक सम्पत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे। बंधककर्ता इस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है।

टिप्पण :—खंड (1) (क) और (1) (ख) या (1) (ग) में से जो लागू हो उसे काट दीजिए।

(2) यदि बंधककर्ता अग्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है या यदि बंधककर्ता दिवालिया हो जाता है या सामान्य रूप से सेवा-निवृत्ति, अधिवर्षिता से भिन्न किसी कारण सेवा में नहीं रहता है अथवा यदि अग्रिम के पूरे संदाय के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि वह उक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट और उनकी ओर से अनुपालन किए जाने वाले किसी निबंधन, शर्त और अनुबंध का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसी दशा में अग्रिम का संपूर्ण मूलधन या उसका उतना भाग जो उस समय देय रहता है और जिसका संदाय नहीं किया गया है, और उस पर .....* प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जो बंधकदार द्वारा उक्त अग्रिम की पहली किस्त के दिए जाने की तारीख से परिकल्पित किया जाएगा बंधकदार को, तुरन्त संदेय हो जाएगा। इसमें किसी बात के होते हुए भी, यदि बंधककर्ता अग्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है तो बंधकदार, बंधककर्ता के विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगा जो बंधककर्ता को लागू सेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त हो।

(3) उक्त विनियम के और अनुसरण में और उपर्युक्त प्रतिफल के लिए तथा उपर्युक्त अग्रिम के और उस पर ब्याज के, जो उसके पश्चात् किसी समय या समयों पर इस विलेख के निबन्धनों के अधीन बंधकदार को देय हो, प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने के लिए बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार को उक्त संपूर्ण बंधक सम्पत्ति जिसका पूरा वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है, उस सम्पत्ति पर बंधककर्ता द्वारा निर्मित या निर्मित किए जाने वाले भवनों या तत्समय उस पर की सामग्री का उक्त बंधक सम्पत्ति से संबंधित सभी या किन्हीं अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नकों सहित अनुदान, हस्तांतरण, अंतरण और समनुदेशन करता है। बंधकदार उक्त बंधक सम्पत्ति को उसके अनुलग्नों सहित, जिनके अन्तर्गत उक्त बंधक सम्पत्ति पर के सभी निर्माण और ऐसे भवन जो निर्मित किए गए हैं या इसके पश्चात् निर्मित किए जाएं अथवा उस पर तत्समय रखी सामग्री भी है, सभी विलंगमों से मुक्त पूर्ण रूप से धारण करेगा और उसका उपयोग करेगा। किन्तु यह इसमें आगे दिए हुए मोचन संबंधी उपबन्ध के अधीन होगा। इसके पक्षकारों के बीच यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बंधककर्ता, बंधकदार को इसके द्वारा प्रतिभूत उक्त मूलधन और ब्याज का और ऐसी अन्य रकम का (यदि कोई हो) जो बंधककर्ता द्वारा बंधकदार को, उक्त विनियमों के निबंधनों और शर्तों के अधीन संदेय अवधारित की जाए, सम्यक् रूप से संदाय इसमें दी हुई रीति से कर देगा जो बंधकदार इसके बाद किसी भी समय बंधककर्ता के अनुरोध और खर्च पर, उक्त बंधक सम्पत्ति का प्रतिभंतरण और प्रतिहस्तांतरण बंधककर्ताओं को उसके या उसके निदेशानुसार उपयोग के लिए कर देगा।

(4) इसके द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बंधककर्ता अपनी ओर से की गई और इसमें दी हुई प्रसंविदाओं को भंग करता है या यदि बंधककर्ता दिवालिया हो जाता है या सामान्य रूप से सेवा निवृत्ति/अधिवर्षिता से भिन्न किसी कारण से सेवा में नहीं रहता है, या यदि उन सभी रकमों के जो इस विलेख के अधीन बंधकदार को संदेय हैं, और उन पर ब्याज के पूरी तरह से चुकाए जाने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि उक्त अग्रिम या उसका कोई भाग इस विलेख के अधीन या अन्यथा तुरन्त संदेय हो जाता है तो ऐसी दशा में बंधकदार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उक्त बंधक सम्पत्ति का या उसके किसी भाग का विक्रय न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, एक साथ या टुकड़ों में और या तो लोक नीलाम द्वारा या प्राइवेट संविदा द्वारा कर दे। उसे यह शक्ति होगी कि वह उसका क्रय कर ले या विक्रय की किसी संविदा को विखंडित कर दे और उसका पुनः विक्रय कर दे तथा ऐसी किसी हानि के लिए जिम्मेदार न हो जो ऐसा करने से हो। उसे यह शक्ति भी होगी कि वह ऐसा विक्रय करने के लिए, जो बंधकदार ठीक समझे, सभी कार्य करे और हस्तांरण पत्रों का निष्पादन करे। यह घोषणा की जाती है कि विक्रय किए गए परिसर या उसके किसी भाग के क्रय के लिए बंधकदार की रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि क्रेता या क्रेताओं ने क्रय धन का भुगतान कर दिया है। यह भी घोषणा की जाती है कि उक्त शक्ति के अनुसरण में किए गए किसी विक्रय से प्राप्त धन को बंधकदार न्यास के रूप में धारण करेगा। उसमें से सर्वप्रथम ऐसे विक्रय पर हुए खर्च का संदाय किया जाएगा और तब इस विलेख की प्रतिभूति पर तत्समय देय धन को चुकाने में या उसके लिए, धन का संदाय किया जाएगा और यदि कोई धन बाकी रहता है तो वह बंधककर्ता को दे दिया जाएगा।

(5) बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार के साथ यह प्रसंविदा करता है कि :—

(क) बंधककर्ता को इस बात का अच्छा अधिकार और विधिपूर्ण प्राधिकार है कि वह बंधक सम्पत्ति का,

*नियमों के अधीन प्रभार्य ब्याज की प्रसामान्य दर।

बंधकदार को और उसके उपयोग के लिए अनुदान, हस्तांतरण, अन्तरण और समनुदेशन पूर्वोक्त रीति में करे।

(ख) बंधककर्ता गृह के निर्माण उक्त गृह में आवास स्थान में परिवर्धन का कार्य उस अनुमोदित नक्शे और उन विनिर्देशों के अनुसार ही करेगा जिनके आधार पर उक्त अग्रिम की संगणना की गई है और वह मंजूर किया गया है, जब तक कि उससे विचलन की अनुज्ञा बंधकदार ने नहीं दे दी है। बंधककर्ता कुर्सी/छत पड़ने के स्तर पर अनुज्ञेय अग्रिम की किस्तों के लिए आवेदन करते समय यह अनुप्रमाणित करेगा कि निर्माण कार्य उस नक्शे और प्राक्कलन के अनुसार किया जा रहा है जो उसने बंधकदार को दिए हैं और यह कि निर्माण कार्य कुर्सी/छत पड़ने के स्तर पर पहुंच गया है और मंजूर किए गए अग्रिम में से ली जा चुकी रकम का वस्तुतः उपयोग गृह के सन्निर्माण के लिए किया गया है। वह उक्त प्रमाणपत्रों के सही होने का सत्यापन करने के लिए स्वयं बंधकदार या उसके प्रतिनिधि के द्वारा निरीक्षण करने की अनुमति देगा। यदि बंधककर्ता कोई मिथ्या प्रमाण पत्र देता है तो उसे बंधकदार को वह सम्पूर्ण अग्रिम जो उसे मिला है तथा उस पर ..... * प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज तुरन्त देना होगा इसके अतिरिक्त बंधककर्ता के विरुद्ध उसको लागू सेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

(ग) बंधककर्ता गृह का निर्माण/उक्त गृह में आवास स्थान में परिवर्धन ..... ** के अठारह मास के भीतर पूरा करेगा, जब तक कि बंधकदार ने इस कार्य के लिए लिखित रूप में समय न बढ़ा दिया हो। इसमें व्यतिक्रम होने पर बंधककर्ता को, उसे दी गई सम्पूर्ण रकम का और उक्त विनियमों के अधीन परिकलित ब्याज का एक मुश्त प्रतिसंदाय तुरन्त करना होगा बंधककर्ता गृह पूरा होने की तारीख की सूचना बंधकदार को देगा और वह बंधकदार को इस आशय का एक प्रमाणपत्र देगा कि अग्रिम की पूरी रकम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह मंजूर किया गया था।

टिप्पण :—जब अग्रिम पहले बने गृह के क्रय के लिए है या उस उधार के प्रतिसंदाय के लिए है जो आवेदक ने किसी गृह के निर्माण या क्रय के लिए लिया है तब खंड (ख) और (ग) लागू नहीं होंगे।

(घ) बंधककर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम में या किसी राष्ट्रीयकृत साधारण बीमा कम्पनी में उस गृह का अपने खर्च पर उतनी रकम के लिए तुरन्त बीमा कराएगा जो उक्त अग्रिम की रकम से कम न हो। वह उसे उस समय तक जब तक कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है, अग्नि बाढ़ और तड़ित से हानि या नुकसान के विरुद्ध बीमाकृत रखेगा जैसा कि उक्त विनियमों में उपबंधित है, और बीमा पालिसी बंधकदार को सौंप देगा। बंधककर्ता समय-समय पर उक्त बीमा का प्रीमियम नियमित रूप से देगा और जब उससे अपेक्षा की जाए, प्रीमियम की रसीदें बंधकदार के निरीक्षण के लिए पेश करेगा। यदि बंधककर्ता अग्नि, बाढ़ और तड़ित के विरुद्ध बीमा नहीं कराता है तो बंधकदार के लिए यह विधिपूर्ण, किन्तु आबद्धकर नहीं होगा कि वह उक्त गृह का बीमा बंधककर्ता के खर्च पर करा ले और प्रीमियम की रकम को अग्रिम की बकाया रकम में जोड़ ले। तब बंधककर्ता को उस पर .....प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना होगा मानो प्रीमियम की रकम उसको उक्त अग्रिम के भाग के रूप में दी गई थी। वह ब्याज उसे उस समय तक देना होगा जब तक कि वह रकम बंधकदार को चुका नहीं दी जाती है या जब तक उसकी वसूली इस रूप में नहीं हो जाती है मानो वह इस विलेख की प्रतिभूति के अन्तर्गत आने वाली रकम हो। बंधककर्ता, जब भी उससे अपेक्षित हो, बंधकदार को एक पत्र देगा जो उस बीमा करने वाले के नाम लिखा होगा जिससे उस गृह का बीमा कराया गया है। यह पत्र इसलिए होगा कि बंधकदार बीमा करने वाले को इस तथ्य की सूचना दे सके कि बंधक दार उस बीमा पालिसी में हितबद्ध है।

(ङ) बंधककर्ता उक्त गृह को अपने खर्च पर अच्छी मरम्मत की हालत में रखेगा और बंधक सम्पत्ति की बाबत नगरपालिका के और अन्य सभी स्थानीय रेट कर, और अन्य सभी देनदारियां उस समय तक नियमित रूप से देगा जब तक कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है। बंधककर्ता, बंधकदार को उक्त आशय का एक वार्षिक प्रमाणपत्र भी देगा।

(च) बंधककर्ता, गृह पूरा होने के बाद बंधकदार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि गृह अच्छी मरम्मत की हालत में रखा गया है, निरीक्षण करने की सभी सुविधाएं उस समय तक देगा जब तक कि अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है।

* नियम के अधीन प्रभार्य ब्याज की प्रसामान्य दर।

** वहां वह तारीख लिखिए जिस तारीख को अग्रिम की पहली किस्त बंधककर्ता को दी गई है।

(छ) बंधककर्ता, ऐसी कोई रकम और उस पर देय ब्याज, यदि कोई है, बंधकदार को लौटाएगा जो अग्रिम के मद्दे, उस व्यय के आधिक्य में ली गई है जिसके लिए अग्रिम मंजूर किया गया था।

(ज) बंधककर्ता, बंधक सम्पत्ति को इस विलेख के जारी रहने के दौरान न तो भारित करेगा, न उस पर विल्लंगम सृजित करेगा, न उसका अन्य संक्रामण करेगा और न उसका किसी अन्य प्रकार से व्ययन करेगा।

(झ) इसमें किसी बात के होते हुए भी बंधकदार को यह हक होगा कि वह अग्रिम की शेष रकम और उस पर ब्याज, जिसका संदाय बंधककर्ता की सेवा निवृत्ति के समय तक या यदि सेवा निवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है, तो उस समय तक नहीं किया गया है, बंधककर्ता को मंजूर किए जाने वाले सम्पूर्ण उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में से वसूल कर ले।

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है।

इसके साक्ष्य स्वरूप इस पर उक्त बंधककर्त्ता .....
.....

उक्त बंधककर्त्ता के
(हस्ताक्षर)

और नवमंगलौर पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड के लिए और उनकी ओर से .....
कार्यालय के श्री .....
..... ने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

1. .....
(प्रथम साक्षी का नाम,
.....
पता और व्यवसाय)

2. .....
(द्वितीय साक्षी का नाम,
.....
पता और व्यवसाय)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

नवमंगलौर पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड के लिए और सकी ओर से तथा उसके निदेशानुसार .....
..... कार्यालय के
.....ने
.....

हस्ताक्षर

1 .....
(प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

2 .....
(द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

टिप्पण :—आवेदकों को सलाह दी जाती है कि इस दस्तावेज पर स्टाम्पशुल्क देने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या स्टाम्प शुल्क के संदाय से कोई छूट मिल सकती है, राज्य सरकार से संपर्क कर लें।

प्ररूप सं० 3क

(विनियम 7 देखिए)

जब सम्पत्ति मुक्त धृति (फ्रीहोल्ड) है और संयुक्त रूप से पति और पत्नी के नाम में धारित है तब निष्पादित किए जाने वाले बंधक विलेख का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री .....
जो ..... के श्री
..... का पुत्र/पुत्री
है और जो इस समय .....में
..... कार्यालय में ....
..... के रूप में नियोजित है
तथा उसका पति/उसकी पत्नी .....
.....(जिन्हें संयुक्त रूप से इसमें इसके पश्चात् "बन्धककर्त्ता" कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) इसके अन्तर्गत उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती भी हैं, और दूसरे पक्षकार के रूप में नव बंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड जिसे इसमें आगे "बंधकदार" कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित उसके विरुद्ध नहीं है) (इसके अन्तर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं, के बीच आज .....तारीख .....
को किया गया है।

बंधककर्त्ता उस भूमि और/या गृह संपत्ति और परिसर का, जिसका वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है और जिसकी सीमाएं अधिक स्पष्टता के लिए, इससे संलग्न नक्शे में .....रंग को दिखाई गई हैं तथा जो इसके द्वारा हस्तांतरित और अंतरित किया गया अभिव्यक्त है, (जिसे इसमें आगे "उक्त बंधक सम्पत्ति" कहा गया है) पूर्ण और एकमात्र हिताधिकारी स्वामी है और वह उसके कब्जे में है अथवा वह अन्यथा उसका विधिपूर्वक और पर्याप्त रूप से हकदार है।

बन्धककर्त्ता में से एक श्री .....ने
(जिसे इसमें आगे "आवेदक बंधककर्ता" कहा गया है)
.....रु० (केवल .....

··················रुपए) के अग्रिम के लिए बंधकदार को आवेदन किया है। आवेदक बंधककर्त्ता ने यह अग्रिम निम्नलिखित प्रयोजन के लिए मांगा है,

* (1) भूमि का क्रय करने के लिए और उस पर गृह बनाने के लिए या

* (उक्त भूमि पर विद्यमान गृह में आवास स्थान का विस्तार करने के लिए)।

* (2) उक्त भूमि पर गृह बनाने के लिए या उक्त भूमि पर बने गृह में आवास स्थान का विस्तार करने के लिए

* (3) उक्त पहले बने मकान/फ्लैट का क्रय करने के लिए। बंधकदार कुछ निबंधनों और शर्तों पर ·········· ·············रुपए की उक्त रकम प्रधान बंधककर्त्ता को देने के लिए सहमत हो गया है।

उक्त अग्रिम की एक शर्त यह है कि बंधककर्त्ता को चाहिए कि वे इसमें आगे अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति का बंधक करके उक्त अग्रिम के प्रतिसंदाय को और उन निबंधनों और शर्तों के सम्यक अनुपालन को प्रतिभूत करे जो नवमंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (गृहों के निर्माण आदि के लिए अग्रिम का अनुदान) विनियम, 1980 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त विनियम" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल हों, तत्समय प्रवृत्त उसके संशोधन या उसके परिवर्धन भी हैं) दी हुई हैं।

और बंधकदार ने——

*(आवेदक बंधककर्त्ता को···········रुपए) (केवल ·················· रुपए) का अग्रिम ··· ·············तारीख को और उक्त विनियमों में उपबंधित रीति में मंजूर कर दिया है तथा उस उधार का ब्याज सहित प्रतिसंदाय तथा उक्त विनियमों में दिए हुए निबंधनों और शर्तों का, जिनका उल्लेख इसमें इसके पश्चात् किया गया है, अनुपालन इसमें इसके पश्चात् दी हुई रीति से प्रतिभूत करा लिया है।

आवेदक बंधककर्त्ता को बंधकदार से उक्त अग्रिम निम्नलिखित किस्तों में मिलना है:

*·················रुपए ············ तारीख को मिल चुके हैं।

*························ रुपए तब जब बंधककर्त्ता, बंधकदार के पक्ष में इस विलेख का निष्पादन करेंगे।

**···· ················रुपए तब जब गृह का निर्माण कुर्सी के स्तर पर पहुंचेगा।

**····················रुपए तब जब मकान का निर्माण छत के स्तर तक पहुंचेगा:

परन्तु यह तब होगा जब कि बंधकदार का यह समाधान हो जाता है कि उस क्षेत्र का विकास जिसमें मकान बनाया गया है, जल प्रदाय, सड़कों की प्रकाश व्यवस्था, सड़कों, नालियों और मलवहन जैसी सुविधाओं की दृष्टि से पूरा हो गया है)।

यह करार निम्नलिखित का साक्षी है:

(i) (क) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्त विनियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बंधकदार द्वारा आवेदक बंधककर्त्ता को मंजूर किए गए/दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप बंधककर्त्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह प्रसंविदा करते हैं कि बंधककर्त्ता उक्त विनियमों के सभी निबन्धनों और शर्तों का सदैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेंगे और ························रुपए (केवल····· ···················रुपए) की***···· ····· ·············मासिक किस्तों में आवेदक के वेतन में से करेंगे। यह प्रतिसंदाय·················· के नाम से अथवा गृह पूरा होने के अगले मास के, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रारंभ मास से अथवा गृह पूरा होने के अगले मास के, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रारंभ होगा। आवेदक ऐसी किस्तों की कटौती उसके मासिक वेतन/छुट्टी वेतन/निर्वाह भत्ते में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है। उक्त अग्रिम की पूरी रकम देने के पश्चात् आवेदक बंधककर्त्ता उस पर देय ब्याज का संदाय भी ·· ···············†† मासिक किस्तों में उस रीति में और उन निबन्धनों पर करेगा जो उक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट हैं। परन्तु यह कि आवेदक बंधककर्त्ता ब्याज सहित अग्रिम धन का पूरा प्रतिसंदाय उस तारीख से पूर्व करेगा जिस तारीख को वह सेवा से निवृत्त होने वाला/वाली है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा/करेगी तो बंधकदार को यह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और उसकी वसूली का खर्च बंधक संपत्ति का विक्रय कर के या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे। आवेदक बंधककर्त्ता इस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है।

(i) (ख) उक्त विनियमों के अनुसरण मे और उक्त विनियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बंधकदार द्वारा आवेदक बंधककर्त्ता को मंजूर किए गए/दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप आवेदक/बंधककर्त्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह प्रसंविदा करता है कि आवेदक बंधककर्त्ता उक्त विनियमों के सभी निबन्धनों और शर्तों का सदैव सम्यक रूप से अनुपालन

* जो लागू हो वह लिखिए।

** यदि अग्रिम के प्रतिसंदाय का ढंग विनियम में विहित ढंग से भिन्न है तो तदनुसार इसकी भाषा में परिवर्तन कर दिया जाएगा।

*** यह 180 से अधिक नहीं होगी।

†† यह 60 से अधिक नहीं होगी।

करेगा और .....रुपए (केवल ....रुपए) की उक्त अग्रिम का बंधकदार को प्रतिसंदाय .....रुपए (केवल .... रुपए) की .....मासिक किस्तों में अपने (आवेदक बंधककर्त्ता) के वेतन में से करेगा। यह प्रतिसंदाय .....के .....मास से या गृह पूरा होने के अगले मास से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रारम्भ होकर उसकी अधिवर्षिता की तारीख तक किया जाएगा और उसकी अधिवर्षिता की तारीख को बकाया अतिशेष अग्रिम की तारीख से प्रतिसंदाय की तारीख तक ब्याज सहित उसके उपदान/मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से वसूल किया जाएगा। आवेदक बंधककर्त्ता किस्तों की रकम की कटौती उसके मासिक वेतन/छुट्टी वेतन/निर्वाह भत्ते में से तथा उस शेष रकम की जिसका संदाय उसकी मृत्यु/सेवा निवृत्ति अधिवर्षिता की तारीख तक नहीं किया गया है, कटौती जैसा इसमें इसके पूर्व वर्णित है उसके उपदान/मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है। यदि फिर भी वसूली नहीं हो पाती है तो बंधकदार को यह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और वसूली का खर्च, बंधक संपत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे। आवेदक बंधककर्त्ता इस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है।

(i)(ग) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्त विनियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बंधकदार द्वारा बंधककर्त्ता को मंजूर किए गए/दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप बंधककर्त्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह प्रसंविदा करता है कि बंधककर्त्ता उक्त विनियमों के सभी निबंधनों और शर्तों का सदैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा और .....रुपए (केवल ....रुपए) के उक्त अग्रिम का बंधकदार को प्रतिसंदाय .....रु० (केवल .... रुपए) की .....मासिक किस्तों में अपने (बंधककर्त्ता के) वेतन में से करेगा। यह प्रतिसंदाय .....के ..... मास से या गृह पूरा होने के अगले मास से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रारंभ होगा/बंधककर्त्ता इसके द्वारा बंधकदार को ऐसी किस्तों की कटौती उसके मासिक वेतन/छुट्टी वेतन में से करने के लिए प्राधिकृत करता है और बंधककर्त्ता अग्रिम की पूरी रकम का संदाय करने के पश्चात् उस पर देय ब्याज का भी .....रु० की .....मासिक किस्तों में संदाय अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक करेगा तथा अग्रिम दी गई रकम पर अग्रिम की तारीख से उसके प्रतिसंदाय की तारीख तक के ब्याज की उस बाकी रकम का, जो उसकी अधिवर्षिता की तारीख को बकाया रहती है संदाय अपने उपदान/मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान से करेगा और बंधककर्त्ता किस्तों की रकम की कटौती उसके मासिक वेतन/छुट्टी वेतन में से तथा उस शेष रकम की जिसका संदाय उसकी मृत्यु की तारीख तक नहीं किया गया है, कटौती उसके उपदान/मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है। यदि उसकी मृत्यु की तारीख कोई अधिशेष असंदत्त रह जाता है तो बंधकदार को यह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और वसूली का खर्च, बंधक संपत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे। बंधककर्त्ता इस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है।

[टिप्पण:— खंड (i)(क), (i)(ख) या (i)(ग) में से जो लागू न हो उसे काट दीजिए।]

(ii) यदि आवेदक बंधककर्त्ता अग्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है या यदि आवेदक बंधककर्त्ता दिवालिया हो जाता है या सामान्य रूप से सेवा-निवृत्ति, अधिवर्षिता से भिन्न किसी कारण से सेवा में नहीं रहता है अथवा यदि अग्रिम के पूरे संदाय के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि आवेदक बंधककर्त्ता उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट और उसकी ओर से अनुपालन किए जाने वाले किसी निबंधन, शर्त और अनुबंध का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसी दशा में अग्रिम का सम्पूर्ण मूलधन या उसका उतना भाग, जो उस समय देय रहता है और जिसका संदाय नहीं किया गया है, और उस पर ..... *प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जो बंधकदार द्वारा उक्त अग्रिम की पहली किस्त के दिए जाने की तारीख से परिकल्पित किया जाएगा, बंधकदार को तुरन्त संदेय हो जाएगा। इसमें किसी बात के होते हुए भी, यदि प्रधान बंधककर्त्ता अग्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है तो बंधकदार आवेदक बंधककर्त्ता के विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगा जो प्रधान बंधककर्त्ता को लागू सेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त हो।

(iii) उक्त नियमों के अनुसरण में और उपर्युक्त प्रतिफल के लिए तथा उपर्युक्त अग्रिम के और उस पर ब्याज के, जो उसके पश्चात् किसी समय या समयों पर इस विलेख के निबन्धनों के अधीन बंधकदार को देय हो, प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने के लिए बंधककर्त्ता, इसके द्वारा बंधकदार को उक्त संपूर्ण बंधक सम्पत्ति जिसका पूरा वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है उस सम्पत्ति पर बंधककर्त्ताओं द्वारा निर्मित या निर्मित किए जाने वाले भवनों अथवा तत्समय उस पर की सामग्री का उक्त बंधक संपत्ति से संबंधित सभी या किन्हीं अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नकों सहित अनुदान, हस्तांतरण, अंतरण और समनुदेशन करते हैं।

*नियम के अधीन प्रभार्य ब्याज की प्रसामान्य दर।

बंधकदार उक्त बंधक संपत्ति को, उसके अनुलग्नकों सहित उनके अन्तर्गत उक्त बंधक सम्पत्ति पर के सभी निर्माण और ऐसे भवन जो निर्मित किए गए हैं या इसके पश्चात् निर्मित किए जाएं अथवा उस पर तत्समय रखी सामग्री भी है सभी अनुलग्नकों से युक्त पूर्ण रूप से धारण करेगा और उसका उपयोग करेगा। किन्तु यह इसमें आगे दिए हुए मोचन संबंधी उस उपबंध के अधीन होगा कि यदि बंधककर्त्ता, बंधकदार को इसके द्वारा प्रतिभूत उक्त मूलधन और ब्याज का और ऐसी अन्य रकम का (यदि कोई हो) जो बंधककर्त्ताओं द्वारा बंधकदार को उक्त नियम के निबंधन और शर्तों के अधीन संदेय अवधारित की जाए सम्यक् रूप से संदाय इसमें दी हुई रीति से कर देंगे तो बंधकदार उसके बाद किसी भी समय बंधककर्त्ताओं के अनुरोध और खर्च पर, उक्त बंधक संपत्ति का प्रतिअंतरण और प्रतिहस्तांतरण बंधककर्त्ताओं को उनके उपयोग के लिए या उनके निदेशानुसार उपयोग के लिए कर देगा।

(iv) इसके द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बंधककर्ता अपनी ओर से की गई और इसमें दी हुई प्रसंविदाओं का भंग करते हैं या यदि आवेदक बंधककर्ता दिवालिया हो जाता है या सामान्य रूप से या निवृत्ति/अधिवर्षिता से भिन्न किसी कारण से सेवा में नहीं रहता है या यदि उन सभी रकमों के जो इस विलेख के अधीन बंधकदार को संदेय हैं, और उन पर ब्याज के पूरी तरह से चुकाए जाने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि उक्त अग्रिम या उसका कोई भाग इस विलेख के अधीन या अन्यथा तुरन्त संदेय हो जाता है तो ऐसी दशा में बंधकदार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उक्त बंधक संपत्ति का या उसके किसी भाग का विक्रय, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, एक साथ या टुकड़ों में और या तो लोक नीलाम द्वारा या प्राइवेट संविदा द्वारा कर दे। उसे यह शक्ति होगी कि वह उसका क्रय कर ले या विक्रय की किसी संविदा को विखण्डित कर दे और उसका पुनः विक्रय कर दे तथा ऐसी किसी हानि के लिए जिम्मेदार न हो जो ऐसा करने से हो। उसे यह शक्ति भी होगी कि वह ऐसा विक्रय करने के लिए, जो बंधकदार ठीक समझे सभी कार्य करे और हस्तांतरण पत्रों का निष्पादन करे। यह घोषणा की जाती है कि विक्रय किए गए परिसर या उसके किसी भाग के क्रय धन के लिए बंधकदार की रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि क्रेता/क्रेताओं ने क्रय धन का भुगतान कर दिया है। यह भी घोषणा की जाती है कि उक्त शक्ति के अनुसरण में किए गए किसी विक्रय से प्राप्त धन को बंधकदार न्यास के रूप में धारण करेगा। उसमें से सर्वप्रथम ऐसे विक्रय पर हुए खर्च का संदाय किया जाएगा और तब इस विलेख की प्रतिभूति पर तत्समय देय धन को चुकाने में या उसके लिए, धन का संदाय किया जाएगा और यदि कोई धन बाकी रहता है तो वह बंधककर्ता को दे दिया जाएगा।

(v) बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार के साथ यह प्रसंविदा करते हैं कि :—

(क) बंधककर्ताओं को इस बात का अच्छा अधिकार और विधिपूर्ण प्राधिकार है कि वे संपत्ति बंधक का, बंधकदार को और उसके उपयोग के लिए अनुदान, हस्तांतरण, अन्तरण और समनुदेशन उक्त रीति में करें।

(ख) आवेदक बंधककर्ता गृह के निर्माण उक्त गृह में आवास स्थान में परिवर्धन का कार्य उस अनुमोदित नक्शे और उन विनिर्देशों के अनुसार ही करेगा जिनके आधार पर उक्त अग्रिम की संगणना की गई है और वह मंजूर किया गया है जब तक कि उससे विचलन की अनुज्ञा बंधकदार ने नहीं दे दी है। आवेदक बंधककर्ता, कुर्सी/छत पड़ने के स्तर पर अनुज्ञेय अग्रिम की किस्तों के लिए आवेदन करते समय यह अनु-प्रमाणित करेगा कि निर्माण कार्य उस नक्शे और प्राक्कलन के अनुसार किया जा रहा है जो उसने बंधकदार को दिए हैं और यह कि निर्माण कार्य कुर्सी/छत पड़ने के स्तर तक पहुंच गया है और मंजूर किए गए अग्रिम में से ली जा चुकी रकम का वस्तुतः उपयोग गृह के सन्निर्माण के लिए किया गया है। वह उक्त प्रमाण-पत्रों के सही होने का सत्यापन करने के लिए स्वयं बंधकदार को या उसके प्रतिनिधि के द्वारा निरीक्षण करने की अनुमति देगा/देगी। यदि बंधककर्ता कोई मिथ्या प्रमाण-पत्र देता है तो उसे बंधकदार को वह संपूर्ण अग्रिम, जो उसे मिला है तथा उस पर ....¹प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज तुरन्त देना होगा। इसके अतिरिक्त आवेदक बंधककर्ता के विरुद्ध उसको लागू सेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

(ग) आवेदक बंधककर्ता गृह का निर्माण उक्त गृह में आवास स्थान में परिवर्धन ....¹ के अठारह मास के भीतर पूरा करेगा जब तक कि बंधकदार ने इस कार्य के लिए लिखित रूप में समय न बढ़ा दिया हो। इसमें व्यतिक्रम होने पर प्रधान बंधककर्ता को, उसे दी गई संपूर्ण रकम का और उक्त विनियमों के अधीन परिकलित ब्याज का एक मुश्त प्रतिसंदाय तुरन्त करना होगा। आवेदक बंधककर्ता गृह पूरा होने की तारीख की सूचना बंधकदार को देगा और वह बंधकदार को इस आशय का एक प्रमाणपत्र देगा कि अग्रिम की पूरी रकम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह मंजूर किया गया था।

टिप्पण :—जब अग्रिम पहले बने गृह/फ्लैट के क्रय के लिए है या उस उधार के प्रतिसंदाय के लिए है जो आवेदक ने किसी गृह/

¹नियम के अधीन प्रभार्य ब्याज की प्रसामान्य दर।

¹यहां वह तारीख लिखिए जिस तारीख को अग्रिम की पहली किस्त बंधककर्ता को दी गई है।

फ्लैट के निर्माण या क्रय के लिए लिया है तब खण्ड (ख) और (ग) लागू नहीं होंगे ।

(घ) बंधककर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम में उस मकान पर तुरन्त अपने खर्च पर बीमा उतनी रकम के लिए कराएंगे जो उक्त अग्रिम की रकम से कम न हो । वे उसे उस समय तक जब तक कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है, अग्नि, बाढ़ और तड़ित से हानि या नुकसान, के विरुद्ध बीमाकृत रखेंगे जैसा कि उक्त विनियमों में उपबंधित है, और बीमा पालिसी बंधकदार को सौंप देंगे । बंधककर्ता समय-समय पर उक्त बीमा का प्रीमियम नियमित रूप से देंगे और जब उनसे अपेक्षा की जाए, प्रीमियम की रसीदें बंधकदार के निरीक्षण के लिए पेश करेंगे । यदि बंधककर्ता बाढ़ और तड़ित के विरुद्ध बीमा नहीं करते हैं तो बंधकदार के लिए यह विधिपूर्ण किन्तु आबद्धकर नहीं होगा कि वह उक्त गृह का बीमा बंधककर्ताओं के खर्च पर करा ले और प्रीमियम की रकम को अग्रिम की बकाया रकम में जोड़ लें । तब आवेदक को उस पर····· प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना होगा मानो प्रीमियम की रकम उसको उक्त अग्रिम के भाग के रूप में दी गई थी । यह ब्याज उसे उस समय तक देना होगा जब तक कि वह रकम बंधकदार को चुका नहीं दी जाती है या जब तक उसकी वसूली इस रूप में नहीं हो जाती है मानो वह इस विलेख की प्रतिभूति के अन्तर्गत आने वाली रकम हो । बंधककर्ता जब भी उनसे अपेक्षित हो, बंधकदार को एक पत्र देंगे जो उस बीमा करने वाले के नाम लिखा होगा जिससे उस गृह का बीमा कराया गया है । यह पत्र इसलिए होगा कि बंधकदार बीमा करने वाले को इस तथ्य की सूचना दे सके कि बंधकदार उस बीमा पालिसी में हितबद्ध है ।

(ङ) बंधककर्ता उक्त गृह को अपने खर्च पर अच्छी मरम्मत की हालत में रखेंगे और बंधक सम्पत्ति की बाबत नगरपालिका के और अन्य सभी स्थानीय रेट, कर और अन्य सभी देनदारियां उस समय तक नियमित रूप से देंगे जब तक कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है । बंधककर्ता, बंधकदार को उक्त आशय का एक वार्षिक प्रमाण-पत्र भी देंगे ।

(च) बंधककर्ता, गृह पूरा होने के बाद बंधकदार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि गृह अच्छी मरम्मत की हालत में रखा गया है, निरीक्षण करने की सभी सुविधाएं उस समय तक देंगे जब तक कि अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है ।

(छ) आवेदक बंधककर्ता ऐसी कोई रकम और उस पर देय ब्याज यदि कोई है, बंधकदार को लौटाएगा जो अग्रिम के मद्दे, उस व्यय के आधिक्य में ली गई है जिसके लिए अग्रिम मंजूर किया गया था ।

(ज) बंधककर्ता, बंधक संपत्ति को इस विलेख के जारी रहने के दौरान न तो भारित करेंगे, न उस पर विल्लंगम सृजित करेंगे, न उसका अन्यसंक्रामण करेंगे और न उसका किसी अन्य प्रकार से व्ययन करेंगे ।

(झ) इसमें किसी बात के होते हुए भी बंधकदार को यह हक होगा कि वह अग्रिम की शेष रकम और उस पर ब्याज जिसका संदाय आवेदक बंधककर्ता की सेवा निवृत्ति के समय तक या यदि सेवा निवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो उस समय तक नहीं किया गया है, आवेदक बंधककर्ता को मंजूर किए जाने वाले संपूर्ण उपदान या मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में से वसूल कर ले ।

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है—*

इसके साक्ष्य स्वरूप बंधककर्ताओं ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ?

उक्त बंधककर्ताओं·····ने ·····

(हस्ताक्षर)

1. ·····(प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

2. ·····(द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

इसके साक्ष्य स्वरूप बोर्ड के लिए और उसकी ओर से तथा बोर्ड के आदेश और निदेश से·····

कार्यालय के श्री·····ने

इस विलेख पर—

·····

(हस्ताक्षर)

1. ·····(प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

2. ·····(द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

·····

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

टिप्पण—आवेदकों को सलाह दी जाती है कि इस दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क देने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या स्टाम्प शुल्क के संदाय से कोई छूट मिल सकती है, अपनी राज्य सरकारों से सम्पर्क कर लें ।

*इसे बंधककर्ता भरेंगे ।

नवमंगलौर पत्तन न्यास बोर्ड के लिए और उनकी ओर से तथा उनके आदेश और निदेश से .....कार्यालय के श्री .....ने

(1) ..... (प्रथम साक्षी का नाम, पता .....और व्यवसाय)

.....

हस्ताक्षर

(2) ..... (द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

.....

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

प्ररूप सं० 4

(विनियम 7 देखिए)

जब सम्पत्ति पट्टाधृत है तब निष्पादित किए जाने वाले बंधक विलेख का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री ..... जो .....के श्री.....का पुत्र है और जो इस समय.....में बोर्ड/कार्यालय में..... के रूप में नियोजित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "बंधककर्ता" कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप में नव मंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड (जिसे इसमें आगे "बंधकदार" कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या इसके विरुद्ध नहीं है इसके अन्तर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख .....को किया गया है ।

तारीख .....के पट्टे द्वारा, जो .....और .....के बीच किया गया था, पट्टाकर्ता ने ..... में स्थित सम्पत्ति का जिसका विस्तृत वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है, पट्टान्तरण .....रु० के वार्षिक/मासिक किराए पर .....से आरंभ होने वाली .....वर्ष की अवधि के लिए और इस बात के अधीन रहते हुए कि उसमें वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों का पालन और अनुपालन किया जाएगा, बंधककर्ता को किया है ।

बंधककर्ता ने .....रु० (केवल .....रु०) के अग्रिम के लिए बंधकदार को आवेदन किया है बंधककर्ता ने यह अग्रिम निम्नलिखित प्रयोजन के लिए मांगा है :

*(1) भूमि का क्रय करने के लिए और उस पर गृह बनाने के लिए या *(उक्त भूमि पर विद्यमान गृह में आवास स्थान का विस्तार करने के लिए) ।

(2) उक्त भूमि पर गृह बनाने के लिए या *(उक्त भूमि पर बने गृह में आवास स्थान का विस्तार करने के लिए) ।

*(3) उक्त पहले बने गृह का क्रय करने के लिए ।

बंधकदार कुछ निबन्धनों और शर्तों पर .....रुपए की उक्त रकम बंधककर्ता को देने के लिए सहमत हो गया है ।

उक्त अग्रिम की एक शर्त यह है कि बंधककर्ता को चाहिए कि वह इसमें आगे अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति का बंधक करके उक्त अग्रिम के प्रतिसंदाय को और उन सभी निबन्धनों और शर्तों के सम्यक् अनुपालन को प्रतिभूत करे जो नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (गृहों के निर्माण, आदि के लिए अग्रिम का अनुदान) । विनियम, 1980 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त विनियम" कहा गया है और इसमें जहां संदर्भ के अनुकूल है, तत्समय प्रवृत्त उसके संशोधन या उसके परिवर्धन भी है) । दी हुई हैं ।

और बंधकदार ने—

*(1) बंधककर्ता को ..... रुपए (केवल .....रुपए) का अग्रिम जो उतनी किस्तों में और उस रीति में संदेय होगा जो इसमें इसके पश्चात् बताई गई हैं मंजूर कर दिया है ।

*(2) बंधककर्ता को .....रुपए (केवल .....रुपए) का अग्रिम .....तारीख को और उक्त विनियमों में उपबन्धित रीति में दे दिया है तथा उस उधार का ब्याज सहित प्रतिसंदाय तथा उक्त विनियमों में दिये हुए निबन्धनों और शर्तों का, जिनका उल्लेख इसमें इसके पश्चात् किया गया है, अनुपालन इसमें इसके पश्चात् दी हुई रीति से प्रतिभूत करा लिया है।

बंधककर्ता को बंधकदार से उक्त अग्रिम निम्नलिखित किस्तों में मिलना है :—

(**.....रुपए..... तारीख को मिल चुके हैं । **.....रुपए तब जब बंधककर्ता, बंधकदार के पक्ष में इस विलेख का निष्पादन करेगा।

**.....रुपए तब जब गृह का निर्माण कुर्सी के स्तर तक पहुंचेगा ।

**.....रुपए तब जब गृह का निर्माण छत के स्तर तक पहुंचेगा, परन्तु यह तब होगा जब बंधकदार का यह समाधान हो जाता है कि उस क्षेत्र का विकास जिसमें

*जो लागू हो वह लिखिए।

** टिप्पण यदि अग्रिम के संदाय का ढंग विनियम 5 में विहित ढंग से भिन्न है तो तदनुसार इसकी भाषा में परिवर्तन कर दिया जाएगा ।

मकान बनाया गया है, जल प्रदाय, सड़कों की प्रकाश व्यवस्था, सड़कों, नालियां और मलदहन जैसी सुविधाओं की दृष्टि से पूरा हो गया है)।

और परिसर के पट्टाकर्ता ने बंधक का अनुमोदन इस शर्त पर किया है कि यदि इसमें अन्तर्विष्ट शक्तियों के अधीन या अन्यथा सम्पत्ति का विक्रय किया जाता है तो ऐसे विक्रय के खर्च के पश्चात् पहले उसे अनुपार्जित वृद्धि से उसका हिस्सा दिया जायेगा जैसा कि उक्त पट्टे में उपबन्धित है।

यह करार निम्नलिखित का साक्षी है :

(i) (क) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्त विनियम के उपबन्धों के अनुसरण में बंधकदार द्वारा बंधककर्ता को मंजूर किये गये/दिये गये उक्त अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप, बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह प्रसंविदा करता है कि बंधककर्ता उक्त विनियमों के सभी निबन्धनों और शर्तों का सदैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा और ...... रुपए (केवल .... रुपए) के उक्त अग्रिम का बंधकदार को प्रतिसंदाय .... रु० (केवल .... रुपए) की* .... मासिक किस्तों में अपने (बंधककर्ता के) वेतन में से करेगा। यह प्रतिसंदाय ...... के ...... मास से अथवा गृह पूरा होने के अगले मास से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रारंभ होगा। बंधककर्ता ऐसी किस्तों की कटौती उनके मासिक वेतन/छुट्टी वेतन/निर्वाह भत्ते में से करने के लिये बंधकदार को प्राधिकृत करता है। उक्त अग्रिम की पूरी रकम देने के पश्चात् बंधककर्ता उस पर देय ब्याज का संदाय भी ....** मासिक किस्तों में उस रीति से और उन निबन्धनों पर करेगा जो उक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट है, परन्तु यह कि बंधककर्ता ब्याज सहित अग्रिम का पूरा प्रतिसंदाय उस तारीख से पूर्व करेगा जिस तारीख को वह सेवा से निवृत्त होने वाला/वाली है, यदि वह ऐसा नहीं करेगा/करेगी तो बन्धकदार को यह हक होगा कि वह बन्धक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और उसकी वसूली का खर्च बन्धक सम्पत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे। बन्धककर्ता इस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है।

(i) (ख) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्त विनियम के उपबन्धों के अनुसरण में बन्धकदार द्वारा बन्धककर्ता को मंजूर किए गए/दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप बन्धककर्ता इसके द्वारा बन्धकदार से यह प्रसंविदा करता है कि बन्धककर्ता उक्त विनियमों के सभी निबन्धनों और शर्तों का सदैव सम्यक रूप से अनुपालन करेगा और .... रुपए (केवल .... रुपए) के उक्त अग्रिम या बन्धकदार को प्रतिसंदाय .... रुपए (केवल .... रुपए) की ...... मासिक किस्तों में, अपने (बन्धककर्ता के) वेतन में से करेगा। यह प्रतिसंदाय .... के .... मास से या गृह पूरा होने के अगले मास से, इन में से जो भी पूर्वतर हो, प्रारम्भ होकर उसकी अधिवर्षिता की तारीख तक किया जाएगा और उसकी अधिवर्षिता की तारीख को बकाया अतिशेष, अग्रिम की तारीख से प्रतिसंदाय की तारीख तक ब्याज सहित उसके उपदान/मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से वसूल किया जाएगा। बन्धककर्ता किस्तों की रकम की कटौती उसके मासिक वेतन/छुट्टी वेतन/निर्वाह भत्ते में से तथा उसकी शेष रकम की जिसका संदाय उसकी मृत्यु/सेवा निवृत्ति/अधिवर्षिता की तारीख तक नहीं किया गया है, कटौती जैसा इसमें इसके पूर्व वर्णित है उसके उपदान/मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से करने के लिए बन्धकदार को प्राधिकृत करता है। यदि फिर भी पूरी वसूली नहीं हो पाती है तो बन्धकदार को यह हक होगा कि वह बन्धक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और वसूली का खर्च, बन्धक सम्पत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे। बन्धककर्ता इस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है।

टिप्पण : [खण्ड (i) (क) और (i) (ख) में से जो लागू न हो उसे काट दीजिए]

(i) (ग) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्त विनियम के उपबन्धों के अनुसरण में बन्धकदार द्वारा बन्धककर्ता को मंजूर किए गए/दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप बन्धककर्ता इसके द्वारा बन्धकदार से यह प्रसंविदा करता है कि बन्धककर्ता उक्त विनियमों के सभी निबन्धनों और शर्तों का सदैव सम्यक रूप से अनुपालन करेगा और .... रुपए (केवल .... रुपए) के उक्त अग्रिम का बन्धकदार को प्रतिसंदाय .... रुपए (केवल ...... रुपए) की ...... मासिक किस्तों में अपने (बन्धककर्ता के) वेतन में से करेगा। यह प्रतिसंदाय .... के .... मास से या गृह पूरा होने के अगले मास से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रारम्भ होगा। बन्धककर्ता इसके द्वारा बन्धकदार को ऐसी किस्तों की कटौती अपने मासिक वेतन/छुट्टी वेतन में से करने के लिए प्राधिकृत करता है और बन्धककर्ता अग्रिम की पूरी रकम का संदाय करने के पश्चात् उस पर देय ब्याज का भी ...... रु० ...... की ...... मासिक किस्तों में संदाय अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक करेगा तथा अग्रिम दी गई रकम पर अग्रिम की तारीख से उसके प्रतिसंदाय की तारीख तक के ब्याज की उस बाकी रकम का जो उसकी अधिवर्षिता की तारीख को बकाया रहती है, संदाय अपने उपदान/मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान से करेगा और बन्धककर्ता किस्तों की रकम की कटौती अपने मासिक वेतन/छुट्टी वेतन

* 180 से अधिक नहीं होगी।

** यह 60 से अधिक नहीं होगी।

में से तथा उस शेष रकम की, जिसका संदाय उसकी मृत्यु की तारीख तक नहीं किया गया है, कटौती अपने उपदान/मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है। यदि उसकी मृत्यु की तारीख को कोई अतिशेष असंदत्त रह जाता है तो बन्धकदार को यह हक होगा कि वह बन्धक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और वसूली का खर्च, बन्धक सम्पत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे। बन्धककर्ता इस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है।

टिप्पण : खण्ड (i)(क), (i) (ख) या (i) (ग) में से जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

(ii) यदि बन्धककर्ता का अग्रिम उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है या यदि बंधककर्ता दिवालिया हो जाता है या सामान्य रूप से सेवा निवृत्ति, अधिवर्षिता से भिन्न किसी कारण से सेवा में नहीं रहता है अथवा यदि अग्रिम के पूरे संदाय के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि बन्धककर्ता उक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट और उसकी ओर से अनुपालन किए जाने वाले किसी निबन्धन, शर्त और अनुबन्ध का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसी दशा में अग्रिम का संम्पूर्ण मूल धन या उसका उतना भाग जो उस समय देय रहता है और जिसका संदाय नहीं किया गया है, और उस पर ··········*प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज जो बन्धकदार द्वारा उक्त अग्रिम की पहली किस्त के दिए जाने की तारीख से परिकलित किया जाएगा, बन्धकदार को तुरन्त संदेय हो जाएगा। इसमें किसी बात के होते हुए भी, यदि बन्धककर्ता अग्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है तो बन्धकदार बन्धककर्ता के विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगा जो बन्धककर्ता को लागू सेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त हो।

(iii) उक्त विनियमों के और अनुसरण में और उपर्युक्त प्रतिफल के लिए तथा उपर्युक्त अग्रिम के और उस पर ब्याज के जो उसके पश्चात् किसी समय या समयों पर इस के विलेख निबन्धनों के अधीन बन्धकदार को देय हो, प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने के लिए बन्धककर्ता इसके द्वारा बन्धकदार को तारीख··········के उक्त पट्टे में समाविष्ट उक्त सम्पत्ति का जिसका पूरा वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है। उक्त सम्पत्ति पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् सम्पत्ति कहा गया है) बन्धककर्ता द्वारा निर्मित या निर्मित किए जाने वाले भवनों अथवा तत्समय उस पर रखी सामग्री का उक्त बन्धक सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी या किन्हीं अधिकारों, सुखाचारों, और अनुलग्नकों सहित अनुदान, हस्तांतरण अन्तरण और समनुदेशन पट्टेदार द्वारा की गई प्रसंविदाओं और इसमें अन्तर्विष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए करता है। बन्धकदार उक्त बन्धक सम्पत्ति को पूर्ण रूप से किन्तु उक्त पट्टे के निबन्धनों और प्रसंविदाओं के अधीन रहते हुए धारण करेगा। किन्तु यह इसमें इसके पश्चात् दिए हुए मोचन सम्बन्धी उपबन्ध के अधीन होगा। इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बन्धककर्ता, बन्धकदार को इसके द्वारा प्रतिभूत उक्त मूलधन और ब्याज का और ऐसी अन्य रकम का (यदि कोई हो) जो बन्धककर्ता द्वारा बन्धकदार को उक्त विनियमों के निबन्धनों और शर्तों के अधीन संदेय अवधारित की जाए सम्यक रूप से संदाय इसमें दी हुई रीति से कर देगा तो बन्धकदार उसके बाद किसी भी समय बन्धककर्ता के अनुरोध और खर्च पर, उक्त बन्धक सम्पत्ति का प्रति अन्तरण और प्रतिहस्तांतरण बन्धककर्ता को उनके या उनके निदेशानुसार उपयोग के लिए कर देगा।

(v) इसके द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बन्धककर्ता अपनी ओर से की गई और इसमें दी हुई प्रसंविदाओं को भंग करता है या यदि बन्धककर्ता दिवालिया हो जाता है या सामान्य रूप से सेवा-निवृत्ति/अधिवर्षिता से भिन्न किसी कारण से सेवा में नहीं रहता है या यदि उन सभी रकमों के जो इस विलेख के अधीन बन्धकदार को संदेय है, और उन पर ब्याज के पूरी तरह से चुकाए जाने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि उक्त अग्रिम या उसका कोई भाग इस विलेख के अधीन या अन्यथा तुरन्त संदेय हो जाता है तो ऐसी दशा में बन्धकदार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उक्त बन्धक सम्पत्ति का या उसके किसी भाग का विक्रय, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, एक साथ या टुकड़ों में और लोक नीलाम द्वारा या प्राइवेट संविदा द्वारा कर दे। उसे यह शक्ति होगी कि वह उसका क्रय कर ले या विक्रय की किसी संविदा को विखंडित कर दे और उसका पुनः विक्रय कर दे तथा ऐसी किसी हानि के लिए जिम्मेदार न हो जो ऐसी करने से हो। उसे यह शक्ति भी होगी कि वह ऐसा विक्रय करने के लिए, जो बन्धकदार ठीक समझे, सभी कार्य करे और हस्तांतरण पत्रों का निष्पादन करे। यह घोषणा की जाती है कि विक्रय किए गए परिसर या उसके किसी भाग के क्रय के लिए बन्धकदार की रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि क्रेता या क्रेताओं ने क्रय धन का भुगतान कर दिया है। यह भी घोषणा की जाती है कि उक्त शक्ति के अनुसरण में किए गए किसी विक्रय से प्राप्त धन को बन्धकदार न्यास के रूप में धारण करेगा। उसमें से सर्वप्रथम ऐसे विक्रय पर हुए खर्च का संदाय किया जाएगा* (और उसके बाद, बन्धक सम्पत्ति के पट्टाकर्ता, ·········को उक्त पट्टे के खण्ड···········के अनुसरण में, अनुपार्जित वृद्धि के 50 प्रतिशत का संदाय किया जाएगा) और तब इस विलेख की प्रतिभूति पर तत्समय देय धन को चुकाने में या उसके लिए, धन का संदाय किया जाएगा और यदि कोई धन बाकी रहता है तो वह बन्धककर्ता को दे दिया जाएगा।

* नियम के अधीन प्रभार्य ब्याज की असामान्य दर।

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

(5) बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार के साथ यह प्रसंविदा करता है कि :—

(क) बंधककर्ता को इस बात का अच्छा अधिकार और विधिपूर्ण प्राधिकार है कि वह बंधक संपत्ति का बंधकदार को और उसके उपयोग के लिए अनुदान, हस्तांतरण अन्तरण और समनुदेशन उक्त रीति में करे।

*(ख) बंधककर्ता गृह के निर्माण/उक्त गृह में आवास स्थान में परिवर्तन का कार्य उस अनुमोदित नक्शे और उन विनिर्देशों के अनुसार ही करेगा जिनके आधार पर उक्त अग्रिम की संगणना की गई है और वह मंजूर किया गया है, जब तक कि उससे विचलन की अनुज्ञा बंधकदार ने नहीं दे दी है। बंधककर्ता कुर्सी/छत पड़ने के स्तर पर अनुज्ञेय अग्रिम की किस्तों के लिए आवेदन करते समय यह प्रमाणित करेगा कि निर्माण कार्य उस नक्शे और प्राक्कलन के अनुसार किया जा रहा है जो उसने बंधकदार को दिए हैं, और यह कि निर्माण कार्य कुर्सी/छत पड़ने के स्तर तक पहुंच गया है और मंजूर किए गए अग्रिम में से ली जा चुकी रकम का वस्तुतः उपयोग गृह के सन्निर्माण के लिए किया गया है। वह उक्त प्रमाणपत्रों के सही होने का सत्यापन करने के लिए स्वयं बंधकदार को या उसके प्रतिनिधि के द्वारा निरीक्षण करने की अनुमति देगा/देगी । यदि बंधककर्ता कोई मिथ्या प्रमाणपत्र देता है तो उसे बंधकदार को वह संपूर्ण अग्रिम, जो उसे मिला है तथा उस पर.....

** प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज तुरन्त देना होगा। इसके अतिरिक्त बंधककर्ता के विरुद्ध उसको लागू सेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

(ग) बंधककर्ता गृह का निर्माण उक्त गृह में आवास स्थान में परिवर्धन.....* के अठारह मास के भीतर पूरा करेगा जब तक कि बंधकदार ने इस कार्य के लिए लिखित रूप में समय न बढ़ा दिया हो। इसमें व्यतिक्रम होने पर बंधककर्ता को, उसे दी गई संपूर्ण रकम का और उक्त विनियमों के अधीन परिकलित ब्याज का एक मुश्त प्रतिसंदाय तुरन्त करना होगा । बंधककर्ता गृह पूरा होने की तारीख की सूचना बंधकदार को देगा और वह बंधकदार को इस आशय का एक प्रमाणपत्र देगा कि अग्रिम की पूरी रकम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह मंजूर किया गया था।

(घ) बंधककर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम में उस गृह का अपने खर्च पर उतनी रकम के लिए तुरन्त बीमा कराएगा जो उक्त अग्रिम की रकम से कम न हो। वह उसे उस समय तक जब तक कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है, अग्नि, बाढ़ और तड़ित से हानि या नुकसान के विरुद्ध बीमा कृत करेगा जैसा कि उक्त विनियमों में उपबंधित है, और बीमा पालिसी बंधकदार को सौंप देगा। बंधककर्ता समय-समय पर उक्त बीमा का प्रीमियम नियमित रूप से देगा और जब उससे अपेक्षा की जाए, प्रीमियम की रसीद बंधकदार के निरीक्षण के लिए पेश करेगा । यदि बंधककर्ता अग्नि, बाढ़ और तड़ित के विरुद्ध बीमा नहीं कराता है तो बंधकदार के लिए यह विधिपूर्ण, किन्तु आबद्धकर नहीं होगा कि वह उक्त गृह का बीमा बंधककर्ता के खर्च पर करा ले और प्रीमियम की रकम को अग्रिम की बकाया रकम में जोड़ ले । तब बंधककर्ता को उस पर ब्याज देना होगा मानो प्रीमियम की रकम उसको .....रु० के पूर्वोक्त अग्रिम के भाग के रूप में दी गई थी । यह ब्याज उसे उस समय तक देना होगा जब तक वह रकम बंधकदार को चुका नहीं दी जाती है या जब तक उसकी वसूली इस रूप में नहीं हो जाती है मानो वह इस विलेख की प्रतिभूति के अन्तर्गत आने वाली रकम हो । बधककर्ता, जब भी उससे अपेक्षित हो, बंधकदार को एक पत्र देगा जो उस बीमा करने वाले के नाम लिखा होगा कि बंधकदार बीमा करने वाले को इस तथ्य की सूचना दे सके कि बंधकदार उस बीमा पालिसी में हितबद्ध है ।

(ङ) बंधककर्ता उक्त गृह को अपने खर्च पर अच्छी मरम्मत की हालत में रखेगा और बंधक सम्पत्ति की बाबत नगरपालिकाओं के और अन्य सभी स्थानीय रेट, कर, और अन्य सभी देनदारियां उस समय तक नियमित रूप से देगा जब तक कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है । बंधककर्ता, बंधकदार को उक्त आशय का एक वार्षिक प्रमाणपत्र भी देगा ।

---

*जहां अग्रिम पहले बने गृह के क्रय के लिए है वहां खंड (ख) और (ग) लागू नहीं होगी।

**नियम के अधीन प्रभार्य ब्याज की प्रस्तावित दर।

***टिप्पण :—जहां अग्रिम पहले बने गृह के क्रय के लिए है वहां खंड (ख) और (ग) लागू नहीं होंगे।

****यहां वह तारीख लिखिए जिस तारीख को अग्रिम की पहली किस्त बंधककर्ता को दी गई है।

(च) बंधककर्ता, गृह पूरा होने के बाद बंधकदार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि गृह अच्छी मरम्मत की हालत में रखा गया है, निरीक्षण करने की सभी सुविधाएं उस समय तक देगा जब तक कि अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है ।

(छ) बंधककर्ता, ऐसी कोई रकम और उस पर देय ब्याज, यदि कोई हो, बंधकदार को लौटाएगा जो अग्रिम के मद्धे उस व्यय के आधिक्य में ली गई है जिसके लिए अग्रिम मंजूर किया गया था ।

(ज) तारीख ..... का उक्त पट्टा जब उक्त बंधक संपत्ति का विधिमान्य और अस्तित्वयुक्त पट्टा है और वह किसी भी रूप में शून्य या शून्यकरणीय नही है तथा पट्टा विलेख में या उस के द्वारा आरक्षित किराए का संदाय और उसमें दी गई प्रसंविदाओं और शर्तों का पालन इस विलेख की तारीख तक कर दिया गया है और इसमें इसके वर्णित रीति में उसका समनुदेशन किया जा सकता है ।

(झ) बंधककर्ता उस समय तक जब तक कोई धन उक्त बंधक संपत्ति को जो इसमें इसके पूर्व इसके द्वारा समनुदेशित अभिव्यक्त है, प्रतिभूति पर देय रहता है और हर हालत में उक्त करार की अवधि तक पट्टे की सभी प्रसंविदाओं का और इसमें आगे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट उक्त पट्टा विलेख में अंतर्विष्ट शर्तों का सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा तथा बंधकदार को उन सभी अनुयोजनों, वादों, कार्यवाहियों, खर्चों, प्रभारों, दावों और मांगों की बाबत क्षतिपूरित रखेगा जो उक्त किराए का संदाय न किए जाने के कारण या उक्त प्रसंविदाओं और शर्तों के या उनमें से किसी के भंग किए जाने, पालन या अनुपालन न किए जाने के कारण उपगत होंगी ।

(ञ) बंधककर्ता, बंधक संपत्ति को इस विलेख के जारी रहने के दौरान न तो भारित करेगा, न उस पर विल्लंगम सृजित करेगा, न उसका अन्य संक्रामण करेगा और न उसका अन्यथा व्ययन करेगा ।

(ट) इसमें किसी बात के होते हुए भी, बंधकदार को यह हक होगा कि वह अग्रिम की शेष रकम और उस पर ब्याज जिसका संदाय बंधककर्ता की सेवानिवृत्ति के समय तक या यदि सेवानिवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो उस समय तक नही किया गया है, बंधककर्ता को मंजूर किए जाने वाले संपूर्ण उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में से वसूल कर ले ।

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है* ।

इसके साक्ष्यस्वरूप बंधककर्ता ने और बोर्ड के लिए और उसकी ओर से .....कार्यालय के श्री.....ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए है .....

.....

उक्त बंधककर्ता.....

.....ने (हस्ताक्षर)

(1) .....(प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

(2) .....(द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

की उपस्थिति मे हस्ताक्षर किए ।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से तथा उनके आदेश और निदेश से,..... मंत्रालय/कार्यालय के श्री.....ने

(हस्ताक्षर)

(1) .....(प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

(2) .....(द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

ध्यान दें:--आवेदकों को सलाह दी जाती है कि इस दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क देने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या स्टाम्प शुल्क के संदाय से कोई छूट मिल सकती है, राज्य सरकार से सम्पर्क कर ले ।

प्ररूप सं० 4(क)

(विनियम 7 देखिए)

जब सम्पत्ति पट्टा धृति है और संयुक्त रूप से पति और पत्नी के नाम से धारित है तब निष्पादित किये जाने वाले बंधक विलेख का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री..... जो .....के श्री..... का पुत्र है और जो इस समय..... मे.....के कार्यालय में..... के रूप में नियोजित है तथा उसका पति/पत्नी..... .....(जिन्हें इसमें इसके पश्चात् संयुक्त रूप से "बंधककर्ता" कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरूद्ध नहीं है) इसके अन्तर्गत उनके वारिस, निष्पादक प्रशासक और समनुदेशिती भी हैं, और दूसरे पक्षकार के रूप में नव मंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् "बंधकदार" कहा

*इसे बंधककर्ता भरेगा ।

गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या इसके विरुद्ध नही है) इसके अन्तर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है, के बीच आज तारीख ..... को किया गया है ।

तारीख.....के पट्टे द्वारा, जो .....और .....के बीच किया गया था, पट्टाकर्ता ने .....में स्थित सम्पत्ति का, जिसका विस्तृत वर्णन इसमें आगे अनुसूची में किया गया है, पट्टान्तरण.....रु० के वार्षिक/मासिक किराए पर.....के आरम्भ होने वाली ..... वर्ष की अवधि के लिए और इस बात के अधीन रहते हुए कि उसमें वर्णित प्रसंविधाओं और शर्तो का पालन और अनुपालन किया जाएगा, बंधककर्ता को किया है ।

बंधककर्ता मे से एक श्री .....ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् आवेदक "बंधककर्ता" कहा गया है) ....रु० (केवल .....रुपए) के अग्रिम के लिए बंधकदार को आवेदन किया है । आवेदक बंधककर्ता ने यह अग्रिम निम्नलिखित प्रयोजन के लिए मांगा है,

*(1) भूमि का क्रय करने के लिए और उस पर गृह बनाने के लिए या *(उक्त भूमि पर विद्यमान गृह में आवास स्थान का विस्तार करने के लिए)

(2) उक्त भूमि पर गह बनाने के लिए या (उक्त भूमि पर पहले बने गृह में आवास स्थान का विस्तार करने के लिए) ।

*(3) उक्त पहले बने गृह/फ्लैट का क्रय करने के लिए,

बंधकदार कुछ निबंधनों और शर्तो पर ..... रुपये की उक्त रकम बंधककर्ता को देने के लिए सहमत हो गया है ।

उक्त अग्रिम की एक शर्त यह है कि बंधककर्ता को चाहिए कि वह इसमें आगे अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति का बंधक करके उक्त अग्रिम के प्रतिसंदाय को और उन सभी निबंधनों और शर्तों के सम्यक् अनुपालन को प्रतिभूत करे जो नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (गृहों के निर्माण आदि के लिए अग्रिम का अनुदान) विनियम, 1980 में (जिसे इसमें इसके पश्चात्, "उक्त विनियम" कहा गया है और इसमें जहा संदर्भ के अनुकूल हों, तत्समय प्रवृत्त उसके संशोधन या उसके परिवर्धन भी है) दी हुई हैं ।

और बंधकदार ने.....

*(1) आवेदक बंधककर्ता को.....रुपए (केवल .....रुपए) का अग्रिम, जो उतनी किस्तों में और उस रीति में संदेय होगा जो इसमें आगे बताई गई हैं, मंजूर कर दिया है ।

*(2) आवेदक बंधककर्ता को.....रुपए (केवल .....रुपए) का अग्रिम.....तारीख को और उक्त विनियमों में उपबंधित रीति में..... दे दिया है, तथा उस उधार का ब्याज सहित प्रतिसंदाय तथा उक्त विनियमों में दिए हुए निबंधनों और शर्तों का, जिनका उल्लेख इसमें इसके पश्चात् किया गया है, अनुपालन इसमें इसके पश्चात् दी हुई रीति से प्रतिभूत करा लिया है ।

आवेदक बंधककर्ता को बंधकदार से उक्त अग्रिम निम्नलिखित किस्तो में मिलना है ।

(** .....रुपए.....तारीख को मिल चुके हैं ।

** .....रुपए तब जब बंधककर्ता, बंधकदार के पक्ष मे इस विलेख का निष्पादन करेंगे ।

**.....रुपए तब जब गृह का निर्माण कुर्सी के स्तर पर पहुंचेगा ।

**.....रुपए तब जब गृह का निर्माण छत के स्तर पर पहुंचेगा, परन्तु यह तब होगा जब कि बंधकदार का यह समाधान हो जाता है कि उस क्षेत्र का विकास जिसमें गृह बनाया गया है, जल प्रदाय सड़कों की प्रकाश व्यवस्था, सड़कों, नालियों और मलवहन जैसी सुविधाओ की दृष्टि से पूरा हो गया है)

***और परिसर के पट्टाकर्ता ने बंधक का अनुमोदन इस शर्त पर किया है कि यदि इसमें अंतर्विष्ट शक्तियों के अधीन या अन्यथा सम्पत्ति का विक्रय किया जाता है तो ऐसे विक्रय के खर्च के पश्चात् पहले उसे अनुपार्जित वृद्धि मे उसका हिस्सा दिया जाएगा जैसा कि उक्त पट्टे मे उपबंधित है यह करार निम्नलिखित का साक्षी है ।

(1) (क) उक्त विनियमो के अनुसरण मे और उक्त विनियम में उपबंध के अनुसरण में बंधकदार द्वारा आवेदक बंधककर्ता को मंजूर किएगए/दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप बंधककर्ता, बधकदार से यह प्रसंविदा करते है कि बंधककर्ता उक्त विनियमों के सभी निबंधनों और शर्तों का सदैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेंगे और.....रुपए (केवल.....रुपए) के उक्त अग्रिम का बंधकदार को प्रतिसंदाय.....रुपए (केवल..... रुपए) की*.....मासिक किस्तो मे आवेदक बंधककर्ता के वेतन मे से करेंगे । यह प्रतिसंदाय.....के .....मास से अथवा गृह पूरा होने के अगले मास से, इनमे से जो भी पूर्वतर हो, प्रारंभ होगा । आवेदक बंधककर्ता ऐसी किस्तों की कटौती उसके मासिक वेतन/छुट्टी

*जो लागू हो वह लिखिए ।

**यदि अग्रिम के संदाय का ढंग नियम 5 में लिखित ढग से भिन्न है तो तदनुसार इसकी भाषा में परिवर्तन कर दिया जाएगा ।

***टिप्पण, यह (सामान्यत: जल भूमि को लागू होता है और वहां अंत:स्थापित किया जाएगा जहां लागू हों ।)

वेतन/निर्वाह भत्ते में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है। उक्त अग्रिम की पूरी रकम देने के पश्चात् आवेदक बंधककर्ता उस पर देय ब्याज का संदाय भी ..... **मासिक किस्तों में उस रीति में और उन निबंधनों पर करेगा जो उक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट हैं। परन्तु आवेदक बंधककर्ता ब्याज सहित अग्रिम का पूरा प्रतिसंदाय उस तारीख से पूर्व करेगा जिस तारीख को वह सेवा से निवृत्त होने वाला/वाली है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा/करेगी तो बंधकदार को यह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और उसकी वसूली का खर्च बंधक संपत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे। आवेदक बंधककर्ता इस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है।

(1)(ख) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्त विनियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बंधकदार द्वारा आवेदक बंधककर्ता को मंजूर किए गए/दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह प्रसंविदा करते हैं कि बंधककर्ता उक्त विनियमों के सभी निबन्धनों और शर्तों का सदैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेंगे और ..... रुपये (केवल ..... रुपये) की** ..... मासिक किस्तों में, आवेदक बंधककर्ता के वेतन में से करेंगे। यह प्रतिसंदाय ..... के ..... मास से या गृह पूरा होने के अगले मास से, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रारंभ होकर उसकी अधिवर्षिता की तारीख तक किया जाएगा और उसकी अधिवर्षिता की तारीख को बकाया अतिशेष अग्रिम की तारीख से प्रतिसंदाय की तारीख तक ब्याज सहित उसके उपदान/मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से वसूल किया जाएगा। आवेदक बंधककर्ता किस्तों की रकम की कटौती उसके मासिक वेतन/छुट्टी वेतन/निर्वाह भत्ते में से तथा उसकी शेष रकम की जिसका संदाय उसकी मृत्यु/सेवा निवृत्ति/अधिवर्षिता की तारीख तक नहीं दिया गया है, कटौती जैसा इसमें इसके पूर्ववर्णित है उसके उपदान/मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति/उपदान में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करती है। यदि फिर भी पूरी वसूली नहीं हो पाती है तो बंधकदार को यह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और वसूली का खर्च, बंधक संपत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे। आवेदक बंधककर्ता इस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है।

(i)(ग) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्त विनियम के उपबंधों के अनुसरण में बंधकदार द्वारा बंधककर्ता को मंजूर किए गए/दिए गए उक्त अग्रिम प्रतिफलस्वरूप बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह प्रसंविदा करते हैं कि बंधककर्ता उक्त विनियमों के सभी निबंधनों और शर्तों का सदैव सम्यक रूप से अनुपालन करेंगे और .....रुपए (केवल .....रुपए) के उक्त अग्रिम का बंधकदार को प्रतिसंदाय.... .....रु० (केवल .....रुपए) की .... . .मासिक किस्तों में अपने (बंधककर्ता) के वेतन में से करेगा। यह प्रतिसंदाय .....के.....मास से या गृह पूरा होने के अगले मास से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रारंभ होगा। बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार को ऐसी किस्तों की कटौती उसके मासिक वेतन/छुट्टी वेतन में से करने के लिए प्राधिकृत करता है और बंधककर्ता अग्रिम की पूरी रकम का संदाय करने के पश्चात उस पर देय ब्याज का जो..... ..रु० की.. .... मासिक किस्तों में संदाय अपनी अधिवार्षिता की तारीख तक करेगा तथा अग्रिम दी गई रकम पर अग्रिम की तारीख से इसके प्रतिसंदाय की तारीख तक के ब्याज की उस बाकी रकम का जो उसकी अधिवार्षिता की तारीख को बकाया रहती है, संदाय अपने उपदान/मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान से करेगा और बंधककर्ता किस्तों की रकम की कटौती उसके मासिक वेतन/छुट्टी वेतन में से तथा उस शेष रकम की जिसका संदाय उसकी मृत्यु/सेवा निवृत्ति/अधिवर्षिता की तारीख तक नहीं किया गया है, कटौती अपने उपदान/मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है। यदि उसकी मृत्यु की तारीख को कोई अतिशेष असंदत्त रह जाता है तो बंधकदार को यह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और वसूली का खर्च, बंधक सम्पत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे। बंधककर्ता इस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है।

(टिप्पण-खंड (1) (क), (1) (ख) या (1) (ग) में से जो लागू न हो उसे काट दीजिए

(ii) यदि आवेदक बंधककर्ता अग्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है या यदि आवेदक बंधककर्ता दिवालिया हो जाता है या सामान्य रूप से सेवा निवृत्ति/अधिवर्षिता से भिन्न किसी कारण से सेवा में नहीं रहता है अथवा यदि अग्रिम के पूरे संदाय के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि बंधककर्ता उक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट और उसकी ओर से अनुपालन किए जाने वाले किसी निबंधन, शर्त और अनुबंध का अनुपालन नहीं करते हैं तो ऐसी दशा में अग्रिम का सम्पूर्ण मूलधन या उसका उतना भाग जो उस समय देय रहता है और

*यह 180 से अधिक नहीं होगी।

**यह 60 से अधिक नहीं होगी।

जिसका संदाय नहीं किया गया है, और उस पर ·····* प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जो बंधकदार द्वारा उक्त अग्रिम के पहली किस्त के लिए दिए जाने की तारीख से परिचालित किया जाएगा, बंधकदार को तुरन्त संदेय हो जाएगा।

इसमें किसी बात के होते हुए भी, यदि आवेदक बंधककर्ता अग्रिम का उपयोग किसी से प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है तो बंधकदार आवेदक बंधककर्ता के विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगा जो उसको आवेदक (बंधककर्ता को) लागू सेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त हो।

(iii) उक्त नियम के और अनुसरण में और उपर्युक्त प्रतिफल के लिए तथा उपर्युक्त अग्रिम के और उस पर ब्याज के, जो उसके पश्चात किसी समय या समयों पर इस विलेख के निबंधनों के अधीन बंधकदार को देय हो, प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने के लिए बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार को तारीख ·····के उक्त पट्टे में समाविष्ट उक्त सम्मत्ति का जिसका पूर्ण वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है, उक्त संपत्ति पर, जिसे इसमें इसके पश्चात बंधक संपति कहा गया है, बंधककर्ताओं द्वारा निर्मित या निर्मित किए जाने वाले भवनों से अथवा तत्समय उस पर रखी सामग्री का, उक्त, बधंक संपत्ति से संबंधित सभी या किन्हीं अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नक सहित अनुदान, हस्तांतरण, अंतरण और समनुदेशन पट्टेदार द्वारा की गई प्रसंविदाओं को इसमें अंतर्विष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए करते हैं। बंधकदार उक्त बंधक संपत्ति को पूर्ण रूप से किन्तु उक्त पट्टे के निबंधनों और प्रसंविदाओं के अधीन रहते हुए धारण करेगा। किन्तु यह इसमें इसके पश्चात किए हुए मोचन संबंधी इस उपबंध के अधीन होगा अर्थात कि यदि बंधककर्ता, बंधकदार को इसके द्वारा प्रतिभूत उक्त मूलधन और ब्याज का और ऐसी अन्य रकम का (यदि कोई हो) जो बंधककर्ताओं द्वारा बंधकदार को, उक्त विनियमों के निबंधनों और शर्तों के अधीन संदेय अवधारित की जाए, सम्यक् रूप से संदाय इसमें दी हुई रीति से कर देगें तो बंधकदार उसके बाद किसी भी समय बंधककर्ताओं के अनुरोध और खर्च पर, उक्त बंधक संपत्ति का प्रति अंतरण और हस्तांतरण बंधककर्ताओं को उनके या उनके निर्देशानुसार, उपयोग के लिए कर देगा।

(iv) इसके द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि आवेदक बंधककर्ता अपनी ओर से की गई और इसमें दी हुई प्रसंविदाओं को भंग करता है या यदि उन सभी रकमों के जो इस विलेख के अधीन बंधकदार को संदेय हैं, और उन पर ब्याज के पूरी तरह से चुकाए जाने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि उक्त अग्रिम या उसका कोई भाग इस विलेख के अधीन या अन्यथा तुरन्त संदेय हो जाता है तो ऐसी दशा में बंधकदार के लिए गृह विधिपूर्ण होगा कि वह उक्त बंधक संपत्ति का या उसके किसी भाग का विक्रय, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, एक साथ या टुकड़ों में और लोक नीलाम द्वारा या प्राइवेट संविदा द्वारा कर दे। उसे यह शक्ति होगी कि वह उसका क्रय कर ले या विक्रय की किसी संविदा को विखंडित कर दे और उसका पुनः विक्रय कर दे तथा ऐसी किसी हानि के लिए जिम्मेदार न हो जो ऐसा करने से हो। उसे यह शक्ति भी होगी कि वह ऐसा विक्रय करने के लिए, जो बंधकदार ठीक समझे, सभी कार्य करे और हस्तांतरण पत्रों का निष्पादन करे या घोषणा की जाती है कि विक्रय किए गए परिसर या उसके किसी भाग के क्रय धन के लिए बंधकदार की रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि क्रेता या क्रेताओं ने क्रय धन का भुगतान कर दिया है। यह भी घोषणा की जाती है कि उक्त शक्ति के अनुसरण में किए गए किसी विक्रय से प्राप्त धन को बंधकदार न्यास के रूप में धारण करेगा। उसमें ऐसे सर्व प्रथम ऐसे विक्रय पर हुए खर्च का संदाय किया जाएगा (और उसके बाद, बंधक संपत्ति के पट्टाकर्ता ·····को उक्त पट्टे के खण्ड ····के अनुसरण में, अनुवार्षित वृद्धि के 50 प्रतिशत का संदाय किया जाएगा) और तब इस विलेख की प्रतिभूति पर तत्समय देय धन को चुकाने में या उसके लिए, धन का संदाय किया जाएगा और यदि कोई धन बाकी रहता है तो वह बंधककर्ताओं को दे दिया जाएगा।

टिप्पण : खण्ड (i) (क) या (i) (ख) में से जो लागू न हो, काट दें।

(v) बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार के साथ यह प्रसंविदा करते हैं कि :—

(क) बंधककर्ताओं को इस बात का अच्छा अधिकार और विधिपूर्ण प्राधिकार हैं कि वे बंधक संपत्ति का बंधकदार को और उसके उपयोग के लिए अनुदान, हस्तांतरण, अन्तरण और समनुदेशन उक्त रीति में करें।

(ख) आवेदन बंधककर्ता गृह के निर्माण उक्त गृह में आवास स्थान में परिवर्तन का कार्य उस अनुमोदित नक्शे और उन विनिर्देशों के अनुसार ही करेगा जिनके आधार पर उक्त अग्रिम की संगणना की गई है और वह मंजूर किया गया है, जब तक कि उससे विकलन की अनुज्ञा बंधकदार ने न दे दी हो। आवेदक बंधककर्ता कुर्सी/छत पड़ने के स्तर पर अनुज्ञेय अग्रिम की किस्तों के लिए आवेदन करते समय यह प्रमाणित करेगा कि निर्माण कार्य उस नक्शे और प्राक्कलन के अनुसार किया जा रहा है जो उसने बंधकदार को दिए हैं, कि निर्माण कार्य कुर्सी/छत पड़ने के स्तर तक पहुंच गया है और मंजूर किए गए अग्रिम में से ली जा चुकी रकम का वस्तुतः उपयोग गृह के निर्माण के लिए किया गया है।

* नियम के अधीन प्रभार्य ब्याज की प्रसामान्य दर।

वह उक्त प्रमाणपत्रों के सही होने का सत्यापन करने के लिए स्वयं बंधकदार को या उसके प्रतिनिधि के द्वारा निरीक्षण करने की अनुमति देगा यदि बंधककर्ता कोई मिथ्या प्रमाण पत्र देता है तो उसे बंधकदार को यह सम्पूर्ण अग्रिम, जो उसे मिला है तथा उस पर ..... *प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज तुरन्त देना होगा। इसके अतिरिक्त बंधककर्ता के विरुद्ध उसको लागू सेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

(ग) आवेदक बंधककर्ता गृह का निर्माण/उक्त गृह में आवास स्थान में परिवर्तन ....* के अठारह मास के भीतर पूरा करेगा जब तक कि बंधकदार ने इस कार्य के लिए लिखित रूप में समय न बढ़ा दिया हो। इसमें व्यतिक्रम होने पर आवेदक बंधककर्ता को उसे दी गई सम्पूर्ण रकम का और उक्त विनियमों के अधीन परिकलित ब्याज का एक मुश्त प्रतिसंदाय करना होगा। आवेदक बंधककर्ता गृह पूरा होने की तारीख की सूचना बंधकदार को देगा और वह बंधकदार को इस आशय का एक प्रमाण पत्र देगा कि अग्रिम की पूरी रकम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह मंजूर किया गया था।

(घ) बंधककर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम में उस गृह का अपने खर्च पर उतनी रकम के लिए तुरन्त बीमा कराएगा जो उक्त अग्रिम की रकम से कम न हो। वे उसे उस समय तक जब तक कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है, अग्नि, बाढ और तेड़ित से हानि या नुकसान के विरुद्ध बीमाकृत रखेंगे, जैसा कि उक्त विनियमों में उपबंधित है, और बीमा पालिसी बंधकदार को सौंप देंगे। बंधककर्ता समय-समय पर उक्त बीमा का प्रीमियम नियमित रूप से देंगे और जब उनसे अपेक्षा की जाए प्रीमियम की रसीदें बंधकदार के निरीक्षण के लिए पेश करेंगे। यदि बंधककर्ता अग्नि, बाढ और तड़ित के विरुद्ध बीमा नही कराते हैं तो बंधकदार के लिए यह विधिपूर्ण, किन्तु आबद्धकर नहीं होगा कि वह उक्त गृह का बीमा बंधककर्ताओं के खर्च पर करा ले और प्रीमियम की रकम को अग्रिम की बकाया रकम में जोड़ ले। तब आवेदक बंधककर्ता का उस पर ब्याज देना होगा मानो प्रीमियम की रकम उसको .....रु० के पूर्वोक्त अग्रिम के भाग के रूप में दी गई थी। यह ब्याज उसे उस समय तक देना होगा जब तक कि वह रकम बंधकदार को चुका नहीं दी जाती है या जब तक उसकी वसूली इस रूप में नही ही जाती है मानो वह इस विलेख की प्रतिभूति के अंतर्गत आने वाली रकम हो। बंधककर्ता जब भी उनसे अपेक्षित हो, बंधकदार को एक पत्र देंगे जो उस बीमा करने वाले के नाम लिखा होगा जिससे उस गृह का बीमा कराया गया है। यह पत्र इसलिए होगा कि बंधकदार बीमा करने वाले को इस तथ्य की सूचना दे सके कि बंधकदार उस बीमा पालिसी में हितबद्ध है।

(ङ) बंधककर्ता उक्त गृह को अपने खर्च पर अच्छी मरम्मत की हालत में रखेंगे और बंधक सम्पति की बाबत नगरपालिका के और अन्य सभी स्थानीय रेन्ट, कर और अन्य सभी देनदारियां उस समय तक नियमित करते रहेंगे जब तक कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है। बंधककर्ता, बंधकदार को उक्त आशय का एक वार्षिक प्रमाणपत्र भी देंगे।

(च) बंधककर्ता, गृह पूरा होने के बाद बंधकदार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि गृह अच्छी मरम्मत की हालत में रखा गया है, निरीक्षण करने की सभी सुविधाएं उस समय तक देंगे जब तक कि अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है।

(छ) आवेदक बंधककर्ता ऐसी कोई रकम और उस पर देय ब्याज, यदि कोई हो, बंधकदार को लौटाएगा जो अग्रिम के मद्दे उस व्यय के आधिक्य में ली गई है जिसके लिए अग्रिम मंजूर किया गया था।

(ज) तारीख .....का उक्त पट्टा अब उक्त बंधक संपत्ति का विधिमान्य और अस्तित्वयुक्त पट्टा है और वह किसी भी रूप में शून्य या शून्यकरणीय नहीं है तथा पट्टा विलेख में या उसके द्वारा आरक्षित किराए का संदाय और उसमें दी हुई प्रसंविदाओं और शर्तों का पालन इस विलेख की तारीख तक कर दिया गया है और इसमें इसके पूर्व वर्णित रीति में इसका समनुदेशन किया जा सकता है।

(झ) बंधककर्ता उस समय तक जब तक कोई धन उक्त बंधक संपत्ति की जो इसमें इसके पूर्व इसके द्वारा समनुदेशित अभिव्यक्ति है, प्रतिभूति पर देय रहता

*नियम के अधीन प्रभार्य ब्याज की प्रस्तावित दर।

**जहां अग्रिम पहले बने गृह के क्रय के लिए है वहां खंड ख) और (ग) लागू नहीं होंगे।

***यहां वह तारीख लिखिए जिस तारीख को अग्रिम की पहली किस्त बंधककर्ता को दी गई है।

है और हर हालत में उक्त करार की अवधि तक पट्टे की सभी प्रसंविदाओं का और इसमें आगे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट उक्त पट्टा विलेख में अंतर्विष्ट शर्तों का सम्यक् रूप से अनुपालन करेंगे तथा बंधकदार को उन सभी अनुयोजनों, बादों, कार्यवाहियों, खर्चों, प्रभारों, दावों और मांगों की बाबत क्षतिपूर्ति कर रखेंगे जो उक्त किराए का संदाय न किए जाने के कारण या उक्त प्रसविदाओं और शर्तों के या उनमें से किसी के भंग किए जाने, पालन या अनुपालन न किए जाने के कारण उपगत होंगी ।

(ञ) बंधककर्ताओं, बंधक संपत्ति को इस विलेख के जारी रहने के दौरान न तो भारित करेंगे, न उस पर विल्लंगम सृजित करेंगे, उसका अन्य संक्रामण करेंगे और न उसका अन्यथा व्ययन करेंगे ।

(ट) इसमें किसी बात के होते हुए भी, बंधककार को यह हक होगा कि वह अग्रिम की शेष रकम और उस पर ब्याज जिसका संदाय आवेदक बंधककर्ता की सेवा-निवृत्ति के समय तक या यदि सेवा निवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो उस समय तक नहीं किया गया है, आवेदक बंधककर्ता को मंजूर किए जाने वाले सम्पूर्ण उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में से वसूल कर ले ।

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है।* इसके साक्ष्यस्वरूप बंधककर्ताओं ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

उक्त बंधककर्ताओं .....
.....ने .....

(हस्ताक्षर)

(1) .....(प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

(2) .....(द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

इसके साक्ष्यस्वरूप नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के लिए और उसकी ओर से ..... कार्यालय के श्री .....ने .....

(हस्ताक्षर)

(1) .....(प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

(2) .....(द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

ध्यान दें :—आवेदकों को सलाह दी जाती है कि इस दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क देने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या स्टाम्प शुल्क के संदाय से कोई छूट मिल सकती है, राज्य सरकार से सम्पर्क कर ले ।

*इसे बंधककर्ता भरेंगे ।

प्ररूप सं० (ख)

(विनियम 7 देखिए)

जब संपत्ति पट्टा प्रति है तब निष्पादित किए जाने वाले बंधक विलेख का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री .... जो ..... के श्री .....का पुत्र है और जो इस समय .....में ..... के कार्यालय में .....के रूप में नियोजित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् बंधककर्ता कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) इसके अन्तर्गत उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती भी हैं और दूसरे पक्षकार के रूप में नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'बंधककार' कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या इसके विरुद्ध नहीं है) इसके अन्तर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी हैं के बीच आज तारीख .....को किया गया है ।

उधार लेने वाले ने नवमंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (गृहों के निर्माण आदि के लिए अग्रिम का अनुदान) विनियम, 1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त विनियम' कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल है, इसके अंतर्गत उस समय प्रवृत्त उसके संशोधन या उसमें परिवर्धन भी है) के उपबंधों के अधीन उपर्युक्त पहले बने गृह के क्रय के लिए .....रु० अग्रिम के लिए नव पत्तन न्यास को आवेदन किया गया था और पत्तन न्यास ने उधार लेने वाले को .....रु० का अग्रिम उक्त प्रयोजन के लिए मंजूर कर दिया है। इस संबंध में देखिए तारीख .....का कार्यालय पत्र सं० ..... जिसकी एक प्रति इस विलेख के साथ संलग्न है और जिसमें उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर यह अग्रिम मंजूर किया गया है ।

तारीख .....को उक्त उधार किए जाने के समय बंधककर्ता और बंधकदार द्वारा औ बीच एक करार निष्पादित किया गया था कि बंधककर्ता ने अन्य बातों के साथ उसे अग्रिम दी और उक्त रकम के लिए संदेय ब्याज के नि

नियमों द्वारा उपबंधित प्ररूप में प्रतिभूति के रूप में उक्त फ्लैट का बंधकदार को बंधक करने वाली दस्तावेज का निष्पादन करने का वचनबंध किया है।

तारीख .....के उस हस्तांतरण विलेख द्वारा जो एक पक्षकार के रूप में..... और दूसरे पक्षकार के रूप में बंधककर्ता द्वारा और उनके बीच निष्पादित किया गया है, उक्त विलेख में वर्णित प्रतिफल के लिए .....ने उन सम्पत्तियों का जिनका विस्तृत वर्णन उक्त दस्तावेज की अनुसूची में और इसकी अनुसूची में भी किया गया है, बंधककर्ता को उक्त विलेख में वर्णित निबंधनों और शर्तों पर विक्रय, अंतरण और समनुदेशन किया है।

उक्त अंतरण के प्रतिफल का संदाय बंधककर्ता ने .....रु० के बोर्ड के उस उधार में से किया है जो उसे दिया गया है।

यह करार निम्नलिखित का साक्षी है:

(i)(क) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्त विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में बंधकदार द्वारा आवेदक बंधककर्ता को मंजूर किए गए/दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफल स्वरूप बंधककर्ता, बंधकदार से यह प्रसंविदा करता है कि बंधककर्ता उक्त विनियमों के सभी निबंधनों और शर्तों का सदैव सम्यक रूप से अनुपालन करेगा और..... .....रुपए (केवल .....रुपए) के उक्त अग्रिम का बंधकदार को प्रतिसंदाय..... रुपए (केवल .....रुपए) की ....मासिक किस्तों में अपने (बंधककर्ता के) वेतन में से करेगा। यह प्रतिसंदाय.....के .....मास से अथवा अग्रिम लेने के मास के अगले मास से, इसमें से जो भी पूर्वत्तर हो, प्रारम्भ होगा। बंधककर्ता ऐसी किस्तों की कटौती उसके मासिक वेतन/छुट्टी वेतन सहित/निर्वाह भत्ते में से करने के लिए बंधककार को प्राधिकृत करता है। उक्त अग्रिम की पूरी रकम देने के पश्चात् बंधककर्ता उस पर देय ब्याज का संदाय भी .....*मासिक किस्तों में उस रीति में और उन निबंधनों पर करेगा जो उक्त विनियमों में विनिष्टि हैं। परन्तु यह कि बंधककर्ता ब्याज सहित अग्रिम का पूरा प्रतिसंदाय उस तारीख से पूर्व करेगा जिस तारीख को वह सेवा से निवृत्त होने वाला है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो बंधकदार को यह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी समय निवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा ...र पर ब्याज और उसकी वसूली का खर्च बंधक संपत्ति का ... करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति ...न करे। बंधककर्ता उस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम ...के भीतर कर सकता है।

(i)(ख) 'उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्त विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में बंधकदार द्वारा बंधककर्ता को मंजूर किए गए/ दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफल-स्वरूप बंधककर्ता बंधकदार से यह प्रसंविदा करता है कि बंधककर्ता उक्त विनियमों के सभी निबंधनों और शर्तों का सदैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा और..... रुपए (केवल .....रुपए) के उक्त अग्रिम का बंधकदार को प्रतिसंदाय.....रुपए (केवल .....रुपए) की..... .....मासिक किस्तों में अपने (बंधककर्ता के) वेतन में से करेगा। यह प्रतिसंदाय.....के .....मास से या अग्रिम लेने के अगले मास से, प्रारम्भ हो कर उसकी अधिवर्षिता की तारीख तक किया जाएगा और उसकी अधिवर्षिता की तारीख को बकाया अतिशेष अग्रिम की तारीख से प्रतिसंदाय की तारीख तक ब्याज सहित उसके उपदान/मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से वसूल किया जाएगा। बंधककर्ता किस्तों की रकम की कटौती उसके मासिक वेतन/छुट्टी वेतन/निर्वाह भत्ते में से तथा उसकी शेष रकम की, जिसका संदाय उसकी मृत्यु/सेवा निवृत्ति/अधिवर्षिता की तारीख तक नहीं किया गया है, कटौती जैसा इसमें इसके पूर्व वर्णित है उसके उपदान/मृत्यु, एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है। यदि फिर भी पूरी वसूली नहीं हो पाती है तो बंधककार को यह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और वसूली का खर्च, बंधक संपत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे। बंधककर्ता इस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर भी कर सकता है'।

(i) (ग) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्त विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में बंधकदार द्वारा बंधककर्ता को मंजर किए गए/ दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप बंधककर्ता बंधकदार से यह प्रसंविदा करता है कि बंधककर्ता उक्त विनियमों के सभी निबंधनों और शर्तों का सदैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा और..... रुपए (केवल .....रुपए) के उक्त अग्रिम का बंधकदार दो प्रतिसंदाय.....रु० (केवल .....रुपए) की..... .....मासिक किस्तों में अपने बंधककर्ता को वेतन में से करेगा। यह प्रतिसंदाय.....के .....**मास से या गृह पूरा होने के अगले मास से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रारम्भ होगा। बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार को ऐसी किस्तों की कटौती अपने मासिक वेतन/छुट्टी वेतन में से करने के लिए प्राधिकृत करता है और बंधककर्ता अग्रिम की पूरी रकम

0 से अधिक नहीं होगी।

**यह 180 से अधिक नहीं होगी।

ध्यान दें—(खंड (i) (क) या (i) (ख) में से जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

का संदाय करने के पश्चात् उस पर देय ब्याज का भी .....रु० की.....मासिक किस्तों में संदाय अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक करेगा तथा अग्रिम दी गई रकम पर अग्रिम की तारीख से उसके प्रतिसंदाय की तारीख तक के ब्याज का उस बाकी रकम का जो उसकी अधिवर्षिता की तारीख को बकाया रहती है, संदाय अपने उपदान/मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान से करेगा और बंधककर्ता किस्तों की रकम की कटौती अपने मासिक वेतन/छुट्टी वेतन में से तथा उस शेष रकम की, जिसका संदाय उसकी मृत्यु की तारीख तक नहीं किया गया है, कटौती अपने उपदान/मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है। यदि उसकी मृत्यु की तारीख को कोई अतिशेष असंदत्त रह जाता है तो बंधककार को यह हक होगा कि वह बंधक को इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और वसूली का खर्च, बंधक संपत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे। बंधककर्ता इस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है।

[टिप्पण :—खण्ड (i) क (i) (ख) या (i) (ग) में से जो लागू न हो उसे काट दें।]

(ii) यदि बंधककर्ता अग्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है या यदि बंधककर्ता दिवालिया हो जाता है या सामान्य रूप से सेवा निवृत्ति/अधिवर्षिता से भिन्न किसी कारण से सेवा में नहीं रहता है अथवा यदि अग्रिम के पूरे संदाय के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि बंधककर्ता उक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट और उसकी ओर से अनुपालन किए जाने वाले किसी निबंधन, शर्त और अनुबन्ध का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसी दशा में अग्रिम का सम्पूर्ण मूलधन या उसका उतना भाग जो उस समय देय रहता है और जिसका संदाय नहीं किया गया है, और उस पर.....* प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जो बंधकदार द्वारा उक्त अग्रिम की पहली किस्त के दिए जाने की तारीख से परिकलित किया जाएगा, बंधकदार को तुरन्त संदेय हो जाएगा। इसमें किसी बात के होते हुए भी, यदि बंधककर्ता अग्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है तो बंधकदार बंधककर्ता के विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्रवाही कर सकेगा जो बंधककर्ता को लागू सेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त हो।

(iii) उक्त विनियमों के और अनुसरण में और उपर्युक्त प्रतिफल के लिए तथा उपर्युक्त अग्रिम के और उस पर ब्याज के, जो उसके पश्चात् किसी समय या समयों पर इस विलेख के निबंधनों के अधीन बंधकदार को देय हो, प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने के लिए, बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार को तारीख .....के उक्त हस्तांतरण पत्र में समाविष्ट उक्त सम्पत्ति का जिसका पूरा वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है, उक्त संपत्ति पर (जिसे इसमें आगे बंधक संपत्ति कहा गया है) बंधककर्ता द्वारा निर्मित या निर्मित किए जाने वाले भवनों अथवा तत्समय उस पर रखी सामग्री का उक्त बंधक संपत्ति से संबंधित सभी या किन्हीं अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नकों सहित अनुदान, हस्तांतरण, अंतरण और समनुदेशन क्रेता द्वारा की गई प्रसंविदाओं और उसमें अंतर्विष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए करता है। बंधकदार उक्त बंधक संपत्ति को पूर्ण रूप से किन्तु उक्त हस्तांतरण पत्र के निबंधनों और प्रसंविदाओं के अधीन रहते हुए धारण करेगा किन्तु यह इसमें इसके दिए हुए मोचन संबंधी उपबंध के अधीन होगा। इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बंधककर्ता, बंधकदार को इसके द्वारा प्रतिभूत उक्त मूलधन और ब्याज का और ऐसी अन्य रकम का (यदि कोई हो) जो बंधककर्ता द्वारा बंधकदार को, उक्त विनियमों के निबंधनों और शर्तों के अधीन संदेय अवधारित की जाए सम्यक् रूप से संदाय इसमें दी हुई रीति से कर देगा तो बंधकदार उसके बाद किसी भी समय बंधककर्ता के अनुरोध और खर्च पर, उक्त बंधक संपत्ति का प्रतिअंतरण और प्रति हस्तांतरण बंधककर्ता को उसके या उसके निदेशानुसार उपयोग के लिए कर देगा।

(iv) इसके द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बंधककर्ता अपनी ओर से की गई और इसमें दी हुई प्रसंविदाओं को भंग करता है या यदि बंधककर्ता दिवालिया हो जाता है या सामान्यरूप से सेवा निवृत्ति/अधिवर्षिता से भिन्न किसी कारण से सेवा में नहीं रहता है या यदि उन सभी रकमों के जो इस विलेख के अधीन बंधकदार को संदेय है, और उन पर ब्याज के पूरी तरह से चुकाए जाने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि उक्त अग्रिम या उसका कोई भाग इस विलेख के अधीन या अन्यथा तुरन्त संदेय हो जाता है तो ऐसी दशा में बंधकदार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उक्त बंधक सम्पत्ति का या उसके किसी भाग का विक्रय, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, एक साथ या टुकड़ों में और लोक नीलाम द्वारा या प्राइवेट संविदा द्वारा कर दे। उसे यह शक्ति होगी कि वह उसका क्रय कर ले या विक्रय की किसी संविदा को विखंडित कर दे और उसका पुनः विक्रय कर दे तथा ऐसी किसी हानि के लिए जिम्मेदार न हो जो ऐसा करने से हो। उसे यह शक्ति भी होगी कि वह ऐसा विक्रय करने के लिए, जो बंधकदार ठीक समझे, सभी कार्य करे और हस्तांतरण पत्रों का निष्पादन करे। यह घोषणा जाती है कि विक्रय किए गए परिसर या उसके किसी के क्रय के लिए बंधकदार की रसीद इस बात का होगी कि क्रेता/क्रेताओं ने क्रय धन का भुगतान कर यह भी घोषणा की जाती है कि उक्त शक्ति में किए गए किसी विक्रय से प्राप्त धन को बंध

*नियम के अधीन प्रभार्य ब्याज की प्रसामान्य दर।

के रूप मे धारण करगा । उसमे से सर्वप्रथम ऐसे विक्रय पर हुए खर्च का संदाय किया जाएगा * [और उसके बाद. बधक सपत्ति के पट्टाकर्ता,————को उक्त पट्टे के खण्ड——— के अनुसरण मे अनुपार्जित वृद्धि के 50 प्रतिशत का सदाय किया जाएगा] और तब इस विलेख की प्रतिभूति पर तत्समय देय धन को चुकाने मे या उसके लिए, धन का सदाय किया जाएगा और यदि कोई धन बाकी रहता है तो वह बधककर्ता को दे दिया जाएगा ।

(V) बधककर्ता इसके द्वारा बधकदार के साथ यह प्रसविदा करता है कि —

(क) बधककर्ता का इस बात का अच्छा अधिकार और विधिपूर्ण प्राधिकार है कि वह बधक सपत्ति का, बधकदार को और उसके उपयोग के लिए अनुदान, हस्तातरण, अतरण और समनुदेशन उक्त रीति मे करे ।

** (ख) बधककर्ता गृह के निर्माण/उक्तगृह में आवास स्थान मे परिवर्धन का कार्य उन अनुमोदित नक्शे और उन विनिर्देशो के अनुसार ही करेगा जिनके आधार पर उक्त अग्रिम की सगणना की गई है और वह मजूर किया गया है, जब तक कि उससे विचलन की अनुज्ञा बधकदार ने नही दे दी है । बधककर्ता कुर्सी / छत पडने के स्तर पर अनुज्ञेय अग्रिम की किस्तो के लिए आवेदन करते समय यह प्रमाणित करेगा कि निर्माण कार्य उस नक्शे और प्राक्कलन के अनुसार किया जा रहा है जो उसने बधकदार को दिए है और यह कि निर्माणकार्य कुर्सी/छत पड ने के स्तर तक पहुंच गया है और मजूर किए गए अग्रिम मे से ली जा चुकी रकम का वस्तुतः उपयोग गृह के निर्माण के लिए किया गया है। वह उक्त प्रमाणपत्रो के सही होने का सत्यापन करने के लिए स्वयं बंधकदार को या उसके प्रतिनिधि के द्वारा निरीक्षण करने की अनुमति देगा/देगी । यदि बंधककर्ता कोई मिथ्या प्रमाणपत्र देता है तो उसे बधकदार को वह सम्पूर्ण अग्रिम, जो उसे मिला है तथा उस पर———%प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज तुरन्त देना होगा । इसके अतिरिक्त बधककर्ता के विरुद्ध, उसको लागू सेवा के नियमो के अधीन, उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

** (ग) बधककर्ता गृह का निर्माण/उक्त गृह मे आवास स्थान मे परिवर्धन ————————***के अठारह मास के भीतर पूरा करेगा जब तक कि बंधकदार ने इस कार्य के लिए लिखित रूप मे समय न बढ़ा दिया हो । इसमे व्यतिक्रम होने पर बंधककर्ता को, उसे दी गई सम्पूर्ण रकम का और उक्त नियमों के अधीन परिकलित ब्याज का एकमुश्त प्रतिसंदाय तुरन्त करना होगा। बंधककर्ता गृह पूरा होने की तारीख की सूचना बंधकदार को देगा और वह बधकदार को इस आशय का एक प्रमाणपत्र देगा कि अग्रिम की पूरी रकम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह मंजूर किया गया था ।

(घ) बधककर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम मे उस गृह का अपने खर्च पर तुरन्त बीमा उतनी रकम के लिए कराएगा जो उक्त अग्रिम की रकम से कम न हो। वह उसे उस समय तक जब तक कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नही दिया जाता है, अग्नि, बाढ़ और तड़ित से हानि या नुक्सान के विरुद्ध बीमाकृत रखेगे जैसा कि उक्त विनियमो मे उपबधित है, और बीमा पालिसी बधकदार को सौप देगा । बधककर्ता समय-समय पर उक्त बीमा का प्रीमियम नियमित रूप से देगा और जब उनसे अपेक्षा की जाए, प्रीमियम की रसीदे बधकदार के निरीक्षण के लिए पेश करेगा । यदि बधककर्ता अग्नि बाढ और तडित के विरुद्ध बीमा नही कराता है तो बधकदार के लिए यह विधिपूर्ण किन्तु आबद्धकर नही होगा कि वह उक्त गृह की बीमा बधककर्ता के खर्च पर करा ले और प्रीमियम की रकम को अग्रिम की बकाया रकम मे जोड ले । तब बधककर्ता को उस पर ब्याज देना होगा मानो प्रीमियम की रकम उसको——— रुपए के पूर्वोक्त अग्रिम के भाग के रूप मे दी गई थी । यह ब्याज उसे उस समय तक देना होगा जब तक कि वह रकम बधकदार को चुका नही दी जाती है या जब तक उसकी वसूली इस रूप मे नही हो जाती है मानो वह इस विलेख की प्रतिभूति के अंतर्गत आने वाली रकम हो । बधककर्ता, जब भी उससे अपेक्षित हो, बंधकदार को एक पत्र देगा जो उस बीमा करने वाले के नाम लिखा होगा जिससे उस गृह का बीमा कराया गया है । यह पत्र इसलिए होगा कि बधकदार बीमा करने वाले को इस तथ्य की सूचना दे सके कि बधकदार उस बीमा पालिसी मे हितबद्ध है ।

(ङ) बधककर्ता उक्त गृह को अपने खर्च पर अच्छी मरम्मत की हालत मे रखेंगे और बधक सम्पत्ति की बाबत नगर पालिका के और अन्य सभी स्थानीय रेट, कर और अन्य सभी देनदारिया उस समय तक नियमित रूप से देगा जब तक कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नही दिया

* यहा वह तारीख लिखिए जिस तारीख को अग्रिम की पहली किस्त बधककर्ता को दी गई है ।

ग—जहां अग्रिम पहले बने मकान क क्रय के लिए खण्ड (ख) और (ग) लागू नही होगे ।

रीख लिखिए जिस तारीख को अग्रिम की पहली ककर्ता को दी गई है

ीन प्रभार्य ब्याज की प्रस्तावित दर ।

जाता है । बंधककर्ता, बंधकदार को उक्त आशय का एक वार्षिक प्रमाणपत्र भी देगा ।

(च) बंधककर्ता, गृह पूरा होने के बाद बंधकदार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि मकान अच्छी मरम्मत की हालत में रखा गया है, निरीक्षण करने की सभी सुविधाएं उस समय तक देगा जब तक कि अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है ।

(छ) बंधककर्ता, ऐसी कोई रकम और उस पर देय ब्याज, बंधकदार को लौटाएगा जो अग्रिम के मद्दे, उस व्यय के आधिक्य में दी गई है जिसके लिए अग्रिम मंजूर किया गया था ।

टिप्पण : जहां अग्रिम पहले बने गृह के लिए लिया गया है, खण्ड (ग) वहां लागू नहीं होगा ।

(ज) तारीख ——————का उक्त हस्तानरण विलेख अब विधिमान्य है और उक्त बंधक संपत्ति का अस्तित्वयुक्त पट्टा है और वह किसी भी रूप में शून्य या शून्यकरणीय नहीं है तथा पट्टा विलेख में या उसके द्वारा आरक्षित किराए का संदाय और उसमें दी हुई प्रसंविदाओं और शर्तों का पालन इस विलेख की तारीख तक कर दिया गया है और इसमें इसके पूर्व वर्णित रीति में इसका समनुदेशन किया जा सकता है ।

(झ) बंधककर्ता उस समय तक जब तक कोई धन उक्त बंधक संपत्ति की, जो इसमें इसके पूर्व इसके द्वारा समनुदेशित अभिव्यक्त है, प्रतिभूति पर देय रहता है और हर हालत में उक्त करार की अवधि तक पट्टे की सभी प्रसंविदाओं का और उक्त पट्टा विलेख में अंतर्विष्ट शर्तों का सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा तथा बंधकदार को उन सभी अनुयोजनों, वादों, कार्यवाहियों, खर्चों, प्रभारों, दावों और मांगों की बाबत क्षतिपूरित रखेगा जो उक्त किराए का संदाय न किए जाने के कारण या उक्त प्रसंविदाओं और शर्तों के या उनमें से किसी के भंग किए जाने, पालन या अनुपालन न किए जाने के कारण उपगत होंगी ।

(ञ) बंधककर्ता बंधक संपत्ति को इस विलेख के जारी रहने के दौरान न तो भारित करेंगे, न उस पर विल्लंगम सृजित करेंगे, न उसका अन्य संक्रामण करेंगे और न उसका अन्यथा व्ययन करेंगे ।

(ट) इसमें किसी बात के होते हुए भी बंधकदार को यह हक होगा कि वह अग्रिम की शेष रकम और उस पर ब्याज जिसका संदाय बंधककर्ता की सेवा निवृत्ति के समय तक या यदि सेवा निवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो उस समय तक नहीं किया गया है, बंधककर्ता को मंजूर किए जाने वाले सम्पूर्ण उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में से वसूल कर ले ।

इसके साक्ष्यस्वरूप बंधककर्ता और नव मंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के लिए और उनकी ओर से ——————कार्यालय के श्री —————— *इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

———————

* इसे बंधककर्ता भरेंगे"

उक्त बंधककर्ता ने ....

(हस्ताक्षर)

(1) ...... (प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

(2) ...... (द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

इसके साक्ष्यस्वरूप, नव मंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के लिए और उसकी ओर से तथा उसके निदेश से ....कार्यालय के श्री ....ने ....

(हस्ताक्षर)

(1) .... (प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

(2) .... (द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।"

ध्यान दें :—आवेदकों को सलाह दी जाती है कि इस दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क देने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या स्टाम्प शुल्क के संदाय से कोई छूट मिल सकती है, अपनी राज्य सरकार से सम्पर्क कर लें ।

अनुपूरक बंधक विलेख

एक पक्षकार के रूप में श्री........ ....जो ....के श्री ....का पुत्र है और इस समय ....का निवासी है और ....के कार्यालय में ......के रूप में नियोजित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "बंधककर्ता" कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) इसके अन्तर्गत उ[illegible] वारिस, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती भी है और दूसरे पक्षकार के रूप में नवमंगलौर [illegible] न्यासी बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् "[illegible] गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ [illegible] या उसके विरुद्ध नहीं है) इसके अन्तर्गत [illegible] और समनुदेशिती भी है के बीच आज त[illegible]

को किया गया यह करार तारीख ..... को नवमंगलौर पत्तन के न्यासी बोर्ड के पक्ष में उक्त श्री ..... द्वारा निष्पादित बंधक विलेख का (जिसे इसमें आगे "उक्त मूल बंधक विलेख" कहा गया है) अनुपूरक है ।

(1) बंधककर्ता ने इस प्रयोजन के लिए कि वह *गृह बना सके । *आवास स्थान का विस्तार कर सके । *पहले बने गृह का क्रय कर सके, ... रुपए (केवल .... रुपए) के अग्रिम के लिए बंधकदार को आवेदन किया है । बंधककर्ता ने यह आवेदन नवमंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (गृहों के निर्माण आदि के लिए अग्रिम का अनुदान) विनियम, 1980 के, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है, अधीन किया है ।

(2) बंधकदार "उक्त मूल बंधक विलेख" में दिए गए निबंधनों और शर्तों पर बंधककर्ता को ..... रु० (केवल ..... रु०) की उक्त राशि, जिसे इसमें इसके पश्चात 'मूल उधार' कहा गया है, देने के लिए सहमत हो गया है और बंधककर्ता ने यह करार किया है कि वह बंधकदार को मूल उधार का प्रतिसंदाय ..... रु० की ..... समान मासिक किस्तों में करेगा और यह प्रतिसंदाय ..... मास से आरंभ होगा ।

(3) बंधककर्ता ने, मूल उधार के प्रतिफलस्वरूप उक्त मूल बंधक विलेख की अनुसूची में और इसमें आगे लिखी अनुसूची में भी उल्लिखित सम्पत्तियां नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को ब्याज सहित उक्त राशि के संदाय की प्रतिभूति के रूप में अंतरित, समनुदेशित और हस्तांतरित कर दी हैं ।

(4) बंधककर्ता *पूरा मूल उधार/मूल उधार में से क्रमशः ..... रु० और ..... रु० तथा ..... रु० की ..... किस्तें ले चुका है ।

(5) बंधककर्ता मूल उधार के मद्दे ..... रु० की ..... समान मासिक किस्तों में कुल ..... रु० का प्रतिसंदाय कर चुका है ।

(6) बंधककर्ता ने नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के आदेशों के अनुसरण में इस प्रयोजन के लिए कि वह इसमें आगे लिखी अनुसूची में उल्लिखित परिसर पर गृह*का निर्माण* विस्तार पूरा कर सके*। क्रय कर सके, ... रु० के अतिरिक्त उधार के लिए बंधकदार को आवेदन किया है ।

(7) बंधकदार ..... रु० की उक्त अतिरिक्त शि जिसे इसमें आगे "अतिरिक्त उधार" कहा गया है, आगे उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर बंधककर्ता के लिए सहमत हो गया है ।

(8) बंधककर्ता, नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के आदेशों के अनुसरण में मूल उधार और अतिरिक्त उधार का प्रतिसंदाय अधिक सुविधाजनक किस्तों में करना चाहता है ।

यह करार इस बात का साक्षी है कि :—

(1) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्त विनियमों में उपबन्धों के अनुसरण में बंधककर्ता को अब मंजूर किए गए अग्रिम और अतिरिक्त उधार के प्रतिफलस्वरूप बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह प्रसंविदा करता है कि वह (बंधककर्ता) उक्त विनियमों के सभी निबंधनों और शर्तों का सदैव सम्यक् अनुपालन करेगा और उक्त मूल बंधक विलेख के अधीन देय ..... रु० की राशि का (और ..... रु० की राशि तथा अतिरिक्त उधार का जिनका योग ..... रु० होता है) ***प्रतिसंदाय बंधकदार को*** ..... रु० को ..... मासिक किस्तों में करेगा और ..... रु० की उक्त (कुल) राशि का संदाय करने के पश्चात वह ब्याज का भी संदाय उक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से और दर से ..... समान मासिक किस्तों में करेगा । यदि उक्त ..... रु० की (कुल)*** राशि की कोई रकम शेष रहती है तो वह और/या उपगत ब्याज की बसूली बंधककर्ता से उसकी अधिवर्षिता/मृत्यु/सेवा निवृत्ति की तारीख पर उसके (बंधककर्ता को) शोध्य उपदान । मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान की रकम में से की जाएगी । उक्त ..... रु० की (कुल)***राशि की वसूली, बंधककर्ता के वेतन से ..... वर्ष के मास से आरंभ होगी और बंधककर्ता अपने मासिक वेतन/छुट्टी वेतन में से इन किस्तों की रकम की कटौती करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है ।

(2) बंधककर्ता यह घोषणा करता है कि वह सम्पत्ति जो उक्त मूल बंधक विलेख में समाविष्ट है और जिसका उल्लेख इसमें आगे लिखी अनुसूची में भी है, अब मंजूर किए गए अतिरिक्त उधार के संदाय के लिए भी उसी प्रकार प्रतिभूति होगी और वह उसी प्रकार भारित होगा मानो अतिरिक्त उधार उस मूल राशि का ही भाग है जो उक्त मूल बंधक विलेख द्वारा प्रतिभूत है ।

गू न हो तो काट दीजिए ।

*** इसे तब काट दें जब किसी अतिरिक्त उधार के लिए आवेदन नहीं किया गया है ।

** उन मामलों में जहां मूल उधार का प्रतिसंदाय आरंभ नहीं हुआ है यह निर्माण या विस्तार की दशा में हली किस्त के प्राप्त किए जाने की तारीख से 18 वें मास के पश्चात् का और पहले बने गृह के क्रय के लिए अग्रिम प्राप्त किए जाने की तारीख के आगामी मास से पश्चात् का नहीं होना चाहिए । अन्य मामलों में यह अनुपूरक विलेख के निष्पादन के आगामी मास से पश्चात् का नहीं होना चाहिए ।

(iii) यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि उक्त मूल बंधक विलेख के अधीन संदेय मूल धन और किस्तों के सम्बंध में उक्त मूल बंधक विलेख में अन्तर्विष्ट सभी प्रसंविदाएं, शक्तियां और उपबंध इस विलेख के अधीन संदेय (उक्त अतिरिक्त उधार और) *** किस्तों को लागू होंगे और इसके द्वारा किए गए परिवर्तनों के सिवाय उक्त मूल बंधक विलेख के सभी निबंधन और शर्तें पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावी रहेंगी ।

परिवर्णन (v) तब हटा दिया जाएगा जब मूल उधार के किसी भाग का प्रतिसंदाय नहीं किया गया है ।

परिवर्णन (vi) और (vii) तथा खण्ड (ii) तब हटा दिया जाएगा जब किसी अतिरिक्त उधार के लिए आवेदन नहीं किया गया है ।

परिवर्णन (viii) तब हटा दिया जाएगा जब प्रतिसंदाय की रीति में कोई परिवर्तन करने का आशय नहीं है ।

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है

सभी सुखाचारों, अनुलग्नकों, मार्गाधिकारों सहित. सं०············वाला वह सम्पूर्ण भूखण्ड जो············ में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल ············वर्गमीटर (············) है तथा जिसके—

उत्तर में············है

दक्षिण में············है

पूर्व में············है

पश्चिम में············है

इसके साक्ष्यस्वरूप बंधककर्ता ने और नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के लिए और उसकी ओर से श्री············ ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

बंधककर्ता ने ··················

(हस्ताक्षर)
बंधककर्ता

1··················(प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

2··················(द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के लिए और उनकी ओर से············के कार्यालय के श्री············ने

··················

(हस्ताक्षर)

1··················(प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

2··················(द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

प्ररूप सं० 5

(विनियम 7 देखिए)

बोर्ड के कर्मचारी द्वारा भूखण्ड का क्रय करने और गृह बनाने, विद्यमान गृह का विस्तार करने तथा पहले बने गृह के क्रय के लिए अग्रिम लेने के समय निष्पादित किए जाने वाले करार का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री············ जो श्री············का पुत्र है और इस समय··················के रूप में सेवा कर रहा है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उधार लेने वाला" कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी हैं, और दूसरे पक्षकार के रूप में नव मंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड (जिन्हें इसमें इसके पश्चात "नवमंगलौर पत्तन" कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है, के बीच आज तारीख············को किया गया । उधार लेने वाला इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि का * क्रय करना चाहता है और उस पर गृह बनाना चाहता है (* ························में स्थित अपने गृह में वास स्थान का विस्तार करना चाहता है)········में स्थित एक पहले बने गृह का क्रय करना चाहता है और उधार लेने वाले ने नवमंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (गृहों के निर्माण आदि के लिए अग्रिम का अनुदान) विनियम, 1980 के (जिसे इसमें आगे "उक्त विनियम" कहा गया है और इसमें जहां संदर्भ के अनुकूल है, तत्समय प्रवृत्त उसके संशोधन या परिवर्तन भी है) उपबंध के अधीन उक्त भूमि का क्रय करने और उस पर गृह बनाने के लिए* ············ अपने गृह में वास स्थान का विस्तार करने के लिए* उक्त पहले बने गृह का क्रय करने के लिए ············रु० (············रुपए) के अग्रिम के लिए नवमंगलौर पत्तन न्यास को आवेदन किया है । नवमंगलौर पत्तन न्यास ने, उधार लेने वाले को··········रु० (············ रुपए) का अग्रिम उक्त प्रयोजन के लिए मंजूर कर दिया है । इस संबंध में देखिए पत्र सं०············तारीख······ जिसकी एक प्रति इस विलेख के साथ संलग्न है और जिस[illegible] उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर यह अग्रिम मंजूर [illegible] गया है । इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह [illegible] किया जाता है कि:—

(1) इस करार के निष्पादन के बाद [illegible] करने के लिए नवमंगलौर पत्तन न्यास द्वारा [illegible]

***इसे तब काट दें जब किसी अतिरिक्त उधार के लिए आवेदन नहीं किया गया है ।

*जो लागू न हो उसे काट दीजि[illegible]

.....रु० (यहां पहली किस्त की रकम लिखिए) की राशि और उक्त विनियमों के उपबंधों के अनुसार नवमंगलौर पत्तन न्यास द्वारा उधार लेने वाले को दी जाने वाली..... रु० (यहां दी जाने वाली शेष रकम लिखिए) की राशि के प्रति फलस्वरूप उधार लेने वाला नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के साथ यह करार करता है कि वह :—

(क) उस समय प्रवृत्त उक्त नियमों के अनुसार लगाए गए ब्याज सहित.....रु० (यहां मंजूर की गई पूरी रकम लिखिए) की उक्त रकम का..... रु० की.....(यहां किस्तों की संख्या लिखिए) मासिक किस्तों में नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को प्रतिसंदाय अपने वेतन में से करेगा । यह प्रतिसंदाय..... मास से अथवा गृह पूरा होने के अगले मास से, इन में से जो भी पूर्वतर हो, प्रारम्भ होगा । उधार लेने वाला ऐसी किस्तों की कटौती अपने मासिक वेतन, छुट्टी वेतन और निर्वाह भत्ते के बिलों में से करने के लिए नवमंगलौर पत्तन न्यास को प्राधिकृत करता है ।

†(ख)(i) उक्त मंजूर किए गए अग्रिम में से .....रु० (यहां दी जाने वाली किस्त की रकम लिखिए) की रकम प्राप्त करने की तारीख से दो मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो नवमंगलौर पत्तन न्यास/विभागाध्यक्ष इस निमित्त अनुज्ञात करे, भूमि का क्रय करने में उक्त रकम खर्च करेगा और उसके संबंध में विक्रय विलेख नवमंगलौर पत्तन न्यास के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा और ऐसा न करने पर उधार लेने वाला उसे प्राप्त अग्रिम की पूरी रकम का और उस पर ब्याज का नवमंगलौर पत्तन न्यास को प्रतिसंदाय करेगा ।

†(ii) उक्त.....रु० (.....रुपए) का अग्रिम प्राप्त करने की तारीख से तीन मास के भीतर उक्त पहले बने गृह का क्रय करने में उक्त रकम खर्च करेगा और उसे नवमंगलौर पत्तन न्यास के पास बंधक रख देगा । ऐसा न करने पर जब तक कि नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड समय नहीं बढ़ा देता है, उधार लेने वाला उसे प्राप्त अग्रिम की पूरी रकम और उस पर ब्याज का नवमंगलौर पत्तन न्यास को तुरन्त प्रतिसंदाय करेगा ।

†(iii) उक्त गृह का निर्माण/विस्तार, नवमंगलौर पत्तन न्यास बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले उस नक्शे और उन विनिर्देशों के अनुसार जिनके आधार पर अग्रिम की रकम की संगणना की जानी है और अन्तिम रूप से मंजूर की जानी है,.....के अठारह मास के भीतर या उस बढ़ाई गई अवधि के भीतर पूरा करेगा जो नवमंगलौर पत्तन के न्यासी बोर्ड द्वारा अधिकथित की जाए ।

(2) यदि उधार लेने वाले द्वारा† भूमि का क्रय करने और उस पर गृह बनाने के लिए/†गृह का विस्तार करने के लिए/†पहले बने गृह का क्रय करने के लिए वस्तुतः दी गई रकम इस विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त की गई रकम से कम है तो वह शेष रकम का नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को तुरन्त प्रतिसंदाय करेगा ।

(3) इस विलेख के अधीन उधार लेने वाले को अग्रिम दी गई रकम के लिए और उक्त रकम के लिए संदेय ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में, उक्त गृह/उक्त भूमि और उस पर बनाए जाने वाले गृह को नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के पास बंधक रखने के लिए उक्त विनियमों द्वारा उपबंधित प्ररूप में दस्तावेज का निष्पादन करेगा ।

(4) †यदि उक्त प्रयोजन के लिए अग्रिम का भाग लेने की तारीख से दो मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जिसे नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड/विभागाध्यक्ष इस निमित्त अनुज्ञात करे, भूमि का क्रय नहीं किया जाता है और उसका विक्रय विलेख नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है/†यदि अग्रिम लेने की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड/विभागाध्यक्ष इस निमित्त अनुज्ञात करे, गृह का क्रय नहीं किया जाता है और उसे बंधक नहीं रखा जाता है/†यदि उक्त उधार लेने वाला ऊपर किए गए करार के अनुसार, उक्त गृह का निर्माण/विस्तार पूरा करने में असफल रहता है या यदि उधार लेने वाला दिवालिया हो जाता है या नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड की सेवा छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अग्रिम की पूरी रकम उस पर लगने वाले ब्याज सहित नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को, तुरन्त शोध्य और संदेय हो जाएगी ।

(5) बोर्ड को यह हक होगा कि वह उक्त अग्रिम को शेष रकम और उस पर ब्याज जिसका संदाय उसकी (उधार लेने वाले की) सेवानिवृत्ति के समय तक या यदि सेवानिवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो उस समय तक नहीं किया गया है, उस सम्पूर्ण उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में से वसूल कर ले, जो उधार लेने वाले को मंजूर किया जाए ।

(6) नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के इस निमित्त किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कोई रकम उधार लेने वाले द्वारा नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को लौटाई जानी है या संदेय हो जाती है तो नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड उस रकम को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने का हकदार होगा ।

(7) इस विलेख पर जो भी स्टाम्प शुल्क देना होगा वह नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड देगा ।

††अनुसूची जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है ।

†जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

†जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

††यह उधार लेने वाला भरेगा ।

इसके साक्ष्य स्वरूप उधार लेने वाले ने और नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के लिए और उनकी ओर से ....के कार्यालय के श्री ....ने इस पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

उक्त उधार लेने वाले ने

.....
(उधार लेने वाले के हस्ताक्षर)

(1) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

(2) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

..... कार्यालय के श्री.....

(1) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

.....
(हस्ताक्षर)
(नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के लिए और उनकी ओर से)

(2) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

परूप सं० 5(क)

(विनियम 7 देखिए)

बोर्ड के कर्मचारी द्वारा भूमि का क्रय करने और गृह बनाने के लिए तब निष्पादित किए जाने वाले करार का विशेष प्ररूप जब उसे भूमि का हक, गृह बन जाने के पश्चात् संक्रान्त होगा

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री..... .....जो इस समय..... के रूप में सेवा कर रहा है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उधार लेने वाला कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है, इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप में नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड (जिसे इसमें आगे नवमंगलौर पत्तन 'न्यासी बोर्ड' कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है इसके अन्तर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख .....को किया गया ।

उधार लेने वाला इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि का .....(यहां विक्रेता का नाम लिखिए) से क्रय करना चाहता है और उस पर गृह बनाना चाहता है ।

उक्त भूमि का हस्तांतरण पत्र उक्त .....

(विक्रेता का नाम लिखिए) द्वारा उधार लेने वाले के पक्ष में तभी निष्पादित किया जाएगा जब गृह बन जाएगा ।

उधार लेने वाले ने नवमंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (गृहों के निर्माण आदि के लिए अग्रिम का अनुदान) विनियम, 1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है और इसमें जहां संदर्भ के अनुकूल है, तत्समय प्रवृत्त उसके संशोधन या परिवर्धन भी हैं) के उपबन्ध के अधीन उक्त भूमि का क्रय करने और उस पर गृह बनाने के लिए .....रु० (.....रुपए) के अग्रिम के लिए नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को आवेदन किया है । नवमंगलौर पत्तन न्यास ने, उधार लेने वाले को .....रु० (.....रुपए) (यहां मंजूर की गई पूरी रकम लिखिए) का अग्रिम उक्त प्रयोजन के लिए मंजूर कर दिया है ।

इस संबंध में देखिए तारीख ..... का कार्यालय पत्र सं० .....जिसकी एक प्रति इस विलेख के साथ संलग्न है और जिसमें उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर यह अग्रिम मंजूर किया गया है ।

इसके पक्षकारों के द्वारा और उनके बीच यह करार किया जाता है कि :—

(1) इस करार के निष्पादन के बाद भूमि का क्रय करने के लिए नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड द्वारा दी जाने वाली .....रु० (यहां पहली किस्त की रकम लिखिए) की राशि और उक्त विनियमों के उपबन्धों के अनुसार नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड द्वारा उधार लेने वाले को दी जाने वाली .....रु० (.....रु०) (यहां दी जाने वाली शेष रकम लिखिए) की राशि के प्रतिफलस्वरूप उधार लेने वाला नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के साथ यह करार करता है कि वह :—

(क) उस समय प्रवृत्त उक्त नियमों के अनुसार लगाए गए ब्याज सहित .....रु० (यहां मंजूर की गई पूरी रकम लिखिए) की उक्त रकम का ....मासिक किस्तों में नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को प्रतिसंदाय अपने वेतन में से करेगा । यह प्रतिसंदाय .....मास से अथवा गृह पूरा होने के अगले मास से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो प्रारम्भ होगा । उधार लेने वाला ऐसी किस्तों की कटौती उसके मासिक वेतन, छुट्टी वेतन और निर्वाह

†जो लागू न हों उसे काट दीजिए ।

भत्ते बिलों में से करने के लिए नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को प्राधिकृत करता है।

(ख) ज्योंही उसे उक्त भूमि का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा और उक्त भूमि का कब्जा मिल जाएगा उक्त भूमि की बाबत उक्त भूमि के क्रेता के रूप में अपने सारे अधिकारों का प्रतिभूति के रूप में, नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के पक्ष में और उक्त ....(विक्रेता का नाम लिखिए) के विरुद्ध समनुदेशन करेगा और इस प्रयोजन के लिए उक्त विनियमों में उपबंधित प्ररूप में अतिरिक्त हस्तांतरण पत्र निष्पादित करेगा।

(ग) उक्त गृह का निर्माण अग्रिम की प्रथम किस्त प्राप्त करने की तारीख से अठारह मास के भीतर या उस बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड अभिकथित करे, पत्तन न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले नक्शे और उन विनिर्देशों के अनुसार जिनके आधार पर अग्रिम की रकम की संगणना की जानी है और अंतिम रूप से मंजूर की जानी है, पूरा करेगा।

(घ) यदि गृह बनाने के लिए वस्तुतः दी गई रकम इस विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त की गई रकम से कम है तो वह शेष रकम का नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को तुरन्त प्रतिसंदाय करेगा।

(ङ) ज्योंही गृह बन जाता है और उसके पक्ष में आवश्यक अभिहस्तान्तरणपत्र या हस्तांतरणपत्र निष्पादित हो जाता है इस विलेख के अधीन उधार लेने वाले को अग्रिम दी गई रकम के लिए और उक्त रकम के लिए संदेय ब्याज के लिए भी प्रतिभूति के रूप में, उक्त भूमि और उस पर बनाए गए गृह को नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के पास बंधक रखने के लिए उक्त विनियमो द्वारा उपबन्धित प्ररूप में दस्तावेज का निष्पादन करेगा।

(2) यदि उधार लेने वाला ऊपर किए गए करार के अनुसार, उक्त गृह का निर्माण पूरा करने में असफल रहता है या यदि उक्त भूमि के क्रय मूल्य का संदाय करने और कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् अतिरिक्त हस्तान्तरण पत्र निष्पादित नहीं करता है या उसके पक्ष में आवश्यक अभिहस्तांतरण पत्र का हस्तान्तरण पत्र निष्पादित कर दिए जाने के पश्चात् बंधक विलेख निष्पादित नहीं करता है या यदि उधार लेने वाला दिवालिया हो जाता है या नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड की सेवा छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अग्रिम की पूरी रकम उस पर लगने वाले ब्याज सहित, नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को तुरन्त शोध्य और संदेय हो जाएगी।

(3) नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को यह हक होगा कि वह उक्त अग्रिम की शेष रकम और उस पर ब्याज जिसका संदाय उसकी (उधार लेने वाले की) सेवा निवृत्ति के समय तक या यदि सेवा निवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो उस समय तक नहीं किया गया है, उस सम्पूर्ण उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में से वसूल कर ले, जो उधार लेने वाले को मंजूर किया जाए।

(4) नव मंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के इस निमित्त किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई रकम उधार लेने वाले द्वारा नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को लौटाई जानी है या संदेय हो जाती है तो नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड उस रकम को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने का हकदार होगा।

(5) इस विलेख पर जो भी स्टाम्प शुल्क देना होगा उसे नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड देगा।

अनुसूची जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है**

(भूमि का वर्णन करें)

इसके साक्ष्यस्वरूप उधार लेने वाले ने और नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के लिए और उनकी ओर से .... के कार्यालय के श्री .... ने इस पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

उक्त उधार लेने वाले ने ....

....
(उधार लेने वाले के हस्ताक्षर)

(1) ....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

(2) ....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

..............................कार्यालय के श्री.................... ने

(1) ....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

....
हस्ताक्षर
(नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के लिए और उनकी ओर से)

(2) ....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

प्ररूप 5(ख)

(विनियम 7 देखिए)

बोर्ड के कर्मचारी द्वारा गृह बनाने के लिए अग्रिम की दूसरी किस्त प्राप्त करने के पूर्व उस दशा में निष्पादित किए जाने वाले करार का विशेष प्ररूप जिसमें उसने वि[illegible]त

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

**यह उधार लेने वाला भरेगा।

प्ररूप मे करार का निष्पादन करने के पश्चात् भूमि के क्रय के लिए अग्रिम की पहली किस्त प्राप्त कर ली है और जब कि भूमि का हक उसे गृह बनाने के पश्चात् संक्रात होगा।

यह करार एक पक्षकार के रूप मे श्री ....जो..... .....का पुत्र है और इस समय..... .....के रूप मे सेवा कर रहा है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उधार लेने वाला" कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ मे अपवर्जित या उसके विरुद्ध नही है, इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक/प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप मे नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नवमगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड" कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या सदर्भ मे अपवर्जित या उसके विरुद्ध नही है इसके अन्तर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशीय भी है) के बीच आज तारीख.....का किया गया।

उधार लेने वाला इससे सलग्न अनुसूची मे वर्णित .. ..में स्थित भूमि पर गृह बनाना चाहता है।

उधार लेने वाले ने नवमगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (गृहों के निर्माण आदि के लिए अग्रिम का अनुदान) विनियम, 1980 (जिसे इसमे इसके पश्चात् "उक्त विनियम" कहा गया है और इसमें जहां सदर्भ के अनुकूल हो, तत्समय प्रवृत्त उसके संशोधन या परिवर्धन भी है) के उपबंधों के अधीन.....रु० (.....रुपए) के अग्रिम के लिए नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को आवेदन किया है। नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड ने, उधार लेने वाले को.....रु०(.....रुपए) (यहां मंजूर की गई पूरी रकम लिखिए) का अग्रिम उक्त प्रयोजन के लिए मंजूर कर दिया है। इस संबंध मे देखिए ता०.....का कार्यालय पत्र सं०.....जिसकी एक प्रति इस विलेख के साथ संलग्न है और जिसमें उल्लिखित निबधनो और शर्तों पर यह अग्रिम मंजूर किया गया है। इसके पक्षकारो के बीच तारीख.....को निष्पादित करार के अनुसरण में नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड ने उपर्युक्त मजूर की गई.....रु० की राशि (यहा मंजूर की गई पूरी रकम लिखिए) में से..... .....रु० (यहा दी गई पहली किस्त की कम लिखिए) की राशि उधार लेने वाले को उक्त करार मे वर्णित निबधनो और शर्तों पर दे दी है जिससे कि वह उक्त..... ...का क्रय कर सके

उधार लेने वाले ने उक्त अग्रिम मे से उक्त भूमि के क्रय मूल्य का संदाय ....(यहा विक्रेता का नाम लिखिए) को कर दिया है और उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है;

उधार लेने वाले ने नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड से उपर्युक्त मंजूर की गई रकम की शेष रकम दिए जाने का अनुरोध किया है। उधार लेने वाले के नाम उक्त भूमि का हस्तांतरण पत्र उक्त..... (विक्रेता का नाम लिखिए) तभी किया जाएगा जब गृह बन जाएगा।

इसके पक्षकारो द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है :—

(1) नवमगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड द्वारा दी जा चुकी .....रु० (यहां पहली किस्त की रकम लिखिए) की राशि और उक्त नियमों के उपबन्ध के अनुसार नवमगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड द्वारा उधार लेने वाले को दी जाने वाली.....रु० (यहां दी जाने वाली शेष रकम लिखिए) के प्रति फलस्वरूप उधार लेने वाला..... .....रु० (मजूर किए गए उधार की पूरी रकम लिखिए) (.....रुपए) को उक्त रकम के प्रतिसंदाय की प्रतिभूत करने के आशय से नवमगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को इसकी अनुसूची मे वर्णित उक्त भूमि के क्रेता के रूप मे और उक्त..... (विक्रेता का नाम लिखिए) के विरुद्ध अपने सभी अधिकार समनुदेशित करता है।

(2) उधार लेने वाला नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के साथ यह करार करता है कि वह :—

(क) उस समय प्रवृत्त विनियमों के अनुसार लगाए गए ब्याज सहित ....रु० (यहां मंजूर की गई पूरी रकम लिखिए) की उक्त रकम का.....रु० की..... .....(यहा सख्या भरे) मासिक किस्तों में नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को प्रतिसंदाय अपने वेतन मे से करेगा। यह प्रतिसंदाय..... .....मास मे अथवा गृह पूरा होने के पश्चात्वर्ती मास से, इसमें से जो पूर्वतर हो, प्रारंभ होगा और उधार लेने वाला ऐसी किस्तो की कटौती उसके मासिक वेतन, छुट्टी वेतन और निर्वाह भत्ते बिलो मे से करने के लिए नवमगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को प्राधिकृत करता है।

(ख) उक्त गृह का निर्माण, प्रथम किस्त प्राप्त करने की तारीख से अठारह मास के भीतर या उस बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो नवमगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड अधिकथित करे, उस अनुमोदित नक्शे और उन विनिर्देशो के अनुसार पूरा करेगा, जिनके आधार पर अग्रिम की रकम की सगणना की गई है और वह मजूर की गई है और गृह पूरा हो जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अपने पक्ष मे आवश्यक अभिहस्तांतरण पत्र या हस्तांतरण पत्र प्राप्त करेगा।

(ग) यदि गृह बनाने के लिए वस्तुतः दी गई रकम उधार लेने वाले द्वारा प्राप्त की गई रकम से कम है तो वह उनके अन्तर का नवमगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को तुरन्त प्रतिसदाय करेगा।

(घ) ज्यों ही गृह बन जाता है और उसके पक्ष में आवश्यक अभिहस्तांतरण पत्र या हस्तांतरण पत्र निष्पादित हो जाते है, उधार लेने वाले को अग्रिम दी गई रकम के लिए और उक्त रकम के लिए संदेय ब्याज के लिए भी प्रतिभूति के रूप में, उक्त भूमि और उस पर बनाए गए गृह को नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के पास बंधक रखने के लिए उक्त विनिधियों द्वारा उपबंधित प्ररूप में दस्तावेज का निष्पादन करेगा।

(3) यदि उधार लेने वाला इसमें इसके पूर्व उपबंधित रूप में उक्त गृह का निर्माण पूरा करने में असफल रहता है या अपने पक्ष में आवश्यक अभिहस्तांतरण पत्र या हस्तांतरण पत्र करने में या बंधक विलेख निष्पादित करने में असफल रहता है या यदि उधार लेने वाला दिवालिया हो जाता है या नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड की सेवा छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अग्रिम की पूरी रकम उस पर लगने वाले ब्याज सहित नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को तुरन्त शोध्य और संदेय हो जाएगी और नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड अपने अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसके द्वारा अनुदत्त प्रतिभूति की वसूली के लिए कार्यवाही करने का हकदार होगा।

(4) नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को यह हक होगा कि वह उक्त अग्रिम की शेष रकम और उस पर ब्याज जिसका संदाय उसकी (उधार लेने वाले की) सेवा-निवृत्ति के समय तक या यदि सेवा निवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो उस समय तक नहीं किया गया है, उस संपूर्ण उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में से वसूल करले जो उधार लेने वाले को मंजूर किया जाए।

(5) नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के इस निमित्त किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई रकम उधार लेने वाले द्वारा नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को लौटाई जानी है या संदेय हो जाती है तो नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड उस रकम को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने का हकदार होगा।

(6) इस विलेख पर जो भी स्टाम्प शुल्क देना होगा उसे नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड देगा।

अनुसूची जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है*
(भूमि का वर्णन करें)

इसके साक्ष्यस्वरूप उधार लेने वाले ने और नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के लिए और उनकी ओर से ..... कार्यालय के श्री ..... ने इस पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

उक्त उधार लेने वाले ने

(उधार लेने वाले के हस्ताक्षर)

(1) ..... (साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

(2) ..... (साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए

..... कार्यालय के
श्री ..... ने

(1) ..... (साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय

(2) ..... (साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

हस्ताक्षर
(नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के लिए और उनकी ओर से)

प्ररूप सं० 5(ग)

(विनियम 7 देखिए)

बोर्ड के कर्मचारी द्वारा गृह बनाने के लिए अग्रिम की पहली किस्त लेने के पूर्व उस दशा में निष्पादित किए जाने वाले करार का विशेष प्ररूप जिसमें उसने भूमि का क्रय अपने ही धन से किया है किन्तु भूमि का हक गृह बन जाने के पश्चात् उसे संक्रान्त होगा।

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री ..... जो श्री ..... का पुत्र है और इस समय ..... के रूप में सेवा कर रहा है (जिसे इसमें इसके पश्चात उधार लेने वाला कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ में अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी है), और दूसरे पक्षकार के रूप में नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड (जिसे उसमें आगे 'नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड' कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपविर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है इसके अन्तर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है), के बीच आज तारीख ..... को किया गया।

उधार लेने वाले ने इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित और ..... में स्थित भूमि का ..... (यहां विक्रेता का नाम लिखिए) से क्रय करने का करार किया है और अपने ही धन से उसके मूल्य का संदाय कर दिया है और उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है। उधार लेने वाला उक्त भूमि पर गृह बनाना चाहता है और उक्त ..... विक्रेता का नाम लिखिए) उधार लेने वाले के पक्ष में उक्त भूमि का अभिहस्तांतरण पत्र तभी निष्पादित करेगा जब गृह का निर्माण हो जाएगा। उधार लेने वाले ने नवमंगलौर पत्तन न्यासी कर्मचारी गृहों के निर्माण आदि के लिए अग्रिम का अनुदान) विनियम, 1980 जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त विनियम' कहा गया है और इसमें जहां संदर्भ से

*यह उधार लेने वाला भरेगा।

अनुकूल है तत्समय प्रवृत उसके संशोधन और परिवर्धन भी है) के उपबंधों के अधीन नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को .....रुपए के अग्रिम के लिए आवेदन किया है और नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड ने उधार लेने वाले को ..... रु० (यहां मंजूर की गई पूरी रकम लिखिए) का अग्रिम उक्त प्रयोजन के लिए मंजूर कर दिया है। इस संबंध में देखिए तारीख का पत्र सं० ....जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है और जिसमें उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर उक्त अग्रिम मंजूर किया गया है।

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है :

(1) इस करार के निष्पादन के पश्चात् नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड द्वारा दी जाने वाली .....रु० (यहां पहली किस्त की रकम लिखिए) की राशि और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड द्वारा उधार लेने वाले को दी जाने वाली .....रु० की शेष रकम के प्रतिफलस्वरूप उधार लेने वाला .....रु० (केवल .....रुपए) (यहां मंजूर की गई पूरी रकम लिखिए) के प्रतिसंदाय प्रतिभूत करने के आशय से नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को उक्त भूमि के जिसका वर्णन इसकी अनुसूची में किया गया है, क्रेता के रूप में उक्त भूमि की बाबत और उक्त .....(यहां विक्रेता का नाम लिखिए) के विरुद्ध अपने सभी अधिकारों का प्रतिभूति के रूप में समनुदेशन करता है।

(2) उधार लेने वाला नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के साथ करार करता है कि वह :

(क) उस समय प्रवृत्त उक्त विनियम के अनुसार लगाए गए ब्याज सहित .....रु० (यहां मंजूर की गई पूरी रकम लिखिए) की उक्त रकम का .....रु० की ..... (यहां संख्या भरें) मासिक किस्तों में नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को प्रतिसंदाय अपने वेतन में से करेगा। यह प्रतिसंदाय .....मास से अथवा गृह पूरा होने के अगले मास से, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रारंभ होगा और उधार लेने वाला ऐसी किस्तों की कटौती अपने मासिक वेतन, छुट्टी वेतन और निर्वाह भत्ते बिलों में से करने के लिए नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को प्राधिकृत करता है।

(ख) उक्त गृह का निर्माण प्रथम किस्त प्राप्त करने की तारीख से अठठारह मास के भीतर या उस बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड अधिकथित करे, उस अनुमोदित नक्शे और उन विनिर्देशों के अनुसार पूरा करेगा जिनके आधार पर अग्रिम की रकम की संगणना की गई है और वह मंजूर की गई है और गृह पूरा हो जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अपने पक्ष में आवश्यक अभिहस्तांतरण पत्र या हस्तांतरण पत्र प्राप्त करेगा।

(ग) यदि गृह बनाने के लिए वस्तुतः दी गई रकम उधार लेने वाले द्वारा प्राप्त की गई रकम से कम है तो वह शेष रकम का नवमगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को तुरन्त प्रतिसंदाय करेगा।

(घ) ज्यों ही गृह बन जाता है और उस के पक्ष में आवश्यक अभिहस्तांतरण पत्र या हस्तांतरण पत्र निष्पादित हो जाते है, उधार लेने वाले को अग्रिम दी गई रकम के लिए और उक्त रकम के लिए संदेय ब्याज के लिए भी प्रतिभूति के रूप में, उक्त भूमि और उस पर बनाए गए गृह को नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के पास बंधक रखने के लिए उक्त विनियमों द्वारा उपबंधित प्ररूप में दस्तावेज का निष्पादन करेगा।

(3) यदि उधार लेने वाला इसमें इसके पूर्व उपबंधित रूप में उक्त गृह का निर्माण पूरा करने में असफल रहता है या अपने पक्ष में आवश्यक अभिहस्तांतरण पत्र या हस्तांतरण पत्र प्राप्त कराने में या बंधक पत्र निष्पादित करने में असफल रहता है या यदि उधार लेने वाला दिवालिया हो जाता है या नवमगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड की सेवा छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अग्रिम की पूरी रकम उस पर लगने वाले ब्याज सहित नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को तुरन्त शोध्य और संदेय हो जाएगी और नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड अपने अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसके द्वारा अनुदत्त प्रतिभूति की वसूली के लिए कार्यवाही करने का हकदार होगा।

(4) नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को यह हक होगा कि वह उक्त अग्रिम की शेष रकम और उस पर ब्याज जिसका संदाय उसकी (उधार लेने वाले की) सेवानिवृत्ति के समय तब या यदि सेवानिवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो उस समय तक नही किया गया है, उस संपूर्ण उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में से वसूल कर ले, जो उधार लेने वाले को मंजूर किया जाए।

(5) नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के इस निमित्त किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई रकम उधार लेने वाले द्वारा नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को लौटाई जानी है या संदेय हो जाती है तो नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड उस रकम को पूरा भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने का हकदार होगा।

(6) इस विलेख पर जो भी स्टाम्प शुल्क देना होगा उसे नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड देगा।

अनुसूची जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है*
(भूमि का वर्णन करें)

इसके साक्षयस्वरूप उधार लेने वाले ने और नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के लिए और उनकी ओर से..... .....के कार्यालय के श्री..... .... ने इस पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

*यह उधार लेने वाला भरेगा।

उक्त उधार लेने वाले ने.....
(उधार लेने वाले के हस्ताक्षर)
(1) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
(2) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

.....कार्यालय के
श्री .....
ने
(1) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
(2) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए

.....
हस्ताक्षर
(नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के लिए
और उनकी ओर से)

प्ररूप सं० 6

[विनियम 7 (6) देखिए]

यह सबको ज्ञात हो कि मैं..... जो ..... का पुत्र और.....जिले में.....का निवासी हूं, और इस समय.....में स्थायी .....के रूप में नियोजित हूं (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रतिभू" कहा गया है), नवमंगलौर पत्तन के न्यासी बोर्ड के प्रति (जिसे इसमें इसके पश्चात् नवमंलौर पत्तन न्यासी बोर्ड कहा गया है और जब तक कि ऐसा संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं,) ..... रु० (केवल.....रु०) की रकम का नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को संदाय करने के लिए वचनबद्ध हूं और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हूं । यह संदाय पूर्णतः और सही रूप में करने के लिए मैं, अपने को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और प्रतिनिधियों को इस विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूं । इसके साक्ष्यस्वरूप मैं आज .....को इस पर अपने हस्ताक्षर करता हूं । ..... ने जो ..... का पुत्र और ..... जिले में .....का निवासी है और इस समय .....में अस्थायी/स्थायी ..... के रूप में नियोजित है (जसे इसमें इसके पश्चात् "उधार लेने वाला" कहा गया है) (किन्तु जो.....को सेवानिवृत्त होने वाला है) भूमि का क्रय करने और या नए गृह का निर्माण करने/विद्यमान गृह में आवास का विस्तार करने/पहले बने गृह का क्रय करने के लिए .....रु० अग्रिम के लिए नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को आवेदन किया है ।

नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड ने नवमंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (गृहों के निर्माण आदि के लिए अग्रिम का अनुदान) विनियम, 1980 जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त विनियम" कहा गया है, अधीन ..... रुपये (केवल.... रु०) का संदाय मंजूर कर दिया है ।

उधार लेने वाले ने उक्त रकम का .... किस्तों में प्रतिसंदाय करने का वचनबंध किया है और उधार लेने वाले ने यह भी वचनबंध किया है कि वह उक्त रकम की सहायता से निर्मित/क्रय किए गए गृह को बंधक कर देगा और उक्त विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा । उधार लेने वाले को पूर्वोक्त अग्रिम देने के लिए नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड द्वारा करार के प्रतिफलस्वरूप प्रतिभू ने उपर्युक्त बंधपत्र नीचे लिखी शर्तों पर निष्पादित करने का करार किया है ।

उक्त बाध्यता की शर्त यह है कि यदि उक्त उधार लेने वाला उक्त ..... में या किसी अन्य कार्यालय में नियोजित रहने के दौरान नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को देय पूर्वोक्त अग्रिम की रकम का नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को तब तक सम्यक् और नियमित रूप से किस्तों में संदाय करता है या कराता है जब तक कि .... रु० (केवल ..... रु०) की उक्त राशि का सम्यक् रूप से भुगतान नहीं हो जाता या वह उक्त निर्मित / क्रय किए गए गृह का नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को बंधक कर देता है, जो भी पूर्वतर हो, तो यह बंधपत्र शून्य हो जाएगा अन्यथा यह पूर्णतः प्रवृत्त और बलशील रहेगा । किन्तु यदि उधार लेने वाले की मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिया हो जाता है या किसी समय नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड की सेवा में नहीं रहता है तो ..... रु० (केवल ..... रु०) का उक्त पूरा मूल धन या उसका उतना भाग जितना शेष रह जात है तथा उक्त मूल धन पर देय ब्याज, जो उस समय असंदत्त रहता है, नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को तुरन्त शोध्य और संदेय हो जाएगा और इस बंधपत्र के आधार पर प्रतिभू से एक किस्त में वसूल किया जा सकेगा ।

प्रतिभू ने जो बाध्यता स्वीकार की है, वह नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड द्वारा समय बढ़ाये जाने या उक्त उधार लेने वाले के प्रति कोई अन्य उदारता बरते जाने के कारण न तो उन्मोचित होगी और न किसी प्रकार प्रभावित होगी ।

नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड इस विलेख की बाबत संदेय स्टाम्प शुल्क देगा ।

उक्त .....ने
(1) (प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय) .....
(प्रतिभू के हस्ताक्षर)
(2) (द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय) पदनाम .....
कार्यालय.....
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिदान किया ।
.....कार्यालय के श्री .....ने
(1) (प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
(2) द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। (नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के लिए और उसकी ओर से)

प्ररूप सं० 7

(विनियम 10 (घ) देखिए)

गृह निर्माण अग्रिम के लिए प्रतिहस्तांतरण पत्र का प्ररूप

यह प्रतिहस्तांतरण विलेख, एक पक्षकार के रूप में ···· न्यासी बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् बंधकदार कहा गया है और जब तक कि ऐसा संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है इसके अन्तर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में ·····के ····· (जिसे इसमें इसके पश्चात् बंधककर्ता कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है उसके अंतर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती भी है,) के बीच आज तारीख ····· को किया गया है।

एक पक्षकार के रूप में बंधकर्ता और दूसरे पक्षकार के रूप में बंधकदार के बीच तारीख ····· को किए गए बंधक करार द्वारा जो ·····में पुस्तक सं० ····, जिल्द सं० ····· पृष्ठ सं० ·····से·····तक सं० ····· के रूप में ·····के लिए, (जिसे इसमें मूल करार कहा गया है) रजिस्ट्रीकृत है, बंधकर्ता ने ····· में स्थित सम्पत्ति का, जिसका विस्तृत वर्णन इसमे आगे लिखी अनुसूची में दिया गया है, बंधक बंधकर्ता को दिए गए ····· रु० के अग्रिम को प्रतिभूत करने के लिए कर दिया गया है।

मूल करार की प्रतिभूति पर शोध्य और देय सब धन का पूरा संदाय कर दिया गया है और तदनुसार बंधकर्ता के अनुरोध पर बंधकदार ने इसमे इसके पश्चात् अंतर्विष्ट रूप मे बंधक परिसर का प्रतिहस्तांतरण विलेख निष्पादित करने का करार किया है। अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण में और उपर्युक्त के प्रतिफलस्वरूप बंधकदार ·····में स्थित उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड का, जो मूल करार में समाविष्ट है और जिसका विस्तृत वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है, उसके उन अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नकों सहित, जो मूल करार में उल्लिखित है तथा मूल करार के आधार पर उक्त परिसर में, से या पर बंधकदार की सभी सम्पदा, अधिकार, हक, हित, सम्पत्ति दावे और मांग का इसके द्वारा बंधककर्ता को अनुदान, समनुदेशन और प्रतिहस्तांतरण करता है। इसके द्वारा बंधककर्ता को और उसके उपयोग के लिए जिस परिसर का अनुदान, समनुदेशन और प्रतिहस्तांतरण किया जाना अभिव्यक्त है, उसे बंधकर्ता उक्त मूल करार द्वारा प्रतिभूत किए जाने के लिए आशयित सभी धन और उक्त धन या उसके किसी भाग के लिए या उसके संबंध में अथवा मूल करार के या परिसर की बाबत किसी बीज के संबंध में सभी अनुयोजनो, वादो, लेखाओ, दावों और मांगों से निर्मुक्त रूप में प्राप्त और धारण करेगा। बंधकदार इसके द्वारा बंधकर्ता से प्रसंविदा करता है कि उसने (बंधकदार ने) न तो ऐसी कोई बात की है, न जानबूझ कर सहन की है, और न उसमें पक्षकार या संसर्गी रहा है जिससे उक्त परिसर या उसका कोई भाग हक, सम्पदा की बाबत या अन्यथा अधिक्षिप्त, विल्लंगमित या प्रभावित होता है या किया जाता है। इसके साक्ष्य स्वरूप बंधकदार ने अपनी ओर से ····· द्वारा इस पर ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को हस्ताक्षर करवा दिए है।

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है।

बंधकदार ·····के लिए और उसकी ओर से····ने

(1) ·····(प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

(2) ····· (द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। (नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के लिए और उसकी ओर से)

ध्यान दें: आवेदकों को सलाह दी जाती है कि इस दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क देने के पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या स्टाम्प शुल्क के संदाय से कोई छूट मिल सकती है, राज्य सरकार से सम्पर्क कर लें।

प्ररूप सं० 8

(विनियम 9 (ख) देखिए)

भारतीय बीमा निगम को उन गृहों की जिनका निर्माण/क्रय इस नियम के अधीन अनुज्ञेय भवन निर्माण अग्रिम से किया गया है, बीमा पालिसियों में बोर्ड के हित की सूचना देने वाले पत्र का प्ररूप।

प्रेषक :—

सेवा में

(वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी/अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से)

महोदय,

आपको सूचना दी जाती है कि नवमंगलौर पत्तन न्यास आपके निगम से प्राप्त गृह की बीमा पालिसी सं० ····· मे हितबद्ध है। आपसे अनुरोध है कि आप पालिसी में निम्न लिखित आशय का खण्ड जोड़ने की कृपा करें।

बीमा पालिसी में जोड़े जाने वाले खण्डों का प्ररूप

1. यह घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि श्री ·····ने (जो उस भवन का स्वामी है जिसका नगर पालिका सं० ·····है) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस पालिसी की अनुसूची में बीमाकृत कहा गया है) गृह बनाने के लिए, लिए गए अग्रिम की प्रतिभूति के रूप मे गृह नवमंगलौर पत्तन न्यास को बंधक कर दिया है। यह भी घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि नवमंगलौर पत्तन न्यास ऐसे धन में भी हितबद्ध है जो यदि यह पृष्ठांकन न होता तो उक्त श्री ·····(इस पालिसी के

अधीन बीमाकृत) को उक्त गृह की हानि या उसको हुए नुकसान की बाबत (जिस हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति, मरम्मत, यथापूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नही की गई है) संदेय होगा। ऐसा धन नवमंगलौर पत्तन न्यास को उस समय तक दिया जाएगा, जब तक कि वह इस गृह का बंधकदार है। उसकी रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि ऐसी हानि या नुकसान की बाबत निगम ने पूरा और अंतिम भुगतान कर दिया है।

2. इस पृष्ठांकन द्वारा अभिव्यक्त रूप से जो करार किया गया है, उसके सिवाय इसकी किसी भी बात से बीमाकृत या निगम के, इस पालिसी के अधीन या संबंध में अधिकार या दायित्व का अथवा इस पालिसी के किसी निबंधन, उपबंध या शर्त का न तो उपान्तरण होगा और न उस पर प्रभाव पड़ेगा।

स्थान—

तारीख— भवदीय,

अग्रेषित। कृपया इस पत्र के प्राप्त होने की अभिस्वीकृति दें। यह भी अनुरोध है कि जब कभी इस पालिसी के अधीन किसी दावे का संदाय किया जाए तब और यदि नवीकरण के लिए कालिक रूप से प्रीमियम का संदाय नहीं किया जाता है तो उसकी भी सूचना मुझे देने की कृपा करें।

(लेखा अधिकारी/विभागाध्यक्ष का पदनाम)

स्थान—

तारीख—

राज्य आवास बोर्ड से क्रय की गई सम्पत्ति के बंधक के लिए राज्य आवास बोर्ड द्वारा दिया जाने वाला सहमति पत्र।

प्रेषक—

अध्यक्ष राज्य आवास बोर्ड

सेवा में,

अध्यक्ष,
नवमंगलौर पत्तन न्यास,
मंगलौर–575010

महोदय,

निर्देश :—राज्य आवास बोर्ड से क्रय की गई सम्पत्तियों का बंधक किया जाना।

हम यह वचनबद्ध करने के लिए सहमत है कि यदि उस सम्पत्ति/फ्लेट/गृह सं० ········ का, जो श्री····ने राज्य आवास बोर्ड से क्रय किया है और जिसका पहले बने गृह/फ्लेट आदि के क्रय के लिए उधार लेने के उद्देश्य से नवमंगलौर पत्तन न्यास को बंधक करने की अब प्रस्थापना है, आबंटन की तारीख से पांच/दस वर्ष के भीतर किसी कारण से नवमंगलौर पत्तन न्यास द्वारा विक्रय किया जाता है और यदि हम क्रेता द्वारा निष्पादित विक्रय/पट्टा तथा विक्रय करारों के अनुसार उस सम्पत्ति का पुनः क्रय करने के अपने विकल्पाधिकार का प्रयोग करते है, तो हम उस बकाया रकम का, जो बंधक उधार के मद्दे नवमंगलौर पत्तन न्यास को देय हो और ऐसी अतिरिक्त राशि का जो आवेदक द्वारा नवमंगलौर पत्तन न्यास के पक्ष में निष्पादित किए जाने वाले बंधक विलेख के निबंधनों के अनुसार देय हो, संदाय करेंगे अथवा आनुकल्पतः, हम नवमंगलौर पत्तन न्यास को सम्पत्ति के साथ ऐसा संव्यवहार जो आवश्यक हो जाए और जिसके अंतर्गत उसका विक्रय भी है, करने की अनुज्ञा देगा मानों उक्त करार के सुसंगत खण्डों में ऐसा कोई अनुबन्ध नहीं है कि यदि आवंटन की तारीख से पांच/दस वर्ष के भीतर उसका विक्रय किया जाता है तो वह प्रथमतः राज्य आवास बोर्ड को प्रस्थापित किया जाएगा।

....
अध्यक्ष

राज्य आवास बोर्ड से क्रय की गई सम्पत्ति के बंधक के लिए राज्य आवास बोर्ड द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र

उपाबंध-ख

प्रेषक :

अध्यक्ष
राज्य आवास बोर्ड,
....

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भूखण्ड/फ्लैट/गृह/सं० ········के आवंटिती श्री ·········ने उक्त सम्पत्ति की पूरी अनन्तिम लागत····रु० (केवल······रुपए) का भुगतान कर दिया है। इसकी सूचना इस कार्यालय के तारीख ····के आवंटन आदेश सं०····मे (जो आबंटिती को सम्बोधित है) दे दी गई है तथा उसको भूखण्ड/फ्लैट/गृह का कब्जा (तारीख)·····को दे दिया गया था। राज्य आवास बोर्ड उस भूखण्ड / गृह / फ्लैट सं०·····का हक आबंटन की तारीख से 5 वर्ष/ 10 वर्ष की अवधि पूरी होने पर और यदि उसकी अंतिम कीमत तत्पश्चात् नियत की जाती है तो लागत मे अन्तर, यदि कोई है, का भुगतान कर दिए जाने पर आबंटिती को निश्चित रूप से अंतरित कर देगा। उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण का/उक्त पहले बने गृह/फ्लैट के खर्च की पूर्ति के लिए उधार जुटाने के प्रयोजन से उक्त सम्पति के नवमंगलौर पत्तन न्यास को बंधक किए जाने पर राज्य आवास बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है।

....
अध्यक्ष

रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटियों से पहले बने गृह/फ्लैट के क्रय की दशा में निष्पादित किए जाने वाले स्वीय बंधपत्र का प्ररूप

(स्वीय बंधपत्र)

यह सबको ज्ञात हो कि मैं·· ····जो··········· का पुत्र हू (जिसमे इसके पश्चात् "बाध्यताधारी" कहा गया है) बोर्ड की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने वाले अध्यक्ष, नवमंगलौर पत्तन न्यास (जिसे इसमें इसके पश्चात् "बोर्ड" कहा गया है) के प्रति···रु० की रकम का बोर्ड को संदाय

करने के लिए वचनबद्ध हूं और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हूं। यह संदाय पूर्णतः और सही रूप में करने के लिए मैं अपने को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और विधिक प्रतिनिधियों को इस विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूं।

तारीख ·····को इस पर हस्ताक्षर किए गए।

उक्त आबद्ध व्यक्ति ने····में स्थित·····नामक भवन में एक आवासिक फ्लैट क्रय करने के प्रयोजन के लिए ····रुपए के उधार के लिए बोर्ड को आवेदन किया है। उक्त भवन का विस्तृत वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है और यह भवन शीघ्र ही·····सोसाइटी लिमिटेड को अंतरित किया जाने वाला है जो सहकारी सोसायटी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय····में हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सोसायटी" कहा गया है)। बोर्ड ने यह उधार अन्य बातों के साथ-साथ इन निबंधनों और शर्तों पर सम्यक रूप से मंजूर कर दिया है कि बाध्यताधारी इसमें आगे अंतर्विष्ट रीति से एक बंधपत्र बोर्ड के पक्ष में निष्पादित करे।

इस बंधपत्र की शर्त यह है कि यह बंधपत्र शून्य हो जाएगा, यदि उक्त बाध्यताधारी बोर्ड को तारीख····से ·····वर्ष की अवधि के भीतर उक्त····रु० की राशि का सम्यक् रूप से संदाय·····रु० की·····समान मासिक किस्तों में प्रत्येक क्लैण्डर मास के प्रथम सप्ताह में करता है तो ऐसी प्रथम किस्त का संदाय 19····· के ·····के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा और पश्चात्वर्ती किस्तों का संदाय तत्पश्चात् प्रत्येक आगामी क्लैण्डर मास के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा और जैसा इसमें इसके पूर्व उपबंध है उसके अनुसार उक्त उधार के मूलधन का नियमित किस्तों में संदाय करने के पश्चात् उक्त बाध्यताधारी बोर्ड को उक्त·····रु० के उधार के घटते हुए अतिशेष के ब्याज की रकम का भुगतान होने तक उसका सम्यक् रूप से संदाय·····वर्ष की अतिरिक्त अवधि के भीतर····· प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से करेगा। ऐसे ब्याज का संदाय···· रु० की ····समान मासिक किस्तों में किया जाएगा। सम्पूर्ण उधार और उस पर ब्याज का प्रतिदाय ता०····से वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा। परन्तु यदि बाध्यताधारी मूलधन की और / या ब्याज की किसी किस्त का नियत तारीख पर संदाय करने में असफल रहता है तो ऐसे प्रत्येक मामले में बकाया मूलधन या ब्याज की ऐसी किस्त की रकम पर·····प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज की उच्चतर दर से ब्याज लगेगा और ब्याज की ऐसी प्रत्येक किस्त में उसी अनुपात में वृद्धि कर दी जाएगी। परन्तु यह और कि इसकी किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि उससे मूलधन और ब्याज की उक्त किस्तों का उनके लिए नियत तारीखों पर संदाय करने का उक्त बाध्यताधारी का दायित्व अथवा अन्यथा बोर्ड का कोई अधिकार या उपचार शिथिल होता है।

(ख) उक्त उधार की सम्पूर्ण रकम का उपयोग इस विलेख की तारीख से क मास के भीतर ·····नामक भवन में जो·····में स्थित है और जिसका विस्तृत वर्णन इसमें आगे दी गई अनुसूची में किया गया है, आवासिक फ्लैट का क्रय करने में† और सोसाइटी के ऐसे शेयरों और/या डिबेंचरों का जिनका उक्त सोसाइटी की सदस्यता की अर्हता के लिए क्रय किया जाना अपेक्षित है क्रय करने में करेगा और उक्त फ्लैट के क्रय के पूरे होने से संबंधित सभी अपेक्षित हक—दस्तावेजों और अर्हता के रूप में क्रय किए जाने के लिए अपेक्षित शेयर/डिबेंचर बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

(ख) बाध्यताधारी के पक्ष में गृह या भूखंड के अंतरण का निष्पादन कर दिए जाने पर वह उसे बोर्ड से प्राप्त किए गए उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में बोर्ड के पास बंधक कर देगा।

(ग) यदि उक्त फ्लैट† और शेयरों/डिबेंचरों की, जिनका पूर्वोक्त रूप में क्रय किया जाना अपेक्षित है, वास्तविक कीमत उक्त उधार की रकम से कम है तो वह उस आधिक्य का बोर्ड को तुरन्त प्रतिदाय करेगा।

(घ) वह बोर्ड की लिखित पूर्व सहमति के बिना उक्त फ्लैट या उसमें किसी हित का न तो अंतरण, समनुदेशन, उप-पट्टा करेगा, ना उसका कब्जा छोड़ेगा और न उक्त शेयरों/डिबेंचरों का बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अंतरण या अन्यथा अन्य संक्रामण करेगा :

†(ङ) जब तक उक्त उधार और ब्याज भाग बकाया रहता है और यदि की जाए तो वह उक्त शेय समुचित रूप से हस्ताक्षरित कोरा उक्त उधार की अतिरिक्त प्रतिभूति बोर्ड को सौंप देगा।

2····

बाध्यताधारी निम्नलिखित करार करता है :—····1

1. बाध्यताधारी द्वारा बोर्ड को तत्समय देय उक्त उधार या उसका अतिशेष तथा इस विलेख के अधीन देय अन्य सभी धन निम्नलिखित घटनाओं में से किसी के होने पर तुरन्त संदेय हो जाएगा :—

(क) यदि बाध्यताधारी किसी किस्त का संदाय या मूल धन का प्रति संदाय, जब वह शोध्य और संदेय हो जाता है, उसके लिए नियत तारीख को संदाय करने में असफल रहता है।

†यह केवल उन फ्लैट को लागू होगा जो उस भवन में क्रय किए गए जिसका स्वामित्व सहकारी आवास सोसाइटी के पास है।

(ख) यदि बाध्यताधारी ब्याज की किसी किस्त का नियत तारीख को, इसमें इसके पूर्व उपबंधित रूप में संदाय करने में व्यतिक्रम करता है।

(ग) यदि बाध्यताधारी की किसी संपत्ति पर कोई कर-स्थम् या निष्पादन उद्गृहीत किया जाता है या उसका रिसीवर नियुक्त किया जाता है।

(घ) यदि बाध्यताधारी उक्त प्रसंविदाओं या उपबंधों का, जिनका उसकी ओर से पालन किया जाना है, भंग करता है।

(ङ) यदि बाध्यताधारी की मृत्यु हो जाती है या वह बोर्ड की सेवा से निवृत्त हो जाता है या उसकी सेवा में नहीं रहता है।

(च) यदि बाध्यताधारी दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने के लिए याचिका प्रस्तुत करता है या दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है।

2. बोर्ड को प्रतिमास बाध्यताधारी के वेतन में से मासिक किस्तों की रकम की कटौती करने तथा उसे मूलधन या ब्याज के प्रतिसंदाय के मासिक किस्तों में विनियोजित करने का पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता होगी और उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए बाध्यताधारी बोर्ड को ऐसी कटौतियां बाध्यताधारी की किसी अतिरिक्त अन्य सहमति या संपत्ति की आवश्यकता के बिना करने के लिए अप्रतिसंहरणीय रूप से प्राधिकृत करता है।

3. बाध्यताधारी के सेवानिवृत्त होने या उसकी सेवानिवृत्ति के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में, बोर्ड को हक होगा कि वह उक्त उधार का संपूर्ण असंदत्त अतिशेष जो ऐसी सेवानिवृत्त या मृत्यु के समय असंदत्त रहता है और उस पर सभी ब्याज, जिसका संदाय नहीं किया गया है उस उपदान से, यदि कोई हो, वसूल कर ले जो आबद्ध व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अधीन उसे मंजूर की जाए।

4. जब कभी इस विलेख के अधीन बाध्यताधारी द्वारा शोध्य और संदेय मूलधन या ब्याज की कोई किस्त या कोई अन्य राशि बकाया होगी, बोर्ड को उसे भू-राजस्व की बकाया रकम के रूप में वसूल करने का हक होगा। परन्तु यह और कि यह खंड बोर्ड के किन्हीं अन्य अधिकारों, शक्ति और उपचारों को प्रभावित नहीं करेगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप ऊपर वर्णित बाध्यताधारी ने ऊपर सर्वप्रथम लिखित तारीख को इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है।

बाध्यताधारी श्री..................ने

....

....

ाति में हस्ताक्षर किए और परिदान किया।

ेट सहकारी सोसाइटी से पहले बने गृह/फ्लैट के में निष्पादित किए जाने वाले प्रतिभूति बंध-

(प्रतिभूति बंधपत्र)

हम, 1..................................

2. ....जो......के..........

(विभाग आदि) के हैं, स्वयं को..........के लिए (जिसे इसमें इसके पश्चात् बाध्यताधारी कहा गया है) प्रतिभूति घोषित करते हैं और यह प्रत्याभूति देते हैं कि बाध्यताधारी वह सभी कार्य करेगा जिसको करने का वचनबद्ध उसने बोर्ड के पक्ष में उसके द्वारा निष्पादित तारीखः.......के बंधपत्र के अधीन किया है। हम बोर्ड को..........रु० (केवल............रुपए) की राशि का, जो उक्त बंधपत्र के अधीन बाध्यताधारी द्वारा शोध्य और संदेय राशि है, केवल ऐसी राशि का जो बोर्ड उसको (बोर्ड को) बाध्यताधारी के व्यक्तिक्रम के कारण हुई किसी हानि या नुकसान की पूर्ति के लिए पर्याप्त समझे, संदाय करने के लिए स्वयं को अपने वारिसों और निष्पादकों को आबद्ध करते हैं। हम यह करार भी कहते है कि बोर्ड, किसी अन्य अधिकार और उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त राशि को भू-राजस्व की बकाया के रूप में हमसे वसूल कर सकेगा और हम यह करार भी करते हैं कि बाध्यताधारी के प्रति उक्त बन्धपत्र के प्रवर्तन में किसी प्रविरति या किसी अन्य उदारता या उक्त बंधपत्र के निबंधनों में किसी परिवर्तन से या बाध्यताधारी को दिए गए किसी समय से या ऐसी किन्हीं अन्य शर्तों या परिस्थितियों से जिनके अधीन कोई प्रतिभू विधि की दृष्टि से उन्मोचित हो जाएगा, हम उक्त रकम का संदाय करने के अपने दायित्व से उन्मोचित नहीं होंगे। और इस बन्धपत्र के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए इस बंधपत्र के अधीन हमारा दायित्व मूल ऋणी के रूप में होगा और वह बाध्यताधारी के दायित्व के साथ संयुक्ततः और पृथकतः होगा।

आज तारीख.............को श्री..........की उपस्थिति में (1)...........विभाग/ कार्यालय के श्री..................ने और......विभाग/ कार्यालय के श्री...............ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रतिभू, जिनके नाम ऊपर दिए गए हैं

गृह बनाने या उसमें परिवर्धन करने की अनुज्ञा के लिए विहित प्राधिकारी को रिपोर्ट/आवेदन का प्ररूप

महोदय,

आपको रिपोर्ट की जाती है कि मैं,.............. गृह बनाना चाहता हूं /गृह में परिवर्धन करना चाहता हूं। अतः आप से अनुरोध है कि मुझे गृह बनाने/गृह में परिवर्धन करने की अनुज्ञा दी जाए। भूमि की और निर्माण।/विस्तार के लिए सामग्री की प्राक्कलित लागत नीचे दी गई है:—

भूमि

1. अवस्थिति (सर्वेक्षण सं० ग्राम, जिला, प्रदेश)
2. क्षेत्रफल
3. लागत

4. भवन सामग्री आदि:—

1. ईंट (दर/परिमाण/लागत)
2. सीमेंट (दर/परिमाण/लागत)
3. लोहा और इस्पात (दर/परिमाण/लागत)
4. लकड़ी (दर/परिमाण/लागत)
5. स्वच्छता फिटिंग (लागत)
6. विद्युत् फिटिंग (लागत)
7. अन्य कोई विशेष फिटिंग (लागत)
8. श्रम प्रभार
9. अन्य प्रभार, यदि कोई हों

भूमि और भवन की कुल लागत.....

2. निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण मैं स्वयं करूंगा।

निर्माण कार्य* .....द्वारा किया जाएगा।

ठेकेदार के साथ मेरा कोई सरकारी व्यवहार नहीं है और न मैंने ठेकेदार के साथ कोई सरकारी व्यवहार किया है / किया था और विगत काल में उसके साथ सरकारी व्यवहार को / उसके साथ मेरे व्यवहार की प्रकृति निम्नलिखित है / थी।

प्रस्तावित सन्निर्माण की लागत निम्नलिखित रूप से पूरी की जाएगी—(1) निजी बचत खाते (2) उधार/अग्रिम पूर्ण विवरण सहित (3) अन्य स्रोत पूर्ण विवरण सहित।

भवदीय

गृह के पूरा बन जाने/गृह का विस्तार पूरा हो जाने के पश्चात् विहित प्राधिकारी को रिपोर्ट का प्ररूप

महोदय,

मैंने अपने तारीख.....के पत्र सं०....., द्वारा सूचना दी थी कि मैं एक गृह बनाना चाहता हूं। मुझे गृह बनाने के लिए आदेश सं०.....तारीख.....द्वारा अनुज्ञा दी गई थी। अब वह गृह बनकर पूरा हो गया है और मैं.....[1] द्वारा सम्यक्तः प्रमाणित मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न कर रहा हूं।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

मूल्यांकन रिपोर्ट

मैं/हम प्रमाणित करता हूं/करते है कि मैंने/हमने गृह सं .....का जो श्री/श्रीमती[3] .....द्वारा सन्निर्मित किया गया है, मूल्यांकन किया है और मैंने/हमने उस गृह के मूल्य का जो प्राक्कलन किया है वह निम्नलिखित शीर्षों के अधीन इस प्रकार है :—

शीर्ष	लागत रु०	पै०
1. ईंट		
2. सीमेंट		
3. लोहा और इस्पात		
4. लकड़ी		
5. स्वच्छता फिटिंग		
6. विद्युत् फिटिंग		
7. सभी अन्य विशेष फिटिंग		
8. श्रम प्रभार		
9. सभी अन्य प्रभार		
गृह की कुल लागत		

तारीख :

मूल्यांकन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

*ठेकेदार का नाम और कारबार का स्थान लिखिए।

[1] सिविल इंजीनियरी की कोई फर्म या ख्याति प्राप्त सिविल इंजीनियर।

[2] यहां गृह का ब्यौरा लिखिए।

[3] यहां कर्मचारी का नाम, आदि लिखिए।

[पी०डब्ल्यू०/पी०ई०एल-98/79]

(पत्तन पक्ष)

सा० का० नि० 156 (अ):—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 1980 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1980 को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये विनियम बोर्ड के अधीन सभी पदों को, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत पदों को छोड़कर, लागू होंगे।

3. परिभाषाएं :—इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) अभिप्रेत है;

(ख) किसी श्रेणी या पद के संबंध में "नियुक्ति प्र कारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है श्रेणी में या पद पर नियुक्ति करने नवमंगलौर पत्तन कर्मचारी (वर्गीकर और अपील) विनियम, 1980 के है ;

(ग) "बोर्ड," "अध्यक्ष" "उपाध्यक्ष" और "विभाग का प्रधान" का वही अर्थ है जो उनका अधिनियम में है ;

(घ) "काडर" से, किसी पृथक इकाई के रूप में मंजूर की गई किसी सेवा या सेवक के किसी भाग की सदस्य संख्या, अभिप्रेत है। इसमें वे पद या उन्हीं प्रवर्गों के पद हैं जिनको धारण करने वाले व्यक्तियों को, उसी सेवा या सेवा के भाग में उच्चतर पद रिक्त होने पर, अन्तरित किए जाने या ज्येष्ठता तथा उपयुक्तता अथवा ज्येष्ठता तथा योग्यता के आधार पर प्रोन्नति किए जाने का पात्र समझा जाता है ;

(ङ) "वर्ग I पद" "वर्ग II, "वर्ग III पद" और "वर्ग IV पद", का वही अर्थ होगा जो नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1980 में उनका है ;

(च) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से ऐसी कोई समिति अभिप्रेत है जो किसी श्रेणी या पद पर प्रोन्नति या पुष्टि के लिए सिफारिश करने के प्रयोजन के लिए विनियम 29 के अधीन समय-समय पर गठित की जाती है ;

(छ) "सीधे भर्ती किया गया व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे सेवा चयन समिति द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों के आधार पर भर्ती किया गया है;

(ज) "ड्यूटी पद" से किसी विशेष प्रकार का कोई भी पद अभिप्रेत है, चाहे वह स्थायी है या अस्थायी;

(झ) "कर्मचारी" से बोर्ड का कोई कर्मचारी अभिप्रेत है;

(ञ) "श्रेणी" से अधिनियम की धारा 23 के अधीन तैयार की गई और मंजूर की गई बोर्ड कर्मचारी-वृन्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई श्रेणी अभिप्रेत है;

(ट) किसी श्रेणी या पद के संबंध में "स्थायी कर्मचारी" से ऐसा कोई कर्मचारी अभिप्रेत है जिसे उस श्रेणी या पद में किसी स्थायी रिक्ति पर अधिष्ठायी रूप में नियुक्त किया गया है;

(ठ) "अनुसूची" से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

( ) "अनुसूचित जातियां" और "अनुसूचित जनजातियां" का वही अर्थ है जो उनका भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) में

ो श्रेणी या पद के संबंध में "चयन सूची" स श्रेणी या पद के लिए विनियम 30 के खंड (ङ) के अनुसार तैयार की गई चयन सूची अभिप्रेत है;

(ण) "चयन पद" से ऐसा कोई पद अभिप्रेत है जो इन विनियमों के विनियम 7 के अधीन ऐसे पद के रूप में घोषित किया गया है !

(त) "सेवा चयन समिति" से ऐसी समिति अभिप्रेत है जो सीधी भर्ती के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों के माध्यम से अभ्यर्थियों के चयन के लिए नियम 16 के अधीन गठित की गई है;

(थ) किसी श्रेणी या पद के संबंध में "अस्थायी कर्मचारी" से ऐसा कोई कर्मचारी अभिप्रेत है जो उस श्रेणी या पद में अस्थायी या स्थानापन्न रूप में नियुक्त है।

4. कर्मचारियों की श्रेणीकरण सूची :—कर्मचारियों की परस्पर ज्येष्ठता को उपदर्शित करने वाली श्रेणीकरण सूची प्रत्येक श्रेणी के लिए रखी जाएगी। सूची में स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को पृथक-पृथक दर्शित किया जाएगा।

5. प्राधिकृत स्थायी और अस्थायी सदस्य संख्या :—विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत स्थायी और अस्थायी सदस्य संख्या वह होगी जो अधिनियम की धारा 23 के अधीन समय-समय पर तैयार और मंजूर की गई कर्मचारिवृन्द अनुसूची में है।

6. नियुक्तियां :—सभी पदों पर, जिन्हें ये विनियम लागू होते हैं, नियुक्तियां इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार की जाएंगी। नियुक्तियां या तो कर्मचारियों की प्रोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा की जाएंगी, या सीधी भर्ती द्वारा।

7. भर्ती की पद्धति :—भर्ती की पद्धति, आयु, शिक्षा, प्रशिक्षण से संबंधित अर्हताएं, न्यूनतम अनुभव संबंधी अर्हताएं, आवश्यक और/या वांछनीय अर्हताएं, चयन पदों या अचयन पदों के रूप में पदों का वर्गीकरण और विभिन्न पदों पर नियुक्ति से संबंधित अन्य विषय इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथादर्शित रूप में होंगे :

परन्तु विहित अधिकतम आयु-सीमा निम्नलिखित रूप से शिथिल की जा सकेगी, अर्थात्:—

(1) यदि न्यूनतम विहित अनुभव 10 वर्ष या अधिक है तो 5 वर्ष तक और यदि न्यूनतम विहित अनुभव 5 से 9 वर्ष तक है तो 3 वर्ष तक अध्यक्ष द्वारा शिथिल की जा सकेगी;

(2) ऐसे अभ्यर्थी की दशा में, जो भूतपूर्व सैनिक है, अर्थात्, भारतीय रक्षा सेवा का भूतपूर्व कर्मचारी है, और जिसने रक्षा बलों में कम से कम छह मास निरंतर सेवा की है, उतनी अवधि के लिए शिथिल की जा सकेगी जितनी अवधि तक उसने रक्षा बलों में सेवा की है घन 3 वर्ष, किन्तु यह तब जब भरी जाने वाली रिक्ति ऐसे भूतपूर्व

सैनिकों और युद्ध में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों के लिए आरक्षित है और यह सीमा रक्षा बलों में उसके द्वारा की गई सेवा की कुल अवधि तक के लिए उस दशा में शिथिल की जा सकेगी जब कि भरी जाने वाली रिक्ति अनारक्षित रिक्ति है; और

(3) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में ऐसे आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकेगी जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में ऐसी सेवाओं या उसके अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए समय-समय पर केन्द्रीय सरकार जारी करे :

परन्तु यह और भी कि विहित न्यूनतम आयु-सीमा और शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं अच्छे और पर्याप्त कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, अध्यक्ष द्वारा उस दशा में शिथिल की जा सकेगी जब अभ्यर्थी को अन्यथा उपयुक्त या सुअर्हित पाया जाता है :

परन्तु यह और कि अनुभव संबंधी अर्हताएं अध्यक्ष के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में उस दशा में शिथिल की जा सकती है, जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष की यह राय है कि इनके लिए आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

8. परिवीक्षा :—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट किसी पद पर चाहे सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किया जाता है, उप-विनियम (2) और (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अनुसूची में उस पद के सामने विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु जहां नियुक्ति ही, नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट किसी अवधि के लिए है वहां ऐसी नियुक्ति ऐसी अवधि की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जाएगी, जब तक कि ऐसी अवधि को नियुक्ति प्राधिकारी बढ़ा नहीं देता है।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी ठीक समझता है तो वह परिवीक्षा की अवधि को, एक बार में, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए बढ़ा सकेगा किन्तु ऐसे बढ़ाए जाने की कुल अवधि, उस दशा को छोड़कर जब कि ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध किसी विभागीय या विधिक कार्रवाई के लम्बित होने के कारण ऐसी वृद्धि आवश्यक है, विहित प्रारम्भिक परिवीक्षा की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी ठीक समझता है तो उपयुक्त मामलों में, परिवीक्षा की अवधि को कम किया जा सकेगा।

(4) कर्मचारी से उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान ऐसा विभागीय प्रशिक्षण लेने और ऐसी विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकती है जो अध्यक्ष समय-समय पर इसे निर्मित विनिर्दिष्ट करे।

9. परिवीक्षाधीन कर्मचारियों की पुष्टि :—(1) जब किसी कर्मचारी ने, जिसे किसी श्रेणी या पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया है, विनिर्दिष्ट विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं और नियुक्ति प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली है तो वह कोई स्पष्ट स्थायी रिक्ति उपलब्ध होने पर, उस श्रेणी या पद पर पुष्टि के लिए पात्र होगा।

(2) जब तक कि परिवीक्षाधीन कर्मचारी इस विनियम के अधीन पुष्ट नहीं कर दिया जाता है या विनियम 10 के अधीन सेवामुक्त या प्रत्यावर्तित नहीं कर दिया जाता है तब तक वह परिवीक्षाधीन कर्मचारी की प्रास्थिति में बना रहेगा।

10. परिवीक्षाधीन कर्मचारियों की सेवोन्मुक्ति या प्रत्यावर्तन :—(1) परिवीक्षाधीन कर्मचारी, जिसका किसी पद पर कोई धारणाधिकार नहीं है, बिना किसी सूचना के किसी भी समय सेवोन्मुक्त किया जा सकेगा,—

(क) यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान उसके कार्य करने या आचरण के आधार पर उसे सेवा में आगे बनाये रखने के लिए अनुपयुक्त समझा जाता है ; या

(ख) यदि उसकी राष्ट्रिकता, आयु, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य अर्हताओं या पूर्ववृत्त से संबंधित किसी जानकारी की प्राप्ति पर नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि वह सेवा में बनाए रखे जाने के लिए अपात्र या अन्यथा अनुपयुक्त है।

(2) परिवीक्षाधीन कर्मचारी, जिसका किसी पद पर कोई धारणाधिकार है, उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय ऐसे पद को प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।

(3) परिवीक्षाधीन कर्मचारी, जिसे विनियम 8 में विहित परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर पुष्टि के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है, यथास्थिति उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) के अनुसार सेवोन्मुक्त या प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

11. जयेष्ठता :—(1) स्थायी कर्मचारी-किसी श्रेणी या पद पर अधिष्ठायी रूप में नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उसी क्रम में विनियमित की जाएगी जिस क्रम में वे ऐसे नियुक्त किए जाते हैं।

(2) अस्थायी कर्मचारी—श्रेणी में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों और विभागीय प्रोन्नति के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता पदों के उसी चक्रानुक्रम में निश्चित की जाएगी जिसमें कि सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए पद रिक्त हुए हैं। यह चक्रानुक्रम उस श्रेणी में सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे पर आधारित होगा।

(3) सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की पारस्परिक पंक्ति उसी योग्यता क्रम में निश्चित की जाएगी जिसमें कि उन्हें ऐसी किसी परीक्षा या साक्षात्कार के, जिसके आधार पर उनकी भर्ती की गई है, परिणामस्वरूप रखा गया है। किसी पूर्वतर परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर भर्ती किए गए व्यक्ति उन व्यक्तियों से ज्येष्ठ पंक्ति में होंगे जो किसी पश्चात्वर्ती परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर नियुक्त किए जाते है।

(4) रिक्तियों के प्रोन्नति कोटे मद्दे नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक पंक्ति उसी क्रम में निश्चित की जाएगी जिस क्रम में कि उन्हें विभागीय प्रोन्नति समिति ने प्रोन्नति के लिए अनुमोदित किया है।

(5) उक्त उप-विनियम (1) से (4) तक में किसी बात के होते हुए भी इन विनियमों के प्रारम्भ से पूर्व अवधारित की गई ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा।

12. रोस्टर का रखा जाना :– विभाग का प्रधान अपने विभाग में प्रत्येक श्रेणी के लिए यह दर्शित करने के लिए एक रोस्टर रखेगा कि कोई विशिष्टि रिक्ति सीधी भर्ती द्वारा भरी जानी चाहिए या प्रोन्नति द्वारा, किन्तु सामान्य काडरों के संबंध में ऐसा रोस्टर सचिव रखेगा।

13. आरक्षण :—(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष मे केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर नियुक्तियों के, चाहे वे सीधी भर्ती द्वारा की जाएं या प्रोन्नति द्वारा, आरक्षण के लिए समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश, इन विनियमों के अन्तर्गत सभी नियुक्तियों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगें।

(2) भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध में मारे गए व्यक्तियो के आश्रितों के पक्ष में केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर नियुक्तियों के, जिनके लिए सीधी भर्ती की जानी है, आरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश, इन विनियमों के अन्तर्गत नियुक्तियों को भी लागू होंगे।

14. सीधी भर्ती के लिए आवेदन :—(1) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी, ऐसी तारीख से पूर्व और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में आवेदन करेगा, जो अध्यक्ष समय-समय पर विहित करे। वह अपनी आयु, अर्हताओं और अनुभव के बारे में ऐसे सबूत भी प्रस्तुत करेगा, जिनकी अध्यक्ष अपेक्षा करे।

(2) आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्ये[illegible] भारत में आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत [illegible] से, तम तारीख होगी।

15. सीधी भर्ती के लिए पात्रता और निरर्हताएं :—(1) कोई व्यक्ति किसी श्रेणी या पद पर सीधी भर्ती के लिए तभी पात्र होगा जब कि वह,

(क) भारत का नागरिक है; या

(ख) नेपाल की प्रजा है; या

(ग) भूटान की प्रजा है; या

(घ) तिब्बती शरणार्थी है जो भारत में 1 जनवरी, 1962 से पूर्व इस आशय से आया है कि वह स्थायी रूप से भारत मे बसेगा; या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा कोई व्यक्ति है जो भारत मे स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, या पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, उगान्डा या तंजानिया, संयुक्त गणराज्य, जाम्बिया, मलावी, जैरे और इथोपिया और वियतनाम से आया है;

परन्तु प्रवर्ग (क) के अभ्यर्थी को अपनी राष्ट्रिकता के बारे मे ऐसा सबूत प्रस्तुत करना होगा जिसकी अध्यक्ष समय-समय पर अपेक्षा करे;

परन्तु यह और भी कि प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया है;

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में राष्ट्रिकता या पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, तब तक के लिए अनंतिम रूप में नियुक्त किया जा सकता है जब तक वह यथास्थिति, आवश्यक सबूत या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके पक्ष में जारी किया गया आवश्यक प्रमाणपत्र, प्रस्तुत करता है।

(2) वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

किसी ऐसी श्रेणी में या पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा जिसको ये विनियम लागू होते है:

परन्तु यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति का इस उप-विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान करना होगा कि उसका शील और पूर्ववृत ऐसा है कि वह किसी भी श्रेणी या पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त है। ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसे नैतिक अधमता अन्तर्वलित करने वाले किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है या जिसे दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है, बोर्ड की सेवा मे नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

(4) यदि यह प्रश्न होता है कि किसी अभ्यर्थी ने इन विनियमो की सभी या किसी अपेक्षा की पूर्ति की है या नही, तो उसका विनिश्चय अध्यक्ष करेगा।

(5) अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उप विनियम (1) की अपेक्षाओं में से किसी को भी उपान्तिरित या उसका अधित्यजन उस दशा में कर सकेगा जब किसी विशेष प्रकृति के कार्य के लिए नियुक्ति की जानी है और ऐसा कोई उपयुक्त अभ्यर्थी मिलना सम्भव नहीं है जो इन विनियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है।

(6) अभ्यर्थी का स्वस्थ होना : अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक होनी चाहिए और ऐसे सभी शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिससे कि बोर्ड के कर्मचारी के रूप में उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में रुकावट संभाव्य है। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी किसी स्वास्थ्य परीक्षा के पश्चात्, जो अध्यक्ष विनिर्दिष्ट करे, अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसे नियुक्त नहीं किया जाएगा।

16. सेवा चयन समिति–(1) जैसा कि उप-विनियम (2) में उल्लिखित है, प्रत्येक प्रवर्ग के पदों के लिए एक सेवा चयन समिति होगी और ऐसी समिति का यह मुख्य कृत्य होगा कि वह सीधे भर्ती द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करने के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के विषय में नियुक्ति प्राधिकारी को सलाह दे और उसकी सहायता करे।

(2) उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट पदों के प्रवर्ग और उसके लिए सेवा चयन समिति निम्नलिखित होगी, अर्थात् :—

(क) वर्ग I और वर्ग II पदों के लिए :

अध्यक्ष : अध्यक्ष, या उपाध्यक्ष, यदि कोई नियुक्त किया गया है, जैसा अध्यक्ष विनिश्चित करे।

सदस्य : (i) उस विभाग का प्रधान, जिसमें रिक्ति विद्यमान है ;

(ii) सचिव ;

(iii) उस विभाग के प्रधान के जिसमें कि रिक्ति विद्यमान है परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी अन्य विभाग का प्रधान या कोई ज्येष्ठ अधिकारी ; और

(iv) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे तो, नव मंगलौर पत्तन न्यास के बाहर का कोई एक व्यक्ति जिसकी, अध्यक्ष की राय में, उपयुक्त वृत्तिक या तकनीकी पृष्ठभूमि है और जिसे उस क्षेत्र में अनुभव प्राप्त है, जिसके लिए चयन किया जाना है।

(ख) वर्ग III और वर्ग IV पद :

अध्यक्ष : उस विभाग का प्रधान, जिसमें रिक्ति विद्यमान है।

सदस्य : (i) सचिव ;

(ii) विभागों के प्रधान के उप अधिकारी की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी । इसका नाम निर्देशन अध्यक्ष उस विभाग के प्रधान के परामर्श से करेगा जिसमें कि रिक्ति विद्यमान है; और

(iii) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे तो, नव मंगलौर पत्तन न्यास के बाहर का कोई एक व्यक्ति जिसकी, अध्यक्ष की राय में, उपयुक्त वृत्तिक या तकनीकी पृष्ठभूमि है और जिसे उस क्षेत्र में अनुभव प्राप्त है, जिसके लिए चयन किया जाना है।

टिप्पण : यदि किसी एक ही चयन के द्वारा एक से अधिक विभाग में हुई रिक्तियों के लिए भर्ती की जानी है तो समिति के गठन की बाबत विनिश्चय अध्यक्ष, समय-समय पर करेगा।

(3) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी, सीधी भर्ती द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने से संबंधित विषयों में नियुक्ति प्राधिकारी को सलाह देने और उसकी सहायता करने के लिए अध्यक्ष किसी परामर्शदाता को या परामर्शदाता फर्म को नियोजित कर सकेगा।

17. सीधी भर्ती की रीति :—सीधी भर्ती द्वारा सभी नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, संबंधित सेवा चयन समिति, परामर्शदाता या किसी परामर्शदाता फर्म की सिफारिश पर की जाएंगी :

परन्तु अध्यक्ष को ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह हक होगा कि वह किसी विशिष्ट मामले में ऐसी सिफारिश स्वीकार न करे :

परन्तु यह और भी कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष का अधीनस्थ प्राधिकारी है और वह प्राधिकारी किसी मामले में ऐसी सिफारिश से असहमत है तो वह ऐसी असहमति के लिए कारण अभिलिखित करेगा और मामला अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा और अध्यक्ष ऐसा मामला विनिश्चित करेगा ;

परन्तु यह और कि पूर्णतः अस्थायी प्रकृति की रिक्तियों और छुट्टी के कारण हुई रिक्तियों के मामले में, यदि विनियम 24 में निर्दिष्ट प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए सम्बन्धित सेवा चयन समिति, परामर्शदाता या परामर्शदाता फर्म द्वारा सिफारिश किया गया कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो अध्यक्ष अपने विवेकानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसी रिक्तियों में उपयुक्त व्यक्तियों को अधिक से अधिक छह मास की अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :—

(1) ऐसा अभ्यर्थी जिसने छह मास की सेवा पूरी कर कर ली है, पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा या सेवा में नहीं बना रखा जाएगा, जब तक कि उसका चयन यथा[illegible] [redacted]सेवा चयन समिति, परामर्शदाता [illegible] [redacted]र्शदाता फर्म/द्वारा कर नहीं लिया जाता है; और

(2) पूर्णतः अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्ति की सेवाएं, यथास्थिति, सम्बन्धित सेवा चयन समिति, परामर्शदाता या परामर्शदाता फर्म द्वारा चयन किए गए अभ्यर्थी के उपलब्ध होते ही समाप्त कर दी जाती है :

परन्तु यह और कि तुरन्त आवश्यकता के मामले में और जब प्रतीक्षा सूची समाप्त हो चुकी है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यथास्थिति उपयुक्त सेवा चयन समिति; परामर्शदाता या परामर्शदाता फर्म द्वारा चयन होने तक के लिए पूर्णतः अस्थायी आधार पर नियुक्ति कर सकेगा।

18. कतिपय दशाओं में पदों का विज्ञापित किया जाना :— यदि ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय रोजगार कार्यालय उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम की सिफारिश करने की स्थिति में नहीं है तो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद विज्ञापित किए जाएंगे।

टिप्पण :—अधिसूचनाओं और विज्ञापनों की प्रतियां साथ ही साथ निम्नलिखित को भेजी जाएंगी—(1) महानिदेशक, नियोजन तथा भूतपूर्व सैनिक सैल, नई दिल्ली–1 ; और

(2) ऐसी संस्थाएं आदि जो सेवाओं में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथास्थिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि के रूप में मान्यताप्राप्त है।

19. कुछ दशाओं में उच्चतर प्रारम्भिक वेतन देना या शारीरिक दोषों की बाबत छूट देना :—यथास्थिति, सेवा चयन समिति परामर्शदाता या परामर्शदाता फर्म, नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की बाबत सिफारिश करने के साथ ही उपयुक्त मामलों में, यह सिफारिश कर सकेगी कि ऐसे अभ्यर्थियों को कोई उच्चतर प्रारम्भिक वेतन दिया जाए या उसके शारीरिक दोष की बाबत छूट दी जाए।

20. समर्थन के लिए संयाचना से निरर्हता :—यदि कोई व्यक्ति बोर्ड की सेवा में नियुक्ति के लिए अपने आवेदन के सम्बन्ध में या किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए किसी भी रीति में समर्थन प्राप्त करने लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वयं या अपने सम्बन्धियों या मित्रों द्वारा संयाचना करने या कराने का प्रयास करेगा तो वह ऐसी नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए निरर्हित हो जाएगा।

21. तथ्यों को छिपाना :—यदि किसी अभ्यर्थी के बारे में यह पाया जाता है कि उसने जानबूझकर ऐसी कोई विशिष्टियां प्रस्तुत की हैं जो मिथ्या हैं या ऐसी प्रकृति की कोई तात्विक जानकारी छिपाई है जो यदि ज्ञात हो जाती तो उसे बोर्ड की सेवा में नियुक्ति पाने से साधारणतया विवर्जित कर देती, तो वह निरर्हित होने और यदि नियुक्त कर दिया गया [illegible]वा से पदच्युत किए जाने का दायी होगा।

22. सीधी भर्ती के लिए विद्यमान कर्मचारियों की पात्रता :— जब सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद विज्ञापित किए जाते हैं तो पहले से ही सेवारत कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं, परन्तु यह तब जब कि उनके पास विहित अर्हताएं और अनुभव हैं।

23. कतिपय दशाओं में लिखित और प्रायोगिक परीक्षण सेवा :—वर्ग I पदों की दशा में अध्यक्ष और अन्य पदों की दशा में अध्यक्ष या यदि नियुक्त किया गया है तो उपाध्यक्ष, यह विनिश्चित कर सकेगा कि कोई लिखित या प्रायोगिक परीक्षा या दोनों ली जानी चाहिएं या नहीं। वह उस अधिकारी को नामित करेगा, जो उक्त परीक्षा लेगा और ऐसी परीक्षा की रीति तथा तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरे भी अधिकथित करेगा।

24. नियुक्ति के लिए अनुमोदित अभ्यर्थियों की सूची— यथास्थिति सेवा चयन समिति, परामर्शदाता या परामर्शदाता फर्म, योग्यताक्रम में, जो उसने तय किया है, उन चयन किए गए अभ्यर्थियों के नामों की सिफारिश कर सकेगी, जिन्हें सीधी भर्ती के लिए रखे गए पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। ऐसी सूची उस तारीख से बारह मास की अवधि के लिए विधिमान्य समझी जाएगी जिस तारीख को ऐसी सूची को अन्तिम रूप दिया जाता है। प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर समुचित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए प्रस्थापना की जानी संभाव्य है, यह सूचित किया जा सकता है कि उनका नाम ऐसी रिक्तियों के सम्बन्ध में जिनका निकट भविष्य में होना, सम्भाव्य है, आमेलित किए जाने के लिए प्रतीक्षा सूची में रखा गया है।

25. नियुक्ति आदेश रद्द करना :—यदि कोई अभ्यर्थी, जिसका चयन सीधी भर्ती के लिए रखे गए पद के लिए किया गया है, नियुक्ति आदेश में उल्लिखित तारीख के भीतर और यदि ऐसी कोई तारीख उल्लिखित नहीं की गई है तो ऐसे नियुक्ति आदेश के जारी किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर, या ऐसी किसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो अध्यक्ष नियत करे, पदग्रहण करने में असफल रहता है तो यह समझा जाएगा कि नियुक्ति-आदेश रद्द कर दिया गया है।

26. साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ते का संदाय :—सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की दशा में, ऐसी सभी यात्राओं का जो अभ्यर्थियों (जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति भी हैं जो पहले से ही बोर्ड की सेवा में हैं) को लिखित या प्रायोगिक परीक्षा या साक्षात्कार के प्रयोजन के लिए करनी पड़े, खर्च स्वयं उन्हें उठाना होगा। किन्तु लिखित या प्रायोगिक परीक्षा या साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को, बोर्ड द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए आदेशों के अनुसार, यात्रा भत्ता दिया जा सकेगा।

27. ऐसे कर्मचारियों के, जिनकी, मृत्यु हो गई है, निकट नातेदारों का नियोजन :—इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या यदि नियुक्त किया गया है तो उपाध्यक्ष इन विनियमों में भर्ती के लिए विहित की गई प्रसामान्य प्रक्रिया को त्याग कर बोर्ड के कर्मचारी के, किसी मृत्यु सेवा में होते हुए हो जाती है, धर्मज पुत्र या पुत्री या किसी अति निकट नातेदार या ऐसे कर्मचारी की/के उत्तरजीवी पति/पत्नी को नियुक्त कर सकेगा किन्तु यह तब जब इस प्रकार

नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास विहित अर्हताएं और अनुभव है यहां वह अन्यथा उपयुक्त पाया जाता है।

टिप्पण :—इस विनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग करते समय, नियुक्ति की प्रसामान्य प्रक्रिया से विचलन के कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा। इस उपबन्ध का उद्देश्य निर्धनावस्था में कुटुम्ब की सहायता करना है।

28. अंशकालिक नियुक्ति:—अध्यक्ष किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, ऐसी किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, जो एक बार में 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, तथा ऐसे अन्य निबन्धनों पर जो वह समय-समय विनिर्दिष्ट करे, अंशकालिक रूप में नियुक्त कर सकेगा।

29. विभागीय प्रोन्नति समिति:—(1) बोर्ड के विभिन्न यूनिटों के लिए प्रत्येक प्रवर्ग के पदों की बाबत, उप विनियम (2) में उल्लिखित रूप में, एक विभागीय प्रोन्नति समिति होगी। ऐसी समिति के मुख्य कृत्य इन विनियमों के अनुसार प्रोन्नति द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने संबन्धी विषयों में नियुक्ति प्राधिकारी को सलाह देना और उसकी सहायता करना है।

(2) पदों में प्रवर्ग और उनके लिए उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समितियों का गठन निम्नलिखित रूप में होगा, अर्थात् :—

(क) वर्ग I और वर्ग II पदों के लिए :—

(1) अध्यक्ष ;

(2) उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया है ;

(3) सचिव या वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी (सी०ए०ओ०), जिसे अध्यक्ष किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट करे ; और

(4) उस विभाग का प्रधान, जिसमें रिक्ति विद्यमान है।

टिप्पण : अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष यदि कोई नियुक्त किया गया है, इस समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा। यदि अपरिहार्य कारणों से, यथास्थिति, सचिव या वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उनके सम्बन्धित विभाग का कोई ज्येष्ठ अधिकारी, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, उसमें उपस्थित हो सकता है।

(ख) वर्ग III और वर्ग IV पदों के लिए :—

(1) उस विभाग का प्रधान जिसमें रिक्ति विद्यमान है ;

(2) सचिव ; और

(3) दो अधिकारी जो विभाग के प्रधान के उस अधिकारी की पंक्ति से नीचे के न हों, जो किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे :

परन्तु यदि एक ही चयन के आधार पर एक से अधिक विभागों में रिक्तियों पर प्रोन्नति की जानी है तो उसके लिए समिति के गठन की बाबत विनिश्चय अध्यक्ष समय-समय पर करेगा :

परन्तु यह और भी कि यथासम्भव सम्बन्धित विभाग का प्रधान और दो अन्य अधिकारी, जिन्हें समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, व्यक्तिगत रूप से अधिवेशन में सम्मिलित होंगे। यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से, वे किसी अधिवेशन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नही हो सकते हैं, तो उनके अपने-अपने विभाग के ठीक अगले ज्येष्ठ अधिकारी अधिवेशन में उपस्थित होंगे।

टिप्पण :—सम्बन्धित विभाग का प्रधान यदि उपस्थित है तो, और उसकी अनुपस्थिति में, सचिव समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

30. प्रोन्नतियों के लिए चयन-क्षेत्र—(1) यदि प्रोन्नति किसी अचयन पद पर की जानी है तो चयन के लिए साधारणतया उन कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा जो उस काडर की, जिससे कि प्रोन्नतियां की जानी हैं, पदक्रम सूची में ज्येष्ठतम हैं। यदि प्रोन्नति किसी चयन पद पर की जानी है तो चयन-क्षेत्र विद्यमान रिक्तियों की संख्या से कम से कम तीन गुने तक, किन्तु अधिक से अधिक पांच गुने तक का होगा, किन्तु यह तब जब कि आवश्यक अर्हताएं और अनुभव रखने वाले ऐसे कर्मचारी उपलब्ध हैं। विभागीय प्रोन्नति समिति स्वविवेकानुसार असाधारण परिस्थितियों के अनुसार इस सीमा में परिवर्तन कर सकती है।

(2) विभागीय प्रोन्नतियां करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत और प्रक्रिया का सामान्यतः अनुपालन किया जाएगा अर्थात् :—

(क) किसी भी कर्मचारी को किसी उच्चतर पद पर तब तक प्रोन्नत नही किया जाएगा जब तक उसके अभिलेख मे यह दर्शित नही होता है कि उच्चतर पद के लिए उसके पास आवश्यक निश्चित अर्हताएं है। ऐसी अर्हताओं के अन्तर्गत, कर्मचारी का व्यक्तित्व शैक्षिक अर्हताएं, नेतृत्व, चरित्र बल और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व सम्भालने के लिए तैयार रहना है।

(ख) किसी चयन पद पर प्रोन्नति की दशा में, किसी भी ऐसे कर्मचारी की, जिसके पास खण्ड (क) में निर्दिष्ट निश्चित अर्हताएं है, उससे कनिष्ठ किसी कर्मचारी की तुलना में, उपेक्षा नहीं की जाएगी जब तक कि किन्ही विशेष कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, अध्यक्ष अन्यथा निर्दिष्ट न करे।

(ग) किसी वरिष्ठ पद पर प्रोन्नति की दशा में, विभागीय प्रोन्नति समिति सम्बन्धित कर्मचारियों की योग्यता का निर्धारण करेगी और उन्हें वह उत्कृष्ट, 'बहुत अच्छा' और 'अच्छा' के आधार पर श्रेणीकृत करेगी और उनकी ज्येष्ठता के क्रम से सम्बन्धित चयनसूची में उनके नाम लिखेगी । उत्कृष्ट कर्मचारी चयनसूची में उन कर्मचारियों से ज्येष्ठ होंगे जो 'बहुत अच्छा' श्रेणी के हैं और 'बहुत अच्छा' श्रेणी के कर्मचारी उन कर्मचारियों से ज्येष्ठ होंगे जो 'अच्छा' श्रेणी के है और इसी प्रकार ज्येष्ठता आंकी जाएगी ।

(घ) खण्ड (क) और खण्ड (ग) में अधिकथित सिद्धांतों के प्रयोजन के लिए तुलनात्मक दृष्टि से कर्मचारियों की योग्यता का निर्धारण करने में, सम्बन्धित कर्मचारियों की योग्यता, उत्साह, नेतृत्व, उत्तरदायित्व की भावना आदि को, जो किसी निश्चित अवधि (यदि सम्भव है तो तीन वर्ष से कम की अवधि न हो) में प्रकट हुआ है, विचार में लिया जाएगा और यथासम्भव तीन भिन्न-भिन्न वरिष्ठ अधिकारियों की रिपोर्टों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात निर्णय किया जाएगा ;

(ङ) विभागीय प्रोन्नति समिति समय समय पर ऐसे पदों के सम्बन्ध में जो प्रोन्नति द्वारा भरे जाने हैं, उस काडर से जिससे कि प्रोन्नतियां की जानी है, पात्र कर्मचारियों की चयन सूची तैयार करेगी ;

(च) चयन सूची साधारणतया खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, तैयार की जाएगी ;

(छ) आकस्मिक और अप्रत्याशित रिक्तियों के लिए व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक चयन सूची में कर्मचारियों की संख्या सामान्यत: उन रिक्तियों की संख्या से थोड़ी अधिक होगी जिनके आगामी बारह मास में उच्चतर पदों के लिए होने की सम्भावना है ।

31. प्रोन्नति के कुछ मामलों में अर्हताएं शिथिल करना.— यदि कोई पद प्रोन्नति द्वारा भरा जाना है तो विभागीय प्रोन्नति समिति, अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन रहते हुए शैक्षणिक अर्हताओं को उस दशा में शिथिल कर सकेगी जब कि प्रोन्नत किया जाने वाला अभ्यर्थी पर्याप्त अनुभव के कारण अन्यथा उपयुक्त और अर्हित है ।

32. तदर्थ नियुक्तियां:—प्रोन्नति द्वारा सभी नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस क्रम में की जाएगी जिसमें कि वे सम्बन्धित चयनसूची में रखे गए हैं :

परन्तु तुरन्त आवश्यक मामले में और उस दशा में जब कि प्रोन्नति के लिए उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, अध्यक्ष या अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से नियुक्ति प्राधिकारी एक बार में अधिक से अधिक छह मास अवधि के लिए पूर्णत: तदर्थ आधार पर नियुक्ति कर सकता है किन्तु ऐसी तदर्थ नियुक्ति की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी ।

33. कतिपय मामलों में पुष्टिकरण के लिए विभागीय परीक्षाएं:—अध्यक्ष, समय-समय पर उस प्रवर्गों के पदों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन पर पुष्टि या प्रोन्नति किसी अर्हक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर की जाएगी । अध्यक्ष समय-समय पर ऐसी अर्हक विभागीय परीक्षा के ब्यौरों को भी विनिर्दिष्ट कर सकेगा । इन ब्यौरों के अन्तर्गत होगी, परीक्षा लेने की प्रक्रिया, परीक्षा का पाठ्यक्रम, वे अन्तराल जिनमें ऐसी परीक्षा ली जाएगी, वह अधिकतम अवधि जिसमें अभ्यर्थियों को ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, आदि ।

34. विभागीय परीक्षाओं में असफल रहने के कारण प्रत्यावर्तन किसी पद पर प्रोन्नति कर्मचारी को ऐसी अर्हक विभागीय परीक्षा जो समय-समय पर अध्यक्ष विनिर्दिष्ट करे, और ऐसी अवधि के भीतर जो वह विनिर्दिष्ट करे, उत्तीर्ण करनी होगी अन्यथा कर्मचारी को प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा न जहां किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना एक पुरोभाव्य शर्त के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है वहां ऐसे किसी पद पर प्रोन्नति के लिए किसी कर्मचारी पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा तब तक कि वह विहित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है :

परन्तु किसी विशिष्ट मामले में, ऐसे विशेष कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएगें अध्यक्ष ऐसी किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की शर्त शिथिल कर सकेगा ।

35. प्रतिनियुक्ति किसी भी कर्मचारी को, ऐसी निबन्धनों पर जिनके लिए अध्यक्ष समय-समय पर रजामन्द हो, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकारण, किसी कानूनी उपक्रम या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित किसी सरकारी कम्पनी या ऐसे किसी संस्थान के, जिसे सरकार से अनुदान प्राप्त होता है, नियंत्रण के अधीन, प्रतिनियुक्ति पर सेवा या अन्यत्र सेवा की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

36. निर्वचन:— यदि इन विनियमों में से किसी के निर्वचन— के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो मामला बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा और बोर्ड उस पर अपना विनिश्चय देगा ।

37. निरसन और व्यावृत्ति:—इन विनियमों के सत्स्थानी निम्नलिखित नियम जो इन विनियमों के प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, निरसित किए जाते हैं, अर्थात् :—

(1) नव मंगलौर पत्तन (उपसंरक्षक, बन्दरगाह मास्टर और पायलट भर्ती नियम, 1975) ।

(2) नव मंगलौर पत्तन (अधीक्षण इंजीनियर सिविल) भर्ती नियम, 1976 ।

(3) नव मंगलौर पत्तन (अधीक्षण इंजीनियर-यांत्रिक) भर्ती नियम, 1977 ।

(4) नव मंगलौर पत्तन (कार्यपालक इंजीनियर-सिविल यांत्रिक और वैद्युत) भर्ती नियम, 1977 ।

(5) नव मंगलौर पत्तन (वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी और लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 1976।

(6) नव मंगलौर पत्तन (खदान प्रबन्धक) भर्ती नियम, 1979।

(7) नव मंगलौर पत्तन (समुद्री सर्वेक्षण) भर्ती नियम, 1976।

(8) नव मंगलौर पत्तन (सम्पदा अधिकारी) भर्ती नियम, 1976।

(9) नव मंगलौर पत्तन (सिविल सहायक सर्जन की श्रेणी का चिकित्सा अधिकारी) भर्ती नियम, 1976।

(10) नव मंगलौर पत्तन (सहायक इंजीनियर) भर्ती नियम, 1976।

(11) नव मंगलौर पत्तन (सुरक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 1976।

(12) नव मंगलौर पत्तन (सहायक यातायात प्रबन्धक) भर्ती नियम, 1977।

(13) नव मंगलौर पत्तन (श्रम अधिकारी) भर्ती नियम, 1976।

(14) नव मंगलौर पत्तन (ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम, 1976।

(15) नव मंगलौर पत्तन (वृत्तिक सहायक) भर्ती नियम, 1976।

(16) नव मंगलौर पत्तन (सहायक वित्त सचिव) भर्ती नियम, 1978।

(17) नव मंगलौर पत्तन (समूह ग और समूह घ पद) भर्ती नियम, 1977।

(18) नव मंगलौर पत्तन (सिगनल बोसन, ज्येष्ठ सिगनल मैन, कनिष्ठ सिगनल मैन और सिगनल खलासी) भर्ती नियम, 1975।

(19) नव मंगलौर पत्तन (यातायात निरीक्षक) भर्ती नियम, 1977।

(20) नव मंगलौर पत्तन (आशुलिपिक) भर्ती नियम, 1977।

(21) नव मंगलौर पत्तन (सहायक समुद्री कोर मैन) भर्ती नियम, 1977।

(22) नव मंगलौर पत्तन (सहायक यातायात निरीक्षक टेली लिपिक और लस्कर) भर्ती नियम, 1976।

(23) नव मंगलौर पत्तन (प्रमुख प्राथमिक उपचार सहायक और प्राथमिक उपचार सहायक) भर्ती नियम, 1976।

(24) नव मंगलौर पत्तन (पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती नियम, 1977।

(25) नव मंगलौर पत्तन (रेडियोग्राफर) भर्ती नियम, 1976।

(26) नव मंगलौर पत्तन (अभिलेख पाल) भर्ती, नियम, 1977।

(27) नव मंगलौर पत्तन (चूहेमार और परिचर) भर्ती नियम, 1978।

(28) नव मंगलौर पत्तन (ज्येष्ठ भेषजविज्ञ) नियम, 1978।

(29) नव मंगलौर पत्तन (सदेंशवाहक) भर्ती नियम, 1979।

(30) नव मंगलौर पत्तन (श्रम अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976।

(31) नव मंगलौर पत्तन (अधीक्षण इंजीनियर-सिविल) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976।

(32) नव मंगलौर पत्तन (सहायक इंजीनियर) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976।

(33) नव मंगलौर पत्तन (सिविल सहायक सर्जन की श्रेणी के चिकित्सा-अधिकारी) भती (संशोधन) नियम, 1977।

(34) नव मंगलौर पत्तन (समुद्री सर्वेक्षण) भर्ती (संशोधन) नियम, 1977।

(35) नव मंगलौर पत्तन (प्रमुख प्राथमिक चिकित्सा सहायक और प्राथमिक चिकित्सा सहायक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1977।

(36) नव मंगलौर पत्तन (आशुलिपिक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1977।

(37) नव मंगलौर पत्तन (सहायक इंजीनियर) भर्ती (संशोधन) नियम, 1978।

(38) नव मंगलौर पत्तन (कार्यपालक इंजीनियर सिविल, यांत्रिक और वैद्युत) भर्ती (संशोधन) नियम, 1978।

(39) नव मंगलौर पत्तन (वित्त सहलाकार और मुख्य लेखा अधिकारी और लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 1978।

(40) नव मंगलौर पत्तन (सहायक समुद्री कोरमैन) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979।

(41) नव मंगलौर पत्तन (पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979।

(42) नव मंगलौर पत्तन (सहायक समुद्री इंजीनियर) भर्ती नियम, 1979।

(43) नव मंगलौर पत्तन (हवार्फक्रैन प्रचालक) भर्ती नियम, 1979।

(44) नव मंगलौर पत्तन (समूह 'ग' और समूह 'घ', पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979।

(45) नव मंगलौर पत्तन (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1979।

(46) नव मंगलौर पत्तन (चूहेमार और परिचर) भर्ती (संशोधन) नियम, 1980।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरस्त उक्त नियमों के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्यवाही इन विनियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

अनुसूची

[विनियम 3(ख) और 7 देखिए]

क्रम सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	वर्गीकरण	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1.	सहायक सचिव	एक	650-30-740-35-880 द०रो०-40-960 रु०	वर्ग II	30 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से उपाधि या समतुल्य (ii) किसी सरकारी विभाग या लोक निकाय या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में जिम्मेदार हैसियत में स्थापन और लेखा कार्य का 3 वर्ष का अनुभव । वांछनीय:— (i) सरकारी नियमों और विनियमों और पत्तन प्रबंध का ज्ञान । (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से विधि में उपाधि या समतुल्य ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु शैक्षिक और अन्य अर्हताएं प्रोन्नति की और ऐसे व्यक्तियों की जो अन्य विभाग में सदृश पद धारण कर रहे हैं और प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	भर्ती की पद्धति प्रोन्नति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा प्रतिनियुक्ति द्वारा या भर्ती सीधे तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	अथवा अचयन पद	प्रोन्नति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या स्थानांतरण किया जाएगा	परिवीक्षा की विहित अवधि	टिप्पणियां
8	9	10	11	12	13
नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	चयन	प्रोन्नति: ऐसे अधीक्षक, आशुलिपिक और अध्यक्ष के निजी सहायक में से जिन्होंने अपनी अपनी श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है । प्रतिनियुक्ति/संविदा पर स्थानांतरण: केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार महापत्तन न्यास या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 550–750 रु० या समतुल्य वेतनमान के पदों पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की है या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 425–700 रु० या समतुल्य वेतनमान के पदों पर 8 वर्ष सेवा की है और जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं । (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	दो वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
2.	(सिविल सहायक सर्जन की श्रेणी का) चिकित्सा अधिकारी	दो	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु० और इस विषय पर भारत सरकार के आदेशों के अनुसार व्यवसाय निषेध भत्ता	वर्ग 2	30 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 12) की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित (लब्धानुज अर्हता से भिन्न) मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता (तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित चिकित्सा अर्हता के धारक को उक्त अधिनियम की धारा 13(3) में अनुबद्ध शर्तों को पूरा करना चाहिए]) । (ii) अनिवार्य चक्रानुक्रम इंटर्नशिप को पूर्ण करना । वांछनीय :—कन्नड़ का ज्ञान

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) या स्थानांतरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) या स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, महापत्तन न्यास और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	दो वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
3.	श्रम अधिकारी	एक	475-25-525-35-770 द०रो०-35-840-40-1000-50-1100 रु०	वर्ग 2	35 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समतुल्य । (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज सेवा या समाज कार्य (श्रम कल्याण) या समाज कल्याण या औद्योगिक श्रम के संबंध में स्नातकोत्तर उपाधि या डिप्लोमा या समतुल्य । (iii) किसी सरकारी स्थापना, लोक उपक्रम, उद्योग या किसी व्यवसाय संघ संगठन में जिम्मेदार हैसियत से श्रम समस्याएं सुलझाने का 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव । वांछनीय . (i) पत्तन के कार्य का ज्ञान और अनुभव । (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि या समतुल्य । (iii) कन्नड़ का ज्ञान ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) या स्थानांतरण द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) या स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार या महापत्तन न्यास या औद्योगिक उपक्रम के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी। (प्रतिनियुक्ति या संविदा की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	दो वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
4.	सुरक्षा अधिकारी	एक	650-30-740-35-810-ब०रो०-35-880-40-1000-ब०रो०-40-1200रु०	वर्ग 2	45 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समतुल्य। (ii) पुलिस विभाग में या सरकार के अधीन सुरक्षा विभाग में या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक उपक्रम में पर्यवेक्षीय हैसियत में 10 वर्ष का अनुभव। वांछनीय : कम्प्यूटर का ज्ञान।
5.	लेखा अधिकारी	एक	840-40-1000-ब०रो०-40-1200रु०	वर्ग 2	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	चयन	प्रोन्नति : साहयक सुरक्षा अधिकारी जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 8 वर्ष सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय या राज्य पुलिस विभाग या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	दो वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/ स्थानांतरण द्वारा।	चयन	प्रोन्नति : नवम गलौर पत्तन का ऐसा सहायक लेखा अधिकारी (जो प्रतिनियुक्ति पर नहीं है) और जिस ने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/ स्थानान्तरण : लेखा/लेखा परीक्षा की पंक्ति के अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने किसी संगठित लेखा विभाग, अर्थात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग,	दो वर्ष	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
			भारतीय रक्षा लेखा विभाग, भारतीय रेल लेखा विभाग और भारतीय डाकतार लेखा और वित्त विभाग और भारतीय सिविल लेखा सेवा, में अधीनस्थ लेखा सेवा लेखाकार (वेतनमान 550–900 रु०) की या समतुल्य श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।		

1	2	3	4	5	6	7
6.	सहायक लेखा अधिकारी	नौ	500-20-700 रु०रो०-25-900 रु०	वर्ग 2	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा ।	चयन	प्रोन्नति : (i) 20 प्रतिशत ऐसे अधीक्षकों में से जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्ष नियमित सेवा की है और (ii) 80 प्रतिशत पत्तन के ऐसे प्रधान लिपिक/आशुलिपिक 30 श्रे० लि०/भण्डारी/कनिष्ठ आशुलिपिक/नि० श्रे० लि०/रोकड़िया/टेलीफोन आपरेटरों में से जिन्होंने पूर्वोक्त किसी भी श्रेणी में कुल छह वर्ष की नियमित सेवा की है (जिसमें उच्चतर श्रेणियों जैसे कि अधीक्षक, अध्यक्ष का निजी सहायक आदि में की गई सेवा भी है) और जो पत्तन प्राधिकारियों द्वारा ली गई विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं । स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : किसी भी संगठित लेखा विभाग अर्थात् भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, भारतीय रेल लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग आदि के एस०ए० एस० लेखाकार की पंक्ति के अधिकारी । [प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं है विद्यमान दो एस०ए०एस० लेखाकार जो अधिष्ठायी हैसियत से पद धारण कर रहे हैं सहायक लेखा अधिकारी (वर्ग 2) के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे]	दो वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
						आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से सिविल इंजीनियर में उपाधि या समतुल्य । (2) बन्दरगाह इंजीनियरी में 10 वर्ष का अनुभव या किसी पत्तन पर ज्येष्ठ सिविल इंजीनियर पद मे तुलनीय अनुभव । वांछनीय : डाक और बन्दरगाहों पर प्रयुक्त होने वाले वैद्युत और यांत्रिक उपस्करों के प्रचालन का कार्यसाधक ज्ञान ।
7. अधीक्षण इंजीनियर (सिविल)	एक	1500-60-1800-100-2000 रु०	वर्ग 1	45 वर्ष		
8. कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	चार	1100-50-1600 रु०	वर्ग 1	40 वर्ष से अधिक नही		आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से सिविल इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य । (2) बन्दरगाह इंजीनियरी में 5 वर्ष का अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है), और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	चयन	प्रोन्नति : ऐसा कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष सेवा की है । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय या राज्य सरकार महापत्तन न्यास और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 1100–1600 रु० या समतुल्य वेतनमान के पद पर कम से कम 5 वर्ष सेवा की है और जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं । (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	दो वर्ष	लागू नहीं होता
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	60 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) । स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	चयन	प्रोन्नति : ऐसे सहायक इंजीनियर (सिविल) और समुद्री सर्वेक्षकों जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है । प्रति-नियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) । स्थानांतरण : केन्द्रीय या राज्य सरकारों, महा-पत्तन न्यासो या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने	दो वर्ष	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
			700–1300 रु० और 650–1200 रु० या समतुल्य वेतनमान के पदों पर क्रमशः 5 और 8 वर्ष सेवा की है और जो सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। (प्रतिनियुक्ति या संविदा की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।		

1	2	3	4	5	6	7
9.	सहायक इंजीनियर (सिविल)	नौ	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	वर्ग 2	30 वर्ष	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य। (2) डिजाइन, सन्निर्माण और सिविल इंजीनियरी संकर्मों के अनुरक्षण का 2 वर्ष का अनुभव। वांछनीय : बन्दरगाह इंजीनियरी का अनुभव।

8	9	10	11	12	13
			प्रोन्नति :		
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : वही जैसा स्तंभ 7 में वर्णित है।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	चयन]	ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) और नक्शानवीस श्रेणी 1 (प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों को छोड़कर), जिन्होंने उस श्रेणी में यदि उनके पास उपाधि है तो 3 वर्ष और यदि उनके पास डिप्लोमा है तो 7 वर्ष की नियमित सेवा की है। नक्शानवीस श्रेणी 1 (सिविल) को कम से कम एक वर्ष का क्षेत्रीय अनुभव होना चाहिए।]	दो वर्ष	लागू नहीं होगा
			प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, महापत्तन न्यास या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।		

1	2	3	4	5	6	7
						आवश्यक
10	खनन प्रबंधक	एक	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	वर्ग 2	35 वर्ष से अधिक नही	(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खनन इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य और नीचे मद (ii) में यथा वर्णित 2 वर्ष का अनुभव । या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा और नीचे मद (ii) मे यथा वर्णित 5 वर्ष का अनुभव । (2) खातुत्पादक खान विनियम 1961 की धारा 16 के अनुसार खानो में अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
			प्रोन्नति :		
आयु : नहीं शैक्षिक अहताएं : हां	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) और दोनों। के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा		ऐसा विभागीय कनिष्ठ इंजीनियर (खान) जिसने यदि उसके पास उपाधि/डिप्लोमा है तो उस श्रेणी में क्रमश 3/7 वर्ष की नियमित सेवा की है) । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय या राज्यों/सरकारो या महापत्तन न्यास या पब्लिक सेक्टर उपक्रमो मे सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होने 550–900रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष सेवा की है और जिसके पास (1) स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित अहताएं और अनुभव और (ii) प्रथम या द्वितीय श्रेणी मे खान-प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र है । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) । अहताए और अनुभव	दो वर्ष	लागू नहीं होता टिप्पण.—सभी अधिकारियों को परिवीक्षा की अवधि के दौरान प्रथम या द्वितीय श्रेणी मे खान प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र अर्जित करना होगा ।

1	2	3	4	5	6	7
						आवश्यक
11.	समुद्री पर्यवेक्षक	एक	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	वर्ग 2	35 वर्ष से अधिक नही	(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समतुल्य । या डफरिन या "राजेन्द्र" अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा पास करने का प्रमाण-पत्र । या द्वितीय मेट (फारेन गोइंग) या उच्चतर के रूप मे परिवहन मंत्रालय का सक्षमता प्रमाणपत्र

1	2	3	4	5	6	7
						(2) भारतीय नौसेना वाणिज्य नौसेना या किसी जल राशिक सर्वेक्षण संगठन में 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव जिसमें लगभग 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव जल-राशिक सर्वेक्षण में होना चाहिए।

8	9	10	11	12	13
नहीं	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थनान्तर द्वारा (जिसमें अल्पकाकि संविदा भी है) या स्थानान्तरण द्वारा।	चयन	प्रोन्नति : ऐसा सहायक समुद्री पर्यवेक्षक जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) या स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, महापत्तन, पत्तन न्यास पब्लिक सेक्टर उपक्रमों और लघु पत्तन अभाई और सर्वेक्षण संगठन में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 550–900 रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर कम से कम 3 वर्ष नियमित सेवा की है और जो सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	दो वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
12.	सम्पदा अधिकारी	एक	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	वर्ग 2	35 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से, अधिमानतः विधि या सिविल इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य। (2) भूमि के प्रबंध, निपटान और पट्टे पर देने के और सम्पदा भू-अर्जन, भू-राजस्व आदि के कार्य का पर्यवेक्षकीय हैसियत में 3 वर्ष का अनुभव।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) या स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) या स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन सहायक इंजीनियर (सिविल) या तहसीलदार या समतुल्य पंक्ति के अधिकारी या महा-पत्तन न्यास में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी। (प्रतिनियुक्ति या संविदा की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	दो वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
13.	अधीक्षण इंजीनियर (यांत्रिक)	एक	1500-60-1800-100-2000 रु०	वर्ग 1	45 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य या नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया सक्षमता प्रमाणपत्र/प्रथम श्रेणी इंजीनियर (वाष्प और मोटर या मोटर)। (2) प्लावमान यानों के जल पर और तट पर अनुरक्षण और मरम्मत का 10 वर्ष का अनुभव और डाक और बन्दरगाह से संबंधित यांत्रिक उपस्कर से सुपरिचित होना चाहिए। (3) किसी मान्यताप्राप्त कर्मशाला में जिम्मेदार हैसियत में यांत्रिक संयंत्र और उपस्कर हथलाने का अनुभव।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं अर्हताएं : हां	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, महापत्तन न्यास और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 1100-1600 रु० पुनरीक्षित) या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है। ऐसे विभागीय कार्यपालिक इंजीनियर पर भी, (यांत्रिक) जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है, विचार किया जाएगा और नियुक्ति के लिए उनका चयन किए जाने की दशा में पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। (प्रतिनियुक्ति या संविदा की अवधि सामान्यत 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	दो वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
14.	कार्यपाल इंजीनियर (यांत्रिक)	एक	1100-50-1600 रु०	वर्ग 1	40 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समतुल्य (2) किसी (ख्यातिप्राप्त कर्मशाला में, अधिमानत समुद्री इंजनों और सहायक मशीनरी के अनुरक्षण या मरम्मत या दोनों का 5 वर्ष का अनुभव (1) प्रथम श्रेणी या सी० ओ० टी० या एम० ओ० टी० या (2) किसी बड़ी समुद्री या यांत्रिकी कर्मशाला में जिम्मेदार हैसियत में 3 वर्ष का अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं हां	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	चयन	प्रोन्नति ऐसा सहायक इंजीनियर (यांत्रिक) जिसने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, महापत्तन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 700-1300 रु० और 650-1200 रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पद पर क्रमश 5 वर्ष और 8 वर्ष सेवा की है और जो सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं । (प्रतिनियुक्ति या संविदा की अवधि सामान्यत 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	दो वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
15.	कार्यपालक इंजीनियर (वैद्युत)	एक	1100-50-1600 रु०	वर्ग 1	40 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वैद्युत इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य (2) वैद्युत संकर्मों के निर्माण प्रचालन और अनुरक्षण में जिम्मेदार हैसियत में 5 वर्ष का अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, महापत्तन और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने क्रमशः 700-1300 रु० और 650-1200 रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर कम से कम 5 और 7 वर्ष सेवा की और जो स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हैं । ऐसे सहायक इंजीनियर (विद्युत) पर भी, जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की है, विचार किया जाएगा । नव मंगलौर पत्तन के सहायक इंजीनियर (विद्युत) का उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन किये जाने की दशा में, उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा (प्रतिनियुक्ति या संविदा की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	दो वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
16.	सहायक इंजीनियर (यांत्रिक)	छह	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	वर्ग 2	30 वर्ष	आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य (2) किसी बड़ी यांत्रिक या समुद्री कर्मशाला या संगठन में जिम्मेदार हैसियत में 2 वर्ष का अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां स्तंभ 7 में यथा उपदर्शित	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	चयन	प्रोन्नति : ऐसा कनिष्ठ इंजीनियर (यांत्रिक) और नक्शानवीस श्रेणी 1 (प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों को छोड़ कर) जिसने, यदि उसके पास उपाधि है तो उस श्रेणी में 3 वर्ष और यदि उसके पास डिप्लोमा है तो उस श्रेणी में 7 वर्ष	दो वर्ष	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
			की नियमित सेवा की है । नक्शानवीस श्रेणी 1 (यांत्रिक) को कम से कम एक वर्ष का क्षेत्र-अनुभव होना चाहिए । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, महापत्तन न्यास या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में सदृश पद, धारण करने वाले अधिकारी । (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।		

1	2	3	4	5	6	7
17.	सहायक इंजीनियर (वैद्युत)	दो	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	वर्ग 2	30 वर्ष	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से वैद्युत इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य । (2) किसी बड़े विद्युत स्थापन में कार्य का दो वर्ष का अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां, जैसी स्तंभ 7 में उपदर्शित हैं ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है), और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	चयन	प्रोन्नति ऐसा कनिष्ठ इंजीनियर (वैद्युत) और नक्शानवीस श्रेणी 1 (वैद्युत) (प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों को छोड़कर) में से जिसने, यदि उसके पास उपाधि है तो, उस श्रेणी में 3 वर्ष और यदि उसके पास डिप्लोमा है तो उस श्रेणी में 7 वर्ष की नियमित सेवा की है । नक्शानवीस श्रेणी 1 (वैद्युत) को कम से कम एक वर्ष का क्षेत्र-अनुभव होना चाहिए । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, महापत्तन, न्यास या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी । (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यत 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	दो वर्ष	लागू नहीं होता ।

1	2	3	4	5	6	7
18	सहायक समुद्री इंजीनियर	एक	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	वर्ग 2	35 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक : द्वितीय श्रेणी यी ओ टी या एम ओ टी इंजीनियर (मोटर) प्रमाणपत्र या इनलैण्ड इंजीनियर (मोटर) प्रमाणपत्र या समतुल्य । या 40,000 प्र० शा० तक उत्पादन के डीजल संस्थापन पर अनुरक्षण इंजीनियर के कर्तव्यों के अनुपालन का भारतीय नेवी द्वारा जारी किया गया व्यवसाय प्रमाणपत्र और पोत के इंजन कक्ष के स्वतंत्र भार साधन का लगभग 5 वर्ष का अनुभव । वांछनीय : समुद्री यानों के अनुरक्षण और मरम्मत का या पोत मरम्मत कर्मशाला मे या डाक यार्ड मे अनुभव या वाणिज्यिक नेवी यानो पर इंजीनियर के रूप मे समतुल्य सेवा ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है)/स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है)/स्थानान्तरण : केन्द्रीय/राज्य सरकारो/महापत्तन न्यास में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने क्रमश. 550-900 रु०/525-700 रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3/8 वर्ष सेवा की है और जो स्तंभ 7 के अधीन विहित अर्हताएं रखते है । (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नही होगी)	दो वर्ष	लागू नही होता ।

1	2	3	4	5	6	7
19	बन्दरगाह मास्टर	एक	1500-60-1800 रु०	वर्ग 1	45 वर्ष से अधिक नही	आवश्यक : नौवहन और परिवहन मंत्रालय या व्यवसाय बोर्ड, यू० के० या किसी अन्य कामनवेल्थ देश जिसका सक्षमता प्रमाणपत्र कामनवेल्थ विधि मान्यता का है, द्वारा जारी किया गया विदेश गामी पोत के मास्टर के रूप मे सक्षमता प्रमाणपत्र

	7
	(2) अनिर्बन्धित टनभार वाले सभी प्रकार के पोतों को हैंडल करने में प्रवीणता अभिप्राप्त करने के पश्चात् पाइलट के रूप में 5 वर्ष का अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति पर (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति : महा पत्तन न्यास या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के समुद्रीय विभागों में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी । ऐसे विभागीय पाइलटों पर भी विचार किया जाएगा जिन्होंने उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा की है और यदि पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन किया जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । (प्रतिनियुक्ति या संविदा की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	दो वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
20.	पाइलट	एक	1200-50-1500-60-1800 रु०	वर्ग 1	45 वर्ष	आवश्यक :— (1) भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय या व्यवसाय बोर्ड, यू० के० या किसी अन्य कामन वैल्थ देश जिसका सक्षमता प्रमाणपत्र कामन वैल्थ विधि मान्यता का है, द्वारा जारी किया गया विदेशगामी पोत के मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र का धारक हो । (2) किसी विदेशगामी पोत के मुख्य अधिकारी या भारतीय नौसेना के कार्यपालक अधिकारी के रूप में 3 वर्ष का अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	लागू नही होता	स्थानान्तरण /प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : महापत्तन न्यास या केन्द्रीय सरकार के विभाग या समुद्र तटवर्ती राज्य सरकारों में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी । (प्रतिनियुक्ति या संविदा की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	दो वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
21.	सहायक यातायात प्रबंधक	एक	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	वर्ग 2	35 वर्ष से अधिक नही	आवश्यक :— (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समतुल्य । (2) पत्तन यातायात का, जिसमें कम से कम एक वर्ष का पर्यवेक्षकीय हैसियत का अनुभव भी है, 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । वांछनीय :— कन्नड़ का ज्ञान ।

8	9	10	11	12	13
लागू नही होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) : महापत्तनन्यास या केन्द्रीय या समुद्र तटवर्ती राज्य सरकार के विभागों में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी । (प्रतिनियुक्ति या संविदा की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	दो वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
22.	ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक	एक	550-25-750-द०रो०-30-900 रु०	वर्ग 2	25 वर्ष से अधिक नही	आवश्यक :— (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी के साथ वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य । या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र के साथ उपाधि और किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कम से कम 2 वर्ष के प्रशिक्षण के पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7
						प्रदत्त सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य । (2) दो वर्ष का अनुभव या सांख्यिकीय कार्य जिसमें सांख्यिकीय डाटा का संग्रहण, संकलन और निर्वचन सम्मिलित है । वांछनीय :— धारणीकरण कार्य का, अधिमानतः किसी पत्तन न्यास के यातायात विभाग में, अनुभव ।
23. अधीक्षक	3	550-20-650-25-750 रु०	वर्ग 3	लागू नही होता		लागू नहीं होता
24. प्रधान लिपिक	15	425-15-500-व०रो०-15-560-20-700 रु०	वर्ग 3	लागू नही होता		लागू नही होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	चयन	प्रोन्नति : ऐसे प्रधान लिपिक या प्रभागीय लेखाकार जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 3 वर्ष सेवा की है । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय या राज्य सरकार के विभागों में समरूप या समतुल्य पद धारण करने वाले व्यक्ति । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नही होगी)	दो वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	चयन	प्रोन्नति : पत्तन के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक, भण्डारी जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा की है । स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय या राज्य सरकार के विभागों में समरूप या समतुल्य श्रेणियों में कार्य कर रहे व्यक्ति । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नही होगी) ।	दो वर्ष	लागू नही होता

1	2	3	4	5	6	7
25.	प्रभागीय लेखाकार	1	425-15-500-द०रो०-15-560-20-640-द०रो०-20-700-25-750 रु०	वर्ग 3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
26.	उच्च श्रेणी लिपिक/भंडारी	65	330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560 रु०	वर्ग 3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
27.	निम्न श्रेणी लिपिक/रोकड़ियां/टेलीफोन आपरेटर	129	260-6-290-द०रो०-6-326-8-366-द०रो०-8-390-10-400 रु०	वर्ग 3	कम से कम 18 अधिक से अधिक 25	1. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता। 2. टंकण में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति, परन्तु— (क) ऐसा व्यक्ति जो टंकण में उक्तअर्हता नहीं रखता है, इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त किया जा सकता है कि जब तक वह टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति नहीं अर्जित कर लेता तब तक वेतनमान में वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए या श्रेणी में स्थायीवत किए जाने या पुष्ट किए जाने का पात्र नहीं होगा; और (ख) कोई विकलांग व्यक्ति; जो अन्यथा लिपिकीय पद धारण करने के लिए अर्हित है किन्तु उक्त अर्हता नहीं रखता है, इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकता है कि विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से संबद्ध चिकित्सा बोर्ड या जब ऐसा बोर्ड न हो तब सिविल सर्जन यह प्रमाणित कर देता है कि उक्त विकलांग व्यक्ति टंकण करने के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं है।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	चयन	प्रोन्नति : ऐसे उ०श्रे०लि०/भण्डारी जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 3 वर्ष सेवा की है। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय/राज्य लेखा विभाग में समरूप या समतुल्य श्रेणियों में कार्य कर रहे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने प्रभागीय लेखाकार परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	दो वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	1. 75 प्रतिशत, अयोग्य व्यक्ति को अस्वीकृत करने की शर्त के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर; और 2. 25 प्रतिशत, पत्तन के निम्न श्रेणीलिपिक/रोकड़िया/टेलीफोन आपरेटर तक परिसीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा।	अचयन	प्रोन्नति : पत्तन के ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक/रोकड़ियां/टेलीफोन आपरेटर जिन्होंने उन श्रेणियों में कम से कम 3 वर्ष सेवा की है।	दो वर्ष	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
आयु नही अर्हताए हा	1 90 प्रतिशत प्रोन्नति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा; और 2 10 प्रतिशत पत्तन के वर्ग 4 कर्मचारियो तक सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा।	चयन	प्रोन्नति/स्थानान्तरण पत्तन के ऐसे कार्य सहायको (जो डिप्लोमा धारक नही है) और कार्य मेटो में से, जिन्होने उस श्रेणी मे 3 वर्ष सेवा की है। कार्यमेटो से वस्तुपरक परीक्षण उत्तीर्ण करना अपेक्षित है और वे सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं भी रखते हो/10 प्रतिशत रिक्तियां पत्तन के नियमित स्थापन के ऐसे वर्ग 4 कर्मचारियो में से निम्नलिखित शर्तों के अधीन भरी जाने के लिए आरक्षित रहेंगी : (1) चयन, ऐसे वर्ग 4 कर्मचारियों, जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, अर्थात् मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता, की अपेक्षा को पूरा करते है, के लिए सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। (2) इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियो के लिए 50 वर्ष) होगी; और (3) समूह घ स्थापन मे कम से कम 5 वर्ष की सेवा आवश्यक होगी; और (4) इस रीति से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो की अधिकतम सख्या किसी वर्ष मे निम्न श्रेणी लिपिक/रोकड़िया/टेलीफोन आपरेटर के काडर मे होने वाली रिक्तियो के 10 प्रतिशत तक सीमित रहेगी/वे रिक्तिया जो भरी नही गई है, अगले वर्ष को अग्रेनीत नही की जाएगी।	दो वर्ष	लागू नही होता

1	2	3	4	5	6	7
28.	आशुलिपिक और अध्यक्ष का निजी सहायक	1	550-20-650-25-750 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष	1. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता। 2 टकण मे कम से कम 40 शब्द प्रति मिनट की गति। 3. आशुलिपि में कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट की गति।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा । जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	चयन	प्रोन्नति : ऐसा आशुलिपिक जिसने उस श्रेणी में कम से कम 3 वर्ष सेवा की है । स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों मे समरूप या समतुल्य श्रेणियो मे कार्य करने वाले व्यक्ति । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नही होगी)	दो वर्ष	लागू नही होगा

1	2	3	4	5	6	7
29	आशुलिपिक	एक	425-15-500-द०रो०-15-560-20-700 रु०	वर्ग 3	18 और 25 वर्ष के बीच	1 किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान या वाणिज्य मे स्नातक । 2 अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति और अंग्रेजी टंकण मे 40 शब्द प्रति मिनट की गति ।
30.	कनिष्ट आशुलिपिक	12	330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560 रु०	वर्ग 3	24 वर्ष से अधिक नहीं	मैट्रिकुलेशन या उसके समतुल्य अर्हता तथा आशुलिपि मे 80 शब्द प्रति मिनट और टंकण मे 40 शब्द प्रति मिनट की गति ।
31	सहायक सुरक्षा अधिकारी	2	380-12-440-द०रो०-15-560-द०रो०-20-640 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष	मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता के साथ ही अग्निशामक और अन्य प्रकार के सुरक्षा उपायो के प्रवर्तन का कम से कम एक वर्ष का अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
नही	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	चयन	प्रोन्नति पत्तन का ऐसा कनिष्ट आशुलिपिक जिसने उस श्रेणी मे कम से कम 5 वर्ष सेवा की है ।	दो वर्ष	लागू नही होगा
लागू नही होता	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	लागू नहीं होगा	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारो के अधीन समरूप या समतुल्य श्रेणियो में कार्यरत व्यक्ति । (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नही होगी) ।	दो वर्ष	लागू नही होगा
लागू नही होता	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नही होगा	लागू नही होगा	दो वर्ष	लागू नही होगा

1	2	3	4	5	6	7
32.	राजस्व निरीक्षक	1	290-8-330-10-380-द०रो०-12-500-द० रो०-15-560 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष	हायर सेकेण्डरी या समतुल्य अर्हता साथ ही में राजस्व कार्य में पूर्व अनुभव और प्रशिक्षण ।
33.	अभिलेखपाल	2	225-5-260-6-290-द०रो०-6-308 रु०	वर्ग 3	लागू नही होता	लागू नहीं होता
34.	यातायात निरीक्षक	1	425-15-500-द०रो०-15-560-20-700 रु०	वर्ग 3	लागू नहीं होता	लागू नही होता
35.	सहायक यातायात निरीक्षक	3	380-12-500-द०रो०-15-560 रु०	वर्ग 3	21 और 25 वर्ष के बीच	आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से विश्वविद्यालय पूर्व कक्षा/हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। वांछनीय : उन व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा जिन्हें नौवहन संकर्मों का अनुभव है ।

8	9	10	11	12	13
लागू नही होता	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो लागू नही होता सकने पर स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा ।		प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन समान या समतुल्य श्रेणियों में कार्यरत उपयुक्त व्यक्ति । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	अचयन	पत्तन के ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों में से जिनके पास मिडिल कक्षा उत्तीर्ण होने की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है और जिन्होंने पत्तन के नियमित स्थापन में 5 वर्ष सेवा की है ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ।	चयन	प्रोन्नति : पत्तन के सहायक यातायात निरीक्षकों में से जिन्होंने नव मंगलौर पत्तन में उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के कार्यालयों में सदृश या समतुल्य पद धारण करने वाले व्यक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	चयन	प्रोन्नति : ऐसे मिलान लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में 4 वर्ष सेवा की है । स्थानान्तरण : पत्तन के उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 2 वर्ष सेवा की है ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
36	मिलान लिपिक	10	260-6-290-द०रो०-6-326-8-366-द०रो०-8-390-10-400 रु०	वर्ग 3	18 और 25 वर्ष के बीच	आवश्यक मैट्रिकुलेशन या उसके समतुल्य । वांछनीय उन व्यक्तियों का अधिमान दिया जाएगा जिन्हें पत्तन के किसी यातायात विभाग का अनुभव है।
37	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष	आवश्यक (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या समतुल्य । (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि या समतुल्य डिप्लोमा । (ग) कम से कम हाई स्कूल स्तर तक शिक्षण माध्यम के रूप में या अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में कन्नड का अध्ययन किया हो।

8	9	10	11	12	13
आयु नहीं अर्हताएं हां	(i) 90 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति पर स्थानान्तरण द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । (ii) पत्तन के वर्ग 4 के कर्मचारियों तक सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा 10 प्रतिशत ।	लागू नहीं होता	(क) ऐसे निर्धारित कर्मचारिवृन्द में से स्थानान्तरण द्वारा जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं । (ख) मिलान लिपिक की श्रेणी की 10 प्रतिशत रिक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए पत्तन के नियमित स्थापनों के कर्मचारियों में से भरी जाने के लिए आरक्षित रहेंगी, अर्थात् — (i) वर्ग 4 के ऐसे कर्मचारियों तक सीमित विभागीय परीक्षा या परीक्षण के माध्यम से चयन किया जा सकेगा जिनके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं अर्थात मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता है, (ii) इस परीक्षा या परीक्षण के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए 45 वर्ष) होगी । (iii) वर्ग 4 के स्थापन में कम से कम 5 वर्ष की सेवा का होना आवश्यक है । (iv) उस पद्धति से की गई भर्ती मिलान लिपिकों के संवर्ग में किसी वर्ष में होने वाली रिक्तियों के 10 प्रतिशत तक सीमित रहेगी स भरी गई रिक्तियों को अगले वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जायेगा ।	दो वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
38.	कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल)	48	425-15-500 द०रो०-15-560-20-700 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 33 वर्ष	सिविल इंजीनियरी में स्नातक या सिविल इंजीनियरी में 3 वर्ष के पूर्व अनुभव यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा ।
39.	कनिष्ठ इंजीनियर (खान)	1	425-15-500-द०रो०-15-560-20-700 रु०	वर्ग 3	21—33 वर्ष	खनन इंजीनियरी में स्नातक या खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा के साथ धातूत्पादक खान विनियम, 1961 के अनुसरण में खनन में 3 वर्ष कार्य किया हो ।
40.	कनिष्ठ इंजीनियर (यांत्रिक)	21	425-15-500-द०रो०-15-560-20-700 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 33 वर्ष	यांत्रिक इंजीनियरी में स्नातक या 3 वर्ष की पूर्व सेवा के साथ यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा ।

8	9	10	11	12	13
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और उसके भी न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सब के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	चयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के ऐसे कार्य अधीनस्थ जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं । प्रोन्नति : ऐसे नक्शानवीस श्रेणी 2 (सिविल) जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है या ऐसे कार्य सहायक (सिविल) जिनके पास उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा के साथ ही सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा है । प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य विभागों में या महा पत्तन न्यास, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में समान या समतुल्य श्रेणियों में कार्यरत व्यक्ति । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	दो वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य विभागों या महापत्तन न्यासों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में समान या समतुल्य श्रेणियों में काम करने वाले व्यक्ति । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	दो वर्ष	लागू नहीं होता
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और उसके भी न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सब के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	चयन	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के ऐसे कार्य अधीनस्थ जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं ।	दो वर्ष	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
			प्रोन्नति ऐसे नक्शानवीस श्रेणी 2 (यांत्रिक) जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा की है या ऐसे कार्य सहायक (यांत्रिक) जिनके पास उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा के साथ ही यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा है । प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य विभागों में या महापत्तन न्यास पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में समान या समतुल्य श्रेणियों में कार्यरत व्यक्ति । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)		

1	2	3	4	5	6	7
41	कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत)	1	425-15-500-दं०रो० 15-560-20-700 रु०	वर्ग 3	31—33 वर्ष	विद्युत इंजीनियरी में स्नातक या तीन वर्ष की पूर्णकालिक सेवा के साथ विद्युत इंजीनियरी में डिप्लोमा ।
42	सहायक समुद्री सर्वेक्षक	1	550-20-650-25-750 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष	सिविल इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य या 3 वर्ष के अनुभव के साथ सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा ।

8	9	10	11	12	13
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा, उसके भी न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	चयन	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के ऐसे कार्य अधीनस्थ जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं । प्रोन्नति ऐसे नक्शानवीस श्रेणी 2 (विद्युत) जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है या ऐसे कार्य सहायक (विद्युत) जिनके पास उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा के साथ ही विद्युत इंजीनियरी में डिप्लोमा है । प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य विभागों में या महापत्तन न्यास पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में समान या समतुल्य श्रेणियों में कार्यरत व्यक्ति । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	दो वर्ष	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनो के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	चयन	प्रोन्नति : कनिष्ठ समुद्री सर्वेक्षक जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है । स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य विभागों में या महापत्तन न्यासो/ पब्लिक सेक्टर उपक्रमो में समान या समतुल्य श्रेणियो में कार्यरत व्यक्ति । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	2 वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
43	कनिष्ठ समुद्री सर्वेक्षक	3	425-15-500-द०रो०-15-560-20-700 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 35 वर्ष	सिविल इंजीनियरी मे डिप्लोमा या समुद्रीय सर्वेक्षण मे अनुभव सहित समतुल्य अर्हता ।
44.	प्रधान नक्शानवीस (सिविल)	1	550-20-650-25-750 रु०	वर्ग 3	लागू नही होता	लागू नही होता
45.	नक्शानवीस श्रणी–1 (सिविल)		425-15-500-द०रो०-15-560-20-700 रु०	वर्ग 3	लागू नही होता	लागू नही होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति . केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य विभागों में समान या समतुल्य श्रेणियो में कार्यरत व्यक्ति । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नही होगी)	2 वर्ष	लागू नही होता
लागू नही होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	चयन	प्रोन्नति : नक्शानवीस श्रेणी 1 (सिविल) जिसमें उस श्रेणी में कम से कम 4 वर्ष की सेवा की है । स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य विभागो में समान या समतुल्य श्रेणियों मे कार्यरत व्यक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नही होगी)	2 वर्ष	लागू नही होता
लागू नही होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	अचयन	प्रोन्नति : नक्शानवीस श्रेणी II (सिविल) जिसने उस श्रेणी में कम से कम 3 वर्ष सेवा की है । स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारो के विभागों में समरूप या समतुल्य श्रेणियों में कार्य करने वाले व्यक्ति । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत. 3 वर्ष से अधिक नही होगी)	2 वर्ष	लागू नही होता

1	2	3	4	5	6	7
46.	नक्शानवीस श्रेणी–1 (यान्त्रिक)	4	425-15-500-द०रो० 15-560-20-700 रु०	वर्ग 3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
47.	नक्शानवीस श्रेणी 1 (विद्युत)	1	425-15-500-द०रो०-15-560-20-700 रु०	वर्ग 3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
48.	नक्शानवीस श्रेणी–2 (सिविल)	6	330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरी में कम से कम 2 वर्ष की अवधि का नक्शानवीस का प्रमाणपत्र (इसके अन्तर्गत 6 मास का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी है) और इसके अतिरिक्त ऐसा प्रमाण-पत्र लेने के पश्चात् किसी ख्याति प्राप्त संगठन में इस क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होना	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	अवयन	प्रोन्नति : नक्शानवीस श्रेणी 2 (यान्त्रिक) जिसने उस श्रेणी में कम से कम 3 वर्ष सेवा की है । स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के विभागों में समरूप या समतुल्य श्रेणियों में कार्यरत व्यक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	2 वर्ष	लागू नहीं होना
लागू नहीं होना	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	अवयन	प्रोन्नति : नक्शानवीस श्रेणी 2 (विद्युत) जिसने उस श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष सेवा की है । स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों में समरूप या समतुल्य पदों पर कार्यरत व्यक्ति । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	2 वर्ष	लागू नहीं होना
नहीं	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अवयन	प्रोन्नति : नक्शानवीस श्रेणी (सिविल) जिसने इस पत्तन में इस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है ।	2 वर्ष	लागू नहीं होना

1	2	3	4	5	6	7
49.	नक्शानवीस श्रेणी–2 (यांत्रिक)	2	330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त संस्था से यांत्रिक इंजीनियरी में कम से कम 2 वर्ष की अवधि का नक्शानवीस का प्रमाणपत्र (इसके अन्तर्गत 6 मास का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी है) और इसके अतिरिक्त ऐसा प्रमाणपत्र लेने के पश्चात् किसी ख्यातिप्राप्त संगठन में इस क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव ।
50.	नक्शानवीस श्रेणी 2 (विद्युत)	1	330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त संस्था से विद्युत इंजीनियरी में कम से कम 2 वर्ष की अवधि का नक्शानवीस का प्रमाणपत्र (इसके अन्तर्गत 6 मास का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी है) और इसके अतिरिक्त ऐसा प्रमाणपत्र लेने के पश्चात् किसी ख्यातिप्राप्त संगठन में इस क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव ।
51.	नक्शानवीस श्रेणी–3 (सिविल)	6	260-8-300-द०रो०-8-340-10-380-द०रो०-10-430 रु०	वर्ग 3	18—25 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरी में कम से कम 2 वर्ष की अवधि का नक्शानवीसी का प्रमाणपत्र (इसके अन्तर्गत 6 मास का व्यावहारिक अनुभव भी है)

8	9	10	11	12	13
नहीं	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अचयन	प्रोन्नति : नक्शानवीस श्रेणी 2 (यांत्रिक) जिसने इस पत्तन में इस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अचयन	प्रोन्नति : नक्शानवीस श्रेणी 3 (विद्युत) जिसने इस पत्तन में इस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है ।	2 वर्ष	लागू नहीं होगा
नहीं	प्रोन्नति, द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा, और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अचयन	प्रोन्नति : ऐसे फोर मुद्रक जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष सेवा की है स्थानान्तरण : पत्तन के निर्माण कार्य प्रभारित ऐसे कर्मचारिवृन्द में से जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं । उनके मामलों में अधिकतम आयु सीमा शिथिल करके 40 वर्ष की जा सकती है	2 वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4		6	7
52.	नक्शानवीस श्रेणी 3 (यांत्रिक)	3	260-8-300-द०रो०-8-340-10-380-द०रो०-10-430 रु०	वर्ग 3	18—25 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त संस्था से यांत्रिक इंजीनियरी में कम से कम 2 वर्ष की अवधि का नक्शानवीसी का प्रमाणपत्र (इसके अन्तर्गत 6 मास का व्यावहारिक अनुभव भी है)
53	नक्शानवीस श्रेणी 3 (विद्युत)	1	260-8-300-द०रो०-8-340-10-380-द०रो०-10-430 रु०	वर्ग 3	18—25 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त संस्था से विद्युत इंजीनियरी में कम से कम 2 वर्ष की अवधि का नक्शानवीसी का प्रमाण-पत्र (इसके अन्तर्गत 6 मास का व्यावहारिक अनुभव भी है)

8	9	10	11	12	13
नहीं	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा, और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रवरण	प्रोन्नति : ऐसे फेरो मुद्रक जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष सेवा की है इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उन्हें विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। स्थानान्तरण : पत्तन के निर्माण कार्य प्रभारित ऐसे निर्धारित कर्मचारिवृन्द में से जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए विहित अर्हताएं हैं। उनके मामले में अधिकतम आयु सीमा शिथिल करके 40 वर्ष की जा सकती है।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
नहीं	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा, और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रवरण	प्रोन्नति : ऐसे फेरो मुद्रक जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष सेवा की है। इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उन्हें विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। स्थानान्तरण : पत्तन के ऐसे निर्धारित कर्मचारिवृन्द में से जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए विहित अर्हताएं हैं। उनके मामले में अधिकतम आयु सीमा शिथिल करके 35 वर्ष की जा सकती है।	2 वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
54	फेरो मशक	2	225-5-260-6-290-द० रो०-6-308 रु०	वर्ग 3	18-25 वर्ष	मैट्रिकुलेशन या फेरो-मुद्रण में एक वर्ष का पूर्व अनुभव सहित उसके समतुल्य अर्हता।
55	कैमरामैन	1	550-20-650-25-750 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष	(i) मैट्रिकुलेशन या इसके समतुल्य अर्हता । (ii) चलचित्र और स्थिर फोटोग्राफी में पर्याप्त अनुभव ।
56	रसायनज्ञ	1	425-15-500-द०रो०-15-560-20-700 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 22 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष	(i) रसायन विज्ञान में बी० एस० सी० । (ii) अकार्बनिक मिश्रण विशिष्टतया सिविल इंजीनियरी में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों जैसे सीमेन्ट, चूना, मिट्टी, पानी और मल का विश्लेषण का अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य विभागों में समरूप या समतुल्य श्रेणी में कार्यरत व्यक्ति। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति. केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य विभागों में से समरूप या समतुल्य श्रेणी में कार्यरत व्यक्ति । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	2 वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
57	बिजली मिस्त्री एवं प्रतिध्वनी गभीरतामापी यांत्रिक	1	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से विद्युत इंजीनियरी में डिप्लोमा या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त कोई अन्य समतुल्य अर्हता, या (ii) विद्युत शिल्पी (एयर)/विद्युत शिल्पी (एयर रेडियो)/भारतीय नौ सेना का प्रशिक्षु पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, या (iii) बेतार प्रचालक यांत्रिक । व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो प्रतिध्वनि गभीरता मापन और रेडियो की जानकारी के साथ 5 वर्ष का अनुभव वांछनीय है ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य विभागों में समरूप या समतुल्य श्रेणी में कार्यरत व्यक्ति।	2 वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
58	ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक	5	380-12-500-द०रो०-15-560 रु०	वर्ग 3	25 वर्ष	विज्ञान विषयों सहित मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता मिट्टी के नमूने पानी के नमूने सीमेन्ट सकलन (बारीक या मोटा) कंक्रीट और अन्य निर्माण सामग्री का नियमित रूप से परीक्षण करने वाली किसी प्रयोगशाला में प्रयोगशाला सहायक या उसके समतुल्य पद पर 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
59	प्रयोगशाला सहायक	3	260-8-300-द०रो०-8-340-10-380-द०रो०-10-430 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष	विज्ञान विषय में मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता।
60	उद्यान अधीक्षक	1	260-6-290-द० रो० 6-326-8-366-द०रो०-8-390-10-400 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष	(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता। (ii) कर्नाटक सरकार के लालबाग से या अन्य किसी समरूप बागवानी उद्यान से माली का प्रशिक्षण या समतुल्य पूरा किया हो। (iii) केन्द्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कृषि विद्यालय से प्रशिक्षण अवश्य लिया हो।
61	कार्य सहायक (सिविल)	16	260-6-326-द० रो० 8-350 रु०	वर्ग 3	30 वर्ष से नीचे	आवश्यक :—किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा।

8	9	10	11	12	13
नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अवयन	प्रोन्नति पत्तन का ऐसा प्रयोगशाला सहायक जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा की है।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन में उद्यान पर्यवेक्षक। उनके मामलों में अधिकतम आयु-सीमा में छूट दी जायेगी।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अवयन	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के कार्य सहायकों में से। प्रोन्नति —ऐसे कार्य मेट जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है।	2 वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
62	कार्य सहायक (यांत्रिक)	4	260-6-326-द०रो०-8-350 रु०	वर्ग 3	30 वर्ष से नीचे	आवश्यक —किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा।
63	कार्य सहायक (विद्युत)	4	260-6-326-द०रो०-8-350 रु०	वर्ग 3	30 वर्ष से नीचे	आवश्यक —किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विद्युत इंजीनियरी में डिप्लोमा ।
64	कार्य सहायक (मिजेटड्रेजर)	3	260-6-326-द०रो०-8-350-रु०	वर्ग 3	30 वर्ष से नीचे	आवश्यक —किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समुद्री इंजीनियरी में डिप्लोमा
65	पम्प परिचर और यांत्रिक	7	260-6-326-द०रो०-8-350 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक 1 किसी मान्यताप्राप्त तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान से यांत्रिक का प्रमाणपत्र धारक हो । 2 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव या उस क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव ।
66.	नलकार	1	260-6-326-द०रो०-8-350 रु०	वर्ग 3	30 वर्ष से नीचे	आवश्यक किसी मान्यताप्राप्त तकनीकी संस्था से नलकर का प्रमाणपत्र धारक हो जिसके साथ कम से कम 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव और नलकारी के कार्य से परिचित चाहिए।

8	9	10	11	12	13
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अवयन	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के कार्य सहायकों में से। प्रोन्नति — पत्तन के ऐसे कार्य मेटों और खनन मेटों में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अवयन	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के कार्य सहायकों में से। प्रोन्नति — पत्तन के ऐसे कार्य मेटों और खनन मेटों में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अवयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के कार्य सहायकों में से। प्रोन्नति पत्तन के कार्य मेट और खनन मेट जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के पम्प परिचर और यांत्रिक में से ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के नलकारों में से ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
67.	राज	1	260-6-326-द०रो०-8-350 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक : मास्टर और उस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रखता हो ।
68	नर्स	3	425-15-560-द०रो०-20-640 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष	(1) मैट्रिकुलेशन या उसके समतुल्य अर्हता (2) परिचर्या कार्य में सरकारी प्रमाणपत्र और साथ में 3 वर्ष का अनुभव । (3) मिडवाइफरी के कार्य में अर्हता प्राप्त हो ।
69	ज्येष्ठ भेषजज्ञ	1	425-15-560-द०रो०-20-640 रु०	वर्ग 3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
70	भेषजज्ञ	2	330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 20 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष	(1) मैट्रिकुलेशन या उसके समतुल्य अर्हता (2) कम्पाउंडिंग परीक्षण (3) फार्मेसी अधिनियम, 1948 (1948 का 3) की धारा 31(ग) या धारा 32 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होना चाहिए ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा	अवयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के राजों में से । प्राप्ति : राज या मेट उस जिसने श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य विभागों में समरूप या समतुल्य पदों पर कार्यरत व्यक्ति । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	2 वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	अवयन	ऐसे भेषजज्ञों में से जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 3 वर्ष सेवा की है ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण/प्रति/नियुक्ति : केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य विभागों में समरूप या समतुल्य श्रेणियों में कार्यरत व्यक्ति । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत. 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	2 वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
71	ज्येष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक	1	330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 20 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष	(1) मैट्रिकुलेशन या उसके समतुल्य (2) सफाई निरीक्षक का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो साथ ही 3 वर्ष का अनुभव हो।
72.	कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक	1	330-10-380-द०रो० 12-500-द०रो०-15-560 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 20 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष	(1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (2) सफाई निरीक्षक का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो।
73.	प्रयोगशाला तकनीकी	1	260-8-300 द०रो०-8-340-10-380-द०रो० 10-430 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष	(1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (2) सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी संस्था से 12 मास तक प्रयोगशाला तकनीकी प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त करने का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
74.	विकिरण विज्ञानी (रेडियोग्राफर)	1	260-8-300-द०रो०-8-340-10-380-द०रो०-10-430 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष	आवश्यक : (1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विकिरण विज्ञान (रेडियोग्राफी) में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र। वांछनीय : किसी विकिरण चिकित्सा केन्द्र में विकिरण विज्ञानी के रूप में एक वर्ष का अनुभव।

8	9	10	11	12	13
नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा और उसके भी न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अधयन	प्रोन्नति : कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक जिसने उस श्रेणी में उस पद पर कम से कम 3 वर्ष सेवा की है। स्थानान्तरण /प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों में समरूप पद धारण करने वाले उपयुक्त व्यक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	2 वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों में समरूप पद धारण करने वाले उपयुक्त व्यक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	2 वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
75	बुलाई प्राथमिक उपचार-कर्ता	1	330-8-370-10-400-द०रो० 10-450 रु०	वर्ग 3	21 से 30 वर्ष	मैट्रिकुलेशन या उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण की हो। भारतीय सेन्ट जान एम्बुलेन्स संगठन द्वारा जारी किया गया घायलों के प्राथमिक उपचार का प्रमाणपत्र हो। किसी ख्यातिप्राप्त संगठन अधिमानतः प्राथमिक उपचार संगठन में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उन व्यक्तियों को जिनके पास सहायक कैडेट कोर या राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रमाण पत्र है या जो भूतपूर्व सैनिक है अधिमान दिया जाएगा।
76.	प्राथमिक उपचारकर्ता	3	260-6-390-द०रो०-6-326-8-366-द०रो०-8-390-10-400 रु०	वर्ग 3	18 से 25 वर्ष	सेकण्डरी स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र उत्तीर्ण हो। घायलों के प्रथमोपचार का मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र उसके पास हो। उन व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा जिसके पास किसी ख्याति प्राप्त चिकित्सा संस्था का प्राथमिक उपचार कार्य का प्रमाणपत्र है
77	सिगनल बोसन	1	425-15-500-द०रो०-15-560-20-700 रु०	वर्ग 3	30 वर्ष	आवश्यक (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। (2) नौ सेना का वर्ग 1 सिविलियन प्रमाणपत्र उत्तीर्ण किया हो या अंतर्राष्ट्रीय कोड या संकेत की सभी पद्धतियों का अच्छा ज्ञान हो और 10 से 12 शब्द प्रति मिनट की दर से मोर्स और सेमाफोर से सन्देश प्राप्त करने और भेजने का 2 वर्ष का अनुभव हो। (3) भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा ली गई परीक्षा का अन्तर्देशीय (समुद्री) रेडियो टेलीफोन आपरेटर का प्रमाणपत्र हो। (4) संकेत प्रबंधक के रूप में कम से कम 3 वर्ष तक कार्य किया हो।

8	9	10	11	12	13
नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	चयन	प्रोन्नति जैसे प्राथमिक उपचार कर्ता जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अचयन	प्रोन्नति जैसे औषधालय परिचर जिनके पास घायलों के प्राथमिक उपचार का मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र है और उस श्रेणी में 7 वर्ष सेवा की है।	2 वर्ष	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
आयु नहीं अर्हताएं हां भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा ली गई परीक्षा का अन्तर्देशीय (समुद्री) रेडियो टेलीफोन आपरेटर के प्रमाणपत्र को छोड़कर।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा और दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	चयन	(क) प्रोन्नति ज्येष्ठ सिगनल मैन जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है। (ख) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण अन्य महापत्तनों में समरूप या समतुल्य श्रेणियों में कार्यरत व्यक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	2 वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
78	सहायक समुद्री फोरमैन	एक	425-15-500-द०रो०-15-560-20-700 रु०	वर्ग 3	21—30 वर्ष के बीच	(1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण किया हो। (2) स्वस्थ शरीर वाले नौसैनिक के रूप में 4 वर्ष का समुद्रीय व्यावहारिक अनुभव या अर्हताप्राप्त भूतपूर्व नौसैनिक या विदेश जाने वाले जलयानों या तटवर्ती जलयानों पर या समुद्रीय कायपालक प्रशिक्षु के रूप में 4 वर्ष का प्रशिक्षुता पूर्ण करने वाला कैडेट। (3) उन व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा जिन्हें श्रमिकों से काम लेने का अनुभव है और जिन्हें तैराकी का ज्ञान है।
79	ज्येष्ठ सिगनल मैन	एक	330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-560 रु०	वर्ग 3	28 वर्ष	आवश्यक (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या उसके समतुल्य। (2) नाविकों का वर्ग 1 सिग्नलियन प्रमाणपत्र उत्तीर्ण किया हो या अन्तर्राष्ट्रीय कोड या संकेत की सभी पद्धतियों का अच्छा ज्ञान हो और 10 से 12 शब्द प्रति मिनट की दर से मोर्स और सेमाफोर में सन्देश प्राप्त करने और भेजने का 2 वर्ष का अनुभव। वांछनीय भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा ली गई परीक्षा का अन्तर्देशीय (समुद्री) रेडियो टेलीफोन आपरेटर का प्रमाण पत्र हो।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
नहीं	पोन्नति द्वारा, जिसके न हो अचयन सकने पर सीधी भर्ती द्वारा और दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।		(क) पोन्नति कनिष्ठ सिग्नल मैन जिसने उस श्रेणी में कम से कम 3 वर्ष सेवा की है। (ख) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण अन्य महापत्तनों में समरूप या समतुल्य श्रेणियों में कार्यरत व्यक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	2 वर्ष	लागू नहीं होगा

1	2	3	4	5	6	7
80.	कनिष्ठ सिग्नल मैन	चार	260-6-290-रु०रो०-6-326-8-366-रु०रो०-8-390-10-400 रु०	वर्ग 3	28 वर्ष	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या उसके समतुल्य । (2) नौ सेना का वर्ग II सिविलियन प्रमाणपत्र उत्तीर्ण किया हो या अन्तर्राष्ट्रीय कोड और संकेत की सभी पद्धतियों का अच्छा ज्ञान हो और 8 से 12 शब्द प्रति मिनट की दर से मोर्स और सेमाफोर में सन्देश प्राप्त करने और भेजने का एक वर्ष का अनुभव हो।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं अर्हताएं : हां	(क) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ख) 25 प्रतिशत पोन्नति द्वारा (ग) (क) और (ख) के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।]	अयन	(क) पोन्नति : उस श्रेणी में विभागीय परीक्षण उत्तीर्ण करने की शर्त के अधीन रहते हुए ऐसे सिग्नल खलासी जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है। (ख) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : अन्य महापत्तनों में समरूप या समतुल्य श्रेणी में कार्यरत व्यक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	2 वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
81	फोरमैन (विद्युत)	1	425-15-560-द०रो०-20-640-रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 35 वर्ष	आवश्यक 5 वर्ष के अनुभव सहित विद्युत इंजीनियरी में डिप्लोमा या 8 वर्ष के अनुभव सहित तकनीकी परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित विद्युत वायरिंग का पाठ्यक्रम या समतुल्य किया हो। वांछनीय : उच्च दाब और निम्न दाब वाले केबिल संयोजन संस्थापन का ज्ञान 500 कि०वा० तक के ट्रांसफार्मर केन्द्रों के संस्थापन और उनके अनुरक्षण, घरेलू वायरिंग, मोटर वायरिंग उनका संस्थापन और 200 अ०श० तक की मरम्मत प्रत्यावर्ती धारा और सीधी धारा दोनों के संस्थापन, सभी प्रकार के स्टार्टरों की मरम्मत का अनुभव। अत्याधिक गति और प्रतिध्वनि गंभीरता मापी उपस्करों के उपयोग करने में समर्थ होना चाहिए। किसी विद्युत उपक्रम में काम किया हो और विभिन्न विद्युत परीक्षण उपस्करों और उनके उपयोग से भलीभांति परिचित हो।
82.	फोरमैन (खान)	1	425-15-500-द०रो०-15-560-20-700 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक : (i) धातुउत्पादक खान विनियम, 1961 के विनियम 12 के अनुसार खान फोरमैन का प्रमाण पत्र धारक हो। (ii) खनन कार्य में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं अर्हता : हां	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रवरण	प्रोन्नति : ऐसे बिजली मिस्त्री और प्रतिध्वनि गंभीरता मापी यांत्रिक जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर 5 वर्ष सेवा की है।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के फोरमैन (खान) में से।	2 वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
83.	सहायक अग्नि शमन अधिकारी	2	380-12-440-ब०रो०-15-560-ब०रो०-20-640 ब०	वर्ग 3	30 वर्ष	(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो । (ii) राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय नागपुर या फायर कौर प्रशिक्षण केन्द्र बंगलौर से उप अधिकारी का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक किया हो या कोई अन्य अर्हता रखता हो । (iii) किसी सिविल या सरकारी अग्निशमन-दल में पर्यवेक्षी हैसियत में तीन वर्ष का अनुभव हो और अग्नि शमन कर्मीदल को अग्नि-शमन सेवा के ड्रिलों को सभी प्रकार से बोलने का अनुदेश और प्रशिक्षण देने में समर्थ हो ।]
84.	प्रमुख फायरमैन	2	260-6-326-ब०रो०-8-350 ब०	वर्ग 3	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष	(i) मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण (ii) सभी प्रकार के अग्नि सेवा ड्रिलों और फायरमैनों का संचालन करने में सक्षम हो (iii) सिविल या सरकारी अग्नि-शामक दल में फायरमैन के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	चयन	**प्रोन्नति**—ऐसे प्रमुख फायरमैन जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है । **प्रतिनियुक्ति** : किसी राज्य अग्नि शमन दल या महापत्तन न्यास में समरूप या सदृश्य पद धारण करने वाले व्यक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत. 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	2 वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	लागू नहीं होता	**स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति** पर स्थानांतरण राज्य या केन्द्रीय अग्निशामन दलों में या किसी महापत्तन में समरूप या समतुल्य श्रेणियों में कार्यरत व्यक्ति । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	2 वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85.	फायर मैन चालक	4	260-6-326-द०रो०-8-350 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 23 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष	(i) प्राथमिक विद्यालय स्तर उत्तीर्ण (ii) किसी सिविल या सरकारी अग्निशामक दल में चालक के रूप में 3 वर्ष के अनुभव के साथ भारी मोटर यान चलाने की वैध चालन अनुज्ञप्ति हो । (iii) उपकेन्द्रीय पम्पों को चलाने का 3 मास का अनुभव ।	लागू नही होता	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	लागू नही होना	स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण राज्य या केन्द्रीय अग्निशामक दल मे या किसी महा पत्तन मे समरूप या समतुल्य श्रेणियो मे कार्यरत व्यक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत 3 वर्ष से अधिक नही होगी)	2 वर्ष	लागू नही होना
86.	शावेल सचालक श्रेणी I	2	380-12-500-द०रो०-15-560 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष	आवश्यक— (i) 200 अश्व शक्ति और 75 टोट बूम क्रैग क्रेन विशेष रूप से टाटा पी एण्ड एच क्रेन के प्रचालन का 3 वर्ष का अनुभव । (ii) शावेल कवैमशोल क्रैग लाइन और क्रेन परिवर्तन सहित उसी बनावट के क्रेन के प्रचालन का 5 वर्ष का अनुभव । वांछनीय. अधिमानत एस एस एल सी उत्तीर्ण हो·	आयु नहीं अर्हता हो	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अजयन	प्रोन्नति शावेल प्रचालक श्रेणी II जिसने पत्तन मे 3 वर्ष सेवा की है।	2 वर्ष	लागू नही होना
87.	शावेल प्रचालक श्रेणी II	6	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष	आवश्यक— (i) 30' बूम लम्बाई वाले 60 से 80 अश्वशक्ति के न्यूमेटिक चल क्रेन जो पूर्णत: डीजल से या बिजली से चलता है के उपयोग का अनुभव । (ii) क्रेन के प्रचालन मे 3 वर्ष का अनुभव । वांछनीय — मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण साक्षर	लागू नही होता	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नही होता	लागू नही होता	2 वर्ष	लागू नही होता

1	2	3	4	5	6	7
88.	चालक श्रेणी I	4	380-12-500-द०रो०-15-560 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष	ऐसे व्यक्ति जिनके पास अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन अनुज्ञात प्रथम श्रेणी इंजिन चालक का प्रमाणपत्र हो या वाणिज्य पोत परिवहन अधि, नियम 1958 (1958 का 44) की धारा 75 के अधीन अनुज्ञात इंजिन चालक का प्रमाण पत्र हो या अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917(1917 का 1) की धारा 25 के खण्ड (ख) मे निर्विष्ट कोई प्रमाण-पत्र हो या भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई सम-तुल्य प्रमाणपत्र हो ।
89.	चालक श्रेणी II	5	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष	अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917(1917 का 1) के अधीन अनुज्ञात द्वितीय श्रेणी इंजिन चालक का प्रमाणपत्र या उक्त अधिनियम की धारा 26 के खंड (ख) में निर्निर्दिष्ट कोई प्रमाणपत्र या भारत सरकार द्वारा जारी किया गया कोई समतुल्य प्रमाणपत्र।
90.	सेरांग श्रेणी I	3	380-12-500-द०रो०-15-560 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष	ऐसा व्यक्ति जिसके पास अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन अनुज्ञात द्वितीय श्रेणी का मास्टर का प्रमाणपत्र है या उक्त अधिनियम की धारा 25 के खण्ड (क) में निर्विष्ट कोई प्रमाणपत्र या समतुल्य है।

8	9	10	11	12	13
नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा और दोनों के न हो सकने पर स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा।	चयन	**प्रोन्नति** : पत्तन में कार्य कर रहे और 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले उपयुक्त चालक श्रेणी II में से। **स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति** : केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य विभागों में समरूप या सम-तुल्य श्रेणियों मे काम करने वाले व्यक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यता 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	2 वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	लागू नही होता	**स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति** : केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य विभागों में समरूप या सम तुल्य श्रेणियों में कार्यरत व्यक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्षसे अधिक नही होगी)	2 वर्ष	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा और उसके भी न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	चयन	प्रोन्नति : पत्तन में कार्यरत ऐसे सेरांग श्रेणी II जिनके पास सेरांग श्रेणी II के रूप में 5 वर्ष का अनुभव है। स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों में समरूप या समतुल्य श्रेणी में कार्यरत व्यक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	2 वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
91.	सेरांग श्रेणी II	8	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष	ऐसे व्यक्ति जिनके पास अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन अनुदत्त सेरांग का प्रमाणपत्र है या उक्त अधिनियम की धारा 26 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई प्रमाणपत्र है या भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य प्रमाणपत्र है।
92.	ज्येष्ठ मैकेनिक (निकर्षक)	2	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रु०	वर्ग 3	21 से 25 वर्ष	आवश्यक : (1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा। (2) रेत पंपों, तैरती हुई पाइप लाइनों और चर्खियों के समंजन, अनुरक्षण और मरम्मत करने का 3 वर्ष का अनुभव। (3) तैरना आता हो और पानी में कार्य करने का अनुभव हो। (अनुभवी अभ्यर्थियों की दशा में शैक्षिक अर्हता शिथिल की जा सकती है)

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य विभागों में समरूप या समतुल्य श्रेणी में कार्यरत व्यक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	2 वर्ष	लागू नहीं होता
नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	चयन	प्रोन्नति : ऐसे मैकेनिकों (निकर्षक) जिन्हें उस श्रेणी में 5 वर्ष का अनुभव है।	2 वर्ष.	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
93	ज्येष्ठ प्रचालक (निकर्षक)	2	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रु०	वर्ग 3	21 से 25 वर्ष	**आवश्यक:—** (1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) निकर्षक के नौकर्षण का 3 वर्ष का अनुभव। (3) विभिन्न प्रकार की मिट्टी मे निकर्षण का अनुभव और जल पंपों के प्रचालन गाज और अन्य उपस्करों के उपयोग का अनुभव। (4) तैरना आता हो (अनुभवी अभ्यर्थियों की दशा में शैक्षिक अर्हता शिथिल की जा सकती है)।
94	ज्येष्ठ बढ़ई	2	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	**आवश्यक.—** (1) बढ़ईगीरी मे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र या समतुल्य हो। (2) किसी ख्यातिप्राप्त कर्मशाला में बढ़ई के रूप में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव या किसी ख्यातिप्राप्त कर्मशाला में बढ़ई के रूप में 5 वर्ष के अनुभव के साथ साक्षर हो। (3) बढ़ईगीरी के विभिन्न कार्यों को स्वतंत्रतापूर्वक कर सकता हो और लकड़ी के काम करने वाली मशीनों तथा औजारों से सुपरिचित हो। **वांछनीय :—** धातु की चद्दरों की गढ़ाई का ज्ञान हो।

8	9	10	11	12	13
नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो चयन सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।		**प्रोन्नति :** ऐसे प्रचालक (निकर्षक) जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है।	2 वर्ष	लागू नही होता
नही	स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो अचयन सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनो के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।		**स्थानांतरण:** पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के ज्येष्ठ बढ़इयो में से। **प्रोन्नति :** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र धारण करने वालों की दशा मे ऐसे बढ़ई जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष और प्रमाणपत्र न धारण करने वालों की दशा में 5 वर्ष की सेवा की हो।	2 वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
95.	ज्येष्ठ मैकेनिक (जलप्रवाय)	1	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक : (1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण किया हो । (2) किसी तकनीकी संस्थान में मैकेनिक का प्रमाणपत्र धारक हो। वांछनीय:— इस क्षेत्र में पूर्व अनुभव हो ।
96.	ज्येष्ठ मैकेनिक (मोटरगाड़ी)	2	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से कम	आवश्यक : (1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । (2) मैकेनिक के रूप में हलके और भारी मोटरयानों के चलाने और मरम्मत करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव । टिप्पणी : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र धारण करने वालों को अधिमान दिया जाएगा।

8	9	10	11	12	13
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अचयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के ज्येष्ठ यांत्रिक (जल प्रवाय) में से । प्रोन्नति : ऐसे पम्प परिचर और मैकेनिकों में से जिन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का, प्रमाणपत्र धारकों की दशा में उस श्रेणी में कम से कम 3 वर्ष और प्रमाण-पत्र न धारण करने वालों की दशा में 5 वर्ष सेवा की है।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अचयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के ज्येष्ठ मैकेनिकों (मोटरगाड़ी) में से । प्रोन्नति : मोटर गाड़ी मरम्मत कर्मशाला के मैकेनिकों में से, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र धारण करने वालों की दशा में जिन्होंने 3 वर्ष सेवा की है और प्रमाणपत्र न रखने वालों की दशा में 5 वर्ष सेवा की है।	2 वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97.	ज्येष्ठ वायर मैन	2	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष	**आवश्यक :** (1) अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा पढ़ और लिख सकता हो । (2) वायर मैन का परमिट होना चाहिए । (3) किसी ख्यातिप्राप्त समुत्थान मे औद्योगिक और आवासीय भवनो की सभी प्रकार की वायरिंग का 5 वर्ष का अनुभव हो । (4) 200 अश्व शक्ति के ए०सी०/डी०सी० मोटरो और स्टार्टरो के वायरिंग और अनकी मरम्मत तथा अनुरक्षण का ज्ञान हो । **वांछनीय —** ट्रेनो और कम दाब/उच्च दाब केबलो के केवल संयोजको का अनुरक्षण और प्रचालन ।	नहीं	स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनो के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अचयन	स्थानांतरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के ज्येष्ठ वायर मैनो मे से। **प्रोन्नति** परमिट न धारण करने वाले वायरमैनो की दशा में ऐसे वायरमैनो मे से जिन्होने उस श्रेणी मे 5 वर्ष सेवा की है। और परमिट धारको की दशा मे ऐसे वायरमैनो मे से जिन्होने उस श्रेणी मे 3 वर्ष सेवा की है।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
98	लाइन मैकेनिक (विद्युत)	2	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से कम	**आवश्यक** (1) अंग्रेजी और स्थानीय भाषा पढ़ और लिख सकता हो। (2) 11 कि० वा० सम्प्रेषण लाइनो के बिछाने परीक्षण करने और उन्हे जोड़ने का 11 कि०वा० ट्रांसफार्मरो और 11 कि०वा० स्विचो के लगाने मरम्मत करने का पूर्व अनुभव होना चाहिए (3) 500 कि० वा० तक के ट्रांसफार्मरों के प्रतिष्ठापन, भूमिगत केबिलो के बिछाने और शिरोपरि सम्प्रेषण लाइनो का लगाने का किसी ख्याति-प्राप्त सगठन मे कम से कम 6 वर्ष का अनुभव ।	नही	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनो के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अचयन	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के लाइन मैकेनिको (विद्युत) मे से । **प्रोन्नति** ऐसे लाइन मैनो मे से जिन्होने उस श्रेणी मे 5 वर्ष सेवा की है।	2 वर्ष	लागू नही होता

1	2	3	4	5	6	7
99.	ज्येष्ठ फिटर	1	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रु०	वर्ग 3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
100.	ज्येष्ठ वैल्डर	1	330-8-370-10-440-द०रो०-10-480 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक : (1) वैल्डिंग में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र । (2) किसी ख्यातिप्राप्त कर्मशाला में विद्युत वैल्डिंग और गैस वैल्डिंग कार्य में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव या विद्युत आर्क वैल्डिंग और गैस वैल्डिंग कार्य, फ्लेम कटिंग और पोजीशन वैल्डिंग विशिष्टतः शिरोपरि वैल्डिंग में कम से कम 5 वर्ष के अनुभव के साथ साक्षर हो । (3) संधिरचन कार्यों, सभी प्रकार के वैल्डिंग इलेक्ट्रोड विशेष मिश्रधातु के वैल्डिंग इलेक्ट्रोड और उनकी वैल्डिंग करेन्ट रेंज से सुपरिचित होना चाहिए । (4) ए डी और डी सी वैल्डिंग तकनीक का ज्ञान और एसी तथा डी सी वैल्डिंग उपस्करों, गैस वैल्डिंग उपस्करण का ज्ञान ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होना	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा	अचयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के ज्येष्ठ फिटरों में से । प्रोन्नति : ऐसे फिटरों में से जिन्होंने, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र धारण करने वालों की दशा में उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है और प्रमाणपत्र धारण न करने की दशा में उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है ।	2 वर्ष	लागू नहीं होना
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अचयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के ज्येष्ठ वैल्डरों में से । प्रोन्नति : ऐसे वैल्डरों में से जिन्होंने, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र धारण करने वालों की दशा में उस श्रेणी में 3 वर्ष और प्रमाणपत्र न धारण करने वालों की दशा में उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है ।	2 वर्ष	लागू नहीं होना

1	2	3	4	5	6	7
101.	ज्येष्ठ लौहार	1	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक : (1) लौह-कार्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र धारक । (2) लौहार के रूप में 3 वर्ष का पूर्व अनुभव । टिप्पण : धातु-शीट कार्य, यानों के केबिनों की गढ़ाई, संविरचन, गैस वेल्डिंग, विद्युत वेल्डिंग आदि में अनुभव रखने वालों को अधिमान दिया जाएगा ।
102.	ज्येष्ट मशीन मिस्त्री	1	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष	आवश्यक : (1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण (2) मशीन मिस्त्री कार्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र । (3) निम्नलिखित मशीनों के प्रचालन और अनुरक्षण का तथा उनके सिद्धांत और संव्यवहार का अच्छा ज्ञान रखता हो । (4) किसी ख्याति प्राप्त कर्मशाला में कम से कम 3 वर्ष तक कार्य किया हो । (i) मिल्लिंग मशीन, उसका इन्डेक्सिंग और जिग भेदन ; (ii) रेडियल ड्रिल्लिंग मशीन (iii) स्लाटिंग मशीन ; (iv) युनिवर्सल टूल और कटर ग्राईडर ; (v) छिद्रण और शीयरिंग मशीन ; (vi) कर्तन मशीनें जैसे पैक और डू आल मशी और लकड़ी काटने की मशीन । (vii) अन्य कर्मशाला औजारों का अनरक्षण और प्रचालन ।

8	9	10	11	12	13
नही	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अचयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के ज्येष्ठ लौहारों में से । प्रोन्नति : ऐसे लौहारों में से जिन्होंने, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र धारण करने वालों की दशा में उस श्रेणी में 3 वर्ष और प्रमाणपत्र न धारण करने वालें की दशा में उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
नही	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अवयन	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के ज्येष्ठ मशीन मिस्त्रियो में से। प्रोन्नति : ऐसे मशीन मिस्त्री और मिलिंग मशीन प्रचालकों में से जिन्होंने, औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान का प्रमाणपत्र धारण करने वालों की दशा मे उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है और औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान का प्रमाणपत्र न धारण करने वालो की दशा में 5 वर्ष सेवा की है।	2 वर्ष	लागू नही होता

1	2	3	4	5	6	7
103.	क्रेन चालक (विद्युत)	1	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष	आवश्यक : (1) अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा पढ़ और लिख सकता हो । (2) एम ओ टी क्रेनो, रिगिंग, समाक्षेपी (स्लिंगिंग), लिफ्टिंग टेकलर के प्रचालन का अनुभव होना चाहिए और साधारण हाथ सकेतो और वस्तुओं के संचलन का ज्ञान हो । टिप्पण : ऐसे वायरमैन को अधिमान दिया जाएगा जिसके पास वायर मैन का परमिट हो और किसी सुविख्यात उपक्रम में विद्युत कार्य का 5 वर्ष का अनुभव हो ।
104	ज्येष्ठ खरादिया	2	330-8-370-10-400-द०रो०-10 480 रु०	वर्ग 3	लागू नहीं होता	लागू नही होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अवयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के क्रेन प्रचालक (विद्युत) मे से।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नही होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा ।	अवयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के ज्येष्ट खरादियो मे से । प्रोन्नति : ऐसे खरादियों में से जिन्होंने, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र धारण करने वालों की दशा में उस श्रेणी में 3 वर्ष और प्रमाणपत्र धारण न करने वालो की दशा में उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है।	2 वर्ष	लागू नही होता

1	2	3	4	5	6	7
105	ज्येष्ठ मैकेनिक (तैरते जलयान)	1	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक (1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो । (2) समुद्री गियरो और क्यूमिन्स इजनो की मरम्मत करने का लगभग 3 वर्ष का अनुभव । टिप्पण एसे व्यक्ति जिन्हे वायु सपीडक और अपकर्षको के समुद्री इजनो की मरम्मत का अनुभव रखने वाले व्यक्ति और उन व्यक्तियो को जो किर्लोस्कर कम्प्यून्स, किर्लोस्कर न्यूमेटिक कम्पनी लिमिटेड मे प्रशिक्षण प्राप्त है और ऐसे व्यक्तियो का जिन्हे भारी वाहन, क्रेनो आदि का अनुभव है, अधिमान दिया जाएगा ।
106	बेतार प्रचालक	1	330-10-380-द०रो०-12 500-द०रो०-15-560 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष	आवश्यक , (1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण। (2) तकनीकी व्यवसाय मे बेतार प्रचालक का परीक्षण उत्तीर्ण किया हो। टिप्पण · रेडियो सेवा इजीनियरी में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियो को अधिमान दिया जाएगा।

8	9	10	11	12	13
नही	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनो के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।		स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के ज्येष्ठ मैकेनिको (तैरते जलयान) मे से। प्रोन्नति ऐसे मैकेनिक जिन्होने समुद्री इजनो की यत्र रचना के अनुभव के साथ-साथ 3 वर्ष सेवा की अनुभव के है।	2 वर्ष	लाग नही होता
लागू नही होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लाग नही होता	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के बेतार प्रचालको मे से।	2 वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
107.	घाट क्रेन प्रचालक	12	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष	आवश्यक : मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण किया हो । विद्युत मोटर और यांत्रिक गियरों और सुरक्षा उपस्करों का कार्यकारी ज्ञान और विद्युत क्रेनों और अन्य क्रेनों के प्रचालन का 2 वर्ष का अनुभव । वांछनीय : बायरमैन के कार्य में व्यवसाय प्रमाणपत्र या बायरमैन का परमिट धारक हो और पूर्वोक्त के अनुसार अनुभव हो ।
108.	गोताखोर	3	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रु०	वर्ग 3	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष	(1) साक्षर होना चाहिए । (2) गोताखोरी मे व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो या निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम हो — (1) पानी के भीतर सतह के नीचे कम से कम 30 मिनट तक कार्य करना (2) डुबे हुए जलयानों को खींचने और पानी के नीचे खोई हुई सामग्री को ढूढ निकालना । (3) पोतों और जलयानो को पानी के नीचे हुई क्षति का स्पष्ट रेखाचित्र देना (4) गोताखोरी के पम्पों, हेल्मेट और अन्य गोताखोरी गियरो का पर्यवेक्षण और मरम्मत करना (5) पानी के नीचे विस्फोटकों का प्रयोग करना (6) गोताखोरी उपस्करों का अनुरक्षण औ उनकी देखभाल करना टिप्पण . भारतीय नौसेना में समा हैसियत में अनुभव रखने व्यक्तियों को अधिमान जाएगा ।

8	9	10	11	12	13
लागू नही होता	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति : अन्य महापत्तनों में समरूप काडरो/श्रेणियों में कार्यरत व्यक्ति । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	2 वर्ष	लागू नही होता .
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अन्य विभागो में समरूप या समतुल्य पदों पर कार्यरत व्यक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नही होगी)	2 वर्ष	लागू नहीं होता ।

1	2	3	4	5	6	7
109.	भण्डार लिपिक	5	260-6-326-द०रो०-8-350 रु०	वर्ग 3	30 वर्ष से नीचे	आवश्यक : मैट्रिकुलेशन या उच्चतर अर्हता के साथ ही--कर्मशाला के भण्डार और औजार कक्ष को संभालने, सामग्री और औजारों को प्राप्त करने और निर्गमित करने और उनका समुचित लेखा रखने और कर्मशाला, आदि के भण्डार और औजार कक्ष की तालिका तैयार करने का 2 वर्ष का पूर्व अनुभव हो। वांछनीय : टाइमकीपिग कार्य में छह मास का पूर्व अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा जिमके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अचयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के भण्डार लिपिकों में से । प्रोन्नति : कर्मशाला या आटो मरम्मत कर्मशाला या केन्द्रीय भण्डारों में कार्य कर रहे सकर्म मेटों में से जिन्होने कर्मशाला या आटो मरम्मत कर्मशाला या केन्द्रीय भण्डारों में भण्डार या औजार कक्ष संभालने, सामग्री औजार और वस्तुओं के प्राप्त करने और निर्गमित करने और उनका समुचित लेखा रखने, भण्डारों और औजारों की तालिका तैयार करने से संबंधित 1 वर्ष तक सेवा की हो ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता ।

1	2	3	4	5	6	7
110.	मैकेनिक (वातानुकूलन और प्रशीतन)	1	260-6-326-द००रो०-8 350 रु०	वर्ग 3	18 से 30 वर्ष	आवश्यक : (1) सातवें स्तरमान की या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । (2) किसी मान्यताप्राप्त तकनीकी संस्थान में 12 मास का प्रशीतन मैकेनिक या समतुल्य पाठ्यक्रम पूरा किया हो । (3) किसी ख्यातिप्राप्त कर्म या संगठन में वातानुकूलन और प्रशीतन इजीनियरी मे एक वर्ष तक प्रशिक्षुता सेवा की हो ।

1	2	3	4	5	6	7
						(4) वातानुकूलन और प्रशीतन सर्विसमैन के रूप में या जल प्रशीतक, प्रशीतकों, कक्ष वातानुकूलन और लघु वातानुकूलन तथा शीतागार सयंत्रों के अनुरक्षण और प्रतिष्टापन के संबंधों में कनिष्ठ मैकेनिक या प्रचालक के रूप में या किसी अन्य कुशल हैसियत में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो या वातानुकूलन और प्रशीतन में किसी ख्यातिप्राप्त फर्म में इस क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव हो ।
111. बढई		3	260-6-326-द०रो०-8-350रू०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक : (1) व्यवसाय से परिचित होना चाहिए। (2) स्वतंत्र बढई के रूप में कम से कम 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए ।
112. फिटर (समुद्रीय)		18	260-6-326-द०रो०-8-350 रू०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक : 1. साक्षर हो और बिचों, पोन्टून और अन्य उत्पादक उपस्करों के हथालने का, तटों और जोड़ने तैरती हुई पाइप लाइनों बाल और साकेट जोड़ों को जोड़ने का अनुभव होना चाहिए । 2. उथले पानी में तैरने और गोता लगाने की जानकारी होनी चाहिए। 3. श्रमिकों का समादेशन करने और उक्त कार्यों को स्वतंत्रतापूर्वक चलाने में सक्षम होना चाहिए। वांछनीय : समुद्र में नौकाओं को चलाना ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता।	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण ऐसे मिस्त्रियों में से जो वातानुकूलन और प्रशीतन का कार्य कर रहे हैं।	2 वर्ष	लागू नहीं होता ।
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अचयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के बढ़इयों में से। प्रोन्नति : ऐसे सहायक बढ़इयों में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है।	2 वर्ष	लागू नहीं होता ।
नही	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अचयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के फिटर (समुद्रीय) में से। प्रान्नति . ऐसे सहायक फिटरो (समुद्रीय) में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है।	2 वर्ष	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
113.	हल्के मोटर यान चालक	24	260-6-326-द०रो०-8-350 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष	आवश्यक : कार/जीप/वेन/फोर्कलिफ्ट या उस प्रकार की गाड़ी के चालन के 3 वर्ष के पूर्व अनुभव के साथ ही हल्के या भारी मोटर यान की चालन अनुज्ञप्ति वांछनीय : मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण
114.	लारी/बस चालक	14	260-6-326-द०रो०-8-350 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक : साक्षर हो और लारी या बस चालक के रूप में लगभग 3 वर्ष के अनुभव हो।
115.	सहायक शावेल प्रचालक और मिस्त्री	3	260-6-326-द०रो०-8-350 रु०	वर्ग 3	30 वर्ष से नीचे	आवश्यक : सहायक शावेल प्रचालक या सहायक मिस्त्री के रूप में शावेल मशीन विशिष्टतः टाटा पी एण्ड एच शावेल 655 बी के परिनिर्माण अनुरक्षण और प्रचालन में कम से कम एक वर्ष का अनुभव।
116.	कोल क्रेन प्रचालक	1	260-6-326-द०रो०-8-350रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक : साक्षर हो और 30 बूम लम्बाई की 60 से 80 अश्व शक्ति वाली न्यूमेटिक चल क्रेनों के जो पूर्णतः डीजल से चलती है या बिजली से चलती है, प्रचालन और प्रयोग में कम से कम एक वर्ष का अनुभव।
117.	आटो बिजली मिस्त्री	1	260-6-326-द०रो०-8-350 रु०	वर्ग 3	30 वर्ष से नीचे	आवश्यक : साक्षर हो और विभिन्न यानों जैसे बेंज और लेलैण्ड लारी, जीप, कार और अन्य यानों के विद्युत पक्ष की वायरिंग और मरम्मत का अनुभव।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के जीप चालकों में से	2 वर्ष	लागू नहीं होता।
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के लारी/बस चालकों में से।	2 वर्ष	लागू नहीं होता।
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अचयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के सहायक शावेल प्रचालक और मिस्त्रियों में से।	2 वर्ष	लागू नहीं होता।
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के कोल क्रेन प्रचालकों में से।	2 वर्ष	लागू नहीं होता।
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हों सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म आटो बिजली मिस्त्रियों में से।	2 वर्ष	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7
118.	मैकेनिक	8	260-6-326-द०रो०-8-350 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक : साक्षर हो और बेंज, लेलैण्ड लारी/बसों और शाबेल्स जैसी मोटर गाड़ियों के हथालने और मरम्मत करने का लगभग 5 वर्ष का अनुभव हो या किसी मान्यता-प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर गाड़ी मैकेनिक प्रमाण-पत्र हो ।
119.	वायरमैन	5	260-6-326-द०रो०-8-350 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक : साक्षर हो और विद्युत निरीक्षक, बंगलौर द्वारा संचालित वायर-मैन परीक्षा उत्तीर्ण की हो । टिप्पण : अनुज्ञापन बोर्ड द्वारा जारी किए गए वायरमैन का परमिट रखने वाले व्यक्तियों और जिन व्यक्तियों को वायर मैन के रूप में पूर्व अनुभव हो अधिमान दिया जायेगा ।

8	9	10	11	12	13
नही	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अचयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के मैकेनिकों में से । प्रोन्नति : सहायक मैकेनिकों में से जिन्होंने इस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है ।	2 वर्ष	लागू नही होता
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अचयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के वायर मैनों में से । प्रोन्नति : ऐसे सहायक वायरमैनों में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
120.	लाइन मैन	2	260-6-326-द०रो०-8 350 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक : (1) साक्षर हो और भूमिगत के बिल बिछाने जी० ओ० एस० का प्रतिष्ठापन करने, डी० पी० और 4 स्तंभों वाली संरचना करने, विभिन्न प्रकार और आकार के कण्डक्टरों और रोधियों, सुरक्षा उपायों, धरातल पर सफाई, स्तंभों की ऊंचाई, निर्माणों में से निकासी, विद्युत नियमों के सम्बन्ध में भू-सम्पर्क की जानकारी रखता हो ।

1	2	3	4	5	6	7
						(2) सभी प्रकार के अपेक्षित औजारों की जानकारी हो और परीक्षण उपस्करों का उपयोग करने में त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें ठीक करने में सक्षम हो । (3) उक्त प्रकार के कर्मचारियों का नियोजन करने वाले किसी ख्याति प्राप्त संगठन में कम से कम 3 वर्ष की अवधि का अनुभव । टिप्पण : उन व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थान का व्यवसाय प्रमाणपत्र है ।
121 फिटर	2	260-6-326-इ०रो०-8-350 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे		आवश्यक (1) किसी मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा जारी किया गया फिटर का व्यवसाय प्रमाणपत्र हो । (2) फिटर के रूप में लगभग 5 वर्ष का अनुभव हो ।
122 वेल्डर	6	260-6-326-इ०रो०-8-350 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे		आवश्यक : साक्षर हो साथ ही वेल्डर के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र हो । वांछनीय व्यवसाय में कम से कम 6 मास की अवधि का व्यावहारिक अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अचयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के लाइन मैनों में से । प्रोन्नति ऐसे सहायक लाइनमैनों में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अचयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के फिटरों में से । प्रोन्नति : ऐसे सहायक फिटरों में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अचयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के वेल्डरों में से । प्रोन्नति : ऐसे वेल्डरों में से जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
123	लोहार	1	260-6-326-व०रो० 8 350 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक साक्षर हो और लोहार के रूप में कम से कम 3 वर्ष की अवधि तक कार्य करने का अनुभव हो । टिप्पण लौहकर्म में प्रमाणपत्र धारण वाले व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा ।
124	मिलिंग मशीन प्रचालक	2	260-6-326-व०रो०-8-350 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक (1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण (2) तकनीकी परीक्षा बोर्ड से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का मशीन मिस्त्री ज्येष्ठ प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण किया हो । (3) किसी ख्यातिप्राप्त कर्मशाला में लगभग 2 वर्ष तक मिलिंग मशीन प्रचालक के रूप में काम किया हो । (4) ब्लाटिंग मशीन लेथ, ड्रिलिंग मशीन आदि के प्रचालन और अनुरक्षण का अनुभव और ज्ञान हो ।
125	सांचागर	1	260-6-326-व०रो०-9-350 रु०	वर्ग 4	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक (1) साक्षर हो साथ ही कपोला ढलाई उपस्करों के प्रचालन और अनुरक्षण का अनुभव हो । (2) निम्नलिखित में पूर्णत परिचित हो । (क) विद्युत अवनमन भट्ठी का प्रचालन । (ख) लौह युक्त तथा अलौह युक्त पदार्थों की साधे-गरी और ढलाई ।

8	9	10	11	12	13
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अवयन	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के लोहारों में से । प्रोन्नति ऐसे सहायक लोहार जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अवयन	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के मिलिंग मशीन प्रचालकों में से । प्रोन्नति ऐसे सहायक मशीन मिस्त्री जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्राप्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अचयन	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के सांचेगरों में से । प्राप्ति ऐसे सहायक सांचगरों में से जिन्होंने पत्तन में उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
126	मैकेनिक (अपकर्षक)	9	260-6-326-द०रा० 8-350 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक (1) साक्षर हो और रेत पम्पों के अनुरक्षण और रेत पम्प सटों के समझने की जानकारी हो । (2) उक्त क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो ।
127	प्रचालक (अपकर्षक)		260-6-326-द०रा० 8-350 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक (1) साक्षर हो और अपकर्षकों की भूरिंग के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत चालित विंचों के प्रचालन की जानकारी रखता हो । (2) स्वतंत्र रूप से अपकर्षक चलाने में समर्थ हो और विद्युत चालित अपकर्षकों पर कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो । वांछनीय अंग्रेजी का ज्ञान हो ।
128	खरादिया		260-6-326-द०रा० 8-350 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक (1) साक्षर हो साथ ही खरादिए के व्यवसाय का प्रमाणपत्र भी हो । (2) किसी ख्याति प्राप्त कर्मशाला में खरादिए के रूप में लगभग 4 वर्ष का अनुभव । (3) एच० एम० टी० की खराद मशीन का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने में सक्षम होना चाहिए ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्राप्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अचयन	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के मैकेनिकों (अपकर्षक) में से । प्राप्ति ऐसे सहायक मैकेनिक (अपकर्षक) जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के प्रचालकों (अपकर्षक) में से ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अचयन	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के खलासियों में से । प्रोन्नति : ऐसे सहायक खलासिगण जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
129.	पेन्टर	2	260-8-326-द०रो०-8-350 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक . (1) साक्षर हो और अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के अंक और अक्षर पढ़ और लिख सकता हो । (2) यानों की फुहार पेंटिंग तथा सामान्य फुहार पेंटिंग और साइन बोर्ड तथा सामान्य पेंटिंग के कार्यों का अनुभव । (3) 3 वर्ष की अवधि तक पेन्टर या सहायक पेन्टर के रूप में कार्य किया हो ।
130	संपीडक प्रचालक और भारी ड्यूटी यान चालक	1	260-6-326-द०रो०-8-350 रु०	वर्ग 3	30 वर्ष से नीचे	आवश्यक भारी ड्यूटी अनुज्ञप्ति पर संपीडकों और राक ड्रिलों पर कार्य करने और उनके अनुरक्षण का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।
131.	रोड रोलर चालक	1	260-6-326-द०रो०-8-350 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक . साक्षर हो और उसके पास भारी मोटर यान चलाने की वैध अनुज्ञप्ति हो इसके साथ-साथ रोड रोलर चालक के रूप में लगभग 3 वर्ष का अनुभव हो ।

8	9	10	11	12	13
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अचयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के पेन्टरों में से । प्रोन्नति : ऐसे सहायक पेन्टरों में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के संपीडक प्रचालक और भारी ड्यूटी वाहन चालकों में से ।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के रोड रोलर चालकों में से।	2 वर्ष	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
132.	ट्रैक्टर चालक	2	260-6-326-द० रो०-8-350 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक साक्षर हो और ट्रैक्टर चालक के रूप में लगभग 3 वर्ष के अनुभव के साथ उसके पास भारी मोटर यान चलाने की वैध चालन अनुज्ञप्ति हो।
133.	प्रचालक (स्टोन क्रशर)	1	260-6-326-द० रो०-8-350 रु०	वर्ग 3	35 वर्ष से नीचे	आवश्यक : साक्षर हो साथ ही स्टोन क्रशर के प्रचालन और मरम्मत का 2 वर्ष का पूर्व अनुभव हो। टिप्पण : ऐसे व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा जिनके पास पूर्व अनुभव के साथ उस व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र हो।
134.	सेप्टिटर आपरेटर	1	210-4-250-द० रो०-5-270 रु०	वर्ग 4	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
135.	दफ्तरी	3	200-3-206-4-234-द० रो०-4-250 रु०	वर्ग 4	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
136.	चपरासी	17	196-3-220-द० रो०-3-232 रु०	वर्ग 4	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष	मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के ट्रैक्टर चालकों में से	2 वर्ष	लागू नहीं होता
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रवरण	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के प्रचालकों (स्टोन क्रशर) में से। प्रोन्नति : ऐसे सहायक प्रचालक (स्टोन क्रशर) जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है।	2 वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	प्रवरण	प्रोन्नति : दफ्तरी की श्रेणी से जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है।	6 मास	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	प्रवरण	प्रोन्नति चपरासी की श्रेणी से जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है।	6 मास	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, 25 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण : ऐसे झाड़ूकश/झाड़ूकश और अपमार्जक और चौकीदारों में से जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अवधारित शैक्षिक अर्हताएं नहीं है किन्तु जो हिन्दी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा लिख और पढ़ सकते हैं, जिसका अवधारण उस भाषा में एक साधारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा।	6 मास	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
137.	खलासी	13	200-3-206-4-234-द० रो०-4-250 रु०	वर्ग 4	18 से 25 वर्ष के बीच	सुगठित शरीर के साथ आठवीं स्तर उत्तीर्ण
138	संदेशवाहक	2	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	वर्ग 4	18 और 23 वर्ष के बीच	आवश्यक : आठवां स्तर या उसके समतुल्य उत्तीर्ण किया हो। बाह्य कर्तव्य करने में शारीरिक रूप से ठीक होना चाहिए। वांछनीय : साइकिल चलाना जानता हो।
139.	अस्पताल परिचर	5	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	वर्ग 4	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष	मिडिल स्कूल उत्तीर्ण
140	वेधशाला परिचर	1	200-3-206-4-234-द० रो०-4-250 रु०	वर्ग 4	न्यूनतम 18 वर्ष	मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण। अंग्रेजी का ज्ञान वांछनीय।
141.	सिगनल खलासी	5	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	वर्ग 4	25 वर्ष	आवश्यक : आठवीं स्तर उत्तीर्ण होना चाहिए अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान हो अर्थात् पढ़ और लिख सकता हो। उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कोड के वर्णानुक्रम और अंकानुक्रम चिह्नों का ज्ञान है।
142.	डेक-हैण्ड	36	200-3-206-4-234-द०रो०-4-250 रु०	वर्ग 4	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष	डेक-हैण्ड के समरूप हैसियत में अनुभव

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	6 मास	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	(i) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ii) 25 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा। जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण : पत्तन के ऐसे झाड़ूकरण और चौकीदारों में से जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है और जो प्राथमिक रूप से साक्षर है और जो अंग्रेजी या हिन्दी अथवा कन्नड़ पढ़ सकने का सबूत दे सकते है।	6 मास	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	6 मास	लागू नहीं होता
नहीं	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य विभागों में समरूप या समतुल्य श्रेणी में कार्यरत व्यक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	6 मास	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	6 मास	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के डेक-हैण्डों में से।	6 मास	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
143	फायरमैन	26	200-3-206-4-234-द०रो०-4-250 रु०	वर्ग 4	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष	1 प्राथमिक विद्यालय स्तर उत्तीर्ण 2 कठोर शारीरिक व्यायाम करने के लिए शारीरिक रूप से ठीक हो। 3 अग्नि शमक इंजन के अग्नि शमक साधित्रों के उपयोग की जानकारी।
144.	मिस्त्री	1	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	वर्ग 4	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 21 वर्ष	समरूप हैसियत में एक वर्ष का अनुभव।
145.	सफाईवाला	35	196-3-220-द०रो०-32-232 रु०	वर्ग 4	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष	समरूप हैसियत में एक वर्ष का अनुभव।
146	प्रधान चौकीदार	1	210-4-250-द०रो०-5-270 रु०	वर्ग 4	30 वर्ष से नीचे	आवश्यक साक्षर हो और अच्छा स्वास्थ्य होना आवश्यक है।
147.	चौकीदार	33	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	वर्ग 4	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष	अच्छा स्वास्थ्य
148	चर्मकार और परिचर	2	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	वर्ग 4	18 और 25 वर्ष के बीच	मिडिल स्तर उत्तीर्ण
149	सहायक सांचागर	1	210-4-226-द०रो०-4-250-द०रो०-5-290 रु०	वर्ग 4	21 से 35 वर्ष के बीच	आवश्यक (1) साक्षर हो साथ ही कपोला ढलाई साधित्रों और तेल से प्रज्वलित होने वाली आनमन भट्ठी के प्रचालन और अनुरक्षण का अनुभव। (2) लौह और अलौह ढलाई के सांचेगरी गलाने, अध सवण का पूर्ण ज्ञान। (3) जिनके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र नहीं है उनकी दशा में लगभग 3 वर्ष का और व्यवसाय प्रमाण पत्र धारकों की दशा में लगभग एक वर्ष का सांचेगर के रूप में अनुभव है।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा, दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण : पत्तन के ऐसे चौकीदारों में से जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए विहित अर्हताएं/स्तर हैं।	6 मास	लागू नहीं होता
नहीं	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	6 मास	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	6 मास	लागू नहीं होता
नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रवरण	प्रोन्नति ऐसे चौकीदारों में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है	2 वर्ष	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के चौकीदारों में से।	6 मास	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	6 मास	लागू नहीं होता
नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अवरण	स्थानान्तरण : सहायक (कर्मशाला) में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है जिसके अन्तर्गत 6 मास का ढलाई घर में किसी सांचेगर या सहायक सांचेगर के अधीन कार्य करने का अनुभव भी है।	6 मास	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
150	सहायक बढ़ई	3	210-4-226-द०रो०-4-250-द०रो०-5-290 रु०	वर्ग 4	30 वर्ष से नीचे	आवश्यक : साक्षर हो और स्वतंत्र रूप से बढ़ई के एक वर्ष के व्यावहारिक अनुभव के साथ व्यवसाय से परिचय होना चाहिए ।
151.	सहायक प्रचालक (स्टोन क्रशर)	1	210-4-226-द०रो०-4-250-द०रो०-5-290 रु०	वर्ग 4	30 वर्ष से नीचे	आवश्यक : स्टोन क्रशर के प्रचालन और मरम्मत में 6 मास का पूर्व अनुभव होना चाहिए । टिप्पण : उन व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा जिनके पास व्यवसाय से औद्योगिक संस्थान का प्रमाणपत्र है
152.	सहायक मैकेनिक	5	210-4-226-द०रो०-4-250-द०रो०-5-290 रु०	वर्ग 4	20 वर्ष से कम	आवश्यक : साक्षर हो और बेन्ज, ले-लैंड लारियों या बसों, जीपों और कारों को हथालने और मरम्मत का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो । या आटोमोबाइल मैकेनिकलम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का व्यावसायिक परीक्षण प्रमाणपत्र हो ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होना	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अचयन	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के सहायक बढ़ई में से । प्रोन्नति : ऐसे सहायक (कर्मशाला) में से जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है जिसके अंतर्गत बढ़ई/सहायक बढ़ई के अधीन 6 मास तक कार्य करने का अनुभव भी है ।	6 मास	लागू नहीं होना
लागू नहीं होना	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अचयन	स्थानान्तरण . पत्तन निर्धारित कर्म स्थापन के सहायक प्रचालक (स्टोन क्रशर) में से । प्रोन्नति ऐसे सहायक (कर्मशाला) में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है जिसके अंतर्गत 6 मास तक प्रचालक (स्टोन क्रशर/सहायक प्रचालक स्टोन क्रशर) के अधीन कार्य करने का अनुभव भी है ।	6 मास	लागू नहीं होना
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अचयन	स्थानान्तरण . पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन में सहायक मैकेनिकों में से । प्रोन्नति : ऐसे सहायकों (मोटरगाड़ी) में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है ।	6 मास	लागू नहीं होना

1	2	3	4	5	6	7
153.	सहायक लाइनमैन	5	210-4-226-द०रो०-4-250-द०रो०-5-290 रु०	वर्ग 4	35 वर्ष से कम	आवश्यक : (1) साक्षर हो और उसे बिजली के खंभे पर चढ़ने का, विभिन्न प्रकार की शिरोपरि लाइन सामग्री का, बांधने, शैकल या पिन विद्युत रोधकों का, रोक क्लैम्प या ब्रैकेट लगाने, शिरोपरि सुचालकों को निकालने का ज्ञान । (2) लाइन कर्मकार के रूप में या वायर मैन के सहायक के रूप में या किसी ख्यातिप्राप्त संगठन में लाइनमैन के रूप में कम से कम 3 वर्ष की अवधि का अनुभव आवश्यक होना चाहिए ।
154.	सहायक फिटर	6	210-4-226-द०रो०-4-250-द०रो०-5-290 रु०	वर्ग 4	30 वर्ष से कम	आवश्यक : (1) साक्षर हो और उसके पास फिटर के रूप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का व्यवसायिक प्रमाण पत्र हो । (2) फिटर के रूप में लगभग 1 वर्ष का अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अध्ययन	स्थानान्तरण : पत्तन के निधारित कर्म स्थापन के सहायक लाइनमैनों में से । प्रोन्नति : ऐसे कनिष्ठ लाइनमैनों में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है ।	6 मास	लागू नहीं होता
नही	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अध्ययन	स्थानान्तरण : पत्तन के निधारित कर्म स्थापन के सहायक फिटरों में से । प्रोन्नति : ऐसे सहायकों (कर्मशाला) में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है जिसमें कर्मशाला में किसी फिटर या सहायक फिटर के अधीन कार्य करने का 6 मास का अनुभव भी सम्मिलित है ।	6 मास	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
155.	महायक फिटर (समुद्री)	23	210-4-226-द०रो०-4-250-5-290 रु०	वर्ग 4	30 वर्ष से कम	आवश्यक : (1) साक्षर हो और रिंचों, पाण्ट्रनों और अन्य उत्तोलक उपस्कर को हथालने का अनुभव हो तटीय और प्लवयान पाइपलाइन वाल और साकेट जोड़ों को जोड़ने का अनुभव हो। (2) उथले पानी में तैरना और गोता लगाना जानता हो। वांछनीय : समुद्र में नाव चलाने का ज्ञान हो।
156.	सहायक वेल्डर	3	210-4-236-द०रो०-4-250-द०रो०-5-290 रु०	वर्ग 4	30 वर्ष से कम	आवश्यक : (1) साक्षर हो और उसे वैल्डिंग (विद्युत/गैस वैल्डिंग) में व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त हो। (2) किसी ख्यातिप्राप्त कर्मशाला में 6 मास के लिए वैल्डर के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।
157.	सहायक लोहार	1	210-4-226-द०रो०-4-250-द०रो०-5-290 रु०	वर्ग 4	30 वर्ष से कम	आवश्यक : साक्षर हो और लोहार के रूप में कम से कम एक वर्ष कार्य किया हो।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रवयन	स्थानान्तरण . पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन में सहायक फिटरों. (समुद्री) में से। प्रोन्नति : ऐसे सहायक (ड्रेजर) में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है।	6 मास	लागू नहीं होता
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रवयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के सहायक वेल्डर में से। प्रोन्नति : ऐसे सहायकों (कर्मशाला) में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है। इसमें कर्मशाला के किसी वेल्डर या सहायक वेल्डर के अधीन कार्य करने का 6 मास का अनुभव भी सम्मिलित है।	6 मास	लागू नहीं होता
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रवयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के सहायक लोहारों में से। प्रोन्नति : ऐसे सहायकों (कर्मशाला) में से जिन्होने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है जिसमें कर्मशाला में लोहार या सहायक लोहार के अधीन कार्य करने का 6 मास का अनुभव भी सम्मिलित है।	6 मास	लागू नहीं है

4	5	6	7
10-4-226-द०रो०-4-250-द०रो०-5-290 रु०	वर्ग 4	30 वर्ष से कम	आवश्यक : (1) साक्षर हो और उसके पास मशीन मिस्त्री के रूप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र हो। (2) किसी ख्यातिप्राप्त कर्मशाला में सहायक मशीन मिस्त्री के रूप में कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो।
›-226-द०रो०-4-द०रो०-5-290	वर्ग 4	30 वर्ष से कम	आवश्यक : (1) साक्षर हो और अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में गिनती और अक्षर पढ़ लिख सकता हो। (2) यानों आदि का पेंट करने का अनुभव। (3) साधारण पेंटिंग कार्य का अनुभव। (4) किसी ख्यातिप्राप्त कर्मशाला में एक वर्ष की अवधि के लिए पेंटर के रूप में कार्य किया हो।
1 210-4-226-द०रो०-4-250-द०रो०-5-290 रु०	वर्ग 4	35 वर्ष से कम	आवश्यक : साक्षर हो और उसके पास रेत पंपों के समंजन, प्रचालन और अनुरक्षण का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

10		11	12	13
...न हो ...ते द्वारा और हो सकने पर द्वारा।	अचयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के सहायक मशीन मिस्त्रियों में से। प्रोन्नति : ऐसे सहायकों (कर्मशाला) में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है जिसमें कर्मशाला में किसी मशीन मिस्त्री/सहायक मशीन मिस्त्री के अधीन कार्य करने का 6 मास का अनुभव भी सम्मिलित है।	6 मास	लागू नहीं होता
न हो ...रा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के सहायक पेंटरों में से	6 मास	लागू नहीं होता
न द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के सहायक मैकेनिकों (ड्रेजर) में से।	6 मास	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	
161.	[illegible]	4	210-4-226-द०रो०-4-250-द-रो०-5-290 रु०	वर्ग 4	30 वर्ष से कम	
162.	वर्कमेट	1	200-3-206-4-234-द० रो०-4-250 रु०	वर्ग 4	35 वर्ष से कम	
163.	लस्कर और नाविक	8	200-3-206-4-234-द० रो०-4-250 रु०	वर्ग 4	35 वर्ष से कम	
164.	तेल देने वाला	2	200-3-206-4-234-द०रो०-4-250 रु०	वर्ग 4	30 वर्ष से कम	आ
						का

8	9	10	11	12
नहीं	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अचयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन में सहायक खरादियों में से प्रोन्नति : ऐसे सहायकों (कर्मशाला) में से जिन्होंने उस श्रेणी में वर्ष सेवा की है। जिसमें कर्मशाला में किसी खरादिए/सहायक खरादिए के अधीन कार्य करते हुए 6 मास सेवा की है।	6 मास
आयु : नहीं अर्हताएं : हां।	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अचयन	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के वर्कमेटों में से प्रोन्नति : ऐसे खलासी और नाविकों में से जिन्होंने उस श्रेणी मे एक वर्ष सेवा की है।	2
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म के लस्कर और नाि से।	
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स के तेल देने वालों में से	

1	2	3	4	5	6	7
165.	रसोइया और बैरा	1	200-3-206-4-234-द० रो०-4-250 रु०	वर्ग 4	35 वर्ष से कम	आवश्यक (1) साक्षर हो और सुदृढ़ शरीर वाला हो। (2) हिन्दी या अंग्रेजी या कन्नड़ का कार्यसाधक ज्ञान हो। (3) भारतीय व्यंजनों (शाकाहारी और मांसाहारी भोजन) और पाश्चात्य भोजन पकाने का लगभग 5 वर्ष का अनुभव हो।
166.	सफाईवाला और खलासी	5	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	वर्ग 4	25 वर्ष से कम	आवश्यक इसी हैसियत में लगभग 6 मास का अनुभव।
167.	माली और मजदूर	37	196-3-220-द०रो० 3-232 रु०	वर्ग 4	30 वर्ष से कम	आवश्यक : सुदृढ़ शरीर हो और इसी प्रकार के कुशल कार्य का अनुभव हो। वांछनीय —इसी प्रकार की हैसियत में लगभग 6 मास का अनुभव।
168.	सहायक (ड्रेजर)	15	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	वर्ग 4	30 वर्ष से कम	आवश्यक : (1) साक्षर हो और तैरना जानता हो और पानी में कार्य करना जानता हो। (2) लगर और पैंटून चलाने में समर्थ हो। (3) डैक हैंड या ड्रेजर में सहायक के रूप में कार्य किया हो।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण . पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के रसोइया और बैरा में से।	6 मास	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के सफाई वाले और खलासी से।	6 मास	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म-स्थापन के माली और मजदूर या निर्धारित कर्म स्थापन या नियमित स्थापन के चौकीदारों में से।	6 मास	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण . पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के सहायकों (ड्रेजर) में से।	6 मास	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
169.	सहायक (कर्मशाला)	2	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	वर्ग 4	30 वर्ष से कम	आवश्यक साक्षर हो और किसी ख्यातिप्राप्त कर्मशाला या फर्म में वेल्डर या लोहार या फिटर या बढ़ई या खरादिए या मशीनमिस्त्री या स्टोन प्रेशर प्रचालक के सहायक के रूप में कार्य करने का अनुभव हो।
170.	सहायक (मोटर गाड़ी)	1	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	वर्ग 4	30 वर्ष से कम	आवश्यक . साक्षर हो और उसे भारी गाड़ियों और हल्की मोटर गाड़ियों की मरम्मत करने में सहायक के रूप में लगभग 2 वर्ष का पूर्व अनुभव हो। टिप्पण इस व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र धारकों को अधिमान दिया जाएगा।
171.	क्लीनर	8	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	वर्ग 4	25 वर्ष से कम	आवश्यक साक्षर हो और साइकल चलाना जानता हो और स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति हो। टिप्पण मोटर गाड़ी के क्लीनर के रूप में पूर्व अनुभव रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा।
172.	कनिष्ठ लाइन मैन	1	196-3-220-द०रा०-3-232 रु०	वर्ग 4	25 से वर्ष से कम	आवश्यक. (1) साक्षर हो और विद्युत शिरोपरि लाइनों में कार्य करने का 6 मास का अनुभव हो। (2) खंबे पर चढ़ना जानता हो।
173	सर्विसमैन	4	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	वर्ग 4	25 वर्ष से कम	आवश्यक . साक्षर हो और भारी मोटर गाड़ियों और हल्की मोटर गाड़ियों की सर्विसिंग और सफाई का लगभग 2 वर्ष का अनुभव हो।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के सहायकों (कर्मशाला) में से।	6 मास	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के सहायकों (मोटर गाड़ी) में से।	6 मास	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के क्लीनरों में से।	6 मास	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के कनिष्ठ लाइनमैनों में से।	6 मास	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के सर्विसमैनों में से।	6 मास	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
174.	खनन मेट	1	200-3-206-4-234-द० रो०-4-250 रु०	वर्ग 4	30 वर्ष से कम	आवश्यक : धातुत्पादक खान विनियम, 1961 की धारा 12 के अधीन जारी किये गये विधिमान्य मेट प्रमाणपत्र का धारक होना चाहिए।
175	राज के लिए मेट	1	200-3-206-4-234-द०रो०-4-250 रु०	वर्ग 4	30 वर्ष से कम	आवश्यक : इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
176.	सहायक वायरमैन	6	210-4-226-द०रो०-4-250-द०रो०-5-290 रु०	वर्ग 4	30 वर्ष से कम	आवश्यक : सामान्य और विद्युत तार लगाने में तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। टिप्पण : पूर्व अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा।
177	स्फोटकर्ता	1	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	वर्ग 4	30 वर्ष से कम	आवश्यक : धातुत्पादक खान विनियम, 1961 की धारा 12 के अधीन जारी किए गए विधिमान्य स्फोटकर्ता प्रमाणपत्र का धारक होना चाहिए।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं अर्हता : हां	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के खनन मेटों में से। प्रोन्नति : ऐसे स्फोटकर्ताओं में से जिन्होंने उस श्रेणी में एक वर्ष सेवा की है।	6 मास	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के राज के लिए मेटों में से।	6 मास	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अवयस्क	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के सहायक वायरमैनों में से।	6 मास	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के स्फोटकर्ताओं में से।	6 मास	लागू नहीं होता

सा० का० नि० 159 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 26 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति) विनियम, 1980 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 1980 को प्रवृत होंगे ।

2. लागू होना:—ये विनियम बोर्ड के उन सभी स्थायी स्थायीवत् और अस्थाई कर्मचारीयों को लागू होंगे जिन्होंने कम से कम 1 वर्ष सेवा की है और जिनका वेतन, जिसके अंतर्गत महंगाई वेतन, यदि कोई है, 1200 रु० प्रतिमास से अधिक नहीं है ।

3. परिभाषाएं :—इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(1) "बोर्ड" का वही अर्थ होगा जो महापत्तन न्यास अधिनियम में है ।

(2) "कर्मचारी" से बोर्ड का कर्मचारी अभिप्रेत है ।

(3) 'वेतन' से ऐसा वेतन अभिप्रेत है जो मूल नियम 9(21)(क) में या बोर्ड द्वारा विरचित तत्संबंधी विनियमों में यदि कोई है, इनमें से जो भी कर्मचारी को लागू होते हों, परिभाषित है ।

(4) 'स्थायी' 'स्थायीवत' और 'अस्थाई' के अर्थ वही होंगे जो केन्द्रीय सरकार के मूल नियमों में या बोर्ड द्वारा विरचित तत्संबंधी विनियमों में, यदि कोई है, जो भी कर्मचारी को लागू होते हों, परिभाषित है ।

4. पात्रता:—(i) भारत में मान्यताप्राप्त मिडिल और उच्च विद्यालय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए कर्मचारियों के बालकों की ओर से संदेय या वास्तव में संदत्त अध्यापन फीस का कर्मचारियों को अधिक से अधिक उस दर से संदाय किया जाएगा जो उस राज्य का जिसमें विद्यालय अवस्थित है, सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों के लिए अनुमोदित है :

परन्तु जब सरकार या सहायता प्राप्त विद्यालय ऐसे किसी बालक से जिसका भाई या बहन भी उसी स्कूल में या उसी नगर में उसकी शाखा में किसी उच्चतर कक्षा में पढ़ रहा या रही है, रियायती दर पर फीस प्रभार करता है तो रियायती दर वह दर होगी जिस पर प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के फीस संदेय है ।

(ii) ऐसे किसी अधिकारी की दशा में जिसका वेतन किसी मास के किसी भाग के लिए 1200 रु० प्रतिमास से अधिक है तो प्रतिपूर्ति उस मास के लिए ही अनुज्ञात की जाएगी यदि वह उस मास के कम से कम 15 दिन के लिए 1200 रु० प्रतिमास से अनधिक वेतन लेता है ।

(iii) बोर्ड के पास प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार सेवक/केन्द्रीय सरकार सेवक भी अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए उस मास से जिसमें वे पत्तन सेवा आरंभ करते है उस मास तक जिसमें वे पत्तन सेवा छोड़ देते हैं, प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे :

परन्तु यह प्रतिपूर्ति तभी अनुज्ञेय होगी जब बोर्ड के अधीन सेवा 15 दिन से कम दिन की नहीं है ।

(iv) राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार या भारत में विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति कर्मचारी केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार विदेशी नियोजक से प्रतिपूर्ति का दावा करने का पात्र होगा और इस बाबत प्रतिनियुक्ति के निबंधनों में आवश्यक उपबंध किया जाएगा ।

टिप्पण : बोर्ड के किसी कर्मचारी की अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति के विद्यमान निबंधन ऐसे कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति मंजूर करने के लिए उधार लेने और देने वाले प्राधिकारियों के बीच आपसी करार द्वारा समुचित रूप से पुनरीक्षित किए जाएंगे ।

(v) जहां पति और पत्नी, दोनों पत्तन सेवा में हैं, वहां अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति उसमें से केवल एक के लिए अनुज्ञेय होगी परन्तु यह तब अनुज्ञेय नहीं होगी जब उनमें से किसी का वेतन 1200 रु० प्रतिमास से अधिक है ।

टिप्पण : यदि किसी कर्मचारी की पत्नी या उसका पति पत्तन से बाहर नियोजित है और वह अपने बालकों की बाबत उक्त नियोजक से अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति की सुविधा का हकदार है तो कर्मचारी को यह रियायत तदनुसार कम कर दी जाएगी ।

(vi) प्रतिपूर्ति किसी ऐसे कर्मचारी को अनुज्ञेय होगी जो कर्तव्यरत है या निलंबित है या छुट्टी पर है । जिसके अंतर्गत सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी भी है । यह मृतक, सेवा निवृत्त या सेवा-मुक्त कर्मचारियों के बालकों की बाबत अनुज्ञेय नहीं होगी । यदि किसी शैक्षणिक वर्ष के मध्य में कोई कर्मचारी मर जाता है या पत्तन सेवा में नहीं रह जाता है तो भत्ता उस मास के अंत तक ही अनुज्ञेय होगा जिसमें यह घटना होती है ।

स्पष्टीकरण : वेतन जिसके संदर्भ में रियायत दी जाएगी जब कर्मचारी निलंबित है या छुट्टी पर है, वह वेतन होगा जो उसे निलंबित करने के या छुट्टी पर जाने के समय अनुज्ञेय है ।

(vii) (क) प्रतिपूर्ति मिडिल, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा और तकनीकी तथा अन्य व्यावसायिक विद्यालयों तत्संबंधी कक्षाओं तक सीमित होगी ।

(ख) भारत में विश्वविद्यालय पूर्व कक्षाओं या इंटरमिडियट महाविद्यालयों की प्रथम वर्ष कक्षाओं में शिक्षा के लिए संदेय या वस्तुतः संदत्त अध्यापन फीस की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी । परन्तु यह तब जब ऐसे बालक जिनकी

बाबत फीस की प्रतिपूर्ति का दावा किया जाता है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं किन्तु उन्होंने उच्चतर माध्यमिक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण नही की है :

परन्तु यह और कि ऐसी शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में दी जाती है ।

टिप्पण : अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा चालित महाविद्यालय की सहायता पाने वाले विद्यालय के समकक्ष समझा जाएगा और वास्तव मे संदत्त फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। दूसरी ओर किसी विश्वविद्यालय से सबद्ध महाविद्यालय को, मान्यताप्राप्त सहायता न पाने वाली संस्था माना जाएगा और ऐसे महाविद्यालय में वास्तव मे संदत्त अध्यापन फीस जिसकी प्रतिपूर्ति की जा सकेगी उससे अधिक नही होगी जो उस विश्वविद्यालय द्वारा जिससे वह सम्बद्ध है, विहित की गयी है ।

स्पष्टीकरण : अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति ऐसे प्रक्रम तक जो बालक को त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम म प्रवेश के लिए पात्र बनती है, सभी कक्षाओं में अनुज्ञात की जाएगी, उदाहरणार्थ, कर्नाटक में जहां सैकडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम की 10 कक्षाएं होती है और विश्वविद्यालय पूर्व पाठ्यक्रम में दो कक्षाएं होती हैं, प्रतिपूर्ति 10 कक्षाओं और विश्वविद्यालय पूर्व की दो कक्षाओं, दोनों के लिए अनुज्ञेय होगी । इसी प्रकार, राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में जहां उपाधि पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष की होती है, प्रतिपूर्ति इंटरमिडियट कक्षाओं के प्रथम वर्ष तक सीमित होगी ।

(viii) विश्वविद्यालय पूर्व कक्षाओं में या इंटरमिडियट महाविद्यालय या तकनीकी महाविद्यालय के प्रथम वर्ष की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले कर्मचारियों के बालकों के लिए अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए दावे की बाबत प्राचार्य से निम्नलिखित प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया जाना चाहिए और उन्हें प्रथम दावे के साथ और बाद में महाविद्यालय के प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रस्तुत करना चाहिए ।

"प्रमाणित किया जाता है कि महाविद्यालय/संस्थान विश्वविद्यालय/ बोर्ड द्वारा चालित से संबद्ध/से उसे मान्यता प्राप्त है" ।

(ix) पालीटेकनिकों की प्रथम वर्ष की कक्षाओं में अध्ययन कर रहे अपने बालकों के बारे में कर्मचारियों द्वारा संदत्त फीस की प्रतिपूर्ति उन्हें अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति की मंजूरी के लिए विहित आधारभूत शर्तों के अधीन रहते हुए, की जाएगी ।

5. प्रतिपूर्ति की शर्तें :—(i) प्रतिपूर्ति की रियायत तब अनुज्ञेय होगी यदि बालक का नाम (क) ऐसे विद्यालय में जिसे उसे क्षेत्र के जिसमें विद्यालय है, सरकारी शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त है, या (ख) ऐसे विद्यालय में जो किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित मैट्रिकुलेशन परीक्षा के लिए विद्यार्थी तैयार करता है और जो ऐसे विश्वविद्यालय से संबद्ध है या जिसे उससे मान्यताप्राप्त है, या (ग) ऐसे विद्यालय मे जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली मे संबद्ध है, वर्ज है ।

टिप्पण : प्रतिपूर्ति स्कीम के प्रयोजन के लिए ऐसे मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भी (जिनमें पब्लिक स्कूल भी हैं) जो विद्यार्थियों को भारतीय विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा के लिए तैयार करते है, मान्यता प्राप्त सहायता न पाने वाला के प्रवर्ग मे आने वाला माना जाएगा । अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए ऐसे विद्यालयों की कक्षाओं की सरकारी विद्यालयो की कक्षाओं से समकक्षता उस क्षेत्र के जिसमें विद्यालय स्थित है, सरकारी शिक्षा प्राधिकारियों के परामर्श मे विनिश्चित की जाएगी ।

(ii) (क) सहायता पाने वाले विद्यालयों में शिक्षा के लिए प्रतिपूर्ति की जाने वाली अध्यापन फीस इस संबंध में अधिकथित सभी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए उससे अधिक नहीं होगी जो उस राज्य की जिसमें विद्यालय स्थित है सरकार द्वारा तत्संबंधी कक्षाओं के लिए विहित की जाए ।

स्पष्टीकरण विशेष प्रकार के राजकीय विद्यालयों में भी अर्थात् पश्चिमी बंगाल में सरकार के प्रबन्धाधीन अंगल भारतीय विद्यालय पंजाब में राजकीय आदर्श उच्च विद्यालय, आन्ध्र प्रदेश में विशेष राजकीय विद्यालय और अन्य राज्यों में ऐसे ही विद्यालयों में शिक्षा के लिए अध्यापन फीस की पूतिपूर्ति उससे अधिक नहीं होगी जो पारपरिक राजकीय विद्यालयों में तत्सम्बन्धी कक्षाओं के लिए सरकार द्वारा विहित है ।

(ख) इंटरमिडिएट/तकनीकी महाविद्यालय के प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय पूर्व कक्षा के लिए प्रभारित अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए रकम उतने तक होगी जितनी तत्सम्बन्धी कक्षाओं के लिए सरकारी महाविद्यालय द्वारा प्रभारित होती है ।

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित अध्यापन फीस का मापमान, सम्बद्ध राज्य सरकार के सहायता पाने वाले विद्यालय द्वारा अनुमोदित अध्यापन फीस के मापमान को ध्यान में न रखते हुए प्रतिपूर्ति का आधार होगी ।

(घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा स्थापित संप्रदर्शन बहुउद्देश्य विद्यालयों को भी केन्द्रीय सरकार के विद्यालयों के समान माना जाएगा और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अध्यापन फीस का मापमान राज्य सरकार के विद्यालयों के लिए राज्य प्राधिकारियो द्वारा अनुमोदित फीस को ध्यान में न रखते हुए प्रतिपूर्ति का आधार होगा ।

(ङ) अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित पत्राचार पाठ्यक्रमों में प्रविष्टि बालकों की बाबत अनुज्ञेय होगी क्योंकि प्रतिपूर्ति की मंजूरी के लिए विहित आधारिक शर्तों की पूर्ति हो जाती है । वर्ग iii और वर्ग iv अधिकारियों के मामले में आहरण अधिकारियों और वर्ग

1 और 2 अधिकारियों के मामले में विभागाध्यक्षों को विशेष रूप से अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि संस्थान मान्यता प्रदान करने से सम्बन्धित शर्तें जो विनियम 4(i) और 4(ii) में है, पूरी कर दी गयी हैं।

(च) ऐसे राज्यों में जहां शिक्षा निःशुल्क है और राज्य सरकार द्वारा चालित विद्यालयों के लिए कोई फीस विहित नहीं की गयी है, सरकारी सहायता पाने वाले और मान्यताप्राप्त सहायता न पाने वाले विद्यालयों और विभागीय विद्यालयों, उनको छोड़कर जो अन्ध मूक और बधिर विद्यार्थियों के लिए हैं, द्वारा भी भारित फीस की प्रतिपूर्ति वास्तव में संदत्त दरों पर की जा सकती है किन्तु वह निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए होगी।

कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8	5 रु० प्रतिमास दर से
कक्षा 9	6 रु० प्रतिमास की दर से
कक्षा 10	7 रु० प्रतिमास की दर से
कक्षा 11	8 रु० प्रतिमास की दर से

टिप्पण: ऐसे राज्यों में जहां राजकीय विद्यालयों में तत्सम्बन्धी कक्षाओं में शिक्षा निःशुल्क नहीं है तत्सम्बन्धी कक्षाओं में सहायता पाने वाले। मान्यताप्राप्त सहायता न पाने वाले विद्यालयों में अध्ययन कर रहे बालों की बाबत अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति अनुज्ञात करने के प्रयोजनों के लिए राजकीय विद्यालयों में बालकों के लिए प्रभारित दरें जहां लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक दरें विहित हैं, मानक दरें मानी जाएंगी और तदनुसार विहित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रतिपूर्ति उक्त सीमा तक लड़कियों की बाबत भी अनुज्ञेय होंगी।

(iii) ऐसे पतन कर्मचारियों को जो शारीरिक रूप से अपंग/मानसिक रूप से मन्द हैं, बालकों की बाबत प्रभारित फीस की उनकी प्रतिपूर्ति निम्नलिखित और शर्तों के अधीन रहते हुए होगी, अर्थात् :—

(क) प्रभारित वास्तविक फीस या 20 रु० प्रतिमास इन में से जो भी कम हो, अनुज्ञेय होगी।

(ख) संस्था केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा मान्यताप्राप्त/अनुमोदित सहायता पाती है।

(ग) अन्धे और अन्य विकलांगों की दशा में जिस कक्षा में बालक अध्ययन कर रहा है वह सामान्य विद्यालयों में प्राथमिक/माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक के समरूप है।

(घ) मूक और बधिर बालकों की दशा में जिस कक्षा में बालक अध्ययन कर रहा है वह केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित है।

(ङ) मानसिक रूप से मंद बालकों की दशा में कोई स्तर विहित नहीं किए गए हैं किन्तु प्रतिपूर्ति अधिक से अधिक 10 वर्ष तक अनुज्ञात की जा सकेगी और उसके आगे के लिए (i) समाधानप्रद प्रति जो संस्था के प्रधान द्वारा प्रमाणित की गयी होगी और (ii) सामान्य प्रथा के अनुसार अन्तराल पर प्रोन्नति अनुज्ञात की जा सकेगी।

(च) जब कभी विद्यार्थी की प्रगति समुचित औचित्य जैसे (i) रुग्णता जोसक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होगी (ii) परिवार में कोई बड़ी दुखद घटना जैसे माता, पिता या संरक्षक की मृत्यु हो जाना या (iii) विद्यार्थी के नियंत्रण से परे कुछ अन्य परिस्थितियों का होना के बिना समाधान प्रद नहीं है तो बोर्ड को पुनर्विलोकन करने का अधिकार होगा और यदि मामले के गुणागुण को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक है तो प्रतिपूर्ति रोक दी जाएगी। समाधान प्रद रूप में प्रगति के बारे में जिसका उल्लेख ऊपर उप विनियम 5(iii) (ग) और (च) में किया गया है, समुचित प्रमाण पत्र संस्था के प्रधान से अर्धवार्षिक रूप से प्रतिवर्ष जनवरी और जुलाई में प्राप्त किए जा सकेंगे।

(iv) ऐसे मामलों में जहां अध्यापन फीस अग्रिम रूप में प्रभारित की जाती है वहां तीन मास से अनधिक अवधि के लिए उसके द्वारा किए गए सदाय के तुरन्त पश्चात पत्तन कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञात की जाएगी अर्थात :—

(क) विद्यालय प्राधिकारियों को क्षेत्र के शैक्षिक प्राधिकारियों द्वारा उस अवधि के लिए जिसके लिए फीस इस प्रकार प्रभारित की गयी हैं, अग्रिम रूप से फीस प्रभारित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ख) आहरण और संवितरण अधिकारी यह देखने के समुचित पूर्वाविधानी बरतता है कि कर्मचारी ऐसी सम्पूर्ण अवधि में जिसके लिए संदाय की प्रतिपूर्ति पहले ही की जा चुकी है, प्रतिपूर्ति का हकदार बना रहता है।

(ग) पिछले वेतन प्रमाणपत्र के प्ररूप में उसमें यह बताने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से एक समुचित खण्ड स्थापित किया जाना चाहिए कि एक कार्यालय से किसी अन्य कार्यालय में स्थानान्तरण की दशा में या सेवानिवृत्ति आदि की दशा में सम्बोधित अधिकारी को किस मास तक प्रतिपूर्ति की जा चुकी है, और

(घ) सम्बन्धित कर्मचारी से निम्नलिखित आधारों पर वचनबन्ध प्राप्त किया जाना चाहिए :—
"मैं वचनबन्ध करता हूं कि यदि मेरा बालक जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है और जिसका अग्रिम

रूप से सदाय किया जा चुका है, विद्यार्थी नही रह जाता या किसी अन्य कारण से प्रतिपूर्ति मुझे अनुज्ञेय हो जाती है तो मै प्रतिपूर्ति की गयी फीस की रकम वापस कर दूंगा।"

(v) रियायत किसी कर्मचारी के धर्मज बालकों जिसमें सौतेले बालक और ऐसे दत्तक बालक भी है (जहां कर्मचारी की स्वीय विधि में के अधीन दत्तक ग्रहण को मान्यताप्राप्त है) जो कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित है, की बाबत ही अनुज्ञेय होगी।

(i) किसी बालक की बाबत एक ही कक्षा में दो शैक्षिक वर्ष से अधिक के लिए कोई प्रतिपूर्ति अनुज्ञेय नही होगी।

(ii) जहां किसी बालक को कोई सरकारी या गैर सरकारी छात्रवृत्ति या बोर्ड से कोई छात्रवृत्ति प्राप्त होती है और उसे विद्यालय कि अध्यापन फीस देनी पडती है ऐसे मामलों में जहां छात्रवृत्ति की रकम अध्यापन फीस से अधिक है वहां कोई प्रतिपूर्ति नही की जाएगी ऐसे मामलों में जहां छात्रवृत्ति की रकम अध्यापन फीस से कम है, वहां कर्मचारी को अनुज्ञेय सीमा तक अन्तर अनुज्ञात किया जा सकेगा।

टिप्पणः ऐसे मामलों में जहां विद्यार्थी को आंशिक फीस माफी दे जाती है वहा वस्तुतः संदत्त अध्यापन फीस ही प्रतिपूर्ति का आधार होगी।

(8) प्रतिपूर्ति अध्यापन फीस तक ही सीमित होगी। और उसके अन्तर्गत विशष फीसे जैसे पुस्तकालय फीस, खेल फीस, पाठ्ययोत्तर क्रियाकलाप फीस आदि नही आएगी उन्हें कर्मचारी को स्वयं वहन करना होगा। किन्तु अध्यापन फीस में ऐसे विशेष के लिए जो नियमित स्कूल पाठ्यक्रम मे विषयों के रूप में पढ़ाए जाते है, फीस सम्मलित होगी। तदनुसार विज्ञान विषय के लिए प्रभारित फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी और इसी प्रकार संगीत के लिए भी यदि इसे विद्यालय के पाठ्यक्रम के एक विषय के रूप मे पढ़ाया जाता है। "प्रवेश फीस" की प्रतिपूर्ति नही की जा सकेगी।

(9) इन विनियमों के अधीन प्रतिपूर्ति उन बालकों की बाबत अनुज्ञेय नहीं होगी जिनके लिए बाल-शिक्षा भत्ता का दावा किया जाता है।

(10) इन विनियमो के निबन्धनो के अनुसार अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति के मद्दे व्यय उसी लेखाशीर्ष को विकलनीय होगी जिसका कर्मचारी का वेतन और भत्ते विकलित किए जाते है और पहले से ही खोले गए "बाल शिक्षा भत्ते" के शीर्षक मे बुक किए जाएगे। इन विनियमों के अधीन प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए अनुसरण की जाने वाले प्रक्रिया इस विनियम के उपबन्ध I में दी गयी है

(11) वर्ग 1 और 2 अधिकारियों द्वारा अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति का दावा वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी से किसी प्राधिकार के बिना किए जाएगा।

(12) अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति को आयकर से छूट के रूप में नही माना जा सकेगा।

(13) पत्तन कर्मचारी को अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति के मद्दे रकम को मकान किराए की वसूली के प्रयोजन के लिए उपलब्धियों में सम्मिलित नही किया जाएगा।

उपाबन्ध—1

अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति दावा करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

1. जब अध्यापन फीस का दावा किया जाए तब सम्बन्धित कर्मचारी उपाबन्ध II में दिए गए प्रारूप में जानकारी और प्रामाणपत्र देगा।

2. जहां फीस मासिक आधार पर संदत्त की जाती है वहां अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति का दावा मास में एक बार से अधिक बार नहीं किया जाएगा। जहां फीस मासिक रूप में नही दी जाती है वह दावा तीन मास में एक बार किया जाएगा दोनों में से किसी भी मामले में अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति का दावा बकाया के रूप में ही किया जाएगा और न कि अग्रिम के रूप में किया जाएगा।

टिप्पणः ये दावे पृथक् वेतनबिल/प्ररूपों में किए जाएंगे और पत्तन कर्मचारी के मासिक वेतन और भत्तों के साथ नही किए जाएंगे।

3. आरम्भिक दावा करते समय और बाद में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के आरम्भ में वह विद्यालय के प्राधानाध्यापक का इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि विद्यालय मान्यताप्राप्त है।

4. वर्ग 3 और 4 कर्मचारियो के मामले में आहरण अधिकारी और वर्ग 1 और 2 के मामले मे प्राभागीय अधिकारी यह सत्यापित करेगा कि दावा की गयी प्रतिपूर्ति विहित शर्तों के अनुसार हैं और विशेष रूप से वह इसे उस क्षेत्र की सरकार द्वारा अनुमोदित अध्यापन फीस की दर के प्रति निर्देश मे सत्यापित करेगा।

5. आहरण अधिकारी/प्रभागीय अधिकारी बिलों मे यह भी प्रमाणित करेगा कि ऊपर 1 और 2 में उल्लिखित विशिष्टियां और रसीद प्राप्त हो गयी है और यह कि दावा सत्यापित कर दिया गया है। जहां प्रभागीय अधिकारी आहरण अधिकारी स्वय दावेदार है वहां वह अपने दावे की अपने से अगले वरिष्ठ अधिकारी से समीक्षा कराएगा और प्रतिहस्ताक्षर करवाएगा।

6. आहरण अधिकारी/प्रभागीय अधिकारी या अगले ज्येष्ठ अधिकारी को प्रत्येक पत्तन कर्मचारी की बाबत प्राप्त, स्वीकृत /नामंजूर और प्रतिपूर्ति किए गए दावो का समुचित अभिलेख रखना चाहिए और उन्हे पत्तन कर्मचारी द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों और जानकारी को, उनके द्वारा किए गए दावों के समर्थन में शैक्षणिक प्राधिकारियों की रसीदें

और अन्य दस्तावेजों, यदि कोई है, के साथ वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी को उपलब्ध कराना चाहिए/रखा जाने वाले अभिलेख उपबन्ध III में दिए गए प्ररूप में होगा ।

उपाबन्ध II

प्ररूप

1. पिछले दावे की तारीख .....

2. वह अवधि जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया था ....

वह अवधि जिससे वर्तमान दावा सम्बंधित है .....

.....

बालक का नाम	विद्यालय जिसमें पढ रहा है और विद्यालय की अवस्थिति (यह भी बताएं कि विद्यालय राजकीय है या सरकारी सहायता पाने वाला है)	कक्षा जिसमें पढ़ रहा है	वास्तव में संदत्त मासिक अध्यापन फीस (रसीदें संलग्न की जाएं)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			

सरकारी छात्रवृत्ति की रकम यदि कोई हो	अन्य स्रोतों से प्राप्त छात्रवृत्ति की रकम (कृपया ध्यान दें अध्यापन फीस से भिन्न पदों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से निश्चित छात्रवृत्ति का उल्लेख करना आवश्यक नही है ।)	दावा की गयी प्रतिपूर्ति की रकम (शैक्षणिक प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित फीस तक ही सीमित होगी ।
5	6	7
1.		
2.		
3.		

1. प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित बालक जिसकी/जिनकी बाबत अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, स्तंभ (2) में वर्णित विद्यालय (विद्यालयों) में जो मान्यताप्राप्त विद्यालय है/हैं, अध्ययन कर रहा है/है और यह कि प्रत्येक के सामने उपदर्शित अध्यापन फीस वास्तव में दी गयी है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि :—

मेरी पत्नी/मेरे पति पत्तन सेवा में नहीं है ।

मेरे पत्नी/मेरा पति पत्तन सेवा में है और यह कि उसके द्वारा कोई प्रतिपूर्ति का दावा नही किया जाएगा और यह कि उसका वेतन 1200 रु० प्रतिमास से अधिक नही है (जिसमें उसके द्वारा लिया गया महंगाई वेतन भी सम्मिलित है) । मेरी पत्नी/मेरा पति पत्तन के बाहर नियोजित नहीं है ।

मेरी पत्नी/मेरा पति .....में नियोजित है और वह अपने बालकों की बाबत अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति का/की हकदार नहीं है ।

3. प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित बालकों में से कोई भी दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए एक कक्षा में नही पढ़ रहा है ।

4. प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित बालकों की बाबत मैंने बाल शिक्षा भत्ता का दावा नहीं किया है और न ही करूंगा । (यदि लागू न हो तो काट दें) ।

तारीख कर्मचारी के हस्ताक्षर और पदनाम

टिप्पण : 1. उपाबंध की मद सं० 3 में उल्लिखित प्रमाणपत्र कर्मचारियों के उन बालकों की बाबत आवश्यक नही है जो राजकीय या नगरपालिका विद्यालयों में पढ़ रहे हैं ।

2. इस विनियम के उपाबंध की मद 3 में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र कर्मचारियों के उन बालकों की बाबत आवश्यक नही है जो किसी पंचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा चालित विद्यालयों में पढ़ रहे हैं ।

उपाबन्ध III

बालकों की अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए दावे का रजिस्टर

क्रम सं०	नाम	पदनाम	वह अवधि जिससे दावा सम्बंधित है
1	2	3	4

दावा की गई	अनुज्ञेय रकम	आहरण अधिकारी/कार्यालय के प्रधान/ठीक अगले वरिष्ठ अधिकारी के तारीख सहित हस्ताक्षर	टिप्पणियां
5	6	7	8

[सी० डब्ल्यू/पी ई एल-14/80]

अधिसूचना

सा० का० नि० 167(अ) :—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 1980 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1980 को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाए :—इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "लेखा अधिकारी" से बोर्ड का वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी अभिप्रेत है ।

(ख) "बोर्ड", "अध्यक्ष" और "उपाध्यक्ष" का वही अर्थ होगा जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) में उनका है।

(ग) "कर्मचारी" से बोर्ड का कर्मचारी अभिप्रेत है।

(घ) "वेतन" से मूल नियमों या बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों, यदि कोई हैं, में यथापरिभाषित वेतन अभिप्रेत है, इनमें से जो कोई भी कर्मचारी को लागू हों ।

(ङ) (i) "उपलब्धियों" से मूल नियम या बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों में यदि कोई है, यथापरिभाषित वेतन, छुट्टी वेतन, जीवन निर्वाह भत्ता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मंहगाई वेतन, महगाई भत्ता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, विशेष मंहगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता और अन्तरिम राहत है ;

(ii) "उपलब्धियों" में ऊपर उल्लिखित पारिश्रमिक को छोड़कर सभी प्रकार के पारिश्रमिक सम्मिलित नही होंगे अर्थात् मकान किराया भत्ता, अतिकाल भत्ता, और अतिकाल कार्य, रात्रि अधिभार आन्तरायिक कार्य के लिए अनुज्ञात भत्ता, रविवार, अवकाश दिन और छुट्टी के दिन किए गए कार्य के लिए सामान्य मजदूरी के अलावा अतिरिक्त पारिश्रमिक, तैरते जलयान के पर्यवेक्षण की फीस, मानदेय, सवारी राशन भत्ता और प्रोत्साहन बोनस की प्रकृति का कोई अन्य संदाय जो कार्य की उत्पादकता से जुड़ा न हो, कुटुम्ब भत्ता, बालक शिक्षा भत्ता, समुद्र यात्रा भत्ता आदि के रूप में किया गया कोई अन्य संदाय,

(iii) मात्रानुपाती स्कीम के अधीन आने वाले कर्मचारियों की बाबत "उपलब्धियों" के अंतर्गत उनके वास्तविक उपार्जन जिसके अंतर्गत मात्रानुपाती दर पर उपार्जन, प्रोत्साहन उपार्जन/प्रीमियम संदाय, परिणाम द्वारा संदाय स्कीम के अधीन संदाय अक्रिय समय के लिए मजदूरी और हाजिरी रकम संदाय यदि कोई हैं जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियत किए जाएं, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नही होंगे :—

(क) मात्रानुपाती दर पर उपार्जन में सम्मिलित मकान किराये भत्ते के मद्दे समस्त राशि,

(ख) ऊपर (ii) मे निर्दिष्ट अन्य भत्ते ।

(iv) परिणाम द्वारा संदाय स्कीम के अधीन आने वाले कर्मचारियों की बाबत "उपलब्धियों" के अंतर्गत उनके वास्तविक उपार्जन जिसके अंतर्गत प्रोत्साहन उपार्जन, प्रीमियम संदाय और परिणाम द्वारा संदाय स्कीम के अधीन किए गए कोई अन्य संदाय, यदि कोई है जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियत किए जाएं किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नही होंगे :—

(क) मात्रानुपाती दर पर उपार्जन में सम्मिलित मकान किराया भत्ते के मद्दे समस्त राशि, और

(ख) ऊपर (ii) में निर्दिष्ट अन्य भत्ते ।

इस विनियम में मात्रानुपाती दर पर उपार्जन/प्रोत्साहन उपार्जन आदि पद जहां कही भी आते हैं उस समय से लागू/प्रभावी होंगे जब पत्तन और डाक विनियम पत्तन में प्रवृत्त होते है ।

(च) "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है, —

(1) पुरुष अभिदाता की दशा में, अभिदाता की पत्नी या पत्नियां और बालक तथा अभिदाता के किसी मृतक पुत्र की विधवा या विधवाएं और बालक :

परन्तु यदि अभिदाता यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक हो गई है या वह उस समुदाय की जिसकी कि वह है, रूढ़ि जन्य विधि के अधीन उससे भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं रह गई है, तो उसे तब से जब तक कि अभिदाता लेखा अधिकारी को बाद में लिखित रूप में यह सूचित नही कर देता है कि उसे उसी रूप में माना जाता रहेगा, यह समझा जाएगा कि वह उन मामलों में जिनका सम्बंध इन विनियमो से है, अभिदाता के कुटुम्ब का सदस्य नही रह गई है।

(2) स्त्री अभिदाता की दशा मे अभिदाता का पति और बालक तथा अभिदाता के किसी मृतक पुत्र की विधवा या विधवाएं और बालक :

परन्तु यदि कोई अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप में सूचना देकर अपने पति को अपने कुटुम्ब से अपवर्जित करने की अपनी इच्छा

व्यक्त करती है तो पति को जब तक कि अभिदाता बाद में वह सूचना लिखित रूप में रद्द नहीं कर देती है यह समझा जाएगा कि वह उन मामलों में जिनका सम्बंध इन नियमों से है अभिदाता के कुटुम्ब का सदस्य नहीं रह गया है :

टिप्पण : "बालक" से धर्मज बालक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत जहां दत्तकग्रहण अभिदाता को शासित करने वाली स्वीय विधि द्वारा मान्यता-प्राप्त है, दत्तक बालक भी है ।

(छ) "निधि" से नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि अभिप्रेत है ,

(ज) "छुट्टी" से बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन अनुज्ञात की गई किसी भी प्रकार की छुट्टी अभिप्रेत है ;

(झ) "सेवा" से वह निरन्तर सेवा अभिप्रेत है, जिसके दौरान अभिदाता किसी ऐसे स्थायी पद पर अपना धारणाधिकार या निलम्बित धारणाधिकार रखता है जिसका बोर्ड के राजस्व से संदाय किया जाता है किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित अवधियां भी हैं अर्थात :—

(क) स्थानापन्न या अस्थायी सेवा यदि उसके बाद की सेवा व्यवधान रहित स्थायी सेवा है, और

(ख) जिसे बोर्ड साधारण या विशेष आदेश द्वारा सेवा के रूप में गिने जाने की अनुज्ञा दे ।

(ग) "वर्ष" से वित्त वर्ष अभिप्रेत है ।

3. निधि का गठन और प्रबंध—निधि का प्रशासन बोर्ड करेगा ।

4. लागू होना—

(1) ये विनियम निम्नलिखित को लागू होंगे,—

(क) बोर्ड का ऐसा प्रत्येक गैर पेंशन भोगी कर्मचारी जो इन विनियमों के प्रारंभ से पूर्व बोर्ड द्वारा प्रशासित अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाय कर रहा था, और

(ख) कोई ऐसा कर्मचारी जो केन्द्रीय या राज्य सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय से स्थानान्तरण पर आया है और जो उस सरकार या निकाय की अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाय करता रहा है । इसके मामले में उस सरकार या निगमित निकाय की जहां से वह स्थानान्तरण पर आया है निधि में उसके खाते का अतिशेष अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष की मंजूरी से अंतरित करके निधि में उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा ।

(2) बोर्ड अपने विवेक से किसी अन्य कर्मचारी को निधि में संदाय करने के लिए अनुज्ञात कर सकता है ।

5. नामनिर्देशन—(1) निधि में सम्मिलित होते समय अभिदाता, लेखा अधिकारी के पास एक नामनिर्देशन पत्र भेजेगा वह रकम संदेय होने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में या उस दशा में जब रकम संदेय तो है किन्तु दी नहीं गई है एक या अधिक व्यक्तियों को वह रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगा जो निधि में अभिदाता के नाम जमा हो :

परन्तु नामनिर्देशन करते समय यदि अभिदाता का कोई कुटुम्ब है तो नामनिर्देशन उसके कुटुम्ब के सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं किया जाएगा :—

परन्तु यह और भी कि अभिदाता द्वारा ऐसी किसी अन्य भविष्य निधि के सम्बंध में जिसमें वह निधि में सम्मिलित होने के पूर्व अभिदाय करता था किया गया नामनिर्देशन, यदि ऐसी अन्य निधि में उसके नाम जमा रकमें इस निधि को अंतरित कर दी गई हैं तो जब तक वह इस विनियम के अनुसार कोई नामनिर्देशन नहीं करता है, इन विनियमों के अनुसार सम्यक रूप से किया गया नामनिर्देशन समझा जाएगा ।

(2) यदि कोई अभिदाता उप विनियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों का नामनिर्देशन करता है तो वह प्रत्येक नाम निर्देशिती को संदेय रकम या अंश उस नामनिर्देशन पत्र में इस रीति से विनिर्दिष्ट करेगा कि खाते में किसी भी समय उसके नाम जमा सम्पूर्ण रकम उसके अंतर्गत आ जाए ।

(3) प्रत्येक नामनिर्देशन इन विनियमों से संलग्न प्ररूपों में से किसी एक प्ररूप में होगा जो परिस्थितियों में उपयुक्त है ।

(4) अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप में सूचना भेजकर किसी भी समय नामनिर्देशन रद्द कर सकता है । अभिदाता ऐसी सूचना के साथ या अलग से एक ऐसा नामनिर्देशन भेजेगा जो इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार किया गया है ।

(5) अभिदाता अपने नामनिर्देशन में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था कर सकेगा —

(क) किसी विनिर्दिष्ट नामनिर्देशिती के सम्बंध में यह कि अभिदाता से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने पर उस नाम निर्देशिती को दिया गया अधिकार ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को संक्रांत हो जाएगा जो नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट किए जाएं परन्तु यदि अभिदाता के कुटुम्ब के अन्य सदस्य हैं तो उपर्युक्त अन्य व्यक्ति उसके कुटुम्ब का/के ही ऐसे अन्य सदस्य होगा/होंगे । जहां अभिदाता इस खंड के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को ऐसा अधिकार प्रदान करता है वहां वह ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक को संदाय रकम या अंश ऐसी रीति से विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अंतर्गत वह सम्पूर्ण रकम आ जाए जो किसी भी समय उसके नाम जमा है ।

(ख) यह कि नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट किसी आकस्मिकता के घटित होने पर नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा :

परन्तु यदि नामनिर्देशन करते समय अभिदाता का कोई कुटुम्ब नहीं है तो वह नामनिर्देशन में इस बात का उपबंध करेगा कि यदि बाद में उसका कुटुम्ब बस जाता है तो नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा :

परन्तु यह और भी कि यदि नामनिर्देशन करते समय अभिदाता के कुटुम्ब में केवल एक ही सदस्य है तो वह नामनिर्देशन में यह उपबंध करेगा कि खंड (क) के अधीन अनुकल्पी नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार, बाद में उसके कुटुम्ब में कोई अन्य सदस्य आ जाने की दशा में अविधिमान्य हो जाएगा।

(6) ऐसे नामनिर्देशिती की मृत्यु के तुरन्त बाद जिसकी बाबत उपविनियम (5) के खंड (क) के उपबंध के अनुसार नामनिर्देशन में कोई व्यवस्था नहीं की गई है या ऐसी कोई घटना घट जाने पर जिसके कारण उपविनियम (5) के खंड (ख) या उसके परन्तुक के अनुसरण में वह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाता है, अभिदाता नामनिर्देशन को रद्द करते हुए लेखा अधिकारी को लिखित रूप में एक सूचना भेजेगा और उसके साथ इस विनियम के उपबंधों के अनुसार एक नया नामनिर्देशन पत्र भेजेगा।

(7) अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन और उसे रद्द किए जाने की प्रत्येक सूचना उस सीमा तक जिस सीमा तक वह विधिमान्य है उस तारीख को प्रभावी होगा जिसको वह लेखा अधिकारी को प्राप्त होती है।

टिप्पण— इस विनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो "व्यक्ति" या "व्यक्तियों" के अंतर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यक्ति निकाय है चाहे वह निगमित हो या नहीं।

(6) अभिदाता के लेखे:—प्रत्येक अभिदाता के नाम एक खाता खोला जाएगा जिसमें निम्नलिखित दर्शित किए जाएंगे —

(i) उसके अभिदाय,

(ii) बोर्ड द्वारा विनियम II के अधीन उसके खाते में किए गए अंशदान,

(iii) बोर्ड द्वारा अपने विनियमों या इस विषय पर किसी अन्य आदेश के अधीन भविष्य निधि में किया गया कोई विशेष अंशदान,

(iv) अभिदायों पर विनियम 12 द्वारा यथा उपबंधित ब्याज,

(v) अंशदानों पर विनियम 12 द्वारा यथा उपबंधित ब्याज,

(vi) निधि में से लिए गए उधार और निकाली गई रकमें,

(7) अभिदाय की शर्तें और दरें :—(1) प्रत्येक अभिदाता, जब वह ड्यूटी पर है या अन्यत्र सेवा पर है किन्तु निलम्बन की अवधि के दौरान नहीं, निधि में प्रतिमास अभिदाय करेगा :

परन्तु निलम्बन के अधीन व्यतीत की गई अवधि के पश्चात् पुनः स्थापन पर अभिदाता को उस अवधि के लिए अनुज्ञेय अभिदायों के बकाया की अधिकतम रकम से अनधिक किसी रकम का एकमुश्त या किश्तों में संदाय करने के विकल्प की अनुज्ञा दी जाएगी।

(2) कोई अभिदाता, अपने विकल्प पर ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदाय नहीं करेगा जिसमें उसे कोई छुट्टी वेतन नहीं प्राप्त होता या जिसमें उसे आधे वेतन पर आधे औसत वेतन के बराबर या उससे कम छुट्टी वेतन प्राप्त होता है। वह अस्वीकृत छुट्टी पर होते हुए अपने विकल्प पर अभिदाय कर सकता।

(3) अभिदाता ऊपर, उपविनियम (2) में निर्दिष्ट छुट्टी के दौरान अभिदाय न करने के अपने चयन को निम्नलिखित रीति से सूचित करेगा, अर्थात् :—

(क) यदि वह ऐसा अधिकारी है जो अपना वेतन बिल स्वयं लिखता है, तो छुट्टी पर जाने के पश्चात् लिखे गए अपने प्रथम वेतन बिल में अभिदायों मदे कोई भी कटौती न करके ;

(ख) यदि वह ऐसा अधिकारी नहीं है जो अपना वेतन बिल स्वयं लिखता है तो छुट्टी पर जाने से पूर्व कार्यालय के प्रधान को लिखित प्रज्ञापना भेज कर/सम्यक् और समय पर प्रज्ञापना देने में असफलता पर यह समझा जाएगा कि उसने अभिदाय करने का चयन किया है। इस उपविनियम के अधीन प्रज्ञापित अभिदाता का विकल्प अंतिम होगा।

(4) वह अभिदाता जिसने विनियम 21 के अधीन अभिदाय की रकम और उस पर ब्याज निकाल लिया है ऐसी निकासी के पश्चात् निधि में तब तक अभिदाय नहीं करेगा जब तक कि वह ड्यूटी पर वापस नहीं आ जाता है।

8. अभिदाय की दरें:—अभिदाय की रकम निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए स्वयं अभिदाता द्वारा नियत की जाएगी, अर्थात्:—

(1) अभिदाय की रकम निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए स्वयं अभिदाता द्वारा नियत की जाएगी, अर्थात्:—

(क) इसे पूरे-पूरे रुपयों में व्यक्त किया जाएगा;

(ख) वह इस प्रकार व्यक्त की गई कोई रकम हो सकती है जो उसकी उपलब्धियों के साढ़े आठ प्रतिशत से कम नहीं होगी और उसकी उपलब्धियों से अधिक नहीं होगी।

(2) उप विनियम (1) के प्रयोजनो के लिए अभिदाता की उपलब्धिया :—

(क) ऐसे अभिदाता की दशा मे जो पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को बोर्ड की सेवा मे था वे उपलब्धियां होंगी जिनके लिए वह उस तारीख को हकदार था : परन्तु:

(i) यदि अभिदाता उक्त तारीख को छुट्टी पर था और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदाय न करने का चयन किया था या उक्त तारीख को निलंबित था तो उसकी उपलब्धिया वे उपलब्धियां होंगी जिसके लिए वह ड्यूटी पर वापस आने के पश्चात् पहले दिन हकदार था ;

(ii) यदि अभिदाता उक्त तारीख को भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या उक्त तारीख को छुट्टी पर था और तब से छुट्टी पर है और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदाय करने का चयन किया है तो उसकी उपलब्धियां वे उपलब्धियां होंगी जिनके लिए वह तब हकदार होता जब वह भारत में ड्यूटी पर रहता ;

(iii) यदि अभिदाता उक्त तारीख के पश्चात्वर्ती दिन को प्रथम बार निधि में सम्मिलित हुआ था तो उसकी उपलब्धियां वे उपलब्धियां होंगी जिसके लिए वह ऐसी पश्चात्वर्ती तारीख को हकदार था ;

(ख) ऐसे अभिदाता की दशा में जो पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को बोर्ड की सेवा में नहीं था वे उपलब्धियां होंगी जिनके लिए वह सेवा के प्रथम दिन हकदार था या यदि वह अपनी सेवा के प्रथम दिन के पश्चातवर्ती किसी तारीख को पहली बार निधि में सम्मिलित हुआ है तो वे उपलब्धियां होंगी जिनके लिए वह ऐसी पश्चातवर्ती तारीख को हकदार था :

परन्तु यदि अभिदाता की उपलब्धियां ऐसी हैं जो घटती बढ़ती रहती हैं तो उसकी गणना ऐसी रीति मे की जाएगी जो बोर्ड निर्दिष्ट करे ।

(3) अभिदाता प्रतिवर्ष अपने मासिक अभिदाय की रकम निश्चित किए जाने की प्रज्ञापना निम्नलिखित रीति से देगा :—

(क) यदि वह पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को ड्यूटी पर था तो ऐसी कटौती द्वारा जो वह उस मास के अपने वेतन बिल में से इस निमित्त करता है ;

(ख) यदि वह पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को छुट्टी पर था और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदाय न करने का चयन किया था या वह उस तारीख को निलंबित था तो एमी कटौती द्वारा जो वह ड्यूटी पर वापस आने के पश्चात अपने प्रथम वेतन बिल मे से उस निमित्त करता है ;

(ग) यदि वह वर्ष के दौरान पहली बार बोर्ड की सेवा में आया है या पहली बार निधि मे सम्मिलित होता है तो ऐसी कटौती द्वारा जो वह उस मास के जिसके दौरान वह निधि में सम्मिलित होता है अपने वेतन बिल मे से इस निमित्त करता है ;

(घ) यदि वह पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को छुट्टी पर था और छुट्टी पर बना रहता है और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदाय करने का चयन किया है तो ऐसी कटौती द्वारा जो वह उस मास के अपने वेतन बिल में से इस निमित्त करता है ;

(ङ) यदि वह पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को अन्यत्र सेवा में था तो उस रकम द्वारा जो उसने चालू वर्ष के अप्रैल मास के अभिदाय मद्धे लेखा विभाग में जमा की है ;

(च) यदि उसकी उपलब्धियां उपविनियम (2) के परन्तुक में निर्दिष्ट प्रकार की है तो ऐसी रीति से जो बोर्ड निर्दिष्ट करे ।

(4) इस प्रकार नियत अभिदाय की रकम:—

(क) वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार घटाई जा सकेगी ;

(ख) वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाई जा सकेगी; या

(ग) पूर्वोक्त रीति से घटाई या बढ़ाई जा सकेगी :

परन्तु यदि अभिदाय की रकम इस प्रकार घटाई जाती है तो वह उपविनियम (1) द्वारा विहित न्यूनतम से कम नहीं होंगी :

परन्तु यह और भी कि यदि अभिदाता कलैण्डर मास के एक भाग में वेतन रहित छुट्टी या अर्धवेतन या अर्ध औसत वेतन पर छुट्टी पर है और यदि उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदाय न करने का चयन किया है तो ऐसे संदेय अभिदाय की रकम ड्यूटी पर बिताए गए दिनों की संख्या के जिसमें ऊपर निर्दिष्ट प्रकार की छुट्टी से भिन्न छुट्टी यदि कोई हो, सम्मिलित है के अनुपात में होगी ।

9. अन्यत्र सेवा के लिए अन्तरण या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति :—जब अभिदाता को अन्यत्र सेवा के लिए अन्तरित किया जाता है या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तब वह निधि के विनियमों के अधीन उसी रीति से बना रहेगा मानो उसे इस प्रकार अंतरित या प्रतिनियुक्ति पर भेजा ही नही गया है ।

10. अभिदायों की वसूली :—

(1) जब उपलब्धियां भारत में ली जाती है तब उन उपलब्धियों मध्य अभिदायों की और लिए गए अग्रिमों की वसूली ऐसी उपलब्धियों में से ही की जाएंगी ।

(2) जब उपलब्धियां किसी अन्य स्रोत से ली जाती हैं तब अभिदाता अपनी देय रकमें प्रतिमास लेखा अधिकारी को भेजेगा :

परन्तु राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय में प्रतिनियुक्त अभिदाताओं के मामले में अभिदाय ऐसे निकाय द्वारा वसूल किए जाएंगे और लेखा अधिकारी को भेजे जाएंगे।

(3) जब कोई अभिदाता किसी वर्ष किसी मास या किन्हीं मासों के दौरान निधि में संदेय कुल रकम का अभिदाय करने में या उसमें व्यतिक्रम करता है तो उसकी वसूली अभिदाता की उपलब्धियों में से किश्तों में या अन्यथा ऐसी रीति से की जाएगी जो विनियम 13 के उपविनियम (2) के अधीन अपेक्षित विशेष कारणों से अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निर्दिष्ट करे।

11. बोर्ड द्वारा अंशदान:—(1) बोर्ड प्रतिवर्ष 31 मार्च से प्रत्येक अभिदाता के खाते में अंशदान करेगा :

परन्तु यदि कोई अभिदाता वर्ष के दौरान सेवा छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अंशदान पूर्वगामी वर्ष की समाप्ति और सेवा छोड़ने या मृत्यु हो जाने के बीच की अवधि के लिए उसके खाते में जमा किए जाएंगे :

परन्तु यह और भी कि ऐसी किसी अवधि के लिए जिसके लिए अभिदाता को नियमों के अधीन निधि में अभिदाय न करने की अनुज्ञा दी गई है या वह निधि में अभिदाय नहीं करता है, कोई अंशदान संदेय नहीं होगा।

(2) अंशदान, यथास्थिति उस वर्ष या उस अवधि के दौरान ड्यूटी पर ली गई अभिदाता की उपलब्धियों का 8 ½ प्रतिशत होगा या ऐसी दर पर होगा जो बोर्ड सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर निकाले गए साधारण या विशेष आदेश द्वारा विहित करे :

परन्तु यदि अभिदत्त रकम अन्वेक्षा से या अन्यथा विनियम 8 के उपविनियम (1) के अधीन अभिदाता द्वारा संदेय न्यूनतम अभिदाय से कम है और यदि जितना अभिदाय कम रह गया है वह और उस पर प्रोद्भूत ब्याज अभिदाता द्वारा ऐसे समय के भीतर नहीं दे दिया जाता है जो विनियम 13 के उप विनियम (2) के अधीन अपेक्षित विशेष कारणों से अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे तो, बोर्ड द्वारा संदेय अंशदान जब तक कि बोर्ड किसी विशेष मामले में अन्यथा निदेश न दे अभिदाता द्वारा वस्तुतः दी गई रकम या बोर्ड द्वारा सामान्यतः संदेय रकम के, इनमें से जो भी कम हो बराबर होगा।

(3) यदि कोई अभिदाता भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर है तो वे उपलब्धियां जो वह तब लेता जब वह भारत में ड्यूटी पर होता इस विनियम के प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर ली गई उपलब्धियां मानी जाएंगी।

(4) यदि कोई अभिदाता छुट्टी के दौरान अभिदाय का चयन करता है तो उसका छुट्टी वेतन इस विनियम के प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर ली गई उपलब्धियां समझा जाएगा।

(5) यदि कोई अभिदाता निलम्बन की किसी अवधि की बाबत अभिदाय की रकम का संदाय करने का चयन करता है तो उपलब्धियां या उपलब्धियों का वह भाग जो पुनः स्थापना पर उस अवधि के लिए अनुज्ञात किया जाए इस विनियम के प्रयोजन के लिए ड्यूटी पर ली गई उपलब्धियां समझा जाएगा।

(6) अन्यत्र सेवा की किसी अवधि की बाबत संदेय किसी अभिदाय की रकम जब तक कि वह अन्यत्र नियोजक से वसूल न की गई हो बोर्ड द्वारा अभिदाता से वसूल की जाएगी।

(7) संदेय अंशदान की रकम को निकटतम रुपए में (पचास पैसे को अगला रुपया गिना जाएगा) पूर्णांकित किया जाएगा।

12. ब्याज :—(1) बोर्ड निधि में किसी अभिदाता के खाते में ऐसी दर पर ब्याज जमा करेगा जो बोर्ड द्वारा प्रति वर्ष अवधारित की जाए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की साधारण भविष्य निधि या अंशदायी भविष्य निधि के अभिदायों पर संदेय ब्याज की विहित दरों से अधिक नहीं होगी।

(2) ब्याज प्रतिवर्ष 31 मार्च से निम्नलिखित रीति से जमा किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को अभिदाता के नाम जमा रकम में से चालू वर्ष के दौरान निकाली गई रकमों को घटा कर बची शेष रकम पर बारह मास का ब्याज ;

(ii) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई रकमों पर चालू वर्ष की पहली अप्रैल से लेकर उस मास के जिसमें रकम निकाली गई थी पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन तक का ब्याज ;

(iii) पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च के पश्चात् अभिदाता के खाते में जमा सभी रकमों पर जमा की तारीख से लेकर चालू वर्ष की 31 मार्च तक का ब्याज ;

(iv) ब्याज की कुल रकम विनियम 11 के उप विनियम (7) में उपबन्धित रीति में निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएगी :

परन्तु जब किसी अभिदाता के नाम जमा रकम संदेय हो गई है तो उस पर ब्याज इस उप विनियम के अधीन यथास्थिति, केवल चालू वर्ष के आरंभ से या जमा की तारीख से लेकर उस तारीख तक की अवधि के लिए जमा किया जाएगा जिसको अभिदाता के नाम जमा रकम संदेय हुई है।

(3) इस विनियम के प्रयोजन के लिए, जमा की तारीख उपलब्धियों में से वसूली के मामले में, उस मास का प्रथम दिन मानी जाएगी जिसमें वे वसूल की जाती है और अभिदाता द्वारा भेजी गई रकमों के मामले में उस मास का प्रथम दिन मानी जाएगी जिसमें वे प्राप्त हुई है, यदि लेखा अधिकारी ने उन्हें उस मास के पाचवें दिन के पूर्व प्राप्त किया है या यदि उस मास के पाचवें दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त किया है तो अगले उत्तरवर्ती मास का प्रथम दिन मानी जाएगी :

परन्तु यदि किसी अभिदाता का वेतन या छुट्टी वेतन या भतों को लेने में विलम्ब हुआ है और परिणामत: निधि मद्धे उसके अभिदाय की वसूली में विलम्ब हुआ है तो ऐसे अभिदायों पर ब्याज उस मास से संदेय होगा जिसमें अभिदाता का वेतन या छुट्टी वेतन देय हो गया था भले ही वस्तुत: वह किसी भी रूप में लिया गया था :

परन्तु यह और भी कि विनियम 10 के उप विनियम (2) के परन्तुक के अनुसार भेजी गई रकम के मामले में जमा की तारीख मास का प्रथम दिन समझी जाएगी यदि वह लेखा अधिकारी को उस मास के पन्द्रहवें दिन से पूर्व प्राप्त होती है :

परन्तु यह और कि जहा किसी मास की उपलब्धिया उसी मास के अंतिम कार्य दिवस को ली जाती है और संवितरित की जाती है वहां जमा की तारीख उसके अभिदायों की वसूली के मामले में उत्तरवर्ती मास का प्रथम दिन मानी जाएगी ।

(4) विनियम 24 के अधीन संदत्त की जाने वाली किसी रकम के अतिरिक्त उस पर ब्याज उस मास के जिसमें संदाय किया जाता है ठीक पूर्वगामी मास की समाप्ति तक या उस मास के पश्चात् जिसमे वह रकम संदेय हो गई थी छठे मास की समाप्ति तक इनमें से जो भी अवधि कम हो, के लिए उस व्यक्ति को संदेय होगी जिसे ऐसी रकम संदत्त की जानी है :

परन्तु कोई भी ब्याज उस तारीख के बाद की जिसे लेखा अधिकारी ने उस व्यक्ति (या उसके अभिकर्ता) को ऐसी तारीख के रूप में प्रज्ञापित किया है जिस तारीख को वह नकद संदाय करने के लिए तैयार है या यदि वह चेक से संदाय करता है तो उस तारीख के बाद की, जिसको उस व्यक्ति के नाम का चैक डाक द्वारा भेजा जाता है, किसी अवधि के लिए संदत्त नही किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि जहां सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रण में किसी निगमित निकाय में प्रतिनियुक्त अभिदाता आगे चल कर ऐसे निगमित निकाय में किसी भूतलक्षी तारीख से आमेलित कर लिया जाता है, वहा अभिदाता के निधि संग्रहों पर ब्याज की गणना करने के प्रयोजनों के लिए आमेलन की बाबत आदेश जारी करने की तारीख वह समझी जाएगी जिस तारीख को अभिदाता के खाते में जमा रकम संदेय हो जाती है तथापि यह इस शर्त के अधीन कि आमेलन की तारीख से आरम्भ हो कर और आमेलन आदेश जारी होने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के बीच अभिदाय के रूप में वसूल की गई रकम को केवल इस विनियम के अधीन ब्याज लगाने के प्रयोजन के लिए ही निधि में अभिदाय समझा जाएगा ।

(5) यदि अभिदाता लेखा अधिकारी को यह सूचना देता है कि वह ब्याज नही लेना चाहता है, तो ब्याज उसके खाते में नही जमा किया जाएगा किन्तु यदि वह बाद में ब्याज की मांग करता है तो उसे उस वर्ष की जिसमे वह मांग करता है, पहली अप्रैल से जमा किया जाएगा ।

(6) ऐसी रकमों पर ब्याज जो विनियम 20 या विनियम 21 के अधीन निधि में अभिदाता के नाम फिर से जमा कर दी जाती हैं ऐसी दर से जो इस विनियम के उप विनियम (i) के अधीन विहित की जाए और जहा तक सम्भव हो इस विनियम में विहित रीति से संगणित किया जाएगा ।

टिप्पण:—छह मास की अवधि के आगे एक वर्ष की अवधि तक के निधि अतिशेष पर ब्याज का संदाय लेखा कार्यालय के प्रधान द्वारा अपना यह वैयक्तिक समाधान करने के पश्चात् प्राधिकृत किया जा सकेगा कि संदाय करने में विलम्ब अभिदाता के नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण हुआ था और ऐसे प्रत्येक मामले में इस विषय में प्रशासनिक विलम्ब का पूर्ण रूप से अन्वेषण किया जाएगा और यदि कोई कार्रवाई अपेक्षित हो की जाएगी ।

13. निधि में से अग्रिम :—(1) समुचित मंजूरी कर्ता प्राधिकारी, किसी अभिदाता ऐसा अग्रिम दिए जाने की जो पूर्ण रुपयों में हो और उसके तीन मास के वेतन की रकम से या निधि में उसके नाम जमा अभिदायों और उन पर ब्याज की आधी रकम से, इनमें से जो भी कम हो, अधिक न हो, निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए मंजूरी दे सकेगा, अर्थात् :—

(क) अभिदाता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों या उस पर वस्तुत: आश्रित किसी व्यक्ति की रुग्णता, प्रसवावस्था या निःशक्तता के सम्बन्ध में व्यय (जिनके अन्तर्गत जहा कही आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है) का संदाय करना ;

(ख) अभिदाता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों या उस पर वस्तुत: आश्रित किसी व्यक्ति की उच्चतर शिक्षा के व्ययों की, जिनके अन्तर्गत जहा कही आवश्यक है, यात्रा व्यय भी है निम्नलिखित मामलों में पूर्ति करना अर्थात् :—

(i) हाई स्कूल स्तर के आगे शैक्षणिक तकनीकी, वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की भारत से बाहर शिक्षा प्राप्त करना ;

(ii) हाई स्कूल स्तर के आगे भारत में चिकित्सा सम्बन्धी इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशिष्ट पाठ्यक्रम परन्तु यह तब जब कि पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम के लिए न हो ;

(ग) अभिदाता की प्रास्थिति के उपयुक्त मापमान पर ऐसे बाध्यकर व्ययों का संदाय करना जो अभिदाता को रूढ़िगत प्रथा के अनुसार उसके अपने या उसके बालकों या वस्तुतः उस पर आश्रित अन्य व्यक्ति की सगाइयों, विवाहों, अन्त्येष्टि या अन्य कर्मों के सम्बन्ध में करने पड़ें :

परन्तु वास्तविक रूप से आश्रित होने की शर्त किसी अभिदाता के पुत्र या पुत्री के मामले में लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि वास्तविक रूप से आश्रित होने की शर्त अभिदाता के माता-पिता के अन्तिम संस्कार के व्यय के लिए अपेक्षित अग्रिम के मामले में लागू नहीं होगी।

(घ) अभिदाता द्वारा अपने शासकीय कर्तव्यों का पालन करने में उसके द्वारा किए गए या किए गए तात्पर्यित किसी कार्य के लिए उसके विरुद्ध लगाए किन्हीं आरोपों के सम्बन्ध में अपनी स्थिति को न्यायसंगत ठहराने की दृष्टि से अभिदाता द्वारा संस्थित विधिक कार्यवाहियों के व्यय की पूर्ति करना ऐसी दशा में अग्रिम किसी अन्य स्रोत से उसी प्रयोजन के लिए अनुज्ञेय किसी अग्रिम के अतिरिक्त उपलब्ध होगा :

परन्तु इस खण्ड के अधीन अग्रिम ऐसे अभिदाता को अनुज्ञेय नहीं होगा जो वह किसी अभिकथित शासकीय अवचार के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में विधिक कार्यवाहियां संस्थित करता है या किसी विभागीय जांच में अपनी प्रतिरक्षा के लिए विधि व्यवसायी नियुक्त करता है।

(ङ) अपने निवास के लिए किसी प्लाट या गृह या फ्लैट के सन्निर्माण की लागत की पूर्ति करना या किसी राज्य आवासन बोर्ड या किसी गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी द्वारा प्लाट या फ्लैट के आबन्टन के लिए कोई संदाय करना।

(2) अध्यक्ष, विशेष परिस्थितियों में या अत्यधिक कष्ट के मामले में किसी अभिदाता को उप विनियम (1) में वर्णित कारणों से भिन्न किसी कारण से अग्रिम संदाय करने की स्वीकृति दे सकता है।

(3) उप विनियम (1) में दी गई सीमा से अधिक या जब तक किसी पूर्वतन अग्रिम की अन्तिम किस्त का प्रतिसंदाय न कर दिया जाए, सिवाय विशेष कारणों के जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा कोई अग्रिम मंजूर नहीं किया जाएगा :

परन्तु अग्रिम निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदायों और उन पर ब्याज की रकम से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगा।

टिप्पण :—

(1) इस विनियम के प्रयोजन के लिए वेतन के अन्तर्गत महंगाई वेतन जहां अनुज्ञेय हो, भी है,

(2) अभिदाता को विनियम 13 के उप विनियम (1) के मद (ख) के अधीन प्रत्येक छह मास में एक बार अग्रिम लेने की अनुज्ञा दी जाएगी।

(3) अग्रिम मंजूर किए जाने के पश्चात् उन मामलों में जिनमें विनियम 24 के उप विनियम (3) के खण्ड (ii) के अधीन अंतिम संदाय के लिए आवेदन लेखा अधिकारी को भेजा गया था रकम लेखा अधिकारी के प्राधिकार से निकाली जाएगी।

(4) जहां किसी पूर्व अग्रिम की अन्तिम किस्त का संदाय करने से पूर्व उप विनियम (3) के अधीन कोई अग्रिम मंजूर किया गया है, जहां पूर्व अग्रिम का असंशोध इस प्रकार मंजूर किए गए अग्रिम में जोड़ दिया जाएगा और वसूली के लिए किस्तें समेकित रकम के प्रतिनिर्देश से नियत की जाएंगी।

14. अग्रिमों की वसूली (1) अग्रिम अभिदाता से उतनी समान मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा जितनी मंजूरी-कर्ता प्राधिकारी निर्दिष्ट करे, किन्तु उनकी संख्या जब तक अभिदाता ऐसा चयन न करे बारह से कम और चौबीस से अधिक नहीं होगी। ऐसे विशेष मामलों में जहां अग्रिम की रकम विनियम 13 के उप विनियम (3) के अधीन अभिदाता के तीन मास के वेतन से अधिक है वहां मंजूरीकर्ता प्राधिकारी ऐसी किस्तों की संख्या चौबीस से अधिक नियत कर सकता है किन्तु किसी भी दशा में किस्तों की संख्या छत्तीस से अधिक नहीं होगी। अभिदाता इन विनियमों द्वारा विहित किस्तों से कम किस्तों में भी अपने विकल्प पर अग्रिम का प्रतिसंदाय कर सकता है। प्रत्येक किस्त पूरे-पूरे रुपयों में होगी और यदि आवश्यक हो, तो इस प्रकार की किस्तों को नियत करने के लिए अग्रिम की रकम को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

(2) वसूली, अभिदायों की वसूली सम्बन्धी विनियम 10 में उपबन्धित रीति से की जाएगी और जिस मास में अग्रिम लिया गया है उसके ठीक पश्चातवर्ती मास का वेतन दिए जाने के साथ साथ आरम्भ हो जाएगी।

वसूली, अभिदाता की सहमति के बिना, उस दशा में नहीं की जाएगी जब उसे जीवन निर्वाह अनुदान मिल रहा है या वे किसी कलण्डर मास में दस दिन या उससे अधिक के लिए छुट्टी पर है और छुट्टी की उस अवधि के लिए उसे या तो कोई छुट्टी वेतन नहीं मिल रहा है या यथास्थिति, आधे औसत वेतन के बराबर या उससे कम छुट्टी वेतन मिल रहा है। मंजूरी कर्ता प्राधिकारी मंजूर किए गए किसी अग्रिम वेतन की वसूली के दौरान अभिदाता की लिखित प्रार्थना पर अभिदाता के किसी अग्रिम की वसूली का मुल्तवी कर सकता है।

(3) यदि किसी अभिदाता को कोई अग्रिम दिया गया है और उसने अग्रिम ले लिया है और तत्पश्चात् अग्रिम को उसका पूरा प्रतिसंदाय होने से पूर्व अननुज्ञात कर दिया जाता है तो लिया गया सम्पूर्ण अग्रिम या उसका अतिशेष अभिदाता द्वारा निधि में तत्काल प्रतिसंदत्त कर दिया जाएगा या उसमें व्यतिक्रम होने पर लेखा अधिकारी यह आदेश करेगा कि उसे अभिदाता की उपलब्धियों में से एक मुश्त या बारह से अनधिक उतनी मासिक किस्तों में कटौती कर के वसूल कर लिया जाए जो विनियम 13 के उपविनियम (3) के अधीन अपेक्षित विशेष कारणों से अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निर्दिष्ट करे।

(4) इस विनियम के अधीन की गई वसूलियां जैसे ही वे की जाती हैं निधि में अभिदाता के खाते में जमा की जाएंगी।

15. अग्रिमों का गलत उपयोग :—इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी यदि मंजूरीकर्ता प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि विनियम 13 के अधीन निधि में से अग्रिम के रूप में लिए गए धन को उस प्रयोजन से जिसके लिए धन निकालने की मंजूरी दी गई थी भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया गया है तो संबंधित रकम निधि में अभिदाता द्वारा तुरन्त प्रतिसंदत्त की जाएगी और ऐसा करने में व्यतिक्रम होने पर यह आदेश दिया जाएगा कि उन्हें अभिदाता की उपलब्धियों में से भले ही वह छुट्टी पर हो एकमुश्त कटौती कर के वसूल किया जाए। यदि प्रतिसंदत्त की जाने वाली कुल रकम अभिदाता की मासिक उपलब्धियों के आधे से अधिक है तो वसूली उसकी उपलब्धियों के अर्धांश की मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी जब तक वह पूरी रकम का प्रतिसंदाय नहीं कर देता है।

टिप्पण :—इस विनियम में "उपलब्धियों" के अन्तर्गत जीवन निर्वाह अनुदान नहीं है।

16. निधि में से रकम निकालना :—(1) रकम की निकासी इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए विनियम 13 के उपविनियम (3) के अधीन विशेष कारणों से अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अभिदाता की बीस वर्ष की सेवा पूरी हो जाने के पश्चात् (जिसके अन्तर्गत खंडित सेवाकाल, यदि कोई हो, भी है) किसी भी समय या अधिवर्षिता पर उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व दस वर्ष के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदायों और उन पर ब्याज की रकम में से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए मंजूर की जा सकेगी, अर्थात् :—

(क) अभिदाता या अभिदाता के किसी बालक की उच्च शिक्षा के व्यय की (जिसके अन्तर्गत जहां कहीं आवश्यक हो यात्रा व्यय भी है) निम्नलिखित मामलों में पूर्ति के लिए अर्थात् :—

(i) हाईस्कूल स्तर के आगे शैक्षणिक तकनीकी वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम की भारत में बाहर शिक्षा प्राप्त करने के लिए और

(ii) हाईस्कूल स्तर के आगे भारत में चिकित्सा संबंधी इंजीनियरी अथवा अन्य तकनीकी या विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए,

(ख) अभिदाता या उसके पुत्रों या पुत्रियों के और उस पर वस्तुतः आश्रित किसी अन्य महिला नातेदार की सगाई/विवाह के सम्बन्ध में व्यय की पूर्ति के लिए ;

(ग) अभिदाता, उसके कुटुम्ब के सदस्यों या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की रुग्णता के सम्बन्ध में व्यय की (जिसके अन्तर्गत जहां कहीं आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है) पूर्ति के लिए।

(2) अभिदाता की सेवा के 15 वर्ष पूरे हो जाने के पश्चात् (जिसमें खण्डित सेवाकाल, यदि कोई हो, भी है) या अधिवर्षिता पर उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व दस वर्ष इसमें से जो भी पूर्वतर हो, निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम में से निकासी निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए मंजूर की जा सकेगी, अर्थात् :—

(क) अपने निवास के लिए कोई उपयुक्त गृह निर्माण करने या प्राप्त करने के लिए या पहले से निर्मित फ्लैट जिसमें भूमि का दाम भी है;

(ख) अपने निवास के लिए कोई उपयुक्त गृह निर्माण करने या प्राप्त करने या पहले से निर्मित फ्लैट प्राप्त करने के लिए अभिव्यक्त रूप से लिए गए किसी उधार सहित किसी बकाया रकम का प्रतिसंदाय करने के लिए;

(ग) अपने निवास के लिए गृह निर्माण करने के लिए कोई भूमि क्रय करने के लिए या इस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त रूप से लिए गए किसी उधार सहित बकाया रह गई किसी रकम का प्रतिसंदाय करने के लिए;

(घ) किसी ऐसे गृह या फ्लैट के जिस पर अभिदाता का पहले से स्वामित्व है या जिसे उसने अर्जित किया है पुनर्निर्माण के लिए या उसमें परिवर्धन अथवा परिवर्तन करने के लिए,

(ङ) कर्तव्य स्थान से भिन्न किसी स्थान पर अभिदाता के पैतृक गृह का नवीकरण करने के लिए या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए अथवा उसे सही दशा में रखने के लिए अथवा कर्तव्य के स्थान से भिन्न किसी स्थान पर सरकार से उधार लेकर निर्मित गृह के लिए ;

(च) खण्ड (ग) के अधीन क्रय की गई भूमि पर गृह निर्माण करने के लिए,

(छ) अभिदाता की सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व छह मास के भीतर फार्म के लिए भूमि या कारोबार के परिसर अथवा दोनों का अर्जन करने के लिए।

टिप्पण—(1) वह अभिदाता जिसने बोर्ड या राज्य सरकार की गृह निर्माण के प्रयोजना के लिए अग्रिम देने के लिए स्कीम के अधीन कोई अग्रिम लिया है या जिसे किसी अन्य सरकारी स्रोत से इस बाबत कोई सहायता अनुज्ञात की गई है उपविनियम (2) के खण्ड (क), (ग), (घ) और (च) के अधीन उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजना के लिए और उपरोक्त स्कीम के अधीन लिए गए किसी उधार का प्रतिसंदाय करने के प्रयोजन के लिए भी विनियम 17 के उपविनियम (1) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन रहते हुए अन्तिम रूप से रकम की निकासी की मजूरी का पात्र होगा। यदि अभिदाता का उसके कर्तव्य के स्थान से भिन्न किसी स्थान पर कोई पैतृक गृह है या उसने सरकार से लिए गए उधार की सहायता से ऐसे स्थान पर कोई गृह निर्माण किया है तो वह अपने कर्तव्य के स्थान पर अन्य गृह के लिए भूमि क्रय करने के लिए या अन्य गृह का निर्माण करने के लिए या पहले से निर्मित फ्लैट लेने के लिए उपविनियम (2) के खण्ड (क), (ग) और (च) के अधीन अन्तिम रूप से रकम की निकासी की मजूरी का पात्र होगा।

(2) उपविनियम (1) के उपखण्ड (क), (घ), (ङ) या (च) के अधीन रकम की निकासी केवल तब मजूर की जाएगी जब अभिदाता निर्मित किए जाने वाले गृह का नक्शा या की जाने वाले परिवर्धनों या परिवर्तनों का नक्शा उस क्षेत्र के जहां भूमि या गृह स्थित है स्थानीय नगरपालिक निकाय के सम्यक अनुमोदन सहित और केवल उन दशाओं में जहां नक्शे का वास्तव में अनुमोदन कराना पड़ता है, प्रस्तुत कर देता है।

(3) उपविनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन निकासी के लिए मजूर की गई रकम उपविनियम 2 के खण्ड (क) के अधीन पहले पहले निकाली गई रकम सहित जिसमें से पहले निकाली गई रकम घटा दी जाएगी आवेदन की तारीख को अतिशेष के 3/4 से अधिक नहीं होगा। वह फार्मूला जिसका अनुसरण किया जाएगा वह इस प्रकार है (उस तारीख को विद्यमान अतिशेष का 3/4 धन संबंधित गृह के लिए पूर्व निकासी/निकासियों को रकम) जिसमें से पहले निकाली गई रकम/रकमें घटा दी जाएगी।

(4) उपविनियम (2) के खण्ड (क) या (घ) के अधीन रकम की निकासी उस दशा में अनुज्ञात की जाएगी जहां गृह के लिए भूमि या गृह पत्नी या पति के नाम में है परन्तु यह तब जब कि पत्नी या पति अभिदाता द्वारा किए गए नाम निर्देशन में भविष्य निधि का धन प्राप्त करने के लिए प्रथम नामनिर्देशिती है।

(5) विनियम 16 के अधीन एक ही प्रयोजन के लिए केवल एक निकासी अनुज्ञात की जाएगी। किन्तु विभिन्न बालकों के विवाह/शिक्षा के लिए या विभिन्न समयों पर रुग्णता का एक ही प्रयोजन नहीं माना जाएगा। उपविनियम (2) के खण्ड (क) या (च) के अधीन दूसरी या पश्चात्वर्ती निकासी उसी गृह को पूरा करने के लिए टिप्पण (3) में अधिकथित सीमा तक अनुज्ञात की जाएगी।

(6) विनियम 16 के अधीन कोई निकासी मजूर नहीं की जाएगी यदि उसी प्रयोजन के लिए और उसी समय कोई अग्रिम विनियम 13 के अधीन मजूर किया जा रहा है।

(3) अभिदाता सेवा के 28 वर्ष पूरा कर लेने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व 3 वर्ष के भीतर निधि में उसके नाम जमा रकम में से मोटर कार क्रय करने के लिए या इस प्रयोजन के लिए पहले ही लिए गए उधार का प्रतिसंदाय करने के लिए निकासी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए मजूर की जाएगी, अर्थात् —

(i) अभिदाता का वेतन 1,000 रु० या अधिक है,

(ii) निकासी की रकम 12,000 रु० तक या अभिदाता के खाते में जमा रकम के एक चौथाई तक या कार की वास्तविक कीमत इनमें से जो भी कम हो तक सीमित है, और

(iii) ऐसी निकासी केवल एक ही बार अनुज्ञात की जाएगी। दूसरी मोटर कार खरीदने के लिए निकासी की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों से यथा अनुपूरित साधारण वित्तीय नियम 1963 के अध्याय 14 के उपबन्धों के अधीन मोटर कार अग्रिम अनुज्ञेय नहीं होगा।

17. रकम निकालने की शर्तें —(1) निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम में से विनियम 16 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा किसी भी एक समय निकाली गई कोई रकम निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम के आधे से या छह मास के वेतन से इनमें से जो भी कम हो साधारणतया अधिक नहीं होगी तथापि मजूरीकर्ता प्राधिकारी इस सीमा से अधिक किन्तु निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदायों और उन पर ब्याज की रकम के तीन चौथाई तक रकम निकालने की मजूरी (i) वह उद्देश्य जिसके लिए धन निकाला जा रहा है (ii) अभिदाता की प्रास्थिति और (iii) निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदाय और उन पर ब्याज की रकम

परन्तु निकाली जाने वाली अधिकतम रकम किसी भी दशा में 1,25,000 रु० या मासिक वेतन के 75 गुने से इनमें से जो भी कम हो अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह और भी कि ऐसे अभिदाता की दशा में जिसने गृह निर्माण के प्रयोजनार्थ अग्रिम दिए जाने की बोर्ड या राज्य सरकार की स्कीम के अधीन कोई अग्रिम लिया है या

जिसे किसी अन्य सरकारी स्रोत से इस निमित्त कोई सहायता अनुज्ञात की गई है। इस उपविनियम के अधीन निकाली गई रकम पूर्वोक्त स्कीम के अधीन लिए गए अग्रिम की रकम या किसी अन्य सरकारी स्रोत से ली गई सहायता सहित 1,25,000 रु० से या मासिक वेतन के 75 गुने से इनमें से जो भी कम हो अधिक नहीं होगी।

टिप्पण (1) अभिदाता को विनियम 16 के उपविनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक छह मास में एक बार रकम निकालने की अनुज्ञा दी जाएगी। ऐसी प्रत्येक निकासी का विनियम 17 के उपविनियम (1) के अलग प्रयोजन के लिए निकासी माना जाएगा।

(2) उन दशाओं में जिनमें अभिदाता द्वारा क्रय की गई किसी भूमि या गृह के लिए या गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी या इसके समरूप अभिकरण द्वारा निर्मित गृह या राज्य आवास निगम के माध्यम से क्रय किए गए या निर्मित किसी गृह या फ्लैट के लिए किस्तों में संदाय किया जाना है, उसे जब कभी उसमें किसी किस्त के संदाय की अपेक्षा की जाती है रकम निकालने की अनुज्ञा दी जाएगी। ऐसा प्रत्येक संदाय नियम 17 के उपविनियम (1) के प्रयोजनों के लिए पृथक् प्रयोजन के लिए संदाय माना जाएगा।

(3) उस दशा में, जिसमें मंजूरीकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम अपर्याप्त है और वह रकम निकालने से अन्यथा अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति करने में असमर्थ है विनियम 19 के अधीन किसी बीमा पालिसी या पालिसियों के वित्त पोषण के लिए निधि से अभिदाता द्वारा पहले ही निकाली गई रकम इस उपविनियम में अधिकथित सीमा के प्रयोजनों के लिए निधि में उसके नाम जमा वास्तविक रकम के अतिरिक्त रकम के रूप में गिनी जा सकेगी, अनुज्ञेय निकासी की रकम इस प्रकार अवधारित कर दिए जाने के पश्चात :—

(i) यदि इस प्रकार अवधारित रकम विनियम 19 के अधीन बीमा पालिसी या पालिसियों के वित्त पोषण के लिए निधि में से पहले ही निकाली गई रकम से अधिक है तो इस प्रकार निकाली गई रकम को अन्तिम रूप से निकाली गई रकम माना जाएगा और इस प्रकार मानी गई रकम और अनुज्ञेय निकासी की रकम में यदि कोई अन्तर है तो उसे नकद संदत्त किया जा सकेगा, और

(ii) यदि इस प्रकार अवधारित रकम विनियम 19 के अधीन अपने किसी बीमा पालिसी या पालिसियों के वित्तपोषण के लिए निधि में से पहले ही निकाली गई रकम से अधिक नहीं है तो इस प्रकार निकाली गई रकम उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट सीमा के होते हुए भी अंतिम रूप से रकम की निकासी के रूप में मानी जा सकेगी।

उक्त प्रयोजन के लिए लेखा अधिकारी पालिसी या पालिसियों को यथास्थिति, अभिदाता या अभिदाता और उसके संयुक्त बीमाकृत व्यक्ति को पुनः समनुदिष्ट करेगा और उसे अभिदाता के हवाले करेगा जो तब उसका उपयोग इस प्रयोजन के लिए करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसके लिए उसे निर्मोचित किया गया है।

(2) ऐसा अभिदाता जिसे विनियम 16 के अधीन निधि में से धन निकासी की अनुज्ञा दी गई है युक्तियुक्त अवधि के भीतर जो मंजूरीकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान करेगा कि जिस प्रयोजन के लिए धन निकाला गया था उसका उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो इस प्रकार निकाला गया सम्पूर्ण धन या उसका वह भाग जो उन प्रयोजनों के लिए जिसके लिए वह निकाला गया था उपयोग में नहीं लाया गया है अभिदाता द्वारा निधि में तुरन्त प्रतिसंदत्त कर दिया जाएगा और ऐसा संदाय करने में व्यतिक्रम होने पर मंजूरीकर्ता प्राधिकारी यह आदेश करेगा कि निकाली गई रकम एक मुश्त या उतनी मासिक किस्तों में जितनी मंजूरीकर्ता प्राधिकारी निदेश दे अभिदाता की उपलब्धियों में से कटौती कर के वसूल की जाए।

(3) (क) यदि अभिदाता जिसे निधि में उसके नाम जमा अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम में से विनियम 16 के उपविनियम (2) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) या (च) के अधीन धन निकालने की अनुज्ञा दी गई है इस प्रकार निकाले गए धन से निर्मित या अर्जित किए गए गृह या क्रय की गई भूमि में कब्जे से, विक्रय, बन्धक (बोर्ड को किए गए बंधक से भिन्न) दान, विनियम द्वारा या अन्यथा बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा के बिना विलग नहीं होगा :

परन्तु ऐसी अनुज्ञा निम्नलिखित के लिए आवश्यक नहीं होगी—

(i) किसी गृह या गृह भूमि को तीन वर्ष से अनधिक की किसी अवधि के लिए पट्टे पर देना,

(ii) किसी आवासन बोर्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निगम के पक्ष में जो नए गृह का संनिर्माण करने के लिए या विद्यमान गृह में परिवर्तन या परिवर्धन करने के लिए ऋण देता है, उसे बंधक रखना।

(ख) अभिदाता प्रतिवर्ष दिसम्बर के 31व दिन तक ऐसी घोषणा प्रस्तुत करेगा कि यथास्थिति, गृह या गृह-भूमि यथापूर्वोक्त उसके कब्जे में बना हुआ है या उसे बंधक रखा गया है या अन्यथा अन्तरित किया गया है या किराए पर दिया गया है और यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह विक्रय बंधक या पट्टे के मूल विलेख को और ऐसे दस्तावेजों को भी जिन पर संपत्ति पर उसका हक आधारित है इस निमित्त मंजूरीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व उस प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(ग) यदि अपनी सेवा निवृत्ति से पूर्व किसी समय अभिदाता बोर्ड से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना गृह या गृह भूमि का कब्जा विलग कर देता है तो वह निधि में से अपने द्वारा इस प्रकार निकाली गई रकम का निधि में तुरत एकमुश्त प्रतिसंदाय करेगा और ऐसे प्रतिसदाय में व्यतिक्रम होने पर मजूरीकर्ता प्राधिकारी उस मामले में अध्यावेदन करने के लिए अभिदाता को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात उक्त रकम को अभिदाता की उपलब्धियों में से या तो एक मुश्त या उतनी मासिक किस्तों में जितनी वह अवधारित करे वसूल करवाएगा।

टिप्पण—ऐसे अभिदाता से जिसने बोर्ड या सरकार से उधार लिया है और उसके बदले में गृह या गृह-भूमि बोर्ड या सरकार को बंधक कर दी है निम्नलिखित प्रभाव की घोषणा प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी, अर्थात् :—

"मैं यह प्रमाणित करता हू कि वह गृह या गृह-भूमि जिसके निर्माण के लिए या जिसके अर्जन के लिए मैंने भविष्य निधि से अंतिम निकासी की है मेरे कब्जे में बना है किन्तु बोर्ड/सरकार के पास बंधक है।"

18. किसी अग्रिम का निकासी में संपरिवर्तन—(1) कोई अभिदाता जिसने विनियम 16 में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के लिए विनियम 13 के अधीन कोई अग्रिम लिया है या लेने वाला है, यदि वह विनियम 16 और 17 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है, स्वविवेकानुसार मजूरीकर्ता प्राधिकारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को सम्बोधित अपने लिखित अनुरोध द्वारा उस अग्रिम के संबंध में अपने अतिशेष को अंतिम रूप से रकम की निकासी में संपरिवर्तित कर सकेगा।

टिप्पण . (1) जब मजूरीकर्ता प्राधिकारी द्वारा लेखा अधिकारी को संपरिवर्तन के लिए कोई आवेदन अग्रेषित किया जाता है तो मजूरीकर्ता प्राधिकारी कार्यालय के प्रधान से वेतन बिल में वसूली रोकने के लिए अनुरोध कर सकता है,

(2) विनियम 17 के उपविनियम (1) के प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन के समय अभिदाता के खाते में जमा अभिदाय की उस पर ब्याज सहित रकम धन अग्रिम की बकाया रकम को अतिशेष के रूप में लिया जाएगा। प्रत्येक निकासी को पृथक माना जाएगा और वही सिद्धांत एक से अधिक संपरिवर्तनों में लागू होगा।

19 बीमा पालिसियां महे संदाय—विनियम 4 में निर्दिष्ट अभिदाता जो इन विनियमों के प्रारंभ से पूर्व जीवन बीमा की पालिसियों के लिए पूर्णत: या अंशत: अभिदाया प्रतिस्थापित कराते रहे है या निधि में से ऐसे सदाय के लिए रकम की निकासी कराते रहे है वे ऐसा करते रहने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे। ऐसे सदाय केन्द्रीय सरकार के अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत) 1962 के उपबन्धों से नियंत्रित होंगे और अभिदाता उन्ही निबंधनों और शर्तों के अधीन यथावश्यक परिवर्तनों सहित सुविधाओं का उपयोग करते रहेंगे :

परन्तु ऐसे अभिदाताओं को निधि में देय अभिदाय के प्रतिस्थापन के लिए या नई पालिसियों की बाबत सदाय करने के लिए निधि में से रकम निकालने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

20. निधि में संचित रकम को अंतिम रूप से निकालना : जब कोई अभिदाता सेवा छोड़ देता है तब निधि में उसके खाते में जमा रकम विनियम 23 के अधीन किसी छूटौती के अधीन रहते हुए, उसे सदेय हो जाएगी .

परन्तु ऐसा अभिदाता जिसे सेवा से पदच्युत कर दिया गया है और बाद में उसे सेवा में पुन: स्थापित कर लिया जाता है यदि बोर्ड उससे वैसा करने की अपेक्षा करे, तो वह इस विनियम के अनुसार निधि में उसे सदत्त की गई कोई भी रकम विनियम 12 में उपबंधित दर से उस पर ब्याज सहित विनियम 21 के परन्तुक में उपबंधित रीति से प्रतिसंदत्त करेगा। इस प्रकार प्रतिसदत्त रकम निधि में उसके खाते में जमा की जाएगी और वह भाग जो उसके अभिदायों और उन पर ब्याज का द्योतक है और वह भाग जो बोर्ड के अंशदान और उस पर ब्याज का द्योतक है विनियम 6 में उपबंधित रीति से लेखे में लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण (1) ऐसे अभिदाता के बारे में जिसे अस्वीकृत छुट्टी मजूर की गई है यह माना जाएगा कि उसने अपनी सेवा निवृत्ति की तारीख से या सेवा बढ़ाए जाने की अवधि की समाप्ति से सेवा छोड़ दी है।

ऐसे अभिदाता के बारे में, जो संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिसे सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् सेवा व्यवधान सहित या रहित पुन: नियोजित कर लिया गया है यह नहीं समझा जाएगा कि उसने सेवा छोड़ दी है जब उसे सेवा में व्यवधान के बिना राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या निगमित निकाय के अधीन किसी नए पद पर (जहां उसे दूसरे भविष्य निधि नियम लागू होते है) अपने पूर्व पद से कोई सम्बन्ध न रखते हुए अंतरित कर दिया जाता है। ऐसे मामले में उसका अभिदाय और नियोजक का अंशदान उन पर ब्याज सहित केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या निगमित निकाय के अधीन नए खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या निगमित निकाय उसके अभिदायों, नियोजक के अंशदान और ब्याज को अंतरित करने की अनुमति दे देता है।

टिप्पण —स्थानान्तरण के सम्बन्ध में यह समझा जाना चाहिए कि उसके अंतर्गत सेवा से ऐसा पदत्याग भी सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या निगमित निकाय के अधीन नियुक्ति ग्रहण करने के लिए व्यवधान के बिना और अध्यक्ष की समुचित अनुज्ञा से किया जाए। ऐसे मामलों में जहां सेवा में व्यवधान हुआ है वहां व्यवधान अन्यत्र स्थानान्तरण पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात समय तक ही सीमित होगा।

(iii) जब कोई अभिदाता जो संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति से या ऐसे व्यक्ति से भिन्न है जिसे सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् सेवा में पुन: नियोजित किया जाता है, सेवा से व्यवधान के बिना सरकार के स्वामित्वाधीन या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वायत्त संगठन के अधीन सेवा में स्थानान्तरित कर दिया जाता है, तब अभिदायों की रकम और बोर्ड का अंशदान उस पर ब्याज सहित उसे सदत्त नहीं किया जाएगा बल्कि उस निकाय की सहमति से उस निकाय के अधीन उसके नए भविष्य निधि खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

स्थानान्तरण के अन्तर्गत सेवा से ऐसा पदत्याग भी सम्मिलित है जो सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वायत्त संगठन के अधीन नियुक्ति ग्रहण करने के लिए व्यवधान के बिना और अध्यक्ष की समुचित अनुज्ञा से किया जाए। नए पद का कार्यभार ग्रहण करने में लगा समय सेवा में व्यवधान नहीं माना जाएगा यदि वह एक पद से दूसरे पर जाने के लिए किसी कर्मचारी को अनुज्ञेय कार्यभार ग्रहण समय से अधिक नहीं होता :

परन्तु यह और भी कि किसी लोक उद्यम के अधीन सेवा के लिए विकल्प देने वाले किसी अभिदाता के अभिदायों और बोर्ड के अंशदान की उन पर ब्याज सहित रकम, यदि वह वैसा चाहें और यदि संबंधित उद्यम भी ऐसे अंतरण के लिए सहमत हैं तो उपक्रम के अधीन उसके नए भविष्य निधि खाते में अंतरित कर दी जाएगी। किन्तु यदि अभिदाता अंतरण नहीं चाहता है या संबंधित उद्यम की भविष्य निधि नहीं है तो पर्वोक्त रकम अभिदाता को वापस कर दी जाएगी।

छंटनी के तुरन्त पश्चात् बोर्ड के अधीन नियोजन के मामले में भी यही बात लागू होगी।

21. अभिदाता की सेवा निवृत्ति.—जब कोई अभिदाता—

(क) सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है या यदि वह प्रावकाश विभाग में नियोजित है तो अवकाश का मिलाकर सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है, या

(ख) जिसे छुट्टी पर रहते हुए सेवा निवृत्त होने की अनुज्ञा दे दी गई है या जिसे सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी ने आगे की सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है,

तो निधि में उसके नाम जमा अभिदायों की रकम और उस पर ब्याज अभिदाता को, इस निमित्त उसके द्वारा लेखा अधिकारी को किए गए आवेदन पर संदेय हो जाएगा.

परन्तु यदि अभिदाता कर्तव्य पर वापस आ जाता है और बोर्ड द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए तो अपने खाते में जमा किए जाने के लिए वह रकम या उसका कोई भाग जो उसे इस विनियम के अनुसार निधि में से सदत्त किया गया था विनियम 12 में उपबंधित दर से उस पर ब्याज सहित नकद या प्रतिभूतियों में अथवा भागत: नकद और भागत: प्रतिभूतियों में किस्तों में या अन्यथा उसकी उपलब्धियों में से वसूल कर के या अन्य प्रकार से जो विनियम 13 के उपविनियम (2) के अधीन अपेक्षित विशेष कारणों से अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निदिष्ट करे, निधि में प्रतिसंदत्त करेगा।

22. अभिदाता की मृत्यु पर प्रक्रिया :—विनियम 23 के अधीन किसी कटौती के अधीन रहते हुए, अभिदाता के नाम जमा रकम के संदेय हो जाने से पूर्व या यदि रकम संदेय हो गई है तो संदाय किए जाने से पूर्व, उसकी मृत्यु हो जाने पर

(i) जब अभिदाता कोई कुटुम्ब छोड़ता है तब,—

(क) यदि उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों के पक्ष में विनियम 5 के उपबन्धों के अनुसार अभिदाता द्वारा किया गया कोई नाम निर्देशन विद्यमान है तो निधि में उसके नाम जमा रकम या उसका वह भाग जिससे नाम निर्देशन संबंधित है, उसके नाम निर्देशिती या नाम निर्देशितियों को नाम निर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में संदेय हो जाएगा ;

(ख) यदि अभिदाता के कुटुम्ब के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों के पक्ष में ऐसा कोई नाम निर्देशन विद्यमान नहीं है या यदि ऐसा नाम निर्देशन निधि में उसके नाम जमा रकम के किसी एक भाग से संबंधित है तो, यथास्थिति, सम्पूर्ण रकम या उसका वह भाग जिससे नाम निर्देशन संबंधित नहीं है उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम में किए गए तात्पर्यित किसी नामनिर्देशन के होते हुए भी उसके कुटुम्ब के सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में संदेय हो जाएगा :

परन्तु यदि उसके कुटुम्ब का खण्ड (1), (2), (3) और (4) में विनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न कोई सदस्य है तो निम्नलिखित को कोई भी अंश संदेय नहीं होगा।

(1) वे पुत्र जिन्होंने वयस्कता प्राप्त कर ली है,

(2) मृतक पुत्र के वे पुत्र जिन्होंने वयस्कता प्राप्त कर ली है ;

(3) विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हैं,

(4) मृतक पुत्र की विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित है;

परन्तु यह और कि मृतक पुत्र की विधवा या विधवाएं और उसका या उस के बालक अपने मध्य अकेला वही अंश, बराबर भागों में प्राप्त करेंगे जो अंश उस पुत्र ने तब प्राप्त किया होता जब वह अभिदाता का उत्तरजीवी होता और उसे प्रथम परन्तुक के खण्ड (1) के उपबंधों से छूट-प्राप्त होता।

टिप्पण : किसी अभिदाता के कुटुम्ब के किसी सदस्य को इन विनियमों के अधीन संदेय कोई भी रकम भविष्य निधि

अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन उस सदस्य में निहित हो जाती है।

(ii) जब अभिदाता कोई कुटुम्ब नहीं छोड़ता है तब यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में विनियम 5 के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा किया गया नाम निर्देशन विद्यमान है तो निधि में उसके नाम जमा रकम या उसका वह भाग जिससे नाम निर्देशन संबंधित है नाम निर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में उसके नाम निर्देशिती या नाम निर्देशितियों को संदेय हो जाएगा।

टिप्पण (1) यदि कोई नाम निर्देशिती भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 2 के खण्ड (ग) में परिभाषित अभिदाता पर आश्रित है तो रकम उस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन ऐसे नाम निर्देशिती में निहित हो जाती है।

(2) यदि अभिदाता कोई कुटुम्ब नहीं छोड़ता है और विनियम 5 के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा किया गया कोई नामनिर्देशन भी विद्यमान नहीं है या यदि ऐसा नामनिर्देशन निधि में उसके नाम जमा रकम के केवल एक भाग से संबंधित है तो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और खण्ड (ङ) के उपखण्ड (ii) के सुसंगत उपबन्ध संपूर्ण रकम को या उसके उस भाग को जिससे नाम निर्देशन संबंधित नहीं है, लागू होंगे।

23. कटौतियां :—इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसी कोई भी कटौती नहीं की जाएगी जिससे कि निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम का उस निधि में संदाय किए जाने से पूर्व उसमें से बोर्ड द्वारा विनियम 11 और विनियम 12 के अधीन किए गए अंशदान और उस पर ब्याज की रकम से अधिक रकम निकाली जाए,—

(क) बोर्ड यह निदेश दे सकेगा कि —

(i) यदि अभिदाता को अवचार, दिवालियापन या अदक्षता के कारण सेवा से पदच्युत किया गया है तो उन सभी रकमों की जो ऐसे अंशदान और ब्याज की द्योतक हैं,

उसमें से कटौती करके बोर्ड को संदाय किया जाए :

परन्तु जहां बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि इस प्रकार की कटौती से अभिदाता को असाधारण कष्ट होगा, जो वह आदेश द्वारा ऐसी कटौती में से उस अभिदाय और ब्याज की रकम के, जो अभिदाता को उस दशा में संदेय होती जब वह चिकित्सीय कारणों से सेवा निवृत्त हुआ होता तो तिहाई से अनधिक रकम तक की छूट दे सकेगा :

परन्तु यह और भी कि यदि पदच्युति का ऐसा कोई आदेश बाद में रद्द कर दिया जाता है तो इस प्रकार काटी गई रकम सेवा में उसके फिर से प्रतिस्थापित किए जाने पर निधि में उसके नाम फिर से जमा कर दी जाएगी।

(ii) यदि अभिदाता उस रूप में अपनी सेवा के आरंभ से पांच वर्ष के भीतर सेवा से त्यागपत्र दे देता है या मृत्यु या अधिवर्षिता से या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यह घोषणा किए जाने से कि वह आगे सेवा करने के अयोग्य है या वह उत्सादित किए जाने अथवा स्थापन में कमी कर दिए जाने से भिन्न किसी कारण से बोर्ड के अधीन कर्मचारी नहीं रह जाता है तो उन सभी रकमों का जो ऐसी सभी रकमों और ब्याज की द्योतक हैं उसमें से कटौती कर के बोर्ड को संदाय किया जाए।

(ख) बोर्ड यह निदेश दे सकेगा कि अभिदाता द्वारा बोर्ड के प्रति उपगत किसी दायित्व के अधीन देय किसी रकम की उसमें से कटौती कर के बोर्ड को संदाय किया जाए।

टिप्पण (1) इस विनियम के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के प्रयोजन के लिए—

(क) पांच वर्ष की अवधि की गणना बोर्ड के अधीन अभिदाता की निरंतर सेवा के प्रारंभ से की जाएगी।

(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय के अधीन या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वायत्त संगठन के अधीन व्यवधान के बिना उपयुक्त प्राधिकारी की समुचित अनुज्ञा से नियुक्ति प्राप्त करने के लिए सेवा से दिया गया त्यागपत्र बोर्ड की सेवा से त्यागपत्र नहीं माना जाएगा।

(2) इस विनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग, इस विनियम के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट रकम की बाबत पत्तन के कर्मचारियों के सभी प्रवर्गों की बाबत उनसे भिन्न जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 24 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट पद धारण करने वाले कर्मचारी हैं, अध्यक्ष द्वारा भी किया जा सकेगा।

24. निधि में रकम का संदाय करने की रीति :—(1) जब निधि में अभिदाता के नाम जमा कोई रकम या विनियम 23 के अधीन की गई कटौती के पश्चात् उसका अतिशेष संदेय हो जाता है तब लेखा अधिकारी का अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि जब उस विनियम के अधीन ऐसी कोई कटौती करने का निदेश नहीं दिया गया है तब कोई भी कटौती करने का निदेश नहीं दिया गया है, यथास्थिति, प्ररूप V या प्ररूप VI (इन विनियमों से उपाबद्ध) में उप-विनियम (3) में यथा उपबंधित इस निमित्त लिखित आवेदन प्राप्त होने पर संदाय करे।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति जिसे इन विनियमों के अधीन कोई रकम या पालिसी संदत्त, समनुदिष्ट या पुनःसमनुदिष्ट या परिदत्त की जानी है, ऐसा पागल है जिसकी सम्पदा के लिए भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 (1912 का 4) के अधीन इस निमित्त कोई प्रबंधक नियुक्त किया गया है, तो संदाय पुनः समनुदेशन या परिदान ऐसे प्रबंधक को ही किया जाएगा न कि पागल को :

परन्तु यदि कोई प्रबंधक नियुक्त नही किया जाता है और जिस व्यक्ति को रकम संदेय है उसे किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पागल प्रमाणित किया जाता है तो कलक्टर के आदेशों के अधीन संदाय, भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 (1912 का 4) की धारा 95 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसके भारसाधन में ऐसा पागल है और लेखा अधिकारी ऐसे पागल के भारसाधक व्यक्ति को उतनी ही रकम का संदाय करेगा जितनी वह ठीक समझता है और अधिशेष, यदि कोई हो, या उसका ऐसा भाग, जो वह ठीक समझता है, पागल के कुटुम्ब के ऐसे सदस्यों के भरण-पोषण के लिए दिया जाएगा जो भरण-पोषण के लिए उस पर आश्रित है।

(3) निकाली गई रकमों का संदाय केवल भारत में ही किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को रकमे संदेय हैं वे भारत में संदाय प्राप्त करने के अपने प्रबंध स्वयं करेंगे। संदाय का दावा करने के लिए अभिदाता द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अर्थात् :—

(i) निधि में से रकम निकालने के लिए आवेदन करने में अभिदाता को समर्थ बनाने के लिए कार्यालय का प्रधान प्रत्येक अभिदाता को आवश्यक प्ररूप या तो उस तारीख से एक वर्ष पूर्व जिसको अभिदाता अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करता है या उसकी प्रत्याशित सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पूर्व, यदि वह पहले हो, इन अनुदेशों के साथ भेजेगा कि उन्हें सम्यक् रूप से भरकर अभिदाता द्वारा प्ररूपों की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर लौटा दिया जाना चाहिए। अभिदाता निधि की रकम के संदाय के लिए आवेदन कार्यालय या विभाग के प्रधान के माध्यम से लेखा अधिकारी को देगा। आवेदन—

(क) निधि में उसके नाम जमा पड़ी रकम के लिए जो उसकी अधिवर्षिता की तारीख या उसकी सेवा निवृत्ति की प्रत्याशित तारीख के एक वर्ष पूर्व समाप्त होने वाले वर्ष के लेखा विवरण में उपदर्शित है, या

(ख) ऐसे मामलों में, जिसमें लेखा विवरण अभिदाता ने प्राप्त नही किया हो, उसके खाता-लेखा में उपदर्शित रकम के लिए दिया जाएगा।

(ii) कार्यालय का प्रधान/विभाग का प्रधान आवेदन लेखा अधिकारी को भेजेगा जिसमें लिए गए अग्रिमों और ऐसे अग्रिमों के प्रति जो तब भी चालू हों की गई वसूलियों और प्रत्येक अग्रिम की बाबत अभी वसूल की जाने वाली किस्तों की संख्या उपदर्शित करेगा और अभिदाता द्वारा की गई निकासियों को भी, यदि कोई हो, उपदर्शित करेगा।

(iii) लेखा अधिकारी खाता-लेखा से सत्यापन करने के पश्चात् आवेदन में उपदर्शित रकम के लिए अधिवर्षिता की तारीख से कम से कम एक मास पूर्व एक प्राधिकारपत्र जारी करेगा किन्तु वह अधिवर्षिता की तारीख पर संदेय होगी।

(iv) लेखा अधिकारी को अंतिम संदाय के लिए आवेदन अग्रेषित करने के पश्चात् अग्रिम/निकासी मंजूर की जा सकती है किन्तु अग्रिम/निकासी सम्बद्ध लेखा अधिकारी के प्राधिकार पर ही ली जा सकेगी जो मंजूरीकर्ता प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त होने पर यथासंभव शीघ्र उसकी व्यवस्था करेगा।

(v) संदाय के लिए द्वितीय प्राधिकार पत्र अधिवर्षिता के पश्चात् यथासंभव शीघ्र जारी किया जाएगा। यह खण्ड (i) के अधीन दिए गए आवेदन में वर्णित रकम के बाद अभिदाता द्वारा किए गए अभिदायों धन उन अग्रिमों के प्रति किस्तों के, जो प्रथम आवेदन के समय चालू थी, प्रतिदाय से संबंधित होगा।

टिप्पण :—जब अभिदाता के नाम जमा रकम विनियम 20, 21 या 22 के अधीन संदेय हो गई है तो लेखा अधिकारी उप-विनियम (3) में उपदर्शित रीति से रकम का तुरन्त संदाय प्राधिकृत करेगा।

25. पेंशन वाली सेवा में स्थानान्तरण पर प्रक्रिया :—(1) यदि कोई अभिदाता विकल्प दिए जाने पर पेंशन स्कीम में सम्मिलित होने की तारीख से पेंशन-स्कीम द्वारा नियंत्रित होने के विकल्प का चयन करता है, तो वह—

(i) निधि में अभिदाय करना बन्द कर देगा;

(ii) निधि में उसके खाते में जमा बोर्ड के अंशदान की रकम ब्याज सहित बोर्ड को प्रतिसंदत्त कर दी जाएगी;

(iii) निधि में उसके नाम जमा अभिदायों की रकम उस पर ब्याज सहित सामान्य भविष्य निधि में उसके खाते में अन्तरित कर दी जाएगी, जिसमें उसके बाद वह उस निधि के नियमों के अनुसार अभिदाय करेगा; और

(iv) तब वह उस पेंशन सेवा के लिए जो उसने स्थायी अन्तरण की तारीख से पूर्व की थी केन्द्रीय सरकार

के कर्मचारियों को लागू होने वाले पेंशन नियमों के अधीन अनुज्ञेय विस्तार तक गणना के लिए हकदार होगा ।

26. अभिदाय के संदाय के समय खाते के संख्यांक का बताया जाना :—उपलब्धियों में से कटौती करके या नकद अभिदाय का भारत में संदाय करते समय अभिदाता निधि में अपने खाते का वह संख्यांक बताएगा जो लेखा अधिकारी द्वारा उसे पहले ही संसूचित किया गया है ।

27. अभिदाता को लेखे का वार्षिक विवरण दिया जाना—(1) प्रतिवर्ष 31 मार्च के पश्चात् यथासंभव शीघ्र लेखा अधिकारी प्रत्येक अभिदाता की निधि में उसके लेखे का एक विवरण भेजेगा, जिसमें उस वर्ष की पहली अप्रैल को उसका आरम्भिक अनिशेष, वर्ष के दौरान जमा की गई या निकाली गई कुल रकम, उस वर्ष 31 मार्च को जमा किए गए ब्याज की कुल रकम और उस तारीख को अंतिम अनिशेष दिखाया जाएगा । लेखा अधिकारी लेखा विवरण के साथ यह प्रश्न संलग्न करेगा कि क्या अभिदाता—

(i) विनियम 5 के अधीन किए गए किसी नामनिर्देशन में कोई परिवर्तन करना चाहता है या नहीं;

(ii) ऐसे किसी मामले में जहां उसने विनियम 5 के उपविनियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के पक्ष में कोई नामनिर्देशन नहीं किया है, उसने कोई कुटुम्ब प्राप्त किया है या नहीं ।

(2) अभिदाताओं को वार्षिक विवरण की शुद्धता के बारे में अपना समाधान करना चाहिए और गलतियां विवरण की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर लेखा अधिकारी के ध्यान में लाई जानी चाहिएं ।

28. व्यष्टिक मामलों में विनियमों के उपबन्धों का शिथिल किया जाना :—जब बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि इन विनियमों में से किसी विनियम के प्रवर्तन से किसी अभिदाता को असम्यक कष्ट हो रहा है या होना संभाव्य है, तो वह इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी उस अभिदाता के मामले में ऐसी रीति से कार्रवाई कर सकेगा जो उसे न्यायोचित और साम्यापूर्ण प्रतीत हो ।

29. निर्वचन :—यदि इन विनियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठता है तो वह विनिश्चय के लिए बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाएगा जो उसका विनिश्चय करेगा ।

प्ररूप 1

[विनियम 5 का उपविनियम (3) देखिए]

जब अभिदाता कुटुम्ब वाला है और वह उसके एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करना चाहता है :

मैं निधि में मेरे नाम जमा रकम के सन्देय होने से पूर्व या ऐसी दशा में जब वह संदेय हो चुकी है, किन्तु दी नहीं गई है मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में उक्त रकम प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित व्यक्ति को, जो नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (अंशदायी भविष्य निधि) विनियम के विनियम 2 में यथापरिभाषित मेरे कुटुम्ब का सदस्य है, नाम निर्दिष्ट करता हूं ।

नाम निर्देशिती का नाम और पता	अभिदाता के साथ नातेदारी	आकस्मिकताएं जिनके होने पर नाम निर्देशन अवधिमान्य हो जाएगा	ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों यदि कोई हों के नाम, पते और नातेदारी जिन्हें नामनिर्देशिती का अधिकार उस दशा में संक्रान्त हो जाएगा जब उनकी मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाए ।

आज 19 के ..... के ..... दिन ..... में हस्ताक्षरित ।

हस्ताक्षर के दो साक्षी अभिदाता के हस्ताक्षर

1.

2.

प्ररूप 2

[विनियम 5 का उपविनियम (3) देखिए]

जब अभिदाता का कुटुम्ब है और वह उसके एक से अधिक सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करना चाहता है :

मैं, निधि में मेरे नाम जमा रकम के संदेय होने से पूर्व या ऐसी दशा में जब वह संदेय हो चुकी है किन्तु संदत्त नहीं की गई है मेरी मृत्यु हो जाने पर उक्त रकम प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित व्यक्तियों को, जो नव मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी (अंशदायी भविष्य निधि) विनियम के विनियम 2 में यथापरिभाषित मेरे कुटुम्ब के सदस्य हैं नाम निर्दिष्ट करता हूं और यह निदेश देता हूं कि उक्त रकम उक्त व्यक्तियों के बीच

नीचे उनके नामो के सामने दी गई रीति से वितरित की जाएगी ।

नाम निर्देशिती का नाम और पता ।	अभिदाता के साथ नातेदारी	आयु	सचयों की रकम या अंश जो प्रत्येक को संदत्त किया जाना है	आकस्मिकताएं जिनके होने पर नाम निर्देशन अवधि मान्य हो जाएगा	ऐसे व्यक्ति/ व्यक्तियों के यदि कोई हो नाम, पते और नातेदारी जिन्हें नाम निर्देशिती का अधिकार उस दशा में संक्रमित हो जाएगा जब उनकी मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाए ।

आज 198··· के ·····के·····दिन·····
·····में हस्ताक्षरित

अभिदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के दो साक्षी

1.

2.

टिप्पण :—यह स्तंभ इस प्रकार भरा जाना चाहिए जिससे उसके अन्तर्गत वह सम्पूर्ण रकम आजाए जो निधि में अभिदाता के नाम किसी भी समय जमा हो।

प्ररूप 3

[विनियम 5 का उपविनियम (3) देखिए]

जब अभिदाता का कुटुम्ब नहीं है और वह एक व्यक्ति को नाम निर्विष्ट करना चाहता है ।

मैं, जिसका नव मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी (अंशदायी भविष्य निधि) विनियम के विनियम 2 के अधीन यथा परिभाषित कुटुम्ब नही है, निधि मे मेरे नाम जमा रकम संदेय हो चुकी है किन्तु संदत्त नही की गई है, मेरी मृत्यु हो जाने पर उक्त रकम प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट करता हूं ।

नाम निर्देशिती का नाम और पता	अभिदाता के साथ नातेदारी	आयु	*आकस्मिकताएं जिनके होने पर नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा ।	ऐसे व्यक्ति/ व्यक्तियों के यदि कोई हों, नाम पते, और नातेदारी जिन्हें नाम निर्देशिती का अधिकार उस दशा में संक्रान्त हो जाएगा जब उनकी मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाए ।

आज 198 ·····के·····के दिन····में हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर के दो साक्षी

अभिदाता के हस्ताक्षर

1.

2.

* टिप्पण:—जहां ऐसा कोई अभिदाता जिसका कोई कुटुम्ब नहीं है कोई नाम निर्देशन करता है वहा वह इस स्तम्भ में यह विनिर्दिष्ट करेगा कि बाद में उसका कुटुम्ब हो जाने पर नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।

प्ररूप 4

[विनियम 5 का उपविनियम (3) देखिए]

जब अभिदाता का कोई कुटुम्ब नही है और वह एक से अधिक व्यक्तियो को नाम निर्दिष्ट करना चाहता है ।

मैं, जिसका नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (अंशदायी भविष्य निधि) विनियम के विनियम 2 के अधीन यथा परिभाषित कुटुम्ब नही है, निधि में मेरे नाम जमा रकम के संदेय होने से पूर्व या ऐसी दशा में जब वह संदेय हो चुकी है किन्तु संदत्त नही की गई है, मेरी मृत्यु हो जाने पर, उक्त रकम प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करता हूं और यह निदेश देता हू कि उक्त रकम

उक्त व्यक्तियों के बीच नीचे उनके नामों के सामने दी गई रीति से, वितरित की जाएगी।

नाम निर्देशिती का नाम	अभि-दाता के साथ नातेदारी	आयु*	संचयों की रकम या अंश जो प्रत्येक को संदत्त किया जाना है	आकस्मिकताएं जिनके होने पर नाम निर्देशन अवधिमान्य हो जाएगा**	ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के, यदि कोई हो, नाम, पते और नातेदारी जिन्हें नाम निर्देशिती का अधिकार उस दशा में संक्रांत हो जाएगा जब उनकी मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाए

आज 198 ... के ... के ... दिन ... में हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर के दो साक्षी — अभिदाता के हस्ताक्षर

1.

2.

*टिप्पण :—यह स्तंभ इस प्रकार भरा जाना चाहिए जिसमे उसके अन्तर्गत वह सम्पूर्ण रकम आ जाए जो निधि में अभिदाता के नाम किसी भी समय जमा हो।

**टिप्पण :—जहां ऐसा कोई अभिदाता जिसका कुटुम्ब नहीं है कोई नाम निर्देशन करता है वहां वह इस स्तम्भ में यह निर्दिष्ट करेगा कि बाद में उसका कुटुम्ब हो जाने पर नाम निर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।

प्ररूप 5

(श्रेणी I और II के अधिकारियों के लिए)

[विनियम 24 का उपविनियम (1) देखिए]

साधारण/अंशदायी भविष्य निधि खाते में अतिशेषों का अन्तिम संदाय करने के लिए निगमित निकायों/अन्य सरकारों को अन्तरण के लिए आवेदन का प्ररूप

———

सेवा में,

वित्तीय सलाहकार और
मुख्य लेखा अधिकारी
नव मंगलौर पत्तन न्यास
कार्यालय/विभाग के प्रधान के माध्यम से

महोदय,

मैं सेवा निवृत्त होने वाला हूं/सेवा निवृत्त हो गया हूं/......मास के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर हूं/पत्तन न्यास की सेवा से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया हूं/स्थाई रूप से स्थानान्तरित कर दिया गया हूं/मैंने अन्तिम रूप से त्याग-पत्र दे दिया है/सेवा से त्यागपत्र दे दिया है और मेरा त्याग-पत्र .... के पूर्वाह्न/अपराह्न से मंजूर कर लिया गया है। मैं तारीख .... के पूर्वाह्न/अपराह्न से ...... की सेवा में आ गया था।

2. मेरा भविष्य निधि खाता सं० .... है। मैं अपने कार्यालय के माध्यम से संदाय लेना चाहता हूं।

3. मेरे हस्ताक्षर के दो नमूने जिन्हें अन्य श्रेणी I अधिकारी ने अनुप्रमाणित किया है संलग्न है।

भाग I

(उस समय भरा जाए जब अन्तिम संदाय के लिए आवेदन सेवा निवृति से एक वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया जाता है)

4. निवेदन है कि मेरे सा०भ०नि०/अ०भ०नि० खाते मे जमा .... रु० जो कि वर्ष के लिए मुझे जारी किए गए और आप द्वारा रखे गए मेरे खाता-लेखा में यथादर्शित संलग्न लेखा विवरण में उपदर्शित है कृपया मेरे कार्यालय के माध्यम से संदत्त करने की व्यवस्था करें।

5. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निम्नलिखित अग्रिम लिया है जिसकी बाबत .... रु० की .... किस्तें निधि के खाते में अभी प्रतिसंदत्त की जानी है। मैंने निम्नलिखित अन्तिम रकम निकासी की है :—

अस्थायी रकम निकासी	स्थायी रकम निकासी
1.	
2.	
3.	
4.	

6. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने जीवन बीमा पालिसियों के वित्तपोषण के लिए अपने भ०नि० खाते से निम्नलिखित रकमें निकाली हैं :—

1.
2.
3.
4.

7. प्रमाणित किया जाता है कि भविष्य निधि अतिशेष की प्रथम किश्त का संदाय करने के पश्चात् भाग II में पश्चात्-वर्ती किश्तों के संदाय के लिए मैं सेवानिवृत्त होने पर तुरन्त आवेदन करूंगा।

अभिदाता के हस्ताक्षर
नाम और पता

कार्यालय/विभाग के प्रधान का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त जानकारी को इस कार्यालय में रखे गए अभिलेख से सत्यापित कर लिया गया है और वह ठीक है।

कार्यालय/विभाग के प्रधान के हस्ताक्षर

भाग II

4. सं० ..... तारीख ..... द्वारा अन्तिम संदाय के लिए आपको भेजे गए मेरे आवेदन के अनुक्रम में मेरा यह निवेदन है कि मेरे भविष्य निधि खाते में अतिशेष मुझे संदत्त किया जाए।

या

प्रमाणित किया जाता है उसके खाते से जीवन बीमा पालिसी के वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित रकमें निकाली गई थी।

1.
2.
3.
4.

कार्यालय के प्रधान के हस्ताक्षर

भाग II

भ०नि० अतिशेष के अन्तिम संदाय के लिए तारीख ..... के अपने पूर्व आवेदन के अनुक्रम में, मैं निवेदन करता हूं कि मेरे खाते में जमा रकम विनियमों के अधीन उस पर देय ब्याज सहित मुझे संदत्त की जाए।

या

निवेदन है कि मेरे खाते का सम्पूर्ण रकम विनियमों के अधीन देय उस पर ब्याज सहित मुझे संदत्त की जाए/..... को अन्तरित कर दी जाए।

हस्ताक्षर
नाम और पता
(कार्यालयों के प्रधानों के उपयोग के लिए)

वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, नव मंगलौर पत्तन न्यास को आवश्यक कार्रवाई के लिए पृष्ठांकन सं० ..... तारीख ..... के अनुक्रम में अग्रेषित।

2. वह अन्तिम रूप से सेवा निवृत्त हो गया है/गई है ..... माह के लिए सेवा निवृति पूर्व छुट्टी पर जाएगा/जाएगी। पत्तन न्यास की सेवा से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया है/कर दी गई है ..... को स्थायी रूप से स्थानान्तरित कर दिया गया है/कर दी गई है, उसने अन्तिम रूप से पत्तन न्यास की सेवा से त्यागपत्र दे दिया है और उनका त्यागपत्र तारीख ..... पूर्वाह्न/अपराह्न से स्वीकृत कर लिया गया है। उसने ..... के पूर्वाह्न/अपराह्न से ..... की सेवा में आया था/आई थी।

3. उसके वेतन से ..... रुपए) अन्तिम निधि कटौती उस कार्यालय के बिल सं० ..... तारीख ..... द्वारा की गई थी इसमें से कटौती की रकम ..... रु० और अग्रिम मद प्रतिदाय की रकम ..... रु० थी।

4. प्रमाणित किया जाता है कि उसके सेवा छोड़ने/सेवा निवृति पूर्व छुट्टी पर जाने की तारीख या उसके बाद से ठीक पूर्ववर्ती 12 मास के दौरान उसके भविष्य निधि खाते में उसे कोई अस्थायी अग्रिम या कोई अन्तिम निकासी मंजूर नहीं की गई थी।

या

प्रमाणित किया जाता है कि उनके सेवा छोड़ने/सेवा निवृति पूर्व छुट्टी पर जाने की तारीख या उसके पश्चात् से ठीक पूर्ववर्ती 12 मास के दौरान उसके भविष्य निधि खाते से निम्नलिखित अस्थायी अग्रिम/अन्तिम निकासी मंजूर की गई थी।

अग्रिम/निकासी की रकम	तारीख	वाउचर सं०
1.		
2.		
3.		
4.		

5. प्रमाणित किया जाता है कि उसके सेवा छोड़ने/सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जाने की तारीख या उसके पश्चात् से ठीक पूर्ववर्ती 12 मास के दौरान उसके भविष्य निधि खाते से बीमा के प्रीमियम के संदाय या नई पालिसी के क्रय के लिए रकम की कोई निकासी नहीं की गई/निम्नलिखित रकमें निकाली गई।

रकम	तारीख	वाउचर सं०
1.		
2.		
3.		

*6. यह प्रमाणित किया जाता है कि पत्तन द्वारा वसूली के लिए कोई भी मांग शोध्य नहीं है/निम्नलिखित मांगें शोध्य है।

**7. प्रमाणित किया जाता है कि उसने केन्द्रीय सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन या राज्य के स्वामित्याधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय में कोई नियुक्ति ग्रहण करने के लिए अध्यक्ष/पत्तन न्यास बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा से पत्तन की सेवा से त्याग पत्र नहीं दिया है।

कार्यालय/विभाग के प्रधान के हस्ताक्षर

*प्रमाणपत्र सं० 6 अंशदायी भविष्य निधि के मामले में ही प्रस्तुत किया जाएगा।

**यदि आवश्यक न हो तो काट दें।

प्ररूप 6

(श्रेणी 3 और 4 के कर्मचारियों के लिए)

[विनियम 24 का उपविनियम (1) देखिए]

साधारण/अंशदायी भविष्य निधि खाते में अतिशेषों के अंतिम संदाय के लिए निगमित निकायों/अन्य सरकारों को अंतरण के लिए आवेदन का प्ररूप

सेवा में,

वित्तीय सलाहकार और
मुख्य लेखा अधिकारी
नव मंगलौर पत्तन न्यास

कार्यालय के प्रधान के माध्यम से

महोदय,

मैं, सेवा निवृत्त होने वाला हूं/सेवा निवृत्त हो गया हूं/·····माम के लिए सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर हूं/पत्तन न्यास की सेवा से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया हूं/मैंने अंतिम रूप से त्यागपत्र दे दिया है/सेवा से त्यागपत्र दे दिया है/और मेरा त्यागपत्र·····के पूर्वाह्न/अपराह्न से मंजूर कर लिया गया है।

मैं तारीख·····के पूर्वाह्न/अपराह्न से·····की सेवा में आया था।

2. मेरा भविष्य निधि खाता सं०·····है।

3. मैं अपने कार्यालय के माध्यम से संदाय लेना चाहता हूं।

भाग—I

(उस समय भरा जाए जब अंतिम संदाय के लिए आवेदन सेवा निवृत्ति से एक वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया जाता है)

4. निवेदन है कि मेरे सा० भ० नि०/अं०भ०नि० के खाते में जमा··· रु० जो कि वर्ष·····के लिए मुझे जारी किए गए और आप द्वारा रखे गए मेरे खाता-लेखा में यथादर्शित संलग्न लेखा विवरण में उपदर्शित है, कृपया मेरे कार्यालय के माध्यम से प्रथम किस्त के रूप में अंतिम संदाय करने की व्यवस्था करें।

5. निम्नलिखित जीवन बीमा पालिसियां मेरे भविष्य निधि खाते से वित्त पोषित की जा रही थी :—

पालिसी सं०	कं० का नाम	बीमा की गई रकम
1.		
2.		
3.		
4.		

6. मैं अपने भविष्य निधि अतिशेष के प्रथम किस्त के संदाय के पश्चात् सेवा निवृत्ति के ठीक बाद भाग II के प्ररूप में पश्चात्वर्ती किस्तों के संदाय के लिए आवेदन करूंगा।

भवदीय,

स्थान : हस्ताक्षर
तारीख : नाम पता

(कार्यालयों के प्रधानों के उपयोग के लिए)

वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी नव मंगलौर पत्तन न्यास का आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित

2. श्री/श्रीमती/कुमारी····· ··का भविष्य निधि खाता (उन्हें वर्षानुवर्ष भेजे गए विवरणों द्वारा यथा सत्यापित) सं०·····है।

3. वह पत्तन न्यास की सेवा में·····को सेवा-निवृत्त होने वाला/वाली है।

4. प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने निम्नलिखित अग्रिम लिए हैं जिनकी बाबत·····रु० की····· किस्तें अभी भी वसूल की जानी है और निधि के खाते में जमा की जानी हैं। उन्हें मंजूर की गई अंतिम रकम निकासी के विवरण भी नीचे उपदर्शित किए गए है।

	अस्थाई अग्रिम	अंतिम निकासी
1.		
2.		
3.		
4.		

निवेदन है कि मेरे खाते की समस्त रकम विनियमों के अधीन देय ब्याज सहित मुझे मेरे कार्यालय के माध्यम से संदत्त की जाए/मेरे भविष्य निधि में जमा की जाए। मेरा भ० नि० खाता सं०·····है।

5. ·····माम के·····रु० के मेरे वेतन बिल से जो ता०·····का भुनाया गया·····रु० (·····रुपए) की रकम की अंतिम बार भविष्य निधि अभिदाय और अग्रिमों के मदें कटौती की गई।

6. मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने सेवा छोड़ने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती 12 मास के दौरान भविष्य निधि खाते से न तो कोई अस्थायी अग्रिम लिया है और न ही कोई अंतिम निकासी की है।

या

मेरे सेवा छोड़ने/सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जाने की तारीख या उसके पश्चात् 12 मास के दौरान मेरे भविष्य निधि खाते में मेरे द्वारा लिए गए अस्थायी अग्रिमों/अंतिम निकासियों के विवरण नीचे दिए गए हैं।

	अग्रिम की रकम	तारीख
1.		
2.		
3.		
4.		

7. मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे सेवा छोड़ने/सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जाने की तारीख से या उसके पश्चात् ठीक पूर्ववर्ती 12 मास के दौरान अपने भविष्य निधि खाते से बीमा के प्रीमियम के संदाय या नई पालिसी के क्रय के लिए

कोई रकम नही निकाली गई। निम्नलिखित रकमे निकाली गई :

	रकम	तारीख
1.		
2.		
3.		

8. मेरे भविष्य निधि से वित्त पोषित जीवन बीमा पालिसियों की विशिष्टिया जो आपके द्वारा दी जानी है, नीचे दी गई है :—

	पालिसी सं०	कं० का नाम	बीमा की गई रकम
1.			
2.			
3.			
4.			

भवदीय

स्थान: हस्ताक्षर

तारीख: नाम-पता

कार्यालय/विभाग के प्रधान का प्रमाणपत्र

पृष्ठांकन सं०.....तारीख.....के अनुक्रम में अग्रेषित।

1(क) मेरे कार्यालय के अभिलेखो के प्रतिनिर्देश से सम्यकरूप से सत्यापन के पश्चात् यह प्रमाणित किया जाता है कि उसके सेवा छोड़ने/सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जाने की तारीख से या तत्पश्चात् ठीक पूर्ववर्ती 12 मास के दौरान प्रार्थी को उसके भविष्य निधि खाते से कोई भी अस्थायी अग्रिम/अंतिम अग्रिम मंजूर नही किया गया।

या

2. मेरे कार्यालय में रखे गए अभिलेखों से सम्यक् सत्यापन करने के पश्चात् यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा सेवा छोडने/सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जाने की तारीख या उसके पश्चात् ठीक पूर्ववर्ती 12 मास के दौरान उसके भविष्य निधि खाते से निम्नलिखित अस्थायी अग्रिम/अंतिम निकासी मंजूर की गई थी और उसने ली थी।

	अग्रिम/रकम निकासी की रकम	तारीख	वाउचर सं०
1.			
2.			

*3. प्रमाणित किया जाता है कि पत्तन द्वारा वसूली के लिए कोई भी मांग शोध्य नही है। निम्नलिखित मांग शोध्य है।

**4. प्रमाणित किया जाता है कि उसने केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग में या राज्य के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय के अधीन नियुक्ति ग्रहण करने के लिए अध्यक्ष/पत्तन न्यास बोर्ड की पूर्व अनुमति से पत्तन की सेवा से त्यागपत्र नही दिया है।

कार्यालय/विभाग के प्रधान के हस्ताक्षर

*प्रमाणपत्र सं० 3 केवल अंशदायी भविष्य निधि के मामले मे ही प्रस्तुत किया जाएगा।

**यदि आवश्यक न हो तो काट दे।

[स० पी०डब्ल्यू०/पी० ई० एल०-16/80]

दिनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981